

# ज्ञानशौर्यम्



**ISSN : 2582-0095**

**Peer Reviewed and Refereed International  
Scientific Research Journal**

**Website : <http://gisrrj.com>**



**GYANSHAURYAM**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED**

**RESEARCH JOURNAL**

**Volume 4, Issue 5, September-October-2021**

Email : [editor@gisrrj.com](mailto:editor@gisrrj.com) Website : <http://gisrrj.com>



# ज्ञानशौर्यम्

**Gyanshauryam  
International Scientific Refereed Research Journal**

**Volume 4, Issue 5, September-October-2021**

**[ Frequency: Bimonthly ]**

**ISSN : 2582-0095**

**Peer Reviewed and Refereed International Journal  
Bimonthly Publication**

**Published By  
Technoscience Academy**



## Editorial Board

---

### Advisory Board

- **Prof. Radhavallabh Tripathi**  
Ex-Vice Chancellor, Central Sanskrit University, New Delhi, India
- **Prof. B. K. Dalai**  
Director and Head. (Ex) Centre of Advanced Study in Sanskrit. S P Pune University, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Divakar Mohanty**  
Professor in Sanskrit, Centre of Advanced Study in Sanskrit ( C. A. S. S.), Savitribai Phule Pune University, Ganeshkhind, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Ramakant Pandey**  
Director, Central Sanskrit University, Bhopal Campus. Madhya Pradesh, India
- **Prof. Kaushalendra Pandey**  
Head of Department, Department of Sahitya, Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Prof. Dinesh P Rasal**  
Professor, Department of Sanskrit and Prakrit, Savitribai Phule Pune University, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Parag B Joshi**  
Professor & OsD to VC, Department of Sanskrit Language & Literature, HoD, Modern Language Department, Coordinator, IQAC, Director, School of Shastric Learning, Coordinator, research Course, KKSU, Ramtek, Nagpur, India
- **Prof. Sukanta Kumar Senapati**  
Director, C.S.U., Eklavya Campus, Agartala, Central Sanskrit University, Janakpuri, New Delhi, India
- **Prof. Sadashiv Kumar Dwivedi**  
Professor, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Coordinator, Bharat adhyayan kendra, Banaras Hindu University, Varanasi Uttar Pradesh, India
- **Prof. Manoj Mishra**  
Professor, Head of the Department, Department of Vedas, Central Sanskrit University, Ganganath Jha Campus, Azad Park, Prayagraj, Uttar Pradesh, India
- **Prof. Ramnarayan Dwivedi**  
Head, Department of Vyakarana Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, BHU, Varanasi, Uttar Pradesh, India

- **Prof. Ram Kishore Tripathi**

Head, Department of Vedanta, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, Uttar Pradesh, India

---

## Editor-In-Chief

- **Dr. Raj Kumar**

SST, Palamu, Jharkhand, India

---

## Senior Editor

- **Dr. Pankaj Kumar Vyas**

Associate Professor, Department- Vyakarana, National Sanskrit University (A central University), Tirupati, India

---

## Associate Editor

- **Prof. Dr. H. M. Srivastava**

Department of Mathematics and Statistics, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada

- **Prof. Daya Shankar Tiwary**

Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi, India

- **Prof. Satyapal Singh**

Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi, India

- **Dr. Ashok Kumar Mishra**

Assistant Professor (Vyakaran), S. D. Aadarsh Sanskrit College Ambala Cantt Haryana, India

- **Dr. Raj Kumar Mishra**

Assistant Professor, Department of Sahitya, Central Sanskrit University Vedavyas Campus Balahar Kangara Himachal Pradesh, India

- **Dr. Somanath Dash**

Assistant Professor, Department of Research and Publications, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India



---

## Editors

- **Dr. Suneel Kumar Sharma**  
Assistant Professor Department of Education, Shri Lalbahadur Shastri National Sanskrit University (Central University) New Delhi, India
- **Dr. Rajesh Sarkar**  
Assistant Professor, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Rajesh Mondal**  
Research Scholar Department of Vyakarana, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India
- **Dr. Sheshang D. Degadwala**  
Associate Professor & Head of Department, Department of Computer Engineering, Sigma University, Vadodara, Gujarat

---

## Assistant Editors

- **Dr. Shivanand Shukla**  
Assistant Professor in Sahitya, Government Sanskrit College, Patna, Bihar, India |Constituent Unit : Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, Bihar, India
- **Dr. Shalendra Kumar Sahu**  
Assistant Professor, Department of Sahitya Faculty of S.V.D.V, Banaras Hindu University (BHU) Varansi, Uttar Pradesh, India

---

## International Editorial Board

- **Vincent Odongo Madadi**  
Department of Chemistry, College of Biological and Physical Sciences, University of Nairobi, P. O. Box, 30197-00100, Nairobi, Kenya
- **Dr. Agus Purwanto, ST, MT**  
Assistant Professor, Pelita Harapan University Indonesia, Pelita Harapan University, Indonesia

- **Dr. Morve Roshan K**  
Lecturer, Teacher, Tutor, Volunteer, Haiku Poetess, Editor, Writer, and Translator  
Honorary Research Associate, Bangor University, United Kingdom
  - **Dr. Raja Mohammad Latif**  
Assistant Professor, Department of Mathematics & Natural Sciences, Prince Mohammad Bin  
Fahd University, P.O. Box 1664 Al Jhobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
  - **Dr. Abul Salam**  
UAE University, Department of Geography and Urban Planning, UAE
- 

## Editorial Board

- **Dr. Kanchan Tiwari**  
Assistant Professor, Department of Sahitya, Uttarakhand Sanskrit University Haridwar,  
Uttarakhand, India
- **Dr. Jitendra Tiwari**  
Assistant Professor, Sahitya, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Eklavya Campus, Radhanagar,  
Agartala, Tripura, India
- **Dr. Shilpa Shailesh Gite**  
Assistant Professor, Symbiosis Institute of Technology, Pune, Maharashtra, India
- **Dr. Ranjana Rajnish**  
Assistant Professor, Amity Institute of Information Technology(AIIT), Amity University,  
Lucknow, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Vimalendu Kumar Tripathi**  
Lecturer +2 High School, Bengabad, Giridih, Jharkhand, India

# CONTENT

SR. NO	ARTICLE/PAPER	PAGE NO
1	योगशास्त्रे प्रतिपादितानाम् अन्तःकरणस्य पञ्चवृत्तीनां विषये वेदान्तशास्त्रदृष्ट्या विमर्शः, तस्मिन् विषये आयुर्वेदशास्त्रस्य विचाराश्च प्रज्वलः जे	01-15
2	जाति, जातिवाद व जातीय राजनीति मदन कुमार वर्मा	16-18
3	India-Japan Relation Surya Bhan Prasad	19-23
4	भारत की आंतरिक सुरक्षा समस्याएं एवं चुनौतियाँ: भारतीय सुरक्षा बलों की भूमिका डॉ नर्वदेश्वर पाण्डेय, विनोद कुमार	24-29
5	आश्रम-व्यवस्था: श्रीमद्भागवत महापुराण के आलोक में डॉ उमा शर्मा	30-37
6	प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं के आकांक्षा स्तर का उनके कार्य संतुष्टि एवं समायोजन के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन डॉ मयानन्द उपाध्याय, रीमा	38-44
7	आलोचना दृष्टि और रिचर्ड्स का सौंदर्यशास्त्र प्रियंका चौधरी	45-50
8	Spatial Modelling of Quality of Life (QOL) Indices in Geographical Research : A Conceptual Understanding Dr. Anil Kumar Singh, Sunil Kumar	51-54
9	वैष्णवरामदासविरचितगोपालदासचरितकाव्ये धार्मिकतत्त्वालोचनम् पातकोटिसुब्बाराव	55-58
10	वेदों में कृषि विज्ञान नज़मी गौहर, डॉ देवानारायण पाठक	59-62
11	बुजुर्ग पीढ़ियों का आख्यान : गिलिगडु पुष्पा यादव	63-69
12	भारत में महिला शिक्षा डॉ मालती वर्मा	70-78
13	अलंकारशास्त्रीयध्वनिविमर्शः राजश्री चट्टोपाध्याय	79-87
14	भारतीयसमाजं प्रति विवेकानन्दः तरुणमण्डलः	88-91
15	संस्कार एवं आश्रम व्यवस्था की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समीक्षा प्रभा चतुर्वेदी	92-101

16	कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण के लिए उद्यमशीलता का समर्थन डॉ. गिरीश कुमार वत्स	102-108
17	Russia Foreign Policy and India's Relation After 1991 Dr. Madan Kumar Verma	109-120
18	Digital Finance and Digital Financial Inclusion in India Dr. Umesh Kumar	121-133
19	Studying Teachers' Perceptions of Google Drive Use Sushma Rani	134-142
20	संस्कृत भाषा में स्मरण का महत्त्व डॉ. सुनील कुमार शर्मा	143-147
21	भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली डॉ. आरती शर्मा	148-152
22	A Detailed Study of the LGBT in Global Context Sonam Narayan	153-165
23	Effect of Sodium and Cadmium on the Amount of Malondialdehyde Content in the Leaves of Brassica Juncea and Plantago Ovate Vivek Singh, Vijay Pratap Tiwari	166-177
24	श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनकी विद्यालयी वातावरण से सम्बन्ध (माध्यमिक स्तर के विशेष सन्दर्भ में) डॉ. मुकुन्द मोहन पाण्डेय	178-184
25	महिला कथाकारों के लेखन की पृष्ठभूमि डॉ. माया गोला	185-190
26	स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनशीलता का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन डॉ. प्रवीन कुमार सिंह, मनीष कुमार पासवान	191-199
27	भारतीय संस्कृति में नारी (कालिदास के परिप्रेक्ष्य में) डॉ. अंजलि उपाध्याय	200-207
28	आवन्तिक-मारुतिचरितयोः खण्डकाव्ययोः सामान्यपरिचयः अमितोषमिश्रः	208-210

## योगशास्त्रे प्रतिपादितानाम् अन्तःकरणस्य पञ्चवृत्तीनां विषये वेदान्तशास्त्रदृष्ट्या विमर्शः, तस्मिन् विषये आयुर्वेदशास्त्रस्य विचाराश्च



प्रज्वलः जे

शोधच्छात्रः,

श्रीङ्गेरी परिसरः,

केन्द्रीयविश्वविद्यालयः, न्यूदेल्ली,

### Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number: 01-15

### Publication Issue :

September-October-2021

### Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 03 Sep 2021

शोधसारः- वेदान्तशास्त्रं नाम उपनिषत्प्रमाणं तदुपकारकाणि शारीरकसूत्रादीनि। तानि सर्वाणि जीवस्य स्वरूपं ब्रह्माभिन्नमात्मानं प्रतिपादयन्ति। योगशास्त्रम् अन्तःकरणस्य समाधिद्वारा कैवल्यं प्रतिपादयति। आयुर्वेदशास्त्रं शरीरस्य मनसः च स्वास्थ्यसंरक्षणाय उपायान् प्रदर्शयन्, साधकं मोक्षमार्गं नयति। एवं च एषां त्रयाणामपि शास्त्राणां लक्ष्यं परमपद-अवाप्तिरेव इति गम्यते। परमपद-अवाप्तये अन्तःकरणमपि प्रधानं कारणं भवति। अन्तःकरणस्य वृत्तयः अखण्डब्रह्माकारेण परिणताः कारणानि भवन्ति। तत्र विशेषेण योगशास्त्रे वृत्तीनां पञ्चान् विभागान् कृत्वा चिन्तनं क्रियते। अस्मिन् शोधपत्रे योगशास्त्रकृताः वृत्तीनां पञ्चापि विभागाः वेदान्तशास्त्रदृष्ट्या विचार्यन्ते। तेन सह तेषु विभागेषु आयुर्वेदशास्त्रस्यापि विचाराः अत्र विमृश्यन्ते। अस्य शोधप्रबन्धस्य अध्ययनेन अन्तःकरणवृत्तिविषये त्रयाणामपि शास्त्राणां वादाः, एकमत्यं विरोधाश्च ज्ञाताः भवन्ति। अपि च श्रुति-युक्ति-अनुभवैः कस्य मतस्य प्रामाण्यं स्वीकर्तुं शक्यमित्यपि प्रबन्धेन अनेन ज्ञातुं शक्यते। एवं शोधप्रबन्धमिदं लोकोपयोगाय भवतु इति इत्याशासे।

कुञ्चिकाशब्दाः - वेदान्तः, योगः, आयुर्वेदः, आत्मा, जीवः, ब्रह्म, अविद्या, मिथ्या, अन्तःकरणम्, वृत्तिः, प्रमाणम्, प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानम्, आगमः, अर्थापत्तिः, अनुपलब्धिः, विपर्ययः, विकल्पः, निद्रा, स्मृतिः, अध्यासः, बन्धः, कैवल्यम्, मोक्षः

**पीठिका** –जीवस्य बाह्यप्रपञ्चज्ञानार्थं चक्षुरादिभ्यः निर्गताः अन्तःकरणस्य वृत्तयः कारणानि भवन्ति। तस्य एव जीवस्य मुक्तये ते वृत्तयः अखण्डब्रह्माकारेण परिणताः कारणानि भवन्ति। विशेषेण योगशास्त्रे वृत्तीनां पञ्चान् विभागान् कृत्वा चिन्तनं क्रियते। अस्मिन् शोधपत्रे योगशास्त्रकृताः वृत्तीनां पञ्चापि विभागाः वेदान्तशास्त्रदृष्ट्या विचार्यन्ते। तेन सह तेषु विभागेषु आयुर्वेदशास्त्रस्यापि विचाराः अत्र विमृश्यन्ते।



## अन्तःकरणवृत्तीनां विषये वेदान्त-योग-आयुर्वेदशास्त्राणां विचाराः

अन्तःकरणस्य विषयाकारेण परिणामाः, अन्तःकरणास्य धर्माः, कार्यानुसारं तस्य अवस्थाविशेषाः वा वृत्तयः इति वेदान्तशास्त्रे अभिधीयन्ते। एकस्येव अन्तःकरणस्य मनः बुद्धिः अहङ्कारः चित्तमिति इति अवस्थाविशेषाः वृत्तिपदाभिधानाः वेदान्तिभिः प्रतिपाद्यते। उक्तं च - “मनोबुद्धिरहङ्कारः चित्तं करणमान्तरं।

संशयो निश्चयो गर्वः स्मरणं विषया अमी॥”<sup>1</sup>। किन्तु न केवलं ते एव अवस्थाविशेषाः अन्तःकरणस्य भवन्ति, अपितु कामादयः अपि मनसः अवस्थाविशेषाः अन्तःकरणधर्मत्वनाम्ना अपि अभिधीयमानाः वृत्तयः उपनिषत्सु निर्दिश्यन्ते। उपदिष्टं च बृहदारण्यके – “कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिर्हीर्षीर्भीरित्येततस्तर्व मनः एव”<sup>2</sup> इति। किञ्च “हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम्”<sup>3</sup> इति सूत्रस्य भाष्ये अपि “मनस्त्वेकम् अनेकवृत्तिकम्” इति स्पष्टं मनसः अनेकवृत्तिमत्वं निर्दिष्टम्।

अन्तःकरणस्य परिणामाः अपि वृत्तिशब्देन निरूपिताः वेदान्तशास्त्रे। प्रत्यक्षज्ञानार्थम् अन्तःकरणवृत्त्यवच्छेन्नचैतन्यस्य विषयावच्छिन्नचैतन्यस्य अभेदः कारणमिति वेदान्तमतम्<sup>4</sup>। एवमुभयावच्छिन्नचैतन्ययोः अभेदः उपाधोः वृत्ति-विषययोः एकदेशस्थत्वे एव भवति। किन्तु विषयाः न अन्तःकरणं प्रविशन्ति, किन्तु अन्तःकरणमेव चक्षुरादिद्वारा विषयदेशं गत्वा विषयाकारेण परिणमते। सः परिणामः अपि वृत्तिशब्देन उच्यते। उक्तं च - “तैजसमन्तःकरणं चक्षुरादिद्वारा निर्गत्य घटादिविषयदेशं गत्वा घटादिविषयाकारेणपरिणमते। स एव परिणामः वृत्तिरित्युच्यते”<sup>5</sup> इति। एवं कामादयः अन्तःकरणधर्माः, घटादिविषयाकारेण अन्तःकरणस्य परिणामाश्च वृत्तिपदेन अभिधीयन्ते।

आयुर्वेदशास्त्रे अपि मनसः वृत्तयः एवं निरूपिताः-

“चिन्त्यं विचार्यम् ऊह्यञ्च ध्येयम् सङ्कल्पमेव च।

यत्किञ्चित् मनसो ज्ञेयं तत्सर्वं ह्यर्थसंज्ञकम्॥”<sup>6</sup> इति। यत् मनः नानाविषयगतं चिन्तयति तत् चिन्त्यम्। पूर्वानुभवानां पुनःस्मरणं इति यावत्। चिन्तनादेव अन्तःकरणस्य चित्तमिति अभिधानम्। सेन्द्रियेण मनसा ध्येयं वा चिन्त्यमुच्यते। यत् गुणतो दोषतो वा अन्तःकरणेन विचार्यते तत् विचार्यम्। गुणदोषविचारेण च स्वीकार्यम् अस्वीकार्यं च किमिति अन्तःकरणं स्पष्टयते।

<sup>1</sup> वे.परि.विषपरिच्छेदः

<sup>2</sup> बृ.उ १/५/३

<sup>3</sup> सू.भा २/४/६

<sup>4</sup> वे.परि.प्रत्यक्षपरिच्छेदः

<sup>5</sup> वे.परि.प्रत्यक्षपरिच्छेदः

<sup>6</sup> च.सं.श.१/२०

अथवा विचारेण विविधतर्केण च यत् ज्ञायते तत् विचार्यम् । विचारितस्य विषयस्य तर्केण मननमूह्यम् । अर्थेभ्यः बहिरिन्द्रियाणि निवर्त्य मनो यत् चिन्तयति तत् ध्यानीयम् । अन्तःकरणं यत् सम्यक् कल्पयति विचारेण तत्संक्कल्प्यम् । अथवा गुणवत्तया दोषवत्तया वा अवधारणीयम् । इन्द्रियानपेक्षं सत् ज्ञेयं सुख-दुःख-इच्छा-द्वेष-प्रयत्न-ज्ञान-चेतना-स्मृति-अहङ्कारादिकम् मनसः ज्ञेयमुच्यते ।

अन्तःकरणस्य वृत्तीनां विषये स्पष्टः विभागः योगशास्त्रे उपलभ्यते, “अथ योगानुशानम्”<sup>7</sup> इति आरभ्य “योगः चित्तवृत्तिनिरोधः”<sup>8</sup> इति चित्तवृत्तिनिरोधरूपस्य योगस्य एव तत्र प्रतिपाद्यमानत्वात् । चित्तवृत्तीनां निरोधः एव तत्र प्रधानः विषयः इतिकृत्वा न सर्वाः वृत्तयः तत्र निरूप्यन्ते, असम्भवात् । प्रागेव दर्शितरीत्या यावन्तः विषयाः तावन्तः वृत्तयः भवन्ति । किन्तु वृत्तीनाम् अज्ञाने तेषां निरोधः अपि न सम्भवति । यच्च पुरुषप्रयत्नसाध्यं तस्य उपदेशेन शास्त्रं सार्थकं स्यात् । चित्तवृत्तीनाम् आनन्त्यात्, पुरुषप्रयत्नेन तासां निरोधः असम्भवः स्यात् । तस्मात् योगशास्त्रे पञ्चप्रकारैः वृत्तीनां संक्षेपणं कृतम् । पञ्चभिः प्रकारैः सर्वेषां वृत्तीनां निरूपणं कर्तुं शक्यम् । ते च - “प्रमाण-विपर्य-विकल्प-निद्रा-स्मृतयः”<sup>9</sup> । अन्तःकरणस्य एते पञ्चवृत्तयः वेदान्तमते अपि अङ्गीक्रियन्ते । उक्तं च - “पञ्चवृत्तिर्मनोवद्व्यपदिश्यते”<sup>10</sup> इति । तत्रैव भाष्ये अचार्याः “एवं तर्हि परमतप्रतिषिद्धमनुमतं भवति इति न्यायात् इहापि योगशास्त्रप्रसिद्धाः मनसः पञ्चवृत्तयः परिगृह्यन्ते “प्रमाण-विपर्य-विकल्प-निद्रा-स्मृतयः” नाम”<sup>11</sup> इति स्पष्टं योगमतमुल्लिखन्ति । अतः एव तासां प्रमाणादिवृत्तीनां विषये वेदान्ताभिमतं, योगायुर्वेदमतं, तत्र भेदाभेदे च अत्र निरूप्यते ।

### प्रमाणवृत्तिः

अज्ञानविरोधि ज्ञानमेव प्रमाशब्देनापि व्यवहियते । “सत्यं ज्ञानमन्तं ब्रह्म”<sup>12</sup> इति श्रुतेः ज्ञानस्वरूपं चैतन्यमेव प्रमाशब्देन उच्यते । प्रमायाः असाधारणं कारणं प्रमाणं भवति । उक्तं च “तत्र प्रमाकरणं प्रमाणम्”<sup>13</sup> इति । अन्तःकरणपरिणामरूपा वृत्तिरेव प्रमाजनने असाधारणं कारणम् । अतः प्रमायाः कारणम् अन्तःकरणवृत्तिः प्रमाणं भवति । वेदान्तमते षट् प्रमाणानि स्वीकृतानि,

<sup>7</sup> यो.सू १/१

<sup>8</sup> यो.सू १/२

<sup>9</sup> यो.सू १/६

<sup>10</sup> ब्र.सू २/४/१२

<sup>11</sup> सू.भा २/४/१२

<sup>12</sup> तै.उ २/१/१

<sup>13</sup> वे.परि.प्रत्यक्षपरिच्छेदः

प्रत्यक्ष-अनुमान-उपमान-शब्द-अर्थापत्ति-अनुपलब्धिभेदात्। सर्वत्र अपि स्वाकारवृत्यभिव्यक्तचैतन्यस्य एव प्रमात्वम्, तज्जनकतया वृत्तेः प्रमाणत्वम्, वृत्तिविषययोः सम्बन्धस्य व्यापारत्वम्। तथापि प्रत्याक्षादिभेदः वृत्तिजनककारणभेदात्। प्रत्यक्षे तु इन्द्रियार्थसन्निकर्षः वृत्तिजनने कारणम्, अनुमाने व्याप्तिज्ञानं कारणमित्येवं वृत्तिजनकत्वभेदेन प्रत्यक्षादिभेदः। अतः सर्वासु प्रत्यक्षादिप्रमासु अन्तःकरणवृत्तेरेव प्रमाणमविशेषेण।

**प्रत्यक्षप्रमाणम्** - घटादीनां बाह्यवस्तूनां दर्शनादिना अन्तःकरणवृत्तयः तद्देशं गत्वा तद्वस्त्वाकारेण परिणमन्ते। वेदान्तमते सर्वं चैतन्यब्रह्मसृष्टिः इति हेतोः सर्वत्र चैतन्यं भवत्येव। यद्यपि चैतन्यमद्वितीयं, तथापि उपाधिवशात् घटावच्छिन्नम्, अन्तःकरणावच्छिन्नमित्यादिव्यवहारः सम्भवति। एवं घटादीनां प्रत्यक्षस्थले घटादिवस्त्वच्छिन्नं विषयचैतन्यं तद्वृत्यवच्छिन्नं प्रमाणचैतन्यं च एकीभवति। उपाधयोः एकदेशस्थत्वे सति एककालीनत्वस्य उपधेय-अभेदप्रयोजकत्वात्<sup>14</sup>। एवं च चैतन्याभेदेन अभिव्यक्तं घटाद्यच्छिन्नं चैतन्यं प्रत्यक्षमुच्यते। तदा "अयं घटः" इति प्रत्यक्षज्ञानं भवति। एवमेव सुखादीनाम् अन्तःकरणधर्माणामपि चैतन्याभेदेन एव प्रत्यक्षानुभवः सम्भवति। लक्षणं च उक्तं - "योग्यवर्तमानविषयकत्वे सति प्रमाणचैतन्यस्य विषयचैतन्याभिन्नत्वम्"<sup>15</sup> इति। न केवलं अयं घटः इत्यादि ज्ञानं प्रत्यक्षम् अपि तु तत्र विषयीभूताः घटादयः विषयाः अपि प्रत्यक्षाः। तत्र घटादिविषयावच्छिन्नचैतन्यस्य अन्तःकरणावच्छिन्न- प्रमातृचैतन्यस्य च अभेदः कारणम्। किञ्च अध्यस्तस्य अधिष्ठानसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वं नास्ति इतिकारणात् घटादिविषयाणां चैतन्ये अध्यस्तानां चैतन्यसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वं नास्ति। यदा वृत्तिद्वारा अन्तःकरणवृत्यवच्छिन्नचैतन्यस्य विषयावच्छिन्नचैतन्यस्य च अभेदः भवति, तदा यत्र चैतन्ये अन्तःकरणमध्यस्तं तत्रैव घटादिविषयाः अपि अध्यस्ताः इति हेतोः अन्तःकरणवच्छिन्न-चैतन्यातिरिक्त-सत्ताकत्वं घटादीनां नास्ति। इदमेव घटादीनां विषयाणां प्रत्यक्षत्वम्। उक्तं च- "स्वाकार-वृत्युपहित-प्रमातृचैतन्य-सत्ता-अतिरिक्तसत्तकत्व-शून्यत्वे सति योग्यत्वं विषयस्य प्रत्यक्षत्वम्"<sup>16</sup> इति।

**अनुमानम्** - अनुमितेः असाधारणं कारणम् अनुमानम्। उक्तं च - "अनुमितिकरणमनुमानम्"<sup>17</sup> इति। अनिमित्तौ व्याप्तिज्ञानं कारणमिति तदेव अनुमानशब्देन अभिधीयते। व्याप्तिज्ञानञ्च पूर्वानुभवसंसाकरस्य उद्बोधेन भवति। अतः व्याप्तिज्ञाने तत्संस्कारः

<sup>14</sup> वे.परि.प्रत्यक्षपरिच्छेदः

<sup>15</sup> वे.परि.प्रत्यक्षपरिच्छेदः

<sup>16</sup> वे.परि.अनुमानपरिच्छेदः

<sup>17</sup> वे.परि.प्रत्यक्षपरिच्छेदः

अवान्तरव्यापारः इति प्रतिपादितम्<sup>18</sup> । एवं च अयं धूमवानिति पक्षधर्मता ज्ञानान्तरं धूमः वह्निव्याप्यः इति अनुभवजन्यव्याप्तिसंस्कारः जागृतः भवति। ततः अयं वह्निमानिति अनुमितिः भवति। तस्मादनुमाने अपि अन्तःकरणसंस्कारः कारणं भवति इति अनुमानमपि अन्तःकरणवृत्तिविशेषः इति सिद्धम्।

**उपमानम्** - सादृश्यप्रमाकरणमुपमानम्<sup>19</sup>। गोपालकः कश्चन वनं गतः गवयं दृष्ट्वा "अयं पिण्डः गोसदृशः" इति इति ज्ञानं प्राप्नोति। अनेन उपमानेन अप्रत्यक्षे गवि भवति सादृश्यप्रमा उपमितिः "अनेन सदृशी मदीया गौः" इति। अत्र गवयप्रत्यक्षे, सादृश्यस्मरणे अस्ति अन्तःकरणस्य अपेक्षा इति अन्तःकरणवृत्तित्वमुपमानस्य उपपद्यते।

**आगमः** - यस्य वाक्यस्य तात्पर्यभूतः विषयः प्रमाणान्तरेण न बाध्यते तद्वाक्यं प्रमाणमुच्यते<sup>20</sup>। वाक्यजन्यज्ञाने आकाङ्क्षा योग्यता आसत्तिः तात्पर्यं चेति चत्वारि कारणानि<sup>21</sup>। तत्र तात्पर्यं नाम वक्तुः विविक्षितम् अर्थं जनयितुं वाक्यस्य योग्यता। तात्पर्यनिर्णयश्च उपक्रामदिभिः लिङ्गैः भवति। एवमागमप्रमाणमपि मनोव्यापाराधीनमिति अस्य अन्तःकरणवृत्तित्वमुपपद्यते।

**अर्थापत्तिः** - "उपपाद्यज्ञानेन-उपपादक-कल्पनमर्थापत्तिः"<sup>22</sup>। उदाहरणार्थं दिवा अभुञ्जानस्य देवदत्तस्य पीनत्वेन रात्रिभोजनं कल्प्यते। अत्र पीनत्वं उपपाद्यं, तेन यत्कल्प्यते रात्रिभोजनं तदुपपादकम्। अत्र पीनत्वं प्रत्यक्षमिति अन्तःकरणापेक्षा, रात्रिभोजनकल्पना अपि मानासः व्यवहारः इति तत्रापि अन्तःकरणापेक्षा अस्तीति अन्तःकरणवृत्तित्वमर्थापत्तेः उपपद्यते।

**अनुपलब्धिः** - अभावानुभवस्य असाधारणं कारणम् अनुपलब्धिप्रमाणम्। यच्च अभावज्ञानम् अनुमान-उपमान-आगम-अर्थापत्तिरूपज्ञानप्रमाणैः उत्पद्यते न तदत्र ग्राह्यम्। किञ्च इदम् अभावज्ञानं नापि इन्द्रियार्थसन्निकर्षद्वारा घटादिविषयाकारपरिणामक्रमेण वा उत्पद्यते। कदापि अविद्यमानं किञ्चिद् इन्द्रियैः संसृष्टं न स्यात्। अतः अयम् अभावानुभवः प्रत्यक्षप्रमाणेनापि न उत्पद्यते। उक्तं च - "ज्ञानकरण-अजन्याभाव-अनुभव-असाधारणकरणम् अनुपलब्धिरूपं प्रमाणम्"<sup>23</sup> इति। घटादीनां प्रत्यक्षयोग्यानां विषयाणामेव अभावज्ञानम् अनुपलब्धिप्रमाणेन भवति। अत उच्यते अभावस्य यः प्रतियोगी स तर्कितः स्यात्। उक्तं च -"तर्कित-प्रतियोगिसत्वप्रसञ्जित-प्रतियोगिकत्वम्"<sup>24</sup> इति। तर्कश्च "इदं वस्तु यदि अत्र स्यात्, तर्हि उलभ्येत, न

<sup>18</sup> "तत्संस्कारो अवान्तरव्यापारः" – वे.परि.अनुमानपरिच्छेदः

<sup>19</sup> वे.परि.उपमानपरिच्छेदः,

<sup>20</sup> "यस्य वाक्यस्य तात्पर्यविषयीभूतसंसर्गो मानान्तरेण न बाध्यते तद्वाक्यं प्रमाणम्" – वे.परि.आगमप्रमाणम्

<sup>21</sup> **आकाङ्क्षा** - "पदार्थानां परस्परजिज्ञासाविषययोग्यत्वमाकाङ्क्षा", **योग्यता** – " तात्पर्यविषयीभूतसंसर्गाबाधः", **आसत्तिः** – " अव्यवधानेन पदजन्यपदार्थोपस्थितिः", **तात्पर्यम्** - "यत्प्रतीतिजननस्वरूपयोग्यत्वे सति यदन्यप्रतीति-इच्छया नोच्चरितत्वम्" – वे.परि आगमपरिच्छेदः

<sup>22</sup> वे.परि.अर्थापत्तिपरिच्छेदः

<sup>23</sup> वे.परि.अनुपलब्धिपरिच्छेदः

<sup>24</sup> वे.परि.अनुपलब्धिपरिच्छेदः

उपलभ्यते, अतः नास्ति" इत्येवं रूपः। एवं यस्य प्रतियोगिनः तर्कितत्वं सिध्यति तस्य अभावः अनुपलब्धिप्रमाणेन वक्तुं शक्यते। अयं च अनुपलब्धिप्रमाणेन जन्यः अभावानुभवः प्रत्यक्षः एव। किन्तु अस्य अभावप्रत्यक्षस्य प्रमाणं तु न प्रत्यक्षं किन्तु अनुपलब्धिः। यतः अभावाकारवृत्तिः विषयाकारवृत्तिः च परस्परं विजातीये। विषयाकारवृत्तिः बाह्येन्द्रियसन्निकर्षजन्यम्, अभावाकारवृत्तिस्तु न तथा। किन्तु वृत्तिस्तु जायते इति हेतोः अन्तःकरणसम्बन्धः अनुपलब्धिप्रमाणे अपि भवत्येव।

योगिनां अयुर्वेदिनां च मते त्रीण्येव प्रमाणानि उक्तानि तानि च प्रत्यक्षानुमानागमरूपाणि। उक्तं च - प्रमाणानि योगमते त्रीणि "प्रत्यक्ष-अनुमान-आगमाः प्रमाणानि"<sup>25</sup> इति। तान्यपि अन्तःकरणवृत्तिरूपाण्येव इति प्राक् निरूपितमेव। यद्यपि प्रमाणानां संख्याविषये, तेषां स्वरूपेषु वैम्यत्यं दृष्टं वेदान्तिनां योगिनामायुर्वेदिनां च तथापि तेषाम् अन्तःकरणवृत्तिरूपत्वे नास्ति वैमत्यम्।

### विपर्ययवृत्तिः

अतस्मिन् तद्बुद्धिः भ्रमः इत्युच्यते। अयमेव मिथ्या, अध्यासः, विपर्ययः, प्रतिभासः, अविद्या, अज्ञानम् इत्यादिशब्दैः व्यवहियते। उक्तं च - "अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धिरित्यवोचाम"<sup>26</sup> इति। शुक्तौ रजतभ्रमः, रज्जौ सर्पभ्रमः इत्यादिः भ्रमस्य उदाहरणानि। प्रातिभासिकं शुक्तिरजतादिकमुत्पद्यते इति वेदान्तिनः। तत्रेवं प्रकिया - काचकामलादिनेत्रदोषवान् पुरुषः पुरोवर्तिं शुक्तिं पश्यति। तदा इदमाकारा अन्तःकरणवृत्तिः उदेति। शुक्तौ चाकचिक्यं च भवति इत्यतः, तस्यामेव इदमाकारवृत्तौ चाकाचिक्यं च अन्तर्गतं भवति। तदुत्तरं चक्षुषः तद्वस्तुसंयोगात् बहिः निस्सृता अन्तःकरणवृत्तिः चाकचिक्यसहित-इदमाकारविषयमावृणोति। उपाध्योः एकदेशस्थत्वेन उपधेययोः अभेदः सम्भवति इत्यतः इदमाकारान्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं, प्रामातुः सकाशात् बहर्निर्गत-अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यम्, अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं च अभिन्नं भवति। तदा इदमकारविषये या शुक्तिविषयिणी अविद्या सा रजतज्ञानाकारेण परिणमते। अथवा तत्र शुक्तिविषयक-अज्ञानात् प्रातिभासिकं रजतमुत्पद्यते। किञ्च शुक्तौ सर्वदा प्रातिभासिकरजतमेव उत्पद्येत इति नास्ति नियमः। पुरुषस्य अविद्या यादृशसंस्कारसहिता भवति तादृशमेव अनिर्वचनीयं यत्किञ्चित् तत्र उत्पद्यते। अतः कदाचित् शुक्तौ रजतभ्रमः, कदाचित् रङ्गभ्रमः स्यात्।

योगिनः विपर्ययस्य अन्तःकरणवृत्तित्वं वदन्ति इति प्राक् दर्शितम्। ते "विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्"<sup>27</sup> इति वदन्तः वेदान्तसम्मतमेव मिथ्याज्ञानस्य स्वरूपं प्रतिपादयन्ति। विपर्ययस्य मिथ्याज्ञानत्वं सूत्रे एव प्रकाशितम् "अतद्रूपप्रतिष्ठम्" इति। तस्य

<sup>25</sup> यो.सू १/७

<sup>26</sup> अ.भा

<sup>27</sup> यो.सू १/८



अर्थस्य यद्रूपं तस्मिन् रूपे न प्रतिष्ठति। तस्य अर्थस्य यत् पारमार्थिकं रूपं न तत् प्रकाशयति इत्यर्थः। उक्तं च - “अतथाभूते अर्थे तथा उत्पद्यमानं ज्ञानं विपर्ययः। यथा शुक्तिकायां रजतज्ञानम्”<sup>28</sup> इति।

इदं मिथ्याज्ञानं विपर्ययः अधिष्ठानज्ञानेन बाध्यते। अधिष्ठानज्ञानं तु प्रमाणवृत्त्या भवति। यथा शुक्तिज्ञानेन प्रातिभासिकं रजतं, एकचन्द्रदर्शनेन द्विचन्द्रदर्शनं बाध्यते तथा। बाधः नाम उपादानेन सह कार्यनिवृत्तिः। उक्तं च - “कार्यनाशो हि द्विविधः - कश्चिदुपादानेन सह, कश्चिद्विद्यमाने एव उपादाने। आद्यो बाधः। द्वतीयस्तु निवृत्तिः”<sup>29</sup> इति। प्रातिभासिक-रजतस्य अधिष्ठानभूतशुक्तिज्ञानेन, प्रातिभासिकरजतस्य उपादानं शुक्तिप्रकारकमज्ञानं, तत्कार्यभूतं प्रातिभासिकरतं च बाधितं भवति। यथा शुकतौ रजतम् अध्यस्यते एवमेव ब्रह्मणि प्रपञ्चः अध्यस्यते।

किन्तु मिथ्याज्ञानस्य अन्तःकरणवृत्तित्वं तु न वेदान्तिभिः अङ्गीक्रियते। मिथ्याज्ञानमविद्यावृत्तिरेव। आचार्याः अपि भ्रमस्य अन्तःकरणवृत्तित्वप्रतिपादकयोगमते अरुचिं प्रदर्श्य एव “बहुवृत्तित्वमात्रेण वा मनः प्राणस्य निदर्शनमिति द्रष्टव्यम्”<sup>30</sup> इति मनसः पञ्चवृत्तिकत्वनिदर्शनम् अन्यप्रकारेण व्याख्यानं कुर्वन्ति<sup>31</sup>। अथवा स्वकारण-अविद्यात्मना अन्तःकरणवृत्तित्वं भ्रमस्य योजनीयम्।

अतद्रूपप्रतिष्ठमित्यनेन संशयस्यापि ग्रहणं करणीयम्। संशये अपि एकस्मिन् विषये बुद्धेः प्रतिष्ठानं न भवति इति हेतोः संशयः अपि अतद्रूपप्रतिष्ठः एव। उक्तं च - “अतद्रूपप्रतिष्ठता च संशये अपि अस्ति, तस्य एकाप्रतिष्ठानात्। अतः सोऽपि सङ्गृहीतः”<sup>32</sup> इति।

एवं मिथ्याज्ञानस्य स्वरूपे वेदान्तयोगयोः ऐकमत्ये सत्यपि तस्य अन्तःकरणवृत्तित्वे अस्ति विरोधः इति ज्ञातव्यम्। किन्तु संशयस्य तु अन्तःकरणवृत्तित्वं तु वेदान्तसम्मतः एव। “विचिकित्सा”<sup>33</sup> इति अन्तःकरणधर्मत्वेन संशयस्य स्पष्टं श्रुतौ निर्देशात्।

### विकल्पवृत्तिः

यत् वस्तु अत्यन्तमेव अविद्यमानं तत् विकल्पः उच्यते। वेदान्तमते अनेनैव अभिप्रायेण असत्, तुच्छम् इत्यादिपदानि प्रयुक्तानि। उक्तं च -

“असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते।

<sup>28</sup> भोजवृत्तिः १/८

<sup>29</sup> वे.परि.प्रत्यक्षपरिच्छेदः

<sup>30</sup> सू.भा २/४/१२

<sup>31</sup> “भ्रमनिद्रयोः अविद्यावृत्तित्वात् न मनोवृत्तित्वम् इति अरुच्या स्वमतमाह” - भाष्यरत्नप्रभा २/४/१२

<sup>32</sup> भामती २/४/१२

<sup>33</sup> बृ.उ १/५/३

वन्ध्यापुत्रो न तत्वेन मायया वाऽपि जायते॥<sup>34</sup> इति। अपि च “कथमसतः सज्जायेतेऽति”<sup>35</sup> इति मन्त्रभाष्ये आचार्याः अभावात् भावोत्पत्तिः असाध्यमिति निर्णयं चक्रुः। अतः अन्त्यमेव निःस्वरूपम्<sup>36</sup> निरात्मकम्<sup>37</sup> अत्यन्ताभावप्रतियोगी शशविषाणादिकं विकल्पः असत् तुच्छमिति वा उच्यते। एवं विषयशून्या अन्तःकरणवृत्तिमात्रमयं विकल्पः।

योगशास्त्रे अपि “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः”<sup>38</sup> इति विकल्पवृत्तेः निरूपणं कृतम्। राहोः शिरः, वन्ध्यासुतः, खपुष्पं, मृगतृष्णा, शशशृङ्गः इत्यादीनां शब्दानां श्रवणानन्तरं निर्विषया वृत्तिः या उदेति सा विकल्पः इति उच्यते। विकल्पे विषयवस्तुनः अभावे अपि शब्दज्ञानेन एव शशशृङ्गः, राहोःशिरः इत्यादिव्यवहारः भवति। उक्तं – “वस्तुशून्यत्वे अपि शब्दज्ञानमाहात्म्यनिबन्धनो व्यवहारः दृश्यते”<sup>39</sup> इति।

राहोः शिरः इति वाक्येन राहुसम्बद्धः शिरः इति तयोः भेदवृत्तिः उदेति। अत्र अवयवी राहुः, तस्य अवयवं शिरः इति अवयवि-अवयवभावः सम्बन्धः। किन्तु राहुरेव शिरः इति हेतोः अवयवी-अवयवौ अत्र न स्तः। अतः अत्र विकल्पवृत्तिः। एवमेव ब्रह्मणः “सच्चिदानन्दं ब्रह्म” इति लक्षणे विशेष्यविशेषणसम्बन्धः दृश्यते चेदपि, सच्चिदानन्दमेव ब्रह्म इति हेतोः विशेष्यविशेषणस्वरूपभेदः केवलं शब्दमात्रं “भेद”वस्तुशून्यम् विकल्पः एव। एवमस्मिन् विषये वेदान्तिनां योगिनां च समानमतम् अवलोकितुं शक्यते।

### निद्रावृत्तिः- सुषुप्तम्

योगिनः “अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिः निद्रा”<sup>40</sup> इति निद्रावृत्तिं सूत्रयन्ति। वस्तूनाम् अभावः आवरकस्य तमसः प्राचुर्ये भवति। सः अभावः यत्र विषयः सा निद्रावृत्तिः उच्यते योगमते। जाग्रत्कालीनसत्त्ववृत्तीनां स्वप्नकालीनरजोवृत्तीनां च आवरकं तमोरूपमज्ञानम्, तदज्ञानविषयिणी वृत्तिः निद्रा। सा च निद्रावृत्तिः सुषुप्तमेव। सुप्तोत्थितस्य सुखमहमस्वाप्समतः प्रसन्नं मे मनः, दुःखमहमस्वाप्सं स्त्यानं मे मनः, गाढं मूढमहमस्वाप्सं गुरूणि मे गात्राणि क्लान्तं मे चित्तमित्यादि स्मृतिः भवति। तच्च तत्कालीन-अनुभवाभावे न सिध्यति। तस्मात् अन्तःकरणवृत्तिविशेषः सुषुप्तापरपर्यायः निद्रा इति योगिनः। सुषुप्तौ अन्तःकरणं स्वरूपचैतन्यम् अज्ञानं च विषयीकरोति इति हि तेषां वादः।

<sup>34</sup> मां.का ३/२८

<sup>35</sup> छा.उ ६/२/२

<sup>36</sup> “असतः निःस्वरूपस्य” - आनन्दगिरी २/३/९

<sup>37</sup> “नाप्यसतः निरात्मकत्वात् - सू.भा २/३/९

<sup>38</sup> यो.सू १/९

<sup>39</sup> व्यासभाष्यम् १/९

<sup>40</sup> यो.सू १/१०

वेदान्तमतानुसारं सुषुप्तं न चित्तवृत्तिरूपम्। प्रश्नोपनिषदि “स यदा तेजसा अभिभूतो भवति”<sup>41</sup> इति सुषुप्तेः वर्णनं कृतम्। विवृतं च शाङ्करभाष्ये – “स यदा मनोरूपो देवः यस्मिन् काले सौरेण पित्ताख्येन तेजसा नाडीशयने सर्वतो अभिभूतो भवति तिरस्कृतवासनाद्वारो भवति तदा सह करणैः मनसो रश्मयः हृद्युपसंहताः भवन्ति”<sup>42</sup> इति। “पित्ताख्यतेजसा” इति वदता आयुर्विज्ञानद्वारा आचार्याः सुषुप्तिं वर्णयन्ति। तदा पित्तं सर्वान् विषयपलब्धिस्थानान् आवृणोति, अतः न किञ्चित् विषयविशेषविज्ञानं भवति। न तस्मिन् काले कामादयः मनोवृत्तयः भवन्ति, न वा मनः स्वप्नान् पश्यति। जागरितवत् विषयोपलब्धिस्तु तदा दूरे एव अपास्तम्। उक्तं च – “यत्र सुप्तः न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्”<sup>43</sup> इति। यथा अश्वत्थादिकाष्टे सर्वं काष्ठम् अभिव्याप्य अग्निः वर्तते, मन्थदण्डेन यत्र मथनं क्रियते तत्रैव अग्निः अभिव्यज्यते। एवमेव सुषुप्तौ मनः अखिलं शरीरं व्याप्य तिष्ठति। उक्तं च – “यदा मनो दार्वाग्निवदविशेषविज्ञानरूपेण कृत्स्नं शरीरं व्याप्य अवतिष्ठते तदा सुषुप्तो भवति”<sup>44</sup> इति। व्याप्य तिष्ठति इत्यस्य अन्तःकरणं निर्विशेषं भवति इत्यर्थः। तदा सर्वाणि स्थूलानि भूतानि, तन्मात्राणि, बुद्धीन्द्रियाणि, कर्मेन्द्रियाणि, अन्तःकरणं प्राणादिवायवः अपि परे अक्षरे सम्प्रतिष्ठन्ते<sup>45</sup>। उक्तं च - “सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति, “तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति”, “यः एषोऽन्तहृदये आकाशस्तस्मिन् शेते”<sup>46</sup> इति। अपि च “तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च”<sup>47</sup> इति सूत्रे पुरीतति यत् ब्रह्म तत्र जीवस्य तात्कालिकमैक्यं सुषुप्तिः इति निर्णयः कृतः। आनन्दस्वरूपस्य ब्रह्मणः ऐक्यसिद्धेः एव तस्मिन् काले समग्रे शरीरे सुखानुभूतिः भवति। उक्तं च – “अथ तदैतस्मिन् शरीरे एतत्सुखं भवति”, “आनन्दभुक्

<sup>41</sup> प्र.उ ४/३

<sup>42</sup> प्र.भा ४/६

<sup>43</sup> मां.उ १/५

<sup>44</sup> प्र.भा ४/६

<sup>45</sup> “स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं सम्प्रतिष्ठन्ते। एवं ह वै तत्सर्वं परे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते॥”, “पृथिवी च पृथिवीमात्रा चाऽपश्चाऽपोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाऽकाशश्चाऽकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक्च स्पर्शयितव्यं च वाक्च वक्तव्यं च हस्तौ च आदातव्यं चोपस्थश्चानन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं चाहङ्कारश्चाहङ्कर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च -प्राणश्च विधारयितव्यं च॥” - प्र.उ ४/ ७-८

<sup>46</sup> छा.उ ६/८/१, छा.उ ८/६/३, बृ.उ २/१/१९

<sup>47</sup> ब्र.सू ३/२/७

चेतोमुखः प्राज्ञः”, "आनन्दभुक् तथा प्राज्ञः”, "सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोभिभूतः सुखरूपमेति"<sup>48</sup> इति। अतः एव सुषुप्तेः उत्थितस्य "सुखमहं अस्वाप्सं न किञ्चित् अवेदिषम्" इति आनन्दानुभवः भवति।

शान्तेषु समनस्केषु इन्द्रियेषु सत्सु अपि जीवः आनन्दमनुभवति। तदा जीवः चैतन्ये प्रतिबिम्बिताभिः अतिसूक्ष्माविद्यावृत्तिभिः आनन्दमनुभवति। उक्तं च - "तदानीम् ईश्वरप्राज्ञौ चैतन्यप्रदीप्ताभिः अतिसूक्ष्माभिः अज्ञानवृत्तिभिः आनन्दमनुभवतः"<sup>49</sup>। सुषुप्तादुत्थितस्य "न किञ्चिदवेदिषमिति" इत्यपि उत्थितस्य अनुभवेण, तदा अन्यवृत्तीनामभावात् अज्ञानानुभवमात्रं स्मर्यते इति ज्ञातव्यम्। अतः सुषुप्तौ यत्सुखमनुभूयते इति प्रतिपादितं तत् मेघावृतसूर्यवत् अविद्यावृतस्वरूपसुखमेव इति विज्ञेयम्। किञ्च वेदान्तपरिभाषायां स्पष्टं सुषुप्तस्य लक्षणमुक्तं -"सुषुप्तिर्नाम अवुद्यागोचर-अविद्यावृत्यवस्था"<sup>50</sup> इति। जागृदवस्थायां स्वप्नावस्थायां च "घटः अज्ञातः" इत्यादिषु अन्तःकरणवृत्तिरूपा अविद्यावृत्तिः। सुषुप्तौ तु अविद्यारूपेण एव अविद्यावृत्तिः इति विशेषः। अतः योगमतोक्तरीत्या सुषुप्तेः चित्तवृत्तित्वं तु नैव भवति।

"वाचारम्भणं विकारः मृत्तिकेत्येव सत्यम्"<sup>51</sup> इति कार्यम् उपदानादभिन्नमिति श्रुतिषु दृश्यते इत्यतः। अतः सुषुप्तेः चित्तवृत्तित्वं स्वकारणात्मना अज्ञानेन इति योजयितुं शक्यते। तदभिप्रायेण सुषुप्तेः चित्तवृत्तित्वं वेदान्तविरुद्धं न भवति। किन्तु सुषुप्तेः उत्थितस्य "दुःखमहमस्वाप्सं स्त्यानं मे मनः , गाढं मूढमहमस्वाप्सं गुरूणि मे गात्राणि क्लान्तं मे चित्तमित्यादद्यनुभवः योगिभिः निरूपितः तु अप्रामाणिकः। सुषुप्तौ अज्ञानवृत्तिमात्रसद्भावात्, तस्य च तन्मते एव सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्थात्वेन उपाख्यानात्, तदा रजोविकारस्य दुःखस्य, तमो विकारस्य च मोहस्य अनुभवः असङ्गतः। आनन्दस्वरूपं चैतन्यमात्रं अज्ञाने प्रतिबिम्बते इत्यतः आनन्दानुभवे तु अविरोधः। स्वप्नकाले तु मनसः सर्वाः वासनाः भवन्ति इत्यतः तत्र दुःखादिनामनुभवः, जागरिते च तस्य स्मरणमङ्गीक्रियते एव। अतः स्वप्नकालिकस्य दुःखादेः स्मरणं योगिभिः सुषुप्तौ आरोप्यते इति वक्तव्यं भवति।

सुषुप्तिः सकलकार्यनाशरूपः नित्यप्रलयः इत्यपि उच्यते। उक्तं च - "तत्र नित्यप्रलयः सुषुप्तिः, तस्याः सकलकार्यप्रलयरूपत्वात्"<sup>52</sup> इति। सकलकार्यनाशे पुरुषस्य धर्माधर्मादीनामपि नाशात् उत्थितस्य सुखदुःखादि-अनुभवः न स्यात्, धर्माधर्मयोः विधिप्रतिषेधप्रतिपादकशास्त्रवैयर्थ्यमपि इति शङ्का न कार्या। धर्माधर्मयोः स्वकारणे अज्ञाने संस्काररूपेण विद्यमानत्वात् उक्तदोषो न भवतः। सर्वार्थप्रवर्तकस्य अन्तःकरणस्य स्वकारणे लये सति प्राणव्यवहारः अपि न स्यात्, अतः

<sup>48</sup> प्र.उ ४/६, मां.उ ५, आ.प्र.मं ६/३, कै.मं १३

<sup>49</sup> वे.सारः

<sup>50</sup> वे.परि.विषयपरिच्छेदः

<sup>51</sup> छा.उ ६/४/४

<sup>52</sup> वे.परि.विषयपरिच्छेदः

मरणस्य सुषुप्तस्य भेदः नास्ति इति सन्देहः न कार्यः। अन्तःकरणस्य ज्ञानशक्तिविशिष्टस्य अन्तःकरणस्य एव लयः, क्रियाशक्तिविशिष्टस्य तु न लयः। उक्तं च- "तत्र ज्ञानशक्तिविशिष्टान्तःकरणस्य सुषुप्तौ विनाशः"<sup>53</sup> इति। अतः प्राणनादिक्रियाः सुषुप्तौ अपि भवन्त्येव। किञ्च "यदा सुप्तः स्वप्नं न कञ्चन पश्यति अथास्मिन् प्राणः एवैकधा भवति, अथैनं वाक् सर्वैर्नामभिः सहाप्येति"<sup>54</sup> इति श्रुतौ सुषुप्ते प्राणोपाधिके आत्मनि लयः दर्शितः। तस्मात् मृतात् सुषुप्तस्य भेदः अस्त्येव।

अतः योगिभिरुक्तरीत्या सुषुप्तं न अन्तःकरणवृत्तिरूपम्। किन्तु सूत्रे कथितरीत्या "अभावप्रत्ययः" इत्यस्य अज्ञानप्रत्ययः इति यदि अभिप्रायः तर्हि तत्र अस्ति वेदान्तसम्मतिः। अथवा स्वकारण-अविद्यात्मना अन्तःकरणस्य वृत्तिः सुषुप्तमित्यत्रापि नास्ति वेदान्तविरोधः।

आयुर्वेदिनः तु यदा अन्तःकरणं निष्क्रियं भवति, इन्द्रियाणि च स्वव्यापारात् विरतानि तदा मानवः निद्राति इति वदन्ति। उक्तं च –

"यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्लमान्विताः।

विषयेभ्यः विनिवर्तन्ते तदा स्वपति मानवः ॥"<sup>55</sup> इति।

समनस्केन्द्रियाणां विषयेभ्यः निवृत्तिः निद्रा इत्यर्थः। मनःपूर्वक-इन्द्रियाणां निद्राकाले कार्यत्मना अस्तित्वमेव न भवति केवलं स्वकारणात्मना भवति। तस्मात् अविद्यावृत्तिभिरेव तत्र आनन्दानुभूतिः इति निद्रायाः अन्तःकरणवृत्तित्वे आयुर्वेदिनामपि अस्ति विरोधः इति सिद्धम्।

निद्रायाः अवश्यम्भावित्वं चिकित्सकाः प्रतिपादयन्ति। निद्रालाभेण शरीरे सुखं, पुष्टिः, बलं, शुक्रं च वर्धते। ज्ञानेन्द्रियाणि च सम्यग्विषयान् गृह्णन्ति। तेन मिथ्या-विपर्ययदोषौ पुरुषस्य न भवतः। अयुरपि यथाकालं भवति। अर्थात् दुःखम्, कृशता, क्लीबता, विषयस्य अस्पष्टज्ञानमज्ञानं वा, अकालमृत्युश्च न भवति। अनिद्रायां तु तत्सर्वं भवति। निद्रायाः सुखानुभवहेतुत्वेन निद्रायां दुःखानुभवः मोहानुभवश्च कैश्चित् योगाचार्यैः प्रतिपादितं प्रत्याख्यातं भवति।

अकाले स्वापः, अतिनिद्रा, अनिद्रा च सुखं आयुः च हरति। स्वापकालः रात्रिः एव। अतः दिवास्वापः वर्ज्यः। किन्तु ये गायन्तः, अध्ययनं कुर्वन्तः, मद्यं पिबन्तः, मैथुने रताः, संशोधनकर्मणि निरताः, भारं वहन्तः, चलन्तः च श्रान्ताः तेषां दिवास्वापः न निषिध्यते। किञ्च अजीर्णिनाः, क्षतनां, धातुक्षीणानां, वृद्धानां, बालानां, स्त्रीणां, पिपासितानां, अतिसार-शूलरोगयुक्तानां,

<sup>53</sup> वे.परि.विषयपरिच्छेदः

<sup>54</sup> कौ.उ ३/२

<sup>55</sup> च.सं.सू २१/३५



श्वासप्रश्वाससमस्यायुक्तानां, हिक्किनाम्, उपरिष्ठात् पतितानां, व्रणितानाम्, उन्मत्तानां, प्रयाणेन रात्रिजागरणेन च श्रान्तानां, क्रोधशोकभययुक्तानां च दिवास्वापः योग्यः। किञ्च ये च दिवास्वापः अभ्यस्तः तेऽपि झटिति तस्य परित्यागमपि न कुर्युः। तेऽपि रात्रिस्वापस्य अभ्यासपर्यन्तं दिवाकाले निद्रां कर्तुमर्हन्ति। एतेषां दिवानिद्रया बलवृद्धिः, शरीरपोषणं, स्थिरायुता च सिध्यति। किञ्च ग्रीष्मकाले रात्रिकालः अल्पः इति हेतोः सर्वेषामेव दिवास्वापः योग्यः। अन्यरुक्तुषु तु दिवास्वापेन कफ-पित्तयोः प्रकोपः भवति। किञ्च ये अतीवपीवरतनवः, घृत-दुग्धादि-स्नेहाहारस्वीकारिणः, कफप्रकृतिकाः, कफविकारजन्यरोगयुक्ताः च, विषसेवनेन च दूषिताः न कदापि दिवानिद्रां कुर्युः। रात्रौ बहुकालजागरणेन वातवृद्धिः भवति, दिवास्वापेण कफवृद्धिः भवति।

**निद्रानाशस्य कारणानि** - कायस्य शिरसः च विरेचनं, वमनं, भयशोकचिन्ताः, धूमपानं, व्यायामः, रक्तमोक्षणं, शय्यायाः मनोऽननुकूलत्वं, योगाभ्यासेन सत्वगुणप्रचुरता, तमोगुणस्य जयश्च निद्रानाशहेतवः। अपि च कार्यविशेषनिमग्नस्य, निर्दिष्टस्वापकालव्यतिरेके, रोगार्ते, वात-पित्त-प्रकृतिकस्य च निद्रानाशः भवति।

निद्रानाशवारणाय अभ्यङ्गः, स्नानं, ग्राम्य-अनूप-जलीयपशुपक्षीणां मांसरसस्वीकारः, दधि-सहितं शाल्यन्नभक्षणं, क्षीर-घृत-मदिरासेवनं च कर्तुं शक्यते। मनःसुखमपि निद्रादोषं परिहरति। मनःसुखार्थं इष्टस्य सुगन्धस्य सेवनं शब्दस्य च श्रवणम् विहितम्। किञ्च चक्षुषोः तर्पणं, शिरसः वदनस्य च शीतलद्रव्यलेपः निद्रायां सहकारी। निद्रास्थानमपि सुनिद्रायां कारणं भवति। अतः सुन्दर-स्वच्छ-मनोऽनुकूल पर्यङ्कः, शयनगृहं च अनिद्रां परिहारति। यस्मिन् काले पुरुषस्य निद्रा अभ्यस्ता तदा एव स्वपः अनिद्रादोषं परिहरति।

**निद्रायाः विशेषाः** - निद्रायाः निमित्तमनुसृत्य षड्विधभेदाः निरूपिताः आयुर्वेदे। ते च तमोभवा, श्लेष्मसमुद्भवा, मनःशरीरश्रान्तसम्भवा, आगुन्तुकी, व्याध्यनुवर्तिनी, रात्रिस्वभावप्रभवा च। तमोगुणस्य प्राचुर्यात् तमोभवा निद्रा, कफदोषात् श्लेष्मसम्भवा, मनः शरीरं च यदा श्रान्तं तदा समुद्भवा, रिष्टभूता अगन्तुकी, सन्निपातज्वारादिकार्या व्याध्यनुवर्तिनी, रात्रिस्वभावात् या निद्रा सा रात्रिप्रभवा। अतः दिवा प्रभवन्ती या निद्रा सा तमःप्रभृतिभ्यः इति ज्ञेयम्। आसु रात्रिस्वभावानिद्रा भूतधात्री उच्यते। तमःप्रभवा पापमूला भवति। एवं चिकित्सकानाम् दृष्ट्या निद्रा विवृता।

### स्मृतिः

संसाकामात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः उच्यते। उक्तं च - "संस्कारमात्रजं हि विज्ञानं स्मृतिः", संस्कारमात्रजन्यत्वस्य स्मृतित्वप्रयोजकतया<sup>56</sup> इति। संस्काराः तु पूर्वानुभवैः जन्याः अन्तःकरणे भवन्ति। उक्तं च - "अनुभूतमात्रज्ञानं स्मृतिः"<sup>57</sup> इति।

<sup>56</sup> भामती २/२/२९, वे.परि.अनुमानपरिच्छेदः

<sup>57</sup> न्यायनिर्णयः २/४/१२

सदृशवस्तुसन्दर्शनादिनिमित्तैः उद्बुद्धाः संस्काराः स्मृतिं जनयन्ति। अचार्याश्च स्मृतेः अन्तःकरणधर्मत्वं प्रतिपादयन्ति - "स्मरणं स्मरो अन्तःकरणधर्मः"<sup>58</sup> इति।

योगमते अपि "अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः"<sup>59</sup> इति स्मृतिः सूत्रिता। अत्र अस्मप्रमोषपदस्य अचौर्यमर्थः। लोके पितृप्रदत्तसम्पद्धतिरेकेण अन्यसम्पदः आहरणं चौर्यमुच्यते। पितृसम्पदः एव स्वीकारः अचौर्यं भवति। तथा स्मृतिः स्वजनकस्य अनुभवस्य अतिरिक्तं किञ्चिद् यदि स्मरति तर्हि तच्चौर्यं स्यात्। किन्तु स्मृतिः न तथा अनुभवव्यतिरिक्तं किञ्चित् स्मरति। प्रमाणादिभिः अनुभूतस्य विषयस्य संस्कारद्वारेण बुद्धौ आरोहः स्मृतिः। अतः सा प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रानिमित्ता।

आयुर्वेदे अपि "दृष्टश्रुतानुभूतानां स्मरणात् स्मृतिरुच्यते"<sup>60</sup> इति स्मृतिलक्षणं प्रतिपादितम्। दृष्टं प्रत्यक्षोपलक्षणं, श्रुतमागमप्रतीतम्। एवं प्रमाणैः गृहीतानां विषयाणां स्मरणं स्मृतिरिति सिद्धं भवति।

प्रमाणैः अनुभूतविषयस्य संस्कारद्वारेण बुद्धौ आरोहः इत्यनेन स्मृतेः प्रमात्वं न सिध्यति। यतः तस्याः साक्षात् प्रत्यक्षादिप्रमाणानि करणानि न भवन्ति। करणं च व्यापरवदसाधारणं कारणम्। किन्तु संस्काराणामेव करणत्वं स्मृत्युत्पत्तौ। प्रत्यक्षादीनां तु निमित्तकारणत्वमात्रम्। वेदान्ते च अनधित-अबाधितार्थविषयस्य एव प्रमात्वनिश्चयात्। व्यावहारे भाट्टनयः इति स्वीकारात् मीमांसाशास्त्राभिमतं स्मृतिव्यावृत्तमेव प्रमात्वं वेदान्तिभिः अङ्गीक्रियते। उक्तं च - "प्रमा करणं प्रमाणम्। तत्र स्मृतिव्यावृत्तं प्रमात्वं, अनधिगत-अबाधितार्थविषयज्ञानत्वम्"<sup>61</sup>। अपि च प्रत्यक्षे ज्ञानगतं प्रत्यक्षं विषयगतं प्रत्यक्षमिति ज्ञानस्य विषयस्य च प्रत्यक्षत्वं भवति। अतः तज्जनितः संस्कारः अपि तथैव ज्ञानाकारः विषयाकारश्च भवति। तेन संस्कारोत्पत्तिरपि विषयाकारः ज्ञानाकारश्च भवति। तर्हि अनुभवस्मृत्योः भेदः न स्यादिति शङ्का न कार्या। अनुभवते तु अज्ञातविषयस्य ज्ञानं भवति। स्मृतौ तु ज्ञातस्य विषयस्य एव पुनः ज्ञानं भवति इति भेदः।

अनुभवस्य संस्कारात्मना विद्यमानस्य उत्थाने हेतवः आयुर्वेदशास्त्रे अष्टसंख्याकाः प्रतिपादिताः। ते च निमित्तं, रूपग्रहणं, सादृश्यं, सविपर्ययः, सत्वानुबन्धः, अभ्यासः, ज्ञानयोगः, पुनःश्रवणमिति। तत्र निमित्तं नाम कारणज्ञानम्। कारणं दृष्ट्वा कार्यं स्मरति। रूपग्रहणं नाम आकारग्रहणम्। यथा वने गवयाकारं दृष्ट्वा गां स्मरति। सादृश्यं यथा पितुः सदृशं पुरुषम् दृष्ट्वा पितरं स्मरति। सविपर्ययः अत्यन्तं विसदृशता, तेनापि स्मरणं भवति। यथा अत्यन्तं कुरूपं दुष्ट्वा तद्विरोधिधर्मवन्तं स्फुरद्रूपिणं स्मरति। सत्वानुबन्धं नाम मनसः एकाग्रता। एकाग्रमनाः अपेक्षितमर्थं स्मर्तुं समर्थो भवति। अभ्यस्तमर्थम् अभ्यासबलादेव स्मरति इति अभ्यासः अपि संस्कारोदये कारणम्। ज्ञानयोगात् इति तत्त्वज्ञानबलात् स्मरति। पुनःश्रवणं च श्रुतेऽपि अर्थे विस्मृते पुनः

<sup>58</sup> छा.भा ७/१३/१

<sup>59</sup> यो.सू १/११

<sup>60</sup> च.सं.श १/१४९

<sup>61</sup> वे.परि.प्रत्यक्षपरिच्छेदः

तदेकदेशश्रवणेनैव स्मरति। उक्तं च – “वक्ष्यन्ते कारणान्यष्टौ स्मृतिर्यरुपजायते। निमित्तरूपग्रहणात् सादृश्यात् सविपर्ययात्। सत्त्वानुबन्धादभ्यासाज्ज्ञानयोगात् पुनः श्रुतात्॥”<sup>62</sup> इति।

### उपसंहारः –

एवं योगशास्त्रे यः वृत्तीनां पञ्चविभागः कृतः सः वेदान्तिभिरपि अनुमन्यते। किन्तु तेषां स्वरूपे तु कुत्रचित् सहमतिः कुत्रचित् वैमत्यं स्पष्टं लक्ष्यते। प्रमाणषट्कमिति वेदान्तिभिः प्रतिपादितम्। योगिनः अयुर्वेदिनः त्रीण्येव प्रमाणानि अङ्गीकुर्वन्ति। विपर्ययस्य, निद्रायाः अन्तःकरणवृत्तित्वे वेदान्तिनामरुचिः दृश्यते। किन्तु विपर्यय-निद्रयोः अविद्यावृत्तित्वं वेदान्तिनः प्रतिपादयन्ति। विपर्यय-स्मृत्योः विषये योग-वेदान्तशास्त्रयोः सहमति लक्ष्यते।

### संक्षेपाक्षरसूची

१. तै.उ- तैत्तिरियोपनिषत्.
२. प्र.उ – प्रश्नोपनिषत्.
३. मुं.उ- मुण्डकोपनिषत्.
४. मां.उ – माण्डुक्योपनिषत्.
५. ऐ.उ- ऐतरेयोपनिषत्.
६. छां.भा- छान्दोग्यभाष्यम्.
७. बृ.भा- बृहदारण्यकोपनिषत्.
८. तै.भा – तैत्तिरियोपनिषदः शाङ्करभाष्यम्.
९. प्र.भा – प्रश्नोपनिषदः शाङ्करभाष्यम्.
१०. मुं.उ- मुण्डकोपनिषदः शाङ्करभाष्यम्.
११. मां.भा- माण्डुक्योपनिषदः शाङ्करभाष्यम्.
१२. ऐ.भा- ऐतरेयोपनिषदः शाङ्करभाष्यम्.
१३. छां.भा- छान्दोग्योपनिषदः शाङ्करभाष्यम्.
१४. अ.भा – अध्यासभाष्यम्.
१५. सू.भा- ब्रह्मसूत्र-शाङ्करभाष्यम्.
१६. अ.सि- अद्वैतसिद्धिः.
१७. वे.सा- वेदान्तसारः.
१८. वे.परि- वेदान्तपरिभाषा.

---

<sup>62</sup> च.श १/१४९

१९. पं.दशी- पञ्चदशी.
२०. वि.चू.म- विवेकचूडामणिः.
२१. यो.सू- योगसुत्रम्.
२२. व्यासभाष्यम्- योगसूत्र-व्यासभाष्यम्.
२४. आचार्यः- शङ्कराचार्यः.
२५. च.सं.सू – चरकसंहिता, सूत्रस्थानम्
२६. च.सं.श – चरकसंहिता, शरीरस्थानम्
२७. मां.का – माण्डूक्यकारिका

### ग्रन्थसूची

१. **उपनिषद्भाष्यम् (खण्ड १,२,३)** श्री मणिद्रविड सम्पादितम् / अद्वैतग्रन्थरत्नमञ्जूषा २ / प्रकाशनम् - महेश अनुसन्धान संस्थानम्(श्री दक्षिणामूर्तिमठ प्रकाशन), वारणासी / द्वितीयं संस्करणम्।
२. **श्रीमद्भगवद्गीता (शाङ्करभाष्य-अष्टटीकाभ्यः उपेता)** श्री वासुदेवशर्मणा संस्कृतम् / ब्रजजीवन प्राच्यभारती ग्रन्थमाला ६४ / प्रकाशनम् - चौकम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली / पुनर्मुद्रित संस्करण २०१६
३. **ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यम्(भाष्यरत्नप्रभा-भामती-न्यायनिर्ण-व्याख्योपेता)** श्री अचार्यजगदीशशास्त्रिणा सम्पादितम् / प्रकाशनम्- मोतिलाल बनारसीदास,दिल्ली / प्रथम मुद्रण - १९८० , पुनर्मुद्रण – २००५।
४. **अद्वैतसिद्धिः (बालबोधिनी व्याख्योपेता, प्रथमो भागः)** शेखरदेवशर्मणा सम्पादितम् / प्राच्यभारती ग्रन्थमाला – १२ / प्रकाशनम्- रत्ना पब्लिकेशन्, वारणासी / द्वितीयं मुद्रणम् २००७।
५. **सर्वदर्शनसङ्ग्रहः** श्री टि.जि मायांकर् सम्पादितम् / राजकीया प्राच्यग्रन्थश्रेणिः - “ए” १ / प्रकाशनम् - भण्डारकरप्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिरम्, पुणे,१९७८ / तृतीयं मुद्रणम्।
६. **पञ्चदशी** वासुदेवशर्मणा संस्कृतम् / हरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला – ३२८ / प्रकाशनम्- संस्कृत सीरिज आफिस, वारणासी / संस्करणम् – २००९।
७. **बं०१८००३०००** ಸವೂಮು० ಹಠಷೂನಂದ ಸಂಪೂಡೆತ / ಷರಕಶನ - ಶರ०१ ರೂಮಕೃಷ್ಣಣೂಶರಮ, ಮೈಸೂರು / ನೂಲಕನೆಯ ಮೂಡರಣ.
८. **चरक संहिता** डा॥यादवजी त्रिकमजी आचार्य सम्पादित / काशी संस्कृत ग्रन्थमाला -१९४ / प्रकाशनम् - चौकम्बा संस्कृत संस्थान, वारणासी / संस्करण - पुनर्मुद्रित,वि.सं. २०७३।
९. **सुश्रुतसंहिता** काशी संस्कृत ग्रन्थमाला -१५६ / प्रकाशन- चौकम्बा संस्कृत संस्थान, वारणासी / संस्करण - पुनर्मुद्रण, वि.सं. २०७५।
१०. **पातञ्जलयोगदर्शनम् (व्यासभाष्यसहितम्)** काशी संस्कृतग्रन्थमाला – २०१ / प्रकाशन- चौकम्बा प्रकाशन, वारणासी / संस्करण - पुनर्मुद्रित, वि.स २०७४।

# जाति, जातिवाद व जातीय राजनीति

मदन कुमार वर्मा,  
एसो० प्रोफेसर, उपाधि महाविद्यालय,  
पीलीभीत, उत्तर प्रदेश।

सारांश – भारतीय राजनीति में जातिवाद का भारतीय समाज एवं राजनीति पर प्रभाव व परिणाम

मुख्य शब्द – जाति, जातीय राजनीति, जातिवाद, आरक्षण, वर्गवाद।

## Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number: 16-18

## Publication Issue :

September-October-2021

## Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 05 Sep 2021

आर्यों ने भारत में आकर अपनी सुविधा हेतु अपने को चार वर्णों में विभाजित कर लिया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, जिसमें ब्राह्मण धार्मिक कार्य करता, क्षत्रिय प्रशासनिक कार्य करता, वैश्य व्यापार-वाणिज्य का कार्य करता तो शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करता था। समय बीतने के साथ वर्ण-व्यवस्था को स्थायी बनाने हेतु इसे मिथकीय रूप दिया गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पेट से वैश्य तो पैरो से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इस विवरण से स्पष्ट है कि विभिन्न वर्णों द्वारा एक विशेष कार्य करने से भारत में वास्तव में वैदिक काल में ही एक प्रकार के जातिवाद की नींव पड़ गई जिसमें स्त्रियां समाहित न थी। कालक्रमेण वर्ण-व्यवस्था दो कारणों से अपने मूल स्वरूप को बनाये रखने में असमर्थ हो गयी।

1. वैश्यों व शूद्रों ने वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया
2. भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण ने भी वर्ण-व्यवस्था को प्रभावित करना शुरू किया।

उक्त दो कारणों सहित अन्य कारकों ने भी वर्ण-व्यवस्था को प्रभावित करना शुरू किया जिसके फलस्वरूप वर्ण-व्यवस्था जाति-व्यवस्था में बदलने लगी। शक, हूण, यवन, पारसीक इत्यादि विदेशी आक्रमणों ने भारतीय वर्ण-व्यवस्था की जड़ों का हिला दिया जिससे अनेक जातियों एवं उप-जातियां अस्तित्व में आयी। इस समय लोगों में ब्राह्मण व क्षत्रिय बनने की होड़ मच गयी। बेमेल विवाह, विधवा विवाह, बहू विवाह इत्यादि ने भी जाति व्यवस्था को बढ़ाने में मदद की इस जातीय व्यवस्था में प्रत्येक जाति अपने ही जाति में विवाह खान-पान इत्यादि सम्बन्ध रखता था इससे सिद्ध होता है जाति व्यवस्था एक बंद समाज है जिससे बाहर किसी व्यक्ति का जाना उसे सामाजिक जंजालो में डाल देता। अपृश्यता, छूआ-छूत ऊँच-नीच यह जाति-व्यवस्था की विशेषता है इस जातीय व्यवस्था के फूट ने हमेशा विदेशियों को भारत पर विजय प्राप्त हेतु आकर्षित किया जो सफल भी रहे। यही नहीं जाति-व्यवस्था को भारत में समाप्त करने हेतु भगवान बुद्ध व जैन मुनि ने आन्दोलन भी चलाये पर इन्हे विशेष सफलता न मिली। परिणाम यह हुआ जब कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गयी तो उत्तर भारत की राजनैतिक एकता भंग हो गयी अब छोटे-छोटे रजवाड़े पनपने लगे जो आपस में लड़की व अच्छी स्त्री प्राप्त हेतु लड़ते थे। परिणामतः भारत में मुस्लिम आक्रमण को प्रोत्साहन मिला और धीरे-धीरे मुस्लिम सत्ता ने सम्पूर्ण भारत में आधिपत्य जमा लिया, ब्राह्मण व क्षत्रियों में से अनेको ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर मनचाहा पद प्राप्त किया इस समय धार्मिक परिवर्तन की लहर चली जो मुगल काल में आकर अपने चरमोत्कर्ष पर औरंगजेब के समय पहुँच गयी। पर शनै-शनै मुगल साम्राज्य की सत्ता क्षीण होने के पश्चात अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली जिसमें राबर्ट क्लाइव का योगदान विशेष सराहनीय है

आगे चलकर अंग्रेजों ने भी भारत की जातीय व्यवस्था का लाभ उठाया और जाति के आधार पर जाट रेजीमेंट, गोरखा रेजीमेंट इत्यादि सैन्य संगठनों का गठन किया और आजादी पश्चात् 26 जनवरी 1950 को जब भारत ने अपना संविधान लागू किया तो प्रत्येक स्त्री-पुरुष को बिना किसी भेद-भाव के सार्वभौमिक मताधिकार दिया और पाश्चात्य लोकतांत्रिक संविधान के लागू होने पर भारतीय नीति-निर्माताओं ने यह सोचा कि जैसे-जैसे पाश्चात्य मूल्यों का प्रवेश आम जनता में होने लगेगा वैसे धीरे-धीरे भारतीय जनमानस जतिवाद, छुआ-छुत अस्पृश्यता, ऊँच-नीच की भावना से दूर होता चला जायेगा लेकिन व्यवहार में इसके विपरीत राजनीतिक व्यवस्था पनपने लगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य प्रारम्भ में इन तीनों जातियों ने जातिवाद शुरू किया और जिसका परिणाम यह हुआ कि राजनीति व प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर इनका वर्चस्व हो गया। दलित वर्ग अपने मिले आरक्षण लाभ के अन्तर्गत विभिन्न राजनीतिक पदों एवं प्रशासनिक पदों पर छा गया। मध्यम जातीय जिसे सामान्य रूप से पिछड़ा वर्ग के नाम से जाना जाता है ये राजनीतिक एवं विशेषकर प्रशासनिक पदों पर काफी पिछड़ गयी तो सरकार ने इन्हें भी 27% आरक्षण दिया जिससे पूरा देश जातिवाद की आग में जल गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ने 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण के विरुद्ध पूरे देश में आन्दोलन चलाया तो प्रत्युत्तर में पिछड़ी वर्ग ने भी आरक्षण के समर्थन में आन्दोलन चलाया। इस दौरान जातिवाद की मुख्य विशेषता यह रही कि अब उसने वर्गवाद का रूप लेना शुरू कि ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य ने वर्गवाद को बढ़ावा देना शुरू किया जबकि अनूसूचित जन जाति और पिछड़ा वर्ग अभी जातिवाद के जंजाल में ही उलझे हैं उनमें वर्ग-वाद की भावना का अभाव है।

भारतीय राजनीति में जातिवाद की राजनीति सर्वप्रथम बिहार से शुरू हुई बिहार में आज सत्ता का प्रमुख खेल अब यादव, कुर्मी बनाम अन्य के मध्य धूम रही है यादव- यादव के लिए कुर्मी कुर्मी के लिए मत देता है अब यहाँ सवर्णों का जातीय राजनीति में भागीदारी घटी है यहाँ अब सत्ता ब्राह्मणों, कायस्थों व राजपूतों के हाथ से निकल गयी है। राजस्थान में राजनीति का संघर्ष मुख्य रूप से जाटों व राजपूतों के मध्य है जबकि हरियाणा की राजनीति जाट बनाम अन्य जाति के आधार पर संचालित होती है जाट-जाट के लिए नारा यहाँ खूब लोकप्रिय है गुजरात में पाटीदार व अनाविल जातियों के मध्य संघर्ष है तो आन्ध्र प्रदेश में कम्मा-रेड़ड़ी जातियों के मध्य संघर्ष पाया जाता है कर्नाटक की राजनीति प्रमुखता लिगायतों और बोक्कालिंगों के मध्य है तमिलनाडु में ब्राह्मण व अन्य जातियों के मध्य संघर्ष रहा है महाराष्ट्र में मराठा व ब्राह्मणों के मध्य संघर्ष रहा है मराठों जाति विजय 1966 में तब पराकाष्ठा पर पहुँच गया जबकि अलग महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हो गया।

इस प्रकार विभिन्न राज्यों की राजनीति केवल जातिवाद के आधार पर संचालित नहीं हो रही है अपितु विभिन्न जातियों ने अपने जातीय राजनीति में सफलता हेतु जातीय आधार पर विभिन्न राजनीतिक दल बनाये गये हैं जैसे स्वतन्त्रता पूर्व 'मद्रास की जास्टिस पार्टी' और मुम्बई की इंडिपेन्डेंट पार्टी का निर्माण जातीय आधार पर हुआ था महाराष्ट्र में कृषक एवं मजदूर दल मराठों का तो रिपब्लिकन दल महाराष्ट्र के दलित वर्ग प्रतिनिधि संगठन है राजस्थान में राजपूत सभा, जाट सभा सभी जातीय श्रेणी के संगठन हैं।

सैद्धांतिक रूप से सभी नेता जाति, जातिवाद एवं जातीय राजनीति को हेय दृष्टि से देखते हैं पर व्यवहारिक रूप में स्थिति निम्न है—

- (1) राजनीतिक दल टिकटों का बँटवारा जातीय आधार पर करते हैं।
- (2) सभी जातीय अपने-अपने महापुरुषों का जातीय आधार पर सम्मेलन व उनका गुण-गान कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं।
- (3) राज्य व केन्द्र स्तर पर मंत्रिमंडल निर्माण में जातीय संतुलन का ध्यान रखा जाता है।
- (4) विभिन्न जातीय अपने माँगों की पूर्ति हेतु धरना व प्रदर्शन करती हैं जैसे जाट, गुर्जर, पटेल एवं मराठों के आन्दोलन ने सरकार को विवश कर दिया कि सवर्ण वर्गों को विभिन्न पदों हेतु 10% आरक्षण दे।

वास्तव में भारतीय राजनीति में जातिवाद का सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है। सकारात्मक दृष्टि से जातिवाद के माध्यम से विभिन्न जातियों की राजनीतिक प्रक्रिया व सत्ता में भागेदारी बढ़ी है तो नकारात्मक दृष्टि से जातिवाद ने कभी-कभी हिसंक रूप धारण किया विशेषकर सर्वण व दलित सघर्ष में। जिसमें दलितों को कुचला गया कही-कही पर विभिन्न जातियों की सेना भी बनायी गयी जैसे- भीम सेना (उ.प्र.) व बिहार में विभिन्न जातियों की सेना। जिससे हिन्दूत्व एकता के विचार को धक्का लगा।

वास्तव में भारतीय वर्ण-व्यवस्था ने धीरे-धीरे भारत को हजारों जातियों व उपजातियों में बाँट दिया जिससे भारत की राष्ट्रीय एकता बाधित हुई जिसका लाभ विदेशी आक्रमण कारियों ने उठाया। यदि प्राचीन काल में शक, यवन, हूण भारत में आये और यहाँ रच-बस गये तो मुस्लिम (मध्य युग) अंग्रेज (आधुनिक युग) आये। अंग्रेजों के आने के बाद भारत में जैसे-जैसे पाश्चात्य मूल्यों का प्रसार हुआ तो देश में जन-जागरूकता के साथ-साथ एक नये शिक्षित वर्ग का उदय हुआ। आजादी के बाद इस नये शिक्षित वर्ग ने सत्ता अपने हाथ में लेते ही जातिवाद, अपृश्यता, छूआछूत इत्यादि के विरुद्ध बिगुल फूका। पर विशेष सफलता न मिली। परिणामतः राजनेताओं की जो नयी पीढ़ी सामने आयी उसके जाति में एक वैशाखी के रूप में प्रयोग किया जिससे जाति के टूटने व खत्म होने की सम्भावना धूमिल पड़ गयी। लेकिन जातियों में विद्यमान अस्पृश्यता, छूआ-छूत, ऊँच-नीच भेद-भाव में कमी आयी है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची

- (1) भारतीय सरकार एवं राजनीति- डा० त्रिवेदी आर.एन. एवं राय एम.पी.
- (2) भारतीय शासन एवं राजनीति- फाडिया बी० एल०
- (3) भारतीय राजनीतिक व्यवस्था- सईद एस. एम.
- (4) भारतीय राजनीतिक व्यवस्था- जैन पुखराज
- (5) भारतीय शासन एवं राजनीति- चर्तुवेदी, डा० दिनेश चंद,
- (6) भारत में राजनीति – रजनी कोठारी

#### समाचार पत्र :-

- दैनिक जागरण
- अमर उजाला



# India-Japan Relation

Surya Bhan Prasad

Associate Professor, Department of Political Science, M. G. K. Vidyapith, Varanasi, Uttar Pradesh.

## Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number: 19-23

## Publication Issue :

September-October-2021

## Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 05 Sep 2021

**Abstract** - It is located from the continent of Asia to India-South Asia and Japan-East Asia. Both the countries were endowed with their ancient civilization and culture. But in ancient times there was no special relation between both the civilization and culture. When Buddhism was spread in India during the time of Lord Buddha, which gradually spread to other countries of the world, Japan could not remain untouched by its influence. Buddhism in Japan reached Japan indirectly through the left Chinese territory. This event dates back to the sixth century, when Japan was introduced to Buddhism. When the Indian Buddhist monk Bodhisen reached Japan in 736 AD, he continued to spread Buddhism in Japan till his nirvana i.e. 760 AD and built a huge Buddhist pagoda named Todai Ji (Jwakap Shrap) there, which led to the middle of Indo-Japan. Cultural ties were strengthened and in the 8th century many Buddhist monks migrated from India to Japan. Many students from Japan came to study at Nalanda University, although the evidence of the destruction of Nalanda University was erased, but in Japan such evidence is found that many Japanese scholars and students used to come to study in Nalanda University, which has strengthened the close relations between the two countries in the future. Relations between India and Japan have been very strong since the beginning. The influence of Buddhism born in India on the culture of Japan is clearly visible. In the fight for India's independence, the Imperial Army of Japan assisted the Azad Hind Fauj of Subhas Chandra Bose. Relations between the two countries have further intensified since India's independence. Regarding India's relations, according to Japanese Prime Minister Shinzo Abe, it is in Japan's interest to maintain cordial relations with India as it is also necessary due to Japan's strained relations with China. It is said that the enemy of the enemy is the friend, similarly the strained relations of both India and Japan with China make the friendship of India and Japan even stronger. Japan has established many of its companies like Sony, Toyota, Honda in half of India and has contributed to the economic development of India. Along with this, the Japanese automotive manufacturer Suzuki produces together with the Indian company Maruti Suzuki. Japan has provided many technical assistance for development in India, the important of which is the Delhi Metro Rail Project.

Keywords : Japan & India's Army, IT industries, Prime Minister visit to Japan etc.



**Introduction-** Relations between India and Japan have been very strong since the beginning. The influence of Buddhism born in India on the culture of Japan is clearly visible. In the 15th century, Japan established relations with the Portuguese traders of Goa located in India, after this relationship again there was continuity in the relations between India and Japan. But direct political exchanges began during the Meiji Regime (1868–1912 AD), while Japan began its modernisation. In this modernization period, Japan-India Federation was established in 1903 AD, this rise of 20th century of Japan was seen positively in India. Japan's rapid economic growth and reconstruction after world war I influenced Indian thinkers and revolutionaries and 'Suresh Chandra Bandyopadhyay, Manmathnath Ghosh and Hariprova Takeda were the early Indians who went to Japan and wrote about the experiences there, Rabindranath Tagore's activities in this direction are also noteworthy. The national movement that started in India at this time gradually reached its climax and on the other hand, the treaty that was signed between the british empire and the Japanese empire after the First World War, this Anglo-Japanese treaty ended in 1923 AD. Due to which now many Indian revolutionaries who escaped from prison took refuge in Japan, among such revolutionaries was Rash Behari Bose, who formed the Azad Hind Fauj with the help of Japan, and started new relations between India and Japan. This Azad Hind Fauj helped imperialist Japan and its alliance. Originally, the Azad Hind Fauj was formed by the Indian soldiers who had abandoned the british army and the Indian soldiers who were captured by Japan after defeating the soldiers of the combined Indian British Army. He was handed over to the Azad Hind Fauj. In this sequence, Rash Behari Bose handed over the command of the Azad Hind Fauj in Singapore to Subhash Chandra Bose and called him 'Netaji'. This India and the Japanese army started the war with the British army during World War II. Thus military relations between India and Japan started before independence. Both these combined armies won Manipur, Andaman and Nicovar Islands, but in Imphal and Kohima, the British forces defeated I.N.A. Forced to retreat and Japan and its alliance in World War II, along with the defeat, Japan also had to bear the brunt of the atomic bomb destruction. After this Japan returned the Andaman and Nicovar Islands to India and Netaji also mysteriously disappeared. After the Second World War, an International Military Judicial Authority was formed for the Far East, in which the appointed Indian Judge Radha Vinod Pal became famous there for ruling in favor of Japan which became a symbol of the close relations between the two countries. After World War II, Japanese sovereignty fell under the Allies, the MacIver Constitution was forcibly imposed on Japan, and the US demilitarized Japan, taking the responsibility of defense. After independence, India sent two elephants to Tokyo Zoo in 1949 AD and refused to participate in the 1951 San Francisco Conference because, as is known earlier, this convention imposed restrictions on Japanese sovereignty and independence. After Japan gained its sovereignty, India Japan re-established full diplomatic relations on 28 April 1952 by signing a peace treaty. After the establishment of this diplomatic relationship, relations in the business, diplomatic, economic and technical fields were re-established between India and Japan. India started exporting cast iron to Japan and Japanese Prime Minister Nobush Kishi visited India in 1957, after which Japan started giving yen loans to India at cheap rates.

### **India-Japan Relations and the Indo-Pacific Region**

The Indo-Pacific region has in recent years become a new stage of political and diplomatic conflict between different powers. Because at present about 75% of the world trade goods are imported and exported

from this region. The sector, which accounts for about 60% of the global GDP, is also very sensitive to energy trade. It can be said that the key to the new world order lies in the hands of the Indo-Pacific region, because under this region an important area comes in the South China Sea, which is very important from political and commercial point of view, apart from this the other important area is the Straits of Malacca which is also very important from the political and commercial point of view.

### **Important facts of the summit between India and Japan**

In the year 2014, Indian Prime Minister Narendra Modi and Shinzo Abe started the policy of balancing against China in the field of security. During the reign of Shinzo Abe, India and Japan had a partnership in the field of digital research and innovation, under which work is done on artificial intelligence, 5G Internet, space research and technology etc. Japan supported major manufacturing initiatives like 'Make in India' to strengthen economic ties between the two countries. Over the years, India and Japan have collaborated to build infrastructure in Iran and Africa, provided significant assistance to Myanmar and Sri Lanka, and called on Southeast Asian nations to counter China's growing influence in the Southeast Asian region. In 2012, Shinzo Abe proposed the idea of setting up a Democratic Security Diamond, known as the Quad, involving Australia, India, Japan and the US, to ensure maritime security from the Indian Ocean to the Pacific Ocean. The Quad group was established in November 2017 to formulate a new strategy to keep the Indo-Pacific region free from the influence of any external power, (especially China).

### **Defence Relation**

In the fight for India's independence, the imperial army of Japan assisted the Azad Hind Fauj of Subhas Chandra Bose. Recently, a joint exercise was conducted by the naval armies of India and Japan in the Indian Ocean. The purpose of this exercise by the Japanese Maritime Self-Defense Force was to increase mutual coordination between the naval armies of the two countries. Two warships from both sides took part in this exercise. Naval exercises between India and Japan have now become regular, but this exercise is being linked to the military standoff between India and China in Ladakh. Significant progress has been made in India-Japan defense relations in the last 22 years. The main reason for the strength of Japan-India relations is the shared vision of the stability of the Pacific and the common security challenges of the region. Both India and Japan are members of the United Nations Organization. Both countries are members of the G4 group. In 2019, India and Japan also participated in joint naval exercises with the US and clipping in the South China Sea. Apart from this, a joint military exercise called Shinyu Maitri by the Air Forces of the two countries and Dharma Guardian by the Army is conducted.

### **Political and diplomatic relations**

Subhas Chandra Bose's Azad Hind Fauj was also assisted during India's freedom struggle, since India's independence, relations between the two countries have been cordial. The India-Japan Strategic and Global Partnership Agreement was signed during the December 2006 visit to Japan by former Prime Minister Manmohan Singh during the Look East Policy. In the field of defense, relations between the two countries have been continuously strengthened since 2007.

In 2013, Japanese Emperor Aki Hito and Empress Michiko concluded their visit to India, which was received by Prime Minister Manmohan Singh himself at the airport. Japan's Prime Minister Shinzo Abe along with his wife had attended India's Republic Day celebrations as the chief guest in 2014. After this, in the summit meeting with Manmohan Singh, the two Prime Ministers agreed a loan of 200 billion yen and also offered cooperation in the fields of high speed rail, defence, medical care, pharmaceutical manufacturing and agriculture and thermal energy. In 2014, Indian Prime Minister Narendra Modi chose Japan as the first to travel abroad from a lamp outside the Indian subcontinent.

### **Tokyo declaration letter**

In the Political Defense and Security Partnership, 2+2 talks involving the Foreign and Defense Secretaries were decided and an agreement on cooperation and exchanges in the defense sector was signed, both air and water US-2 aircraft and its associated Cooperation for technology was agreed.

The Global Partnership for Peace and Security in the Region and the World, there was an appeal for a comprehensive reform of the United Nations Security Council, especially its expansion into both permanent and non-permanent sections, the suggestion of a 2015 deadline, and the condemnation of terrorism in all its forms.

Significant progress in civil nuclear cooperation between the two countries.

Cooperation for prosperity was signed. Japan's foreign direct investment in India and the number of Japanese companies set to double in 5 years, rejuvenate the Ganges and other rivers, clean energy, skill development, water security, food processing, agriculture, industry, rural development, etc. Invested approx 3.5 trillion yen, It was also agreed on loaning of 5 lakhs yen loan to India Infrastructure Finance Company Limited. they are also agreed to setting up of Japan Industrial Township, Electronic Industrial Park in India, mutual cooperation in the field of energy, supply of chlorides from India to Japan etc.

It was decided to cooperate with each other in the fields of science, mathematics, new technology etc.

### **Economic relations**

Economic relations between India and Japan have increased along with the strengthening of religious ties between the two. It is proved from this sentence that the economic relations between India and Japan were from ancient times. The Silk Road of ancient times is a very appropriate ancient example of the economic relationship between India and Japan. After India's independence, Japan started giving economic assistance to India at cheap rates, which helped India to develop its own infrastructure. After the cold war, a new era of economic relations between India and Japan began. Japanese Prime Minister Mori visited India in August 2000 and JAPAN- INDIA GLOBAL PARTNERSHIP IN THE 21TH CENTRURY Signed the agreement. Japan ranks third in total foreign direct investment in India. Apart from this, Japan has played a very important role in setting up and supporting industries in India, in which Maruti Suzuki cars are very popular in India in the field of car manufacturing. In addition, Japan has helped in the construction of the Delhi Metro project in India. At present, Japan is helping in the development of the Mumbai-Delhi Industrial Corridor as well as helping in the reconstruction of the Delhi-Habra railway line. Apart from this, Japanese cameras, computers etc. are very popular in India. Indian Engineer Japanese I.T. becoming the backbone of

the industry. In the 2010 visit of Prime Minister Manmohan Singh to Japan, both the countries liberalized the Bija system. On 25 October 2010, India Japan signed a bilateral 'Comprehensive Economic Cooperation Agreement'. So that the trade relations between India and Japan increase. Japan has also helped India in the field of steel industry. Indo-Japan jointly setting up steel industry in West Bengal. As of March 2005, Japan has invested a total of \$ 2.12 billion in India, thus Japan is the third largest foreign direct investor in India.

### **Conclusion**

It is clear from the above discussion that India-Japan relations were from very ancient times. Religious relations and economic relations are particularly noteworthy in these relations, which are continuing till date. But after the rise of China, both have given special emphasis on the strategic agreement so that China can be surrounded, because the balance of power in Asia will be determined mainly by the developments in East Asia and the Indian Ocean. In this view, India will be able to control Japan's position. The partnership could become America's 'Asian pivot'. In this direction, the visit of Japanese Emperor Akihito to India in November 2013 will establish new dimensions of relations. As the Japanese Prime Minister Shizoabe has said, 'India-Japan relations are like the meeting of two oceans' in which cultural relations have been working as a bridge since ancient times. Some of the islands are in the Japanese Sea, in which China sometimes sends warships, which escalates the Sino-Japanese dispute and North Korea launches missiles over Japan. In both these disputes and the Doklam dispute, India-Japan supported each other, due to which there is a great intensity in the relationship between the two, due to which China became apprehensive.

### **References**

1. Shamshad Ahmad Khan, Changing Dynamics of India–Japan Relations, Pentagon Press, 2017.
2. N. S. Sisodia, India-Japan Relations: Partnership for Peace and Security in Asia, Bibliophile South Asia, 2007.
3. Takenori Horimoto, India-Japan Relations in Emerging Asia, Manohar Publishers and Distributors, New Delhi, , 2013.
4. Upendra Thakur, India And Japan - A Study In Interaction During 5th Cent.- 14th Cent. A.D., Abhinav Publications, 2011.
5. Rajesh Basrur, Sumitha Narayanan Kutty, India and Japan: Assessing the Strategic Partnership (Politics of South Asia), Palgrave Pivot, 2018.
6. Rachel Storm , Legends & Myths of India, Egypt, China & Japan: The Mythology of the East: The Fabulous Stories of the Heroes, Gods and Warriors of Ancient Egypt and Asia, Lorenz Books, 2017.
7. Dr. Manik Manohar Shinde, History Of Europe, Ishika Publishing House, 2014.
8. Michael Laver , The Dutch East India Company in Early Modern Japan: Gift Giving and Diplomacy, Bloomsbury Academic, 2020.
9. Dr. Madan Kumar Verma, India's International Relations, SR Publishers and Distributors, New Delhi, 2018.

## भारत की आंतरिक सुरक्षा समस्याएं एवं चुनौतियाँ: भारतीय सुरक्षा बलों की भूमिका

डॉ. नर्वदेश्वर पाण्डेय

सह-आचार्य, रक्षा एवं स्नातकीय अध्ययन विभाग, का.सु.साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या

डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या ।

विनोद कुमार

अनुसंधित्सु- रक्षा एवं स्नातकीय अध्ययन, का.सु.साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या

### Article Info

Volume 4 Issue 5  
Page Number: 24-29

### Publication Issue :

September-October-2021

### Article History

Accepted : 01 Sep 2021  
Published : 05 Sep 2021

**शोध सारांश-** किसी भी देश के नागरिकों में जब असुरक्षा की भावना का भाव होता है, तब उस देश का विकास रुक जाता है, क्योंकि वहाँ का प्रशासन लोगों के साथ न होकर आंतरिक चुनौतियों से लड़ रहा होता है। भारत में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय के अधीन तीनों सेनाओं की होती है। आंतरिक सुरक्षा को बनाये रखने के लिए अलग अलग सुरक्षा बल, सुरक्षा एजेंसियाँ और राज्य पुलिस बलों की मुख्य भूमिका होती है, लेकिन आज का बदलता बाह्य परिवेश हमारी आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करता है, इसलिये जरूरी है, कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक नीतियाँ बनाई जाए इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशासन सेवा के रूप में अलग से केंद्रीय सेवा बनाई जाए ताकि आंतरिक खतरों से आसानी से निपटा जा सकें।

**शब्दकोश:** सुरक्षा, आंतरिक-सुरक्षा, आंतरिक-खतरे, बाह्य-खतरे, सम्प्रभुता, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातिवाद, नक्सलवाद, विप्लवाद, आतंकवाद आदि।

**परिचय-** भारत में संघीय ढांचा है, जिसको दो भागों में बाँटा गया है। केंद्र और राज्य, दोनों के पास अलग-अलग शक्तियाँ हैं। केंद्र के सभी विषय भारतीय संघ की 7वीं सूची में और कानून के विषय को राज्य सूची में रखा गया है। इस प्रकार देश को संचालित करने के लिये दो प्रकार के मुद्दों से समझा जा सकता है। जिसमें केंद्र को पूरे देश की आंतरिक जिम्मेवारी दी गई है, जिसे हम आंतरिक सुरक्षा कहते हैं, जबकि राज्य को कानून व्यवस्था को बनाये रखने की जिम्मेवारी दी गई है।

आंतरिक सुरक्षा का अर्थ- एक देश द्वारा 'अपनी सीमाओं के अंदर की सुरक्षा' को आंतरिक सुरक्षा कहा जाता है, जिसमें शामिल है।

1. राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा
2. देश में आंतरिक शांति को बनाए रखना
3. कानून का राज स्थापित करना और
4. साम्प्रदायिक सौहार्द बना कर रखना

आंतरिक सुरक्षा में उन्ही घटनाओं को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। राष्ट्र की सुरक्षा किसी भी राष्ट्र की वह क्षमता है। जो अपने आंतरिक मूल्यों को बचाने का प्रयास करता है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा के अभाव में, कोई भी राष्ट्र अपनी अखंडता को बनाये रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से विकास नहीं कर सकता। किसी भी राष्ट्र को खतरा दो प्रकार से हो सकता है, एक बाह्य खतरा और दूसरा आंतरिक खतरा लेकिन जब खतरा बाह्य होता है, तो ये राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में आता है। जबकि आंतरिक खतरा राष्ट्रीय रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों क्षेत्रों से सम्बंधित होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का वर्णन करते हुए आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है ' कि राष्ट्र को चार प्रकार के खतरों से सामना करना पड़ता है।

#### 1. आंतरिक सुरक्षा

#### 2. बाह्य सुरक्षा

#### 3. बाह्य रूप से सहायता प्राप्त आंतरिक और

4. आंतरिक रूप से सहायता प्राप्त बाहरी। आज भारत आंतरिक रूप से सहायता प्राप्त बाहरी सुरक्षा चुनोटियों का सामना कर रहा है, इसका ज्वलन्त उदाहरण रोज-रोज भारत के खिलाफ बनती नई-नई टूल-किट है, जिनकी मदत से भारत को डिस्टर्ब किया जाता है आज आंतरिक सुरक्षा पारंपरिक युद्ध की बजाए प्रॉक्सी युद्ध के रूप में हमारे लिए एक बड़ी चुनोती बन गई है।

आंतरिक सुरक्षा के लिये जिमेदार कारक

विरासत में मिले कारक - विरासत में मिले कारकों में सबसे पहले आता है, भारत की भौगोलिक स्थिति जो उत्तर कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुवारी तक लगभग 3200 किलोमीटर में है, इसी प्रकार पूर्व में अरुणाचल से लेकर पश्चिम के कच्छ तक लगभग 2900 किलोमीटर में फैली है। 11 बड़े बन्दरगाहों में 95 प्रतिशत व्यापार इन्हीं पर बने समुद्री मार्गों से होता है जो आंतरिक सुरक्षा के लिये बहुत बड़ी चुनोती हैं।

दूसरा कारक है पड़ोसी देश पड़ोसी देश भी आंतरिक सुरक्षा पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। जैसे पाकिस्तान जब से बना है। हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरा ही रहा है। प्रत्यक्ष रूप से चार बार युद्ध हार चुका है, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। चीन भी भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और साथ ही चीनी मदत पाकर नेपाल की भूमिका भी पहले जैसी नहीं रही इसके अलावा बांग्लादेश के शरणार्थियों की समस्या, श्रीलंका मालदीप सभी पड़ोसी देश भारत के लिए नई-नई चुनोटिया खड़ी करते हैं।

तीसरा कारक गरीबी है, जो हमें विरासत में मिली है। ऐसा नहीं है, कि इसमें सुधार नहीं हुआ है लेकिन आज भी तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 26 प्रतिशत लोगों की मासिक आय 816 रु बताती है चौथा कारक है बेरोजगारी भारत में सबसे ज्यादा युवा रहते हैं और विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी यही पर है।

प्रशासनिक विफलता:- ऐसा नहीं है केवल विरासत में मिले कारणों से ही हमारी आंतरिक सुरक्षा कमजोर हुई है, बल्कि प्रशासन में बैठे नीति निर्माताओं और उन नीतियों को धरातल पर लागू न कर पाने वाले प्रशासन अधिकारियों की विफलताओं के कारण भी आंतरिक सुरक्षा कमजोर हुई हैं जिनमें मुख्यतः शामिल हैं:-



1. असमानता और असन्तुलित विकास ।
2. अमीर गरीब के बीच अंतर ।
3. सुशासन की कमी ।
4. लाल फीता शाही का दबाव ।

दलगत राजनीति- यदि हम ये कहे कि प्रशासन विफलता का मुख्य कारण दलगत राजनीति रही है तो गलत नहीं होगा वैसे तो दलगत राजनीति लोकतंत्र में अच्छी समझी जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो पाया बल्कि इसने भारतीय लोकतंत्र और आंतरिक सुरक्षा को कमजोर ही किया जिसको हम इस रूप में देख सकते हैं ।

1. साम्प्रदायिकता में वृद्धि ।
2. जातिवाद में बढ़ोतरी ।
3. क्षेत्रवाद पर राजनीति ।
4. भाषावाद की लड़ाई ।

शासकीय अक्षमता:- शासकीय अक्षमता भी आंतरिक सुरक्षा के लिये एक अभिशाप है, क्योंकि इसकी विफलता लोगों के अंदर विश्वास की कमी को बढ़ाता है, जिसके कारण लोगों का न्याय प्रणाली से मोहभंग होता है, जिसका मुख्य कारण है:-

1. धीमी न्याय प्रणाली
2. भ्रष्टाचार
3. पुलिस और नेताओं की सांठगांठ

आंतरिक सुरक्षा के लिये उत्पन्न चुनौतियाँ- भारत की भौगोलिक स्थिति, पड़ोसी देशों का व्यवहार, स्थलीय, वायु, और समुद्री सीमाओं का विस्तार तथा इतिहास से मिले सबक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न करते हैं, जिसमें शामिल है।

1. नक्सलवाद - नक्सलवाद की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के गाँव नक्सलवाड़ी से हुई थी जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया और आज ये पूरे देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. यह दो प्रकार का होता है एक माओवाद और दूसरा वामपंथी उग्रवाद ।
2. धार्मिक कटरता- भारत में हर साल धार्मिक दंगे होते हैं. जो बहुलतावादी संस्कृति को छीन भिन कर देते हैं। जिसका फायदा पड़ोस में बैठा दुश्मन आसानी से उठा सकता है।
3. आतंकवाद-किसी भी प्रकार का आतंकवाद चाहे वो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय हो देश में केवल भय का माहौल पैदा करता है।
4. विप्लवाद- जब किसी क्षेत्र के लोग अपने ही संविधान को मानने से मना कर दे तब अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है । जैसे पूर्वी राज्यों में मणिपुर नागालैंड पंजाब में खालिस्तानी ।
5. सीमा प्रबन्धन- सीमा प्रबन्धन भी आंतरिक सुरक्षा के लिये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो समय समय पर सामने आती रहती है।

संगठित अपराध- आर्थिक लाभों के लिए व्यक्तियों का संगठित दल जिसमें वो अपहरण, तस्करी, डकैती, अवैध वसूली आदि कार्यों में लगे रहते हैं।

6. आर्थिक अपराध- इसमें वाइट मनी/ब्लैक मनी में लगे लोग, मनी लॉडिंग, हवाला कारोबारी गैर-पारंपरिक अपराधों में शामिल लोग आंतरिक सुरक्षा को चुनोती है।

7. साइबर सुरक्षा- साइबर सुरक्षा भी भारत में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ी चुनोती है।

सुरक्षा बलों की भूमिका- आंतरिक सुरक्षा की जिमेवारी ग्रह मंत्रालय की होती है जिसमें सुरक्षा बलों की भूमिका विशेष होती है, इसके अलावा बहुत सी गुप्तचर एजेंसिया, जांच एजेंसियां और विधि द्वारा बनाये गए कानूनों की भूमिका का बड़ा महत्व है।

सुरक्षा बल - कुछ सुरक्षा बल सीमा प्रबन्धन का काम करते हैं, जिसमें मुख्यतः शामिल हैं-

1. सीमा सुरक्षा बल- BSF यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। इसको 1 दिसम्बर 1965 में खड़ा किया गया था। इसका काम शांति काल के दौरान देश के बार्डर की सुरक्षा करना और अंतरराष्ट्रीय अपराध को रोकना है। भारत सरकार BSF की जिमेवारी का क्षेत्र खतरों के अनुसार राज्यों में कम ज्यादा कर सकती है। जैसे अभी सरकार ने पंजाब और पश्चिम बंगाल में BSF का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया और मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, और नागालैंड का कम कर दिया। BSF की स्थापना 25 बटालियनों के साथ हुई थी लेकिन अब इसमें 188 बटालियन हैं और ये सभी 6385 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल श्री एस एस देसवाल आईपीएस हैं।

2. भारत तिबत सीमा पुलिस-ITBP का गठन चीनी आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 में हुआ था इसका कंट्रोल पहले IB के पास था। लेकिन बाद में 1975 में इसके काम में बदलाव करते हुए सीमा पार घुसपैठ को रोकने के लिये कर दिया इस बल का आदर्श वाक्य शौर्य-दृढ़ता-कर्मनिष्ठ है, ये जवान मान-सरोवर यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान भी करते हैं। इस बल की 4 विशेष बटालियन के साथ कुल 29 बटालियन हैं। ये बटालियन सीमा पर काराकोरम दर्रा से लिपलेख दर्रा और भारत नेपाल त्रिसंगम तक लगभग 2115 किलोमीटर में फैली भारतीय सीमा की सुरक्षा करता है। इसमें लगभग 90 हजार सैनिक हैं। और डायरेक्टर जनरल श्री संजय अरोरा आईपीएस हैं।

3. सशस्त्र सेना बल-SSB पर भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिमेवारी है जो लगभग 1751 किलोमीटर लम्बी है, इसका गठन 1963 में किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती लोगों में विश्वास और देश भक्ति की भावना पैदा करता है। SSB के डायरेक्टर जनरल श्री कुमार राजेश चंद्र आईपीएस हैं।

4. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल- CRPF भारत का सबसे बड़ा सशस्त्र बल है। इस बल की स्थापना 1939 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे पहले क्राउन रिप्रजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। इसके ऑफिसर ट्रेनिंग कोयम्बटूर, नांदेड़, नीमच, और माउंटआबू अकैडमी में होती है। RPF रेपिड एक्शन फ़ोर्स भी इसी का एक भाग है, जिसकी स्थापना 1992 में दंगों को काबू करने के लिये की गई थी। इस बल में लगभग 230 बटालियन हैं। इस बल को भारत के किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये भेजा जा सकता है। वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर जनरल श्री कुलदीप सिंह आईपीएस हैं।

5. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल-CISF इस सुरक्षा बल की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी इसका मुख्य कार्य सरकारी उपकरणों, मेट्रो, परमाणु संस्थान और VIP सुरक्षा करना है। इसके ऑफिसर ट्रेनिंग अकैडमी हमीपपेट हैदराबाद में है। इस समय लगभग 1.5 लाख कर्मचारी इस बल में कार्यरत हैं और इनके डायरेक्टर जनरल श्री शील वर्धन सिंह आईपीएस हैं।



6.राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड-NSG इसका मुख्य काम देश में आतंकवादियों के खिलाफ कारवाई करना है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इस बल के 2 ग्रुप हैं, एक SAG यानी स्पेशल ऐक्शन ग्रुप जिसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं और दूसरा ग्रुप SRG जिसमें स्टेट पुलिस के कर्मचारी होते हैं। इन्हें ब्लैक बेल्ट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ट्रेनिंग हरियाणा के मानेसर में होती है, इनका नेतृत्व IPS महानिदेशक करता है। इस बल में 14500 कर्मी हैं और इसके डायरेक्टर जनरल श्री एम ए गाणपत्य 1986 बैच के आईपीएस हैं।

7.असम राइफल्स- AR असम राइफल्स को पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है और प्यार से लोग इसे पूर्वोत्तर के प्रहरी नाम से पुकारते हैं। इस बल की 48 बटालियन हैं, जो पूर्वोत्तर भारत-म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा करता है। इसकी स्थापना 1835 में केशर लेवी के नाम से की गई थी। बाद में इसका नाम असम फ्रंटियर पुलिस,1891में असम मिलिट्री पुलिस और 1913 में ईस्टर्न बंगाल कर दिया, लेकिन फिर से 1917 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स रख दिया जो आज भी है, दूसरे विश्व युद्ध में असम राइफल्स ने बर्मा में मुख्य भूमिका निभाई थी। आज इस सुरक्षा बल में लगभग 66411 सैनिक सक्रिय हैं इस समय डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स(DGAR) जनरल प्रदीप चन्द्रन नायर हैं। इन सभी बलों के पास अपने स्वयं के अधिकारियों का कैडर है, लेकिन वे सभी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के नेतृत्व में काम करते हैं। और देश में आने वाली किसी भी कैसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं।

गुप्तचर एजेंसियां- सुरक्षा बलों के अलावा गुप्तचर एजेंसियां भी अपना काम करती हैं और आंतरिक खतरा होने से पहले ही उसे रोक देती हैं, जिनमें मुखयतः

- 1.रॉ (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग)
  - 2.आई बी (इंटेलिजेंस ब्यूरो)
  - 3.एन आई ए (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी)
  - 4.एन टी आर ओ (नेशनल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन)
  - 5.एन सी बी (नरोकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो)
- डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी  
एयर, नेवी, और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी आदि हैं।

जांच एजेंसियाँ

- 1.केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI
- 2.केन्द्रीय सतर्कता आयोग CVC
- 3.प्रवर्तन निदेशालय ED

निष्कर्ष- आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार भी प्रयासरत है। सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरण दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना, रक्षा नियोजन समिति बनाना ये सभी कार्य अपने-अपने स्तर पर चल रहे हैं। लेकिन इतना काफी नहीं है, आज भी पाकिस्तान समर्थित लोग भारत के अंदर पाकिस्तान झण्डों के साथ सुरक्षा बलों को चेलेंज करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा देश की राजधानी में दिया जाता है और बाद में ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर टी-वी पर लाइव डिबेट में आते हैं। सरकार इनके विरुद्ध कारवाही करने की बजाए मूकदर्शक और डिफेंसिव हो जाती है। भारत सरकार को ऐसी चुनौतियों का दृढ़ता पूर्वक सामना करना होगा और रोज-रोज

हो रहे नकली आंदोलनों, जिन्हें पाकिस्तान और चीन से कंट्रोल किया जाता है, इस पर सकती से कारवाही करनी होगी। देश में पनप रही आर्थिक समस्याओं को युद्ध स्तर पर दूर करना होगा। जो लोग मुख्य विचारधारा से दूर चले गए हैं, उन्हें वापिस मिलाने के लिए प्रेरित करना होगा और यदि जरूरत पड़ती है, तो उनके विरुद्ध सख्ती के साथ पेश आना होगा। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक नीतियां बनानी होगी जिस प्रकार यूरोप के देश प्रत्येक वर्ष परिस्थितियों के अनुसार अपने आंतरिक सुरक्षा सिद्धान्तों में बदलाव करते रहते हैं, हमें भी वैसा ही करना होगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हम आज तक न तो कश्मीर को लेकर और न ही उत्तर पूर्वी भारत को लेकर कोई दीर्घकालिक नीति है, बना पाये है। माओवादी विद्रोह से निपटने के लिये भी कोई रणनीति नहीं है। सर्वोच्च न्यालय के आदेश 2006 में पुलिस सुधार को लेकर आज तक पुलिस विधायक को अंतिम रूप नहीं दे पाए जिसके कारण देश के खिलाफ बोलने पर, देश को गाली देने पर पुलिस देश द्रोह की धारा लगाने में संकोच करती है और यदि लगा भी देती है तो व्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अदालत उसे छोड़ देती है, जिसके कारण आंतरिक सुरक्षा को खतरा और बढ़ जाता है इसलिये भारत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रसाशन सेवा के रूप में एक अलग से केंद्रीय सेवा बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है सरकार लगातार प्रयासरत है ताजा घटनाक्रम में एफ.सी.आर.य (foreign contribution Regulations Act) पर पाबन्दी लगाना इसका संकेत है। अब कोई भी NGO सरकार को बताए बिना विदेश से फंडिंग लेकर गैर कानूनी गतिविधियों पर आसानी से खर्च नहीं कर सकता इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्री का वो ट्वीट विश्वास पैदा करता है, जिसमें रक्षा मंत्री कहते हैं 'कि अब भारत ने अपना आंतरिक और बाह्य सुरक्षा चक्र इतना मजबूत कर लिया है, कि एक और 26/11 को हिंदुस्तान की धरती पर अंजाम देना अब लगभग नामुमकिन है' इस प्रकार यह कहा जा सकता है। अब भारत की आंतरिक सुरक्षा को भेद पाना इतना आसान नहीं हैं, फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से कुछ घटक हैं, जिन पर सरकार को और कार्य करने की जरूरत है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. नेशनल सिक्वोरटी(ज एम श्रीवास्तव, हर्ष कुमार) ए एस आर पब्लिकेशन, लखनऊ यूपी- 2018
2. रक्षा एवं स्ट्रेटजिक अध्ययन(अशोक कुमार) प्रकाश बुक डिपो, नई दिल्ली-2018
3. भारत की आंतरिक सुरक्षा की मुख्य चुनौतियाँ (अशोक कुमार आईपीएस) मकग्रो हिल एजुकेशन इंडिया, नोएडा यूपी-2019
4. भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं प्रबन्धन (अमन कुमार आईपीएस) प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली- 2018
5. इंटरनल सिक्वोरटी फॉर सिविल सर्विसेज (पवनीत) मकग्रो हिल एजुकेशन इंडिया, नोएडा यूपी- 2021
6. आंतरिक सुरक्षा(मोहन) 2019 EG प्रकासन E-Book
7. भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ और समाधान (विवेक ओझा) अक्षर पब्लिकेशन गुजरात- 2020
8. सुरक्षा अध्ययन (प्रो.डॉ.एल के मिश्र) आकृति प्रकासन दिल्ली- 2018
9. अखबार और पत्रिकाएं
10. एनालिसिस, IDSA, नई दिल्ली
11. वर्ल्ड फोकस जर्नलस नई दिल्ली
12. डिफेंस मोनिटर हिन्दी दिल्ली
13. सैनिक समाचार नई दिल्ली
14. प्रतियोगिता दर्पण आगरा

15. समसामयिक अवलोक
16. दैनिक ट्रिब्यून नई दिल्ली
17. टाइम्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली
18. इंटरनेट (E-Resource)

## आश्रम—व्यवस्था : श्रीमद्भागवत महापुराण के आलोक में

डॉ० उमा शर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर, नानक चन्द ऐंग्लो संस्कृत कॉलेज, मेरठ

### Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number: 30-37

### Publication Issue :

September-October-2021

### Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 30 Sep 2021

**शोध—सारांश—** आधुनिक जीवन—शैली में जो विसंगतियाँ हैं और उनके कारण जो असफलताएँ दृष्टिगत हो रही हैं, उनका कारण आर्ष सिद्धान्तों की अवहेलना ही है। अतः मानव—समाज में शान्ति स्थापित करने के लिए हमें आश्रम—व्यवस्थागत नियमों का पूर्णतया पालन करना चाहिए, इससे सामाजिक एवं वैयक्तिक उत्कर्ष होता है, ऐसा मेरा अभिमत है।

**मुख्य शब्द—** आश्रम, व्यवस्था, श्रीमद्भागवत, महापुराण, स्मृति, उपनिषद्, धर्म, समाज।

‘श्रीमद्भागवत’ ने श्रुतियों, स्मृतियों, उपनिषदों, दर्शनों तथा अन्य समग्र शास्त्रों का ज्ञान निहित है। इसमें विविध विद्याओं एवं गूढ दार्शनिक तत्त्वों का समावेश है। अतः शास्त्रज्ञ, पद—वाक्य—प्रमाणज्ञ तथा विद्यावदात् चित्त वाले लोग ही भागवत—तत्त्वार्थ—अवगम में समर्थ होते हैं, अन्य सामान्य प्रज्ञा वाले लोग नहीं। वस्तुतः भागवत में भगवतविविद् तथा विविध—विद्या—विशारद् विद्वानों की विद्वत्ता परीक्षित होती है। अतः समालोचकों की यह उक्ति— “विद्यावतां भागवते परीक्षा” सार्थकता को धारण करती है।

भारतवर्ष एक धर्मपरायण देश है। भारतीय ऋषियों एवं धर्म—विचारकों ने धर्म एवं धर्म—व्यवस्था के परिपालन के लिए विविध प्रकार के नियमों का निर्धारण किया है। भगवान्, ‘मनु’ के— “स्व—स्वं चरित्र शिक्वेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः।”<sup>1</sup> कथन से यही संकेत मिलता है, तथा धर्म की विविध परिभाषाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। इसके साथ ही पुरुषार्थ—चतुष्टय की प्राप्ति के लिए भी धर्म का पालन अनिवार्य बताया है। वे कहते हैं—

यः कश्चिद् कस्यचिद् धर्मो मनुना परिकीर्तितः।

स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः।।<sup>2</sup>

यहाँ उल्लेखनीय है कि ‘मनु’ ने धर्म—पालन के लिए वर्ण एवं आश्रम— व्यवस्था का निर्धारण किया है। वेदों में मनुष्य को शतायु मानकर आश्रमों की व्यवस्था की गई। वैदिक ऋषियों ने मनुष्य के लिए स्वस्थ रहकर सौ वर्ष जीने की कामना की है।<sup>3</sup> ‘मनु’ ने भी मनुष्य की आयु सौ वर्ष मानकर इसका चार भागों में विभाजन किया है। उनके अनुसार जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य है ततः गृहस्थाश्रम; इसके पश्चात् वानप्रस्थ एवं अन्त में सन्यास आश्रम का विवेचन किया गया है। जहाँ मनु तथा याज्ञवल्क्यादि ने इसकी

अनिवार्यता निश्चित की है, वहीं पुरुषार्थ—चतुष्टय की प्राप्ति के लिए भगवान वेद—व्यासकृत 'श्रीमद्भागवत' में भी नारदमुखेन आश्रम—व्यवस्था का सुविशद् वर्णन उपलब्ध होता है। श्रीमद्भागवत में युधिष्ठिर द्वारा नारद जी ने धर्म एवं आश्रम—व्यवस्था के सन्दर्भ में जिज्ञासा व्यक्त किये जाने पर<sup>4</sup> उनकी जिज्ञासा—पूर्ति हेतु आश्रम—धर्म एवं व्यवस्था का निम्न प्रकार वर्णन किया गया है—

ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन् दान्तो गुरोर्हितम्।

आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः।।<sup>5</sup>

अर्थात् गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए अनुशासन तथा गुरु के प्रति श्रद्धा की अनिवार्यता का प्रतिपादन किया गया है। यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि मौन रहकर गायत्री का अध्ययन करें तथा गुर्वाज्ञा से उनके निकट आकर विनीत भाव से उनके चरण—स्पर्श करके वेदाध्ययन करना चाहिए तथा अध्ययन सम्पन्न हो जाने पर भी गुरु के चरण—स्पर्श करने चाहिए।<sup>6</sup> ऐसा करने से ब्रह्मचारी के बौद्धिक बल में अभिवृद्धि होती है। जैसा कि गीता में कहा गया है— “श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्।”<sup>7</sup> 'मनुस्मृति' के अनुसार भी गुरु के समक्ष अनुशासित तथा उनके प्रति श्रद्धालु एवं अभिवादनशील रहना चाहिए।<sup>8</sup> इससे यह विदित होता है कि ऋषि ने अन्य शास्त्रों में उपदिष्ट 'स्वाध्यायान्मा प्रमदः' के उपदेश को याद रखा है। उनका यह भाव रहा है कि ब्रह्मचारी शास्त्राज्ञानुसार वेशभूषा धारण करें तथा गुर्वाज्ञा से ही भोजन करें। यदि गुर्वाज्ञा न हो तो उपवास रख ले।<sup>9</sup> यहाँ ब्रह्मचारी के लिए मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, कमण्डलु, यज्ञोपवीत तथा हाथ में कुशा धारण करने का निर्देश है।<sup>10</sup> 'मनु' ने भी यही निर्देश दिया है। ब्रह्मचारी अपने कर्तव्य के प्रति प्रमादी न हो, निष्ठापूर्वक स्वाध्याय करे, इसके लिए उन्हें अल्पाहारी होने का निर्देश दिया है तथा शीलरक्षार्थ स्त्रियों तथा स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों साथ ही स्त्री—विषयक चर्चाओं से भी दूर रहने तथा एकान्त में तो अपनी कन्या के साथ भी आवश्यकता से अधिक न रहने को विधान किया गया क्योंकि ग्राह संयमी—साधकों को भी अपना ग्रास बनाने का सामर्थ्य रखता है।<sup>11</sup> इसी भाव के साथ मनुस्मृतिकार ने भी ब्रह्मचारी के लिए माता, बहिन तथा पुत्री के साथ एकान्त में बैठना वर्जित माना है।<sup>12</sup>

सौन्दर्याभिवृद्धि के कारण आकर्षणोत्पादक प्रसाधन—सामग्री का प्रयोग तथा आभूषण एवं स्त्रियों को चित्रित करना ब्रह्मचारियों के लिए वर्जित माना गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋषि इस निर्देश के व्याज से ब्रह्मचारी को शक्ति तथा समय का अपव्यय न करके स्वाध्याय के प्रति सावधान करना चाहता है जिससे ब्रह्मचर्याश्रम के वेदाध्ययन तथा उनके अवगम—रूप लक्ष्य की पूर्ति सम्भव हो सके।<sup>13</sup> मनुस्मृतिकार ने भी प्रसाधन—सामग्री के प्रयोग को वर्जित माना है।<sup>14</sup>

उपर्युक्त कतिपय नियम वेद—व्यास जी ने ब्रह्मचारी गृहस्थ तथा सन्यासी तीनों के लिए समन्वित रूपेण सुनिश्चित किये हैं किन्तु गुरु के सान्निध्य में रहने की अनिवार्यता केवल ब्रह्मचारी के लिए है। श्रीमद्भागवतकार ने ब्रह्मचर्याश्रम के बाद किसी भी आश्रम में प्रविष्ट होने की स्वतन्त्रता प्रदान करते हुए यथासामर्थ्य गुरुदक्षिणा का प्रावधान किया है जबकि अन्य ग्रन्थों में भी यही कहा गया है— “रिक्तपाणिर्न सेवेत राजानं देवतां गुरुम्।”<sup>15</sup> इस प्रकार के नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति विशेष ज्ञान सम्पन्न होकर

परब्रह्म तत्त्व का अनुभव कर लेता है।<sup>16</sup> 'याज्ञवल्क्य स्मृति' के अनुसार भी शास्त्रोक्त विधि से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है।<sup>17</sup>

**गृहस्थाश्रम—** ब्रह्मचर्याश्रम के बाद यह धर्म—कर्मप्रधान आश्रम प्रारम्भ होता है, जिसका मूल गृहस्थ जीवन ही है। 'गृहस्थ' शब्द गृह + स्था + क (सुपि स्थः इति क) करके निष्पन्न होता है।<sup>18</sup> गृहस्थाश्रम की प्रधानता प्रतिपादित करते हुए कहा गया है— "गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः चत्वार आश्रमाः प्रोक्ताः सर्वे गार्हस्थ्यमूलकाः" (गृहस्थानम्—290)<sup>19</sup> मीमांसा शास्त्र का "अथातो धर्म जिज्ञासा" सूत्र भी गृहस्थ के कर्तव्य कर्मों की ही प्रेरणा देता है। 'ऋग्वेद' का— "गृभ्यामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः। भगो अर्यमा सविता पुरन्धर्मह्यं त्वादुर्गार्हपत्याय देवाः।" मन्त्र भी गृहस्थ धर्म की महत्ता प्रतिपादित करता है।<sup>20</sup> इस सन्दर्भ में 'मनु' का यह कथन भी चिन्तनीय है कि गृहस्थ धर्म का आधार पुत्र—प्राप्ति ही है। श्रीमद्भागवत में कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहृति चित्तगत विकारों के त्यागपूर्वक, विश्वास, पवित्रता, संयम, शुश्रूषा, मधुर भाषणादि गुणों के माध्यम से अपने पति को सन्तुष्ट करके पुत्र—प्राप्ति के लिए निवेदन करती है।<sup>21</sup> बौधायन धर्मसूत्रकार के मत में भी त्रिविध ऋण से मुक्ति का आधार पुत्र को ही माना है।<sup>22</sup> 'मनु' ने गृहस्थ के लिए पाँच प्रकार के यज्ञों का विधान किया है—

“अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्।

हौमो देवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्।।”<sup>23</sup>

अस्तु, चारों आश्रमों में 'गृहस्थ' ही सर्वोपरि है। 'भागवत' में युधिष्ठिर द्वारा गृहस्थ के लिए करणीय—कर्म—विषयक जिज्ञासा प्रकट किये जाने पर नारद जी का कथन इस प्रकार है— गृहस्थ अनासक्त भाव से अपने समस्त कृतकार्यों को भगवान् को समर्पित करके साधु सन्तों की सेवा करे।<sup>24</sup> अनासक्त भाव से शुद्ध—बुद्धिपूर्वक माता—पिता आदि गुरुजन की आज्ञा का अनुसरण करते हुए प्रारब्ध के अनुसार उपलब्ध धनादि का उपभोग करे। ऋषि मनुष्यों का अधिकार केवल बुभुक्षा शान्त्यर्थ धनों पर ही माना है।<sup>25</sup> साथ ही यह निर्दिष्ट किया है कि अतिथि को देवमय मानकर स्वयं उसकी सेवा में रत रहे तथा पत्नी को भी निर्दोष सेवा में लगाये तथा पञ्चयज्ञविशिष्ट अन्न से ही अपना जीवन—निर्वाह करे। इस प्रकार किसी वस्तु में स्वत्व न रखता हुआ गृहस्थ सन्तों का पद प्राप्त करता है।<sup>26</sup> ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा—भाव व्यक्त करते हुए वेद—व्यास जी ने नारदमुखेन कहलवाया है कि यद्यपि यज्ञों के भोक्ता भगवान् स्वयं ही हैं, पुनरपि ब्राह्मण—मुख में अर्पित किये गये हविष्यान्न से उनकी जैसी तृप्ति होती है वैसी अग्नि के मुख में अर्पित करने से नहीं,<sup>27</sup> अतः गृहस्थ के लिए ब्राह्मण पूज्य है। पुण्य कर्म—विधान के लिए ऋषि ने गंगा पुष्करादि सरोवर सिद्ध पुरुषों द्वारा सेवित कुरुक्षेत्र प्रदेश, समस्त कुलपर्वत तथा भगवान् के अर्चावतार—स्थल आदि का उल्लेख किया है। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किये जाते हैं उनका हजारगुना फल मिलता है।<sup>28</sup> अग्रपूजा के पात्र निर्णय के प्रसंग में भगवान् कृष्ण को ही चराचर जगत् का स्वरूप बताते हुए कृष्ण—पूजा में ही समन्वितरूपेण सभी पूजा स्वीकार की गई है। भगवान् के पर्याय के रूप में सांख्यगत पुरुष का भी स्मरण किया गया है क्योंकि उसके मत में मनुष्य श्रेष्ठ पात्र है और मनुष्यों से भी तप—योगादि करने वाला गृहस्थ—ब्राह्मण श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान् कृष्ण के भी इष्टदेव ब्राह्मण हैं जिनकी चरणधूलि से तीनों, लोक पवित्र होते हैं।<sup>29</sup> देवकार्य और पितृकार्य को गृहस्थ के मोक्ष—साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। श्राद्ध अथवा देवपूजा के साथ—साथ कर्तव्य—कर्म को भी यज्ञ—रूप में माना है तथा यह भी माना है कि जो सद्धर्म—पालन की

अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। किसी भी प्राणी को मन, वाणी और कर्म से कष्ट न दिया जाये।<sup>30</sup> ऋषि ने अधर्म की पाँच शाखाओं (विमर्ध, परधर्म, आभास, उपमा और छल) का त्याग करना अपेक्षित बताया है।<sup>31</sup> ऋषि ने धन-प्राप्ति के प्रति निःस्पृहता की अपेक्षा बताते हुए रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के वशीभूत होना श्वानवृत्ति मानी है। गुरुभक्ति को दोषों पर विजय-प्राप्ति का साधन बताया है।<sup>32</sup> भगवान् ही साक्षात् गुरु-रूप हैं। मन को आकृष्ट सत्त्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान वृत्तियों से बचने के उपाय के रूप में गुरु-सेवा को महत्त्व दिया गया है। प्रवृत्तिपरक तथा निवृत्तिपरक दो प्रकार वैदिक कर्मों का विश्लेषण करते हुए निवृत्तिपरक कर्मों को भक्तिमार्ग या परमात्मा की प्राप्ति का साधक बताया है। ऋषि ने पितृयान तथा देवयान दोनों मार्गों को भी वेदोक्त मार्ग माना है।<sup>33</sup> इसी सन्दर्भ में यह भी कहा गया है कि विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के विविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं, जो निम्न हैं- भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत।<sup>34</sup>

उपर्युक्त अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि गृहस्थ-धर्म ही सभी धर्मों से महनीय धर्म है और इसकी महनीयता तत्, तत् नियमों के परिपालन में ही निहित है। वस्तुतः यदि भगवान् में निर्दिष्ट आश्रम-व्यवस्था को अपने जीवन में चरितार्थ कर लें तो गृहस्थ होते हुए भी हम सम्बन्ध रूप में रह सकेंगे और मानव के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकेंगे।

**वानप्रस्थाश्रम-** श्रीमद्भागवत् में वेद-व्यास जी ने नारद जी से वानप्रस्थ आश्रम की महत्ता का वर्णन इस प्रकार कराया है-

**वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान्मुनिसम्मतान्।**

**यानातिष्ठन् मुनिर्गच्छेदृषिलोकमिहाञ्जसा।।<sup>35</sup>**

सर्वप्रथम ऋषि ने अभक्ष्य पदार्थों के भक्षण तथा अपेय पदार्थों के सेवन को निषिद्ध किया है। वानप्रस्थी को केवल सूर्य के आतप से पक्व कन्द-मूल-फलादि का ही सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कृष्ट भूमि में उत्पन्न गेहूँ चावल तथा अकृष्ट भूमि में भी असमय में उगे हुए अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए।<sup>36</sup> अरण्यों में स्वयं प्रभूत धान्यों से नित्य-नैमित्तिक चरु और पुरोडाश का हवन करें। नये अन्न, फल-फूल उपलब्ध हो जाने पर सञ्चित अन्न इत्यादि का त्याग कर दें। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए घर, पर्णकुटी अथवा पर्वतीय गुफा का आश्रय ग्रहण करें, स्वयं शीत-ताप-वर्षादि को सहन करें।<sup>37</sup> वानप्रस्थों को प्रवृद्ध नख, केश, श्मश्रु इत्यादि का कर्तन नहीं करना चाहिए तथा शरीर को मलरहित भी नहीं करना चाहिए। वेदों में वानप्रस्थ के लिए यति एवं मुनि शब्द का प्रयोग किया गया है। 'ऋग्वेद' में प्राणायाम के अभ्यासी को मुनि कहा है।<sup>38</sup> ऋषि का निर्देश है कि वानप्रस्थावस्था मनुष्य यथासामर्थ्य बारह, आठ, चार, दो या एक वर्ष तक तप करें, ऐसा न हो कि तपाधिक्य से बुद्धि विकृत हो जाये।<sup>39</sup> यदि वानप्रस्थी रोगाक्रान्त होने अथवा अथवा वार्धक्य के कारण कर्म-सम्पादन में तथा वेदान्त-विचार करने में स्वयं को असमर्थ समझे तो अनशनादि व्रत करें तथा एतदपूर्व अपनी आह्वनीय आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर लें। अहं का भाव त्यागकर भौतिक शरीर को उसके कारणभूत तत्त्वों में यथायोग्य भलीभाँति लीन कर लें।<sup>40</sup>

उपर्युक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि ऋषि वेद-व्यास को सविधि साधना ही अभीष्ट है। योगसाधना के द्वारा समस्त कार्य स्व-स्वहेतुओं में लीन होते हुए भी अव्यक्त तत्त्व भी परमात्मा में लीन हो जाता है। इस



प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो चिद्वस्तु है, वह आत्मा है, वह मैं हूँ—यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाये। जैसे अपने आश्रय काष्ठादि के भस्म हो जाने पर अग्नि शान्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही साधक भी शान्त हो जाये—

**इत्यक्षरतयाऽऽत्मानं चिन्मात्रमवशेषितम्।**

**ज्ञात्वाद्द्वयोऽथ विरमेद् दग्धयोनिरिवानलः।।<sup>41</sup>**

**संन्यासाश्रम—** नारद जी के मुख से श्री वेद—व्यास जी ने कहलवाया है कि यदि वानप्रस्थी में ब्रह्मविचार का सामर्थ्य हो तो 'संन्यास' आश्रम ग्रहण करें तथा अत्यन्तावश्यक (कौपीनादि) वस्त्रों के अतिश्रिक्त सर्वस्व त्यागकर एक से दूसरे स्थान पर विचरण करें तथा एक गाँव में एक रात्रि से अधिक निवास न करें।<sup>42</sup> व्यक्त सामग्री में से कुछ भी ग्रहण न करें। सर्वजन हिताय चिन्तन करे तथा किसी के आश्रित न रहता हुआ भगवत् भजन करे।<sup>43</sup> सम्पूर्ण जगत् को परमात्मा में अध्यस्त और कार्य—कारण—स्वरूप इस जगत् में ब्रह्मस्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखें।<sup>44</sup> ऋषि ने मोक्ष को भी मायाजन्य बन्धन माना है—

**“पश्यन् बन्धं च मोक्षं च मायामात्रं न वस्तुतः।।”<sup>45</sup>**

अतः संन्यासी को मृत्यु और जीवन—विषयक चिन्तन से विमुक्त रहकर समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश के हेतुभूत काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए।<sup>46</sup> असत् का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र के अध्ययन, वाद—विवाद—विषयक तर्क, किसी का भी पक्ष ग्रहण करना, शिष्यों का सम्मर्द इकट्ठा करना, अधिक ग्रन्थों का अभ्यास, व्याख्यान देना, बड़े कार्यों का प्रारम्भ इन सबसे विमुक्त रहना चाहिए, क्योंकि इसमें समय और शक्ति का अपव्यय होता है। संन्यासी अपने व्यक्तित्व में कोई वैशिष्ट्य न दर्शाये। सबको सामान्य दिखाई दे।<sup>47</sup> आत्मविश्लेषण का निर्देश देते हुए उन्होंने नारदमुखेन भक्त प्रह्लाद तथा मुनि दत्तात्रेय का दृष्टान्त दिया है। दत्तात्रेय मुनि अत्यन्त सामान्य तथा हृष्ट, पुष्ट दिखाई देते थे। पूछे जाने पर उन्होंने आत्म—सन्तोष तथा तृष्णारहित होना इसका कारण बताया है, साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि कर्मवश अनेक योनियों में भटकते हुए दैववश मनुष्य—योनि मिलती है, जिसमें कर्म करने का अवसर मिलता है, जिन कर्मों के अनुसार स्वर्ग, अपवर्ग, तिर्यग्योनि अथवा पुनः मानव—योनि प्राप्त हो सकती है।<sup>48</sup> परन्तु दृष्टिगत यह हो रहा है कि स्त्री—पुरुषों द्वारा दुःख—निवृत्ति एवं सुख—प्राप्ति के लिए कर्म किए जाने पर भी उन्हें दुःख की प्राप्ति होती है, अतः मैं कर्मों से विमुक्त हो गया हूँ। इसके साथ ही मुनि दत्तात्रेय ने सुख को ही आत्मा का स्वरूप तथा समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति को उसका शरीर तथा प्रकाशित होने का स्थान एवं समस्त भोगों का अस्तित्व मन की प्रसन्नता मात्र बताया।<sup>49</sup> परन्तु मनुष्य सुख का अन्वेषण आत्मा में न करके विषयों में करता है ठीक उसी प्रकार जैसे जल के सेवार से ढक जाने पर व्यक्ति जल की खोज में अन्यत्र दौड़ता है। ऋषि कहते हैं कि त्रिविध दुःख की ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए भौतिक—साधन जुटाने में शक्ति का अपव्यय करने से लक्ष्य पूरा नहीं होता बल्कि उन अर्जित भौतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु मानसिक तनाव बढ़ा रहने के कारण दुःख बढ़ता ही है। अतः सुख—स्वरूप आत्मा का अन्वेषण ही अपेक्षित है।<sup>50</sup> इस प्रकार ऋषि ने दत्तात्रेय के कथानक के माध्यम से अपने चिन्तन को इस रूप में अभिव्यक्त किया है कि सत्य के अनुसन्धाता को चाहिए कि भेद—विभेद युक्त नाना पदार्थों को इनके विषय में भ्रम उत्पन्न करने वाले मन में



मन को, सात्त्विक अहंकार में अहंकार को महत् तत्त्व के द्वारा माया में हवन कर दें, क्योंकि माया ही इन सबका कारण है। अन्त में माया को आत्मानुभूति में स्वाहा कर दे।<sup>51</sup>

निष्कर्षतः वर्तमान में जो विषमताएँ हैं, आधुनिक जीवन-शैली में जो विसंगतियाँ हैं और उनके कारण जो असफलताएँ दृष्टिगत हो रही हैं, उनका कारण आर्ष सिद्धान्तों की अवहेलना ही है। अतः मानव-समाज में शान्ति स्थापित करने के लिए हमें आश्रम-व्यवस्थागत नियमों का पूर्णतया पालन करना चाहिए, इससे सामाजिक एवं वैयक्तिक उत्कर्ष होता है, ऐसा मेरा अभिमत है।

### सन्दर्भ—

1. मनुस्मृति 2/20
2. मनुस्मृति 2/7
3. पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्-यजुर्वेद, 36/14
4. भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मसनातनम्।  
वर्णाश्रमाचारयुतं यत् पुमान् विन्दते परम्॥ श्रीमद्भागवत 7/11/2
5. श्रीमद्भागवत 7/12/1
6. छन्दांस्यधीयीत गुरोराहूतश्चेत् सुयन्त्रितः।  
उपक्रमेऽवसाने च चरणौ शिरसा नमेत्॥ श्रीमद्भागवत 7/12/3
7. श्रीमद्भगवद्गीता 4/39
8. ब्रह्मारम्भेऽवसाने च पादौ ग्राह्यौ गुरोः सदा।  
संहृत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः॥ मनुस्मृति 2/71
9. सायं प्रातश्चरेद् भैक्षं गुरवे तन्निवेदयेत्।  
भुञ्जीत यद्यनुज्ञातो नो चेदुपवसेत् क्वचिद्॥ श्रीमद्भागवत 7/12/5
10. वही 7/12/4
11. सुशीलो मितभुग् दक्षः श्रद्धधानो जितेन्द्रियः।  
यावदर्थं व्यवहरेत् स्त्रीषु स्त्रीनिर्जितेषु च॥  
वर्जयेत् प्रमदागाथाम्गृहस्थो बृहद्व्रतः।  
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेर्मनः॥ श्रीमद्भागवत 7/12/6-9
12. मनु 2/215
13. उषित्वैव गुरुकुले द्विजोऽधीत्यावबुध्य च।  
त्रयीं साङ्गोपनिषदं यावदर्थं यथाबलम्॥ श्रीमद्भागवत 7/12/13
14. मनुस्मृति 2/178
15. विक्रमचरित 115

16. श्रीमद्भागवत 7 / 12 / 16
17. अनेन विधिना देहं साधयन्विजितेन्द्रियः ।  
ब्रह्मलोकमवाप्नोति न चेह जायते पुनः ॥ याज्ञवल्क्यस्मृति 2 / 49, 50
18. हलायुध कोश, पृष्ठ 280
19. वही
20. ऋग्वेद 10 / 85 / 36
21. यस्तेऽभ्यधायि समयः सकृदङ्गसङ्गो ।  
भूयाद् गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम् ॥ श्रीमद्भागवत 3 / 23 / 10
22. बौधायन धर्मसूत्र 2 / 9 / 7
23. मनुस्मृति 3 / 70
24. गृहेष्ववस्थितो राजन्क्रियाः कुर्वन् गृहोचिताः ।  
वासुदेवार्पणं साक्षादुपासीत महामुनीन् ॥ श्रीमद्भागवत 7 / 14 / 2
25. यावद् भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् ।  
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ वही 7 / 14 / 8
26. सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्थैः कल्पयेद् वृत्तिमात्मनः ।  
शेषे स्वत्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं महतामियात् ॥ वही 7 / 14 / 14
27. नहि अग्निमुखोऽयं वै भगवान्सर्वयज्ञभुक् ।  
इज्येत हविषा राजन्यथा विप्रमुखे हुतैः ॥ वही 7 / 14 / 17
28. वही 7 / 14 / 33
29. पुरुषेष्वपि ..... पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं दैवतं महत् ॥ वही 7 / 14 / 41-42
30. नैतादृशः परो \_\_\_\_\_ मनोवाक्कायजस्य यः ॥ वही 7 / 15 / 8
31. वही 7 / 15 / 12.13
32. कृपया \_\_\_\_\_ गुरौ भक्त्या पुरुषो हाञ्जसा जयेत् ॥ वही 7 / 15 / 24.25
33. य एते पितृदेवानामयने वेदनिर्मिते । वही 7 / 15 / 56
34. भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं तथात्मनः । वही 7 / 15 / 62
35. वही 7 / 12 / 17
36. वही 7 / 12 / 18
37. वही 7 / 12 / 19.20
38. मुनयो वातरशनाः पिशङ्गा वसते मला । ऋ० 10 / 136 / 2
39. चरेद् वने द्वादशाब्दानष्टौ वा चतुरो मुनिः ।

द्वावेकं वा यथाबुद्धिर्न विपद्यते कृच्छृतः ॥ वही 7 / 12 / 22

40. यदाकल्पः स्वक्रियायां \_\_\_\_\_ क्षितौ शेषं यथोद्भवम् ॥ वही 7 / 12 / 23-27
41. वही 7 / 12 / 31
42. कल्पस्त्वेवं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः ।  
ग्रामैकरात्रविधिनां निरपेक्षश्चरेन्महीम् ॥ वही 7 / 13 / 1
43. एक एव चरेद् भिक्षुरात्मारामोऽनपाश्रयः ।  
सर्वभूतसुहृच्छान्तो नारायणपरायणः ॥ वही 7 / 13 / 3
44. वही 7 / 13 / 4
45. वही 7 / 13 / 5
46. वही 7 / 13 / 6
47. वही 7 / 13 / 7-9
48. यदृच्छया लोकमिमं प्रापितः कर्मभिर्भ्रमन् ।  
स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं तिरश्चां पुनरस्य च ॥ वही 7 / 13 / 24
49. सुखमस्यात्मनो रूपं सर्वेहोपरतिस्तनुः ।  
मनः सस्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगान् स्वप्स्यामि संविशन् ॥ वही 7 / 13 / 26
50. वही 7 / 13 / 30-32
51. वही 7 / 13 / 33

## प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं के आकांक्षा स्तर का उनके कार्य संतुष्टि एवं समायोजन के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन

डॉ० मयानन्द उपाध्याय

शोध निर्देशक,

विभागाध्यक्ष शिक्षाशास्त्र, राजा श्रीकृष्ण दत्त स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

रीमा

शोधकर्त्री,

एम.ए. शिक्षाशास्त्र, एम.एड., नेट।

### Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number: 38-44

Publication Issue :

September-October-2021

### Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 30 Sep 2021

**सारांश-** प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं के आकांक्षा स्तर का उनके कार्य संतुष्टि एवं समायोजन के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना है। अध्ययन के उद्देश्य के रूप में प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं के आकांक्षा स्तर का उनके कार्य संतुष्टि एवं समायोजन के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना है। प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सहसम्बन्धात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययनकर्त्री द्वारा वाराणसी मण्डल के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षक-शिक्षिकाओं को जनसंख्या माना गया है। अध्ययनकर्त्री द्वारा वाराणसी मण्डल के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित प्राथमिक स्तर के विद्यालयों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा कर उक्त विद्यालयों में अध्यापनरत् 300 शिक्षक-शिक्षिकाओं का उद्देश्यपरक विधि से चयनित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में आकांक्षा स्तर से तात्पर्य डॉ० (श्रीमती) नसरीन एवं डॉ० (श्रीमती) अफसाना अनीस द्वारा निर्मित 'टीचर आकूपेशनल एस्पिरेशन क्वेश्चनार', डॉ० प्रमोद कुमार और डी०एन० मुथा द्वारा निर्मित 'कार्य संतुष्टि मापनी' तथा समायोजन को मापने के लिए डॉ० एस०के० मंगल द्वारा निर्मित शिक्षक समायोजन प्रश्नावली "टीचर एडजेस्टमेण्ट इन्वेन्ट्री" का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण हेतु पिरियसन गुणनफल-आघूर्ण सहसम्बन्ध गुणांक का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि-

1. प्राथमिक स्तर के शिक्षक- शिक्षिकाओं के आकांक्षा स्तर का उनके कार्य संतुष्टि की विमा शिक्षण पेशे के प्रति दृष्टिकोण, कक्षा शिक्षण, शिक्षण विधि, शिक्षण के अलावा कर्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ तथा सम्पूर्ण कार्य संतुष्टि से सम्बन्धित नहीं है अर्थात् इनमें कोई सहसम्बन्ध नहीं है।

2. प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर का उनके समायोजन की विमा प्रशासनिक और विद्यालय के सामान्य वातावरण के साथ समायोजन, व्यावसायिक सम्बन्धों पर आधारित समायोजन, व्यक्तिगत जीवन के साथ समायोजन, आर्थिक समायोजन और कृत्य संतोष तथा सम्पूर्ण समायोजन के साथ धनात्मक सहसम्बन्ध है जबकि समाज-मनो-शारीरिक समायोजन का शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर के मध्य कोई सहसम्बन्ध नहीं है।

**की-वर्ड-** प्राथमिक स्तर, शिक्षक-शिक्षिकाएँ, आकांक्षा स्तर, कार्य संतुष्टि, समायोजन, सहसम्बन्ध।

**प्रस्तावना**— वास्तव में अध्यापक ही किसी राष्ट्र के भाग्य के निर्णायक होते हैं। वे राष्ट्र के वास्तविक शिल्पकार होते हैं। किसी राष्ट्र की महानता उसकी ऊँची-ऊँची इमारत, विशाल परियोजनाओं तथा विशाल सेनाओं पर निर्भर नहीं करती है बल्कि किसी राष्ट्र की महानता का स्वतः परीक्षण उसके नागरिकों की गुणवत्ता से होती है। यदि एक राष्ट्र अपने नवयुवकों को चरित्रवान बनाकर और उनके अन्दर राष्ट्रप्रेम उत्पन्न कर सके तो वह सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति करने में सफल हो जायेगा। शिक्षण व्यवसाय को नवयुवकों के संरक्षण में सौंप दिया जाय और यदि ऐसा करना है तो उसके लिए शिक्षकों का यह परम व पवित्र कर्तव्य है कि छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए उन्हें अच्छी प्रकार की शिक्षा प्रदान करें। इस प्रकार अध्यापक अपनी देखभाल में सौंपे गये बालकों पर ध्यान देकर, भारत के भविष्य का निर्माण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

शिक्षा किसी देश की सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक उन्नयन तथा सांस्कृतिक उन्नति व स्थानान्तरण में परिवर्तन लाने का एक अति प्रभावशाली उपकरण है। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से शिक्षा का विकास एवं विस्तार अद्भुत रहा है और यह देश के भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। शिक्षा का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब शिक्षण व्यवसाय में जाने वाले लोग सुयोग्य, प्रतियोगी, प्रशिक्षित तथा शिक्षण व्यवसाय में अत्यधिक रुचि लेने वाले हों। दुर्भाग्यवश इस तेजी से बदलते विश्व में इस तरह के शिक्षकों का मिलना बहुत कठिन है। नये वैज्ञानिक युग की चुनौतियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं के लिए अप-टू-डेट शिक्षकों की आवश्यकता होती है।

वर्तमान पाठ्य-पुस्तकों का जो निर्माण हो रहा है उसमें विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं मूल्यों से सम्बन्धित तथा वैज्ञानिक एवं संचार प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित है। अतः प्रशिक्षित शिक्षकों का शिक्षण कौशल अधिक कारगर साबित होता है। जहाँ अप्रशिक्षित शिक्षक इन पाठ्य-पुस्तकों को समझने में असमर्थ है वहीं उनके आकांक्षा स्तर, समायोजन एवं कार्य-संतुष्टि में अभाव देखने को मिल रहा है।

आकांक्षा स्तर, समायोजन एवं कार्य संतुष्टि एक-दूसरे के पूरक है। जिन शिक्षकों में उच्च आकांक्षा स्तर होता है उनमें समायोजन एवं कार्य संतुष्टि की कमी देखा जाता है। शिक्षकों में आकांक्षा स्तर, कार्य संतुष्टि एवं समायोजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जहाँ शिक्षक संतुष्ट रहेगा उसकी शिक्षणशीलता अधिक प्रभावी होगी। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में असंतुष्टि का प्रभाव देखने को मिलता है जहाँ उन्हें अन्तार्जनपदीय सेवारत शिक्षकों में असंतुष्टि एवं समायोजन में दिक्कत आ रही है, वहीं उचित विद्यालयों में नियुक्त न मिलना, सड़क के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय स्थित होना, ग्रामीण क्षेत्र में जातिवाद की भावना, बच्चों का स्कूल न आना, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का शिक्षक के प्रति अच्छा व्यवहार न होना, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति एवं शिक्षिकाओं का विद्यालय आने-जाने में होने वाली दिक्कत, उनके कार्य संतुष्टि के साथ-साथ उनके समायोजन को प्रभावित करती है।

वर्तमान में शिक्षकों की शिक्षा के प्रति सपर्मण भाव का कम होना स्वाभाविक है। अतः अध्ययनकर्त्री ने अपने अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया है कि क्या प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के आकांक्षा स्तर, कार्य संतुष्टि एवं समायोजन में सम्बन्ध है कि नहीं?

**अध्ययन का उद्देश्य**— प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्माण किया गया है—

- प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं के आकांक्षा स्तर का उनके कार्य संतुष्टि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।

- प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं के आकांक्षा स्तर का उनके समायोजन के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।

**अध्ययन की परिकल्पना-** उपर्युक्त उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है-

- प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं के आकांक्षा स्तर का उनके कार्य संतुष्टि के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।
- प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं के आकांक्षा स्तर का उनके समायोजन के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

**शोध-विधि-** प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सहसम्बन्धात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

**जनसंख्या-** अध्ययनकर्त्री द्वारा वाराणसी मण्डल के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षक-शिक्षिकाओं को जनसंख्या माना गया है।

**न्यादर्श-** अध्ययनकर्त्री द्वारा वाराणसी मण्डल के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित प्राथमिक स्तर के विद्यालयों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा कर उक्त विद्यालयों में अध्यापनरत् 300 शिक्षक-शिक्षिकाओं का उद्देश्यपरक विधि से चयनित किया गया है।

**प्रयुक्त उपकरण-** प्रस्तुत अध्ययन में आकांक्षा स्तर से तात्पर्य डॉ० (श्रीमती) नसरीन एवं डॉ० (श्रीमती) अफसाना अनीस द्वारा निर्मित 'टीचर आकूपेशनल एस्पीरेशन क्वेश्चनार', डॉ० प्रमोद कुमार और डी०एन० मुथा द्वारा निर्मित 'कार्य संतुष्टि मापनी' तथा समायोजन को मापने के लिए डॉ० एस०के० मंगल द्वारा निर्मित शिक्षक समायोजन प्रश्नावली "टीचर एडजेस्टमेण्ट इन्वेन्ट्री" का प्रयोग किया गया है।

**प्रयुक्त सांख्यिकी विधि-** प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण हेतु पिरियसन गुणनफल-आघूर्ण सहसम्बन्ध गुणांक का प्रयोग किया गया है।

**आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या-**

**उद्देश्य-1** प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं के आकांक्षा स्तर का उनके कार्य संतुष्टि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन

क्र०सं०	आकांक्षा स्तर एवं कार्य संतुष्टि	सहसम्बन्ध गुणांक r (N=300)
1	आकांक्षा स्तर एवं शिक्षण पेशे के प्रति दृष्टिकोण	0.025
2	आकांक्षा स्तर एवं कक्षा शिक्षण	-0.109
3	आकांक्षा स्तर एवं शिक्षण विधि	-0.078
4	आकांक्षा स्तर एवं शिक्षण के अलावा कर्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ	0.022
5.	आकांक्षा स्तर एवं कार्य संतुष्टि	-0.066

.05 स्तर पर असार्थक

प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर का उनके कार्य संतुष्टि की विमा शिक्षण पेशे के प्रति दृष्टिकोण के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का मान 0.025 है जो .05 स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः

प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा का उनके कार्य संतुष्टि की विमा शिक्षण पेशे के प्रति दृष्टिकोण के साथ सम्बन्धित नहीं है। अतः शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर में वृद्धि एवं कमी उनके शिक्षण पेशे के प्रति दृष्टिकोण में वृद्धि एवं कमी के साथ सम्बन्धित नहीं है।

प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर का उनके कार्य संतुष्टि की विमा कक्षा शिक्षण के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का मान  $-0.109$  है जो  $.05$  स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा का उनके कार्य संतुष्टि की विमा कक्षा शिक्षण के साथ सम्बन्धित नहीं है। अतः शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर में वृद्धि एवं कमी उनके कक्षा शिक्षण में वृद्धि एवं कमी के साथ सम्बन्धित नहीं है।

प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर का उनके कार्य संतुष्टि की विमा शिक्षण विधि के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का मान  $-0.078$  है जो  $.05$  स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा का उनके कार्य संतुष्टि की विमा शिक्षण विधि के साथ सम्बन्धित नहीं है। अतः शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर में वृद्धि एवं कमी उनके शिक्षण विधि में वृद्धि एवं कमी के साथ सम्बन्धित नहीं है।

प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर का उनके कार्य संतुष्टि की विमा शिक्षण के अलावा कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का मान  $0.022$  है जो  $.05$  स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा का उनके कार्य संतुष्टि की विमा शिक्षण के अलावा कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों के साथ सम्बन्धित नहीं है। अतः शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर में वृद्धि एवं कमी उनके शिक्षण के अलावा कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों में वृद्धि एवं कमी के साथ सम्बन्धित नहीं है।

प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर का उनके कार्य संतुष्टि के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का मान  $-0.066$  है जो  $.05$  स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा का उनके कार्य संतुष्टि के साथ सम्बन्धित नहीं है। अतः शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर में वृद्धि एवं कमी उनके कार्य संतुष्टि में वृद्धि एवं कमी के साथ सम्बन्धित नहीं है।

## उद्देश्य-2 प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं के आकांक्षा स्तर का उनके समायोजन के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन

क्र० सं०	आकांक्षा स्तर एवं समायोजन	सहसम्बन्ध गुणांक $r$ (N=300)
1	आकांक्षा स्तर एवं प्रशासनिक और विद्यालय के सामान्य वातावरण के साथ समायोजन	1.000*
2	आकांक्षा स्तर एवं समाज-मनो-शारीरिक समायोजन	-0.003
3	आकांक्षा स्तर एवं व्यावसायिक सम्बन्धों पर आधारित समायोजन	0.164*
4	आकांक्षा स्तर एवं व्यक्तिगत जीवन के साथ समायोजन	0.164*
5.	आकांक्षा स्तर एवं आर्थिक समायोजन और कृत्य-संतोष	0.170*

6.	आकांक्षा स्तर एवं सम्पूर्ण समायोजन	1.000*
----	------------------------------------	--------

\*.05 स्तर पर सार्थक

प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर का उनके समायोजन की विमा प्रशासनिक और विद्यालय के सामान्य वातावरण के साथ समायोजन के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का मान 1.000 है जो .05 स्तर पर सार्थक है। अतः प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा का उनके समायोजन की विमा प्रशासनिक और विद्यालय के सामान्य वातावरण के साथ समायोजन के साथ सम्बन्धित है। अतः शिक्षक- शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर में वृद्धि एवं कमी उनके समायोजन की विमा प्रशासनिक और विद्यालय के सामान्य वातावरण के साथ समायोजन में वृद्धि एवं कमी के साथ सम्बन्धित है।

प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर का उनके समायोजन की विमा समाज-मनो-शारीरिक समायोजन के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का मान -0.003 है जो .05 स्तर पर असार्थक है। अतः प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा का उनके समायोजन की विमा समाज-मनो-शारीरिक समायोजन के साथ सम्बन्धित नहीं है। अतः शिक्षक- शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर में वृद्धि एवं कमी उनके समायोजन की विमा समाज-मनो-शारीरिक समायोजन में वृद्धि एवं कमी के साथ सम्बन्धित नहीं है।

प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर का उनके समायोजन की विमा व्यावसायिक सम्बन्धों पर आधारित समायोजन के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का मान 0.164 है जो .05 स्तर पर सार्थक है। अतः प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा का उनके समायोजन की विमा व्यावसायिक सम्बन्धों पर आधारित समायोजन के साथ सम्बन्धित है। अतः शिक्षक- शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर में वृद्धि एवं कमी उनके समायोजन की विमा व्यावसायिक सम्बन्धों पर आधारित समायोजन में वृद्धि एवं कमी के साथ सम्बन्धित है।

प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर का उनके समायोजन की विमा व्यक्तिगत जीवन के साथ समायोजन के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का मान 0.164 है जो .05 स्तर पर सार्थक है। अतः प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा का उनके समायोजन की विमा व्यक्तिगत जीवन के साथ समायोजन के साथ सम्बन्धित है। अतः शिक्षक- शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर में वृद्धि एवं कमी उनके समायोजन की विमा व्यक्तिगत जीवन के साथ समायोजन में वृद्धि एवं कमी के साथ सम्बन्धित है।

प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर का उनके समायोजन की विमा आर्थिक समायोजन एवं कृत्य-संतोष के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का मान 0.170 है जो .05 स्तर पर सार्थक है। अतः प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा का उनके समायोजन की विमा आर्थिक समायोजन एवं कृत्य-संतोष के साथ सम्बन्धित है। अतः शिक्षक- शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर में वृद्धि एवं कमी उनके समायोजन की विमा आर्थिक समायोजन एवं कृत्य-संतोष में वृद्धि एवं कमी के साथ सम्बन्धित है।

प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर का उनके समायोजन के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का मान 1.000 है जो .05 स्तर पर सार्थक है। अतः प्राथमिक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं की आकांक्षा का उनके समायोजन के साथ सम्बन्धित है। अतः शिक्षक- शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर में वृद्धि एवं कमी उनके समायोजन में वृद्धि एवं कमी के साथ सम्बन्धित है।

**निष्कर्ष**— अध्ययनोपरान्त निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये—



- प्राथमिक स्तर के शिक्षक— शिक्षिकाओं के आकांक्षा स्तर का उनके कार्य संतुष्टि की विमा शिक्षण पेशे के प्रति दृष्टिकोण, कक्षा शिक्षण, शिक्षण विधि, शिक्षण के अलावा कर्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ तथा सम्पूर्ण कार्य संतुष्टि से सम्बन्धित नहीं है अर्थात् इनमें कोई सहसम्बन्ध नहीं है।
- प्राथमिक स्तर के शिक्षक—शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर का उनके समायोजन की विमा प्रशासनिक और विद्यालय के सामान्य वातावरण के साथ समायोजन, व्यावसायिक सम्बन्धों पर आधारित समायोजन, व्यक्तिगत जीवन के साथ समायोजन, आर्थिक समायोजन और कृत्य संतोष तथा सम्पूर्ण समायोजन के साथ धनात्मक सहसम्बन्ध है जबकि समाज—मनो—शारीरिक समायोजन का शिक्षक—शिक्षिकाओं की आकांक्षा स्तर के मध्य कोई सहसम्बन्ध नहीं है।

प्राथमिक स्तर के शिक्षक—शिक्षिकाओं के आकांक्षा स्तर का उनके कार्य संतुष्टि से सहसम्बन्ध नहीं है। समान परिणाम यादव, मुलायम सिंह एवं सिंह अंजली (2020) के अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि कार्य संतुष्टि और शिक्षकों की आकांक्षा स्तर के बीच कोई सार्थक संबंध नहीं है। प्राथमिक स्तर के शिक्षक—शिक्षिकाओं के आकांक्षा स्तर का उनके समायोजन से सहसम्बन्ध है। गुप्ता (1977) ने यह इंगित किया है कि शिक्षण की सफलता शिक्षक के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन के साथ सार्थक रूप से सम्बन्धित होती है।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, मीनाक्षी (1991), जॉब सटीस्फैक्सन ऑफ टीचर्स इन रिलेशन टू सम डेमोग्राफिक वैरिएबुल्स एण्ड वैल्यूज, पी—एच0डी0 शिक्षाशास्त्र, आगरा विश्वविद्यालय।
2. अली यासिन एवं अन्य (2016). टीचर मोटिवेशन एण्ड स्कूल परफार्मेंस, द मेडिएटींग इफेक्ट ऑफ जॉब सैटिसफैक्शन : सर्वे फ्राम सेकेण्डरी स्कूल्स इन मोगादिशु, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एण्ड सोशल साइंस, वॉ0 3, नं0 1, पृ0 24—38
3. उपाध्याय, रंजना एस. (1993). ए स्टडी ऑफ द एडजेस्टमेन्ट सक्सेस एस रिलेटेड टू द पर्सनालिटी, एडजेस्टमेन्ट, जॉब सेटिसफैक्शन, एक्सपीरियन्स एण्ड रिस्क टेकिंग विहैवियर ऑफ द आईदर सेक्स प्रिन्सिपलस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेण्डरी स्कूल्स इन मूरादाबाद डिविजन ऑफ उत्तर प्रदेश, शोध प्रबन्ध (शिक्षाशास्त्र), बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।
4. उपाध्याय, रंजना एस. (1993). ए स्टडी ऑफ द एडजेस्टमेन्ट सक्सेस एस रिलेटेड टू द पर्सनालिटी, एडजेस्टमेन्ट, जॉब सेटिसफैक्शन, एक्सपीरियन्स एण्ड रिस्क टेकिंग विहैवियर ऑफ द आईदर सेक्स प्रिन्सिपलस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेण्डरी स्कूल्स इन मूरादाबाद डिविजन ऑफ उत्तर प्रदेश, शोध प्रबन्ध (शिक्षाशास्त्र), बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, [www.shodhganga.com](http://www.shodhganga.com)
5. ए.जे. सेनीवोलिबा (2013). टीचर मोटिवेशन एण्ड जॉब सैटिसफैक्शन इन सीनियर हाईस्कूल्स इन द टाम्पले मेट्रोपोलिस ऑफ घाना, मेरिट रिसर्च जर्नल्स, वॉ0 1(9), पृ0 181—196

6. एन.एन. प्रहलाद एवं एस. सन्दीप (2015). ए स्टडी ऑन जॉब सेटिसफ़ेक्शन रिलेटेड टू एटीट्यूड टूवर्ड टीचिंग ऑफ़ प्री-यूनिवर्सिटी टीचर्स, *इण्डियन जर्नल ऑफ़ एप्लाइड रिसर्च*, वॉल्यूम-5, इश्यू-5, पृ० 19-21।
7. केसरवानी, रितेश कुमार (2018). उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति, कार्य संतुष्टि एवं समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन, शोध प्रबन्ध, नेहरू ग्राम भारती (मानित वि०वि०), प्रयागराज
8. Yadav, Mulayam Singh & Singh, Anjali (2020). Job satisfaction and Aspiration level of Primary School Teachers in Uttar Pradesh: With special reference to Ambedkar Nagar District. *International Journal of Creative Research Thoughts : An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal*, Vol. 8, Issue 11.

## आलोचना दृष्टि और रिचर्ड्स का सौंदर्यशास्त्र

प्रियंका चौधरी

शोधार्थी, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

### Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number: 45-50

### Publication Issue :

September-October-2021

### Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 30 Sep 2021

**सारांश-** रिचर्ड्स मूलतः कविता के व्याख्याकार हैं सिद्धांत निर्माता हैं। अपने आरंभिक लेखन-काल में ही रिचर्ड्स ने कविता की भाव-प्रक्रिया और अर्थ प्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित किया। रिचर्ड्स ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने कविता की प्रकृति के विश्लेषण के लिए एवं वैज्ञानिक प्रतिपादन से उसका अन्तर दिखाने के लिए मनोविज्ञान की सहायता ली। रिचर्ड्स ने मनोविज्ञान का उपयोग मूलतः पाठक या भावक की मनःस्थिति के लिए किया। काव्यानुभूति पाठक को किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है, उस अनुभूति का उसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, उसका मूल्य क्या है, सफल भाव संचार के लिए भावक (पाठक) की कौन सी योग्यताएँ अपेक्षित हैं आदि विषयों का विशद विश्लेषण किया गया है। इस आलेख में रिचर्ड्स के इन सभी पक्षों का विश्लेषण किया गया है।

**बीज शब्द :** रिचर्ड्स, आलोचना, मनोवैज्ञानिक चिंतन, सौंदर्यशास्त्र, मूल्य सिद्धान्त ।

रिचर्ड्स का मनोविज्ञान इसीलिए प्रधानतः भावक (पाठक) मनोविज्ञान है। स्रष्टा के मनोविज्ञान में उनकी अपेक्षाकृत कम अभिरूचि थी। उनका मनोवैज्ञानिक विचार अनेक अंशों में असांभ्रदायिक (हेटरोडॉक्स) है। तथापि मुख्य रूप से वे व्यवहारवादी मनोविश्लेषण तथा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के विचारों आदि के समर्थक हैं।

रिचर्ड्स की रचनाएं और उनका विषय क्षेत्र इस प्रकार हैं- रिचर्ड्स ने अपने पुराने सहपाठी सी.के. ऑगडेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर अपनी पुस्तक 'दि फाउंडेशंस ऑफ इस्थोटिक्स' (1922) लिखीं। यहाँ उन्होंने पहली बार प्रतिपादित किया कि काव्य का सौंदर्य रचना (कृति) में नहीं उसके प्रभाव में होता है। 'सौंदर्य वस्तु में नहीं, देखने वाले की निगाह में होता है' इस कहावत को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का आधार प्रदान करते हुए रिचर्ड्स ने आत्मनिष्ठ सौंदर्यशास्त्र की प्रस्तावना की। आगे चलकर 'प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म' (1924) और 'प्रेक्टिकल क्रिटिसिज्म' (1929) में अपने विशिष्ट अध्ययन से उन्होंने अपने दृष्टिकोण को विधिवत् विकसित और प्रतिष्ठित किया। 'फाउंडेशंस' के साल भर बाद रिचर्ड्स ने ऑगडेन के साथ 'मीनिंग ऑफ मीनिंग' (1923) प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने भाषा-प्रयोग के दो रूपों की प्रस्तावना की- संकेतात्मक (सिंबॉलिक) और संवेगात्मक (इमोटिव) बाद में 'साइंस ऐंड पोएट्री' (1926) और 'दि फिलॉसफी ऑफ रेटरिक' (1936) जैसे कार्यों में भाषा-प्रयोग के इसी मूल सिद्धांत को पल्लवित किया गया है। डायकेस का कथन सही है कि- "जिस तरह कवियों पर प्लेटो द्वारा किए गए आरोपों का उत्तर शेली 'प्लातोनिज्म' का उपयोग करके दिया ठीक, उसी तरह रिचर्ड्स ने विज्ञान द्वारा कविता को दी गई चुनौती का जवाब मनोविज्ञान का उपयोग करते हुए दिया।"<sup>1</sup>

'आलोचना' शब्द अंग्रेजी के 'क्रिटिसिज्म' शब्द का हिन्दी अनुवाद है। 'क्रिटिसिज्म' शब्द की निष्पत्ति 'ग्रीक शब्द' 'क्रिटिकोस' से मानी गई है जिसका अर्थ, विवेचन करना अथवा निर्णय देना है। रिचर्ड्स के अनुसार, आलोचना का उद्देश्य है, अनुभूतियों का विश्लेषण और अनुभूतियों का मूल्यांकन, आलोचना का साधन है अनुभूतियों के स्वरूप का ज्ञान, मूल्यांकन के सिद्धांत और संप्रेषण के सिद्धांत का ज्ञान।

**मूल्य सिद्धांत**-आलोचना की परिभाषा बताते हुए रिचर्ड्स कहते हैं- "मेरी दृष्टि में अनुभवों के अन्तर (सम्बद्ध-असम्बद्ध अनुभव) को स्पष्ट तथा उन्हें मूल्यांकित करने का प्रयास आलोचना है।"<sup>2</sup> उनकी दृष्टि में कुछ मूलभूत प्रश्न ऐसे हैं जो आलोचक से उत्तर की अपेक्षा रखते हैं। वह क्या है जो काव्य-पाठ द्वारा उपलब्ध अनुभूति को मूल्यवान बनाता है? एक अनुभव दूसरे अनुभव से बेहतर क्यों है? एक चित्र को दूसरे से क्यों अच्छा समझा जाए? एक कलाकृति के सम्बन्ध में अच्छी रायें हैं और दूसरी के प्रति नहीं, क्यों? इनके उत्तरों को साथ-साथ इन प्रारम्भिक प्रश्नों को भी नज़र अन्दाज नहीं किया जा सकता कि कविता क्या है? संगीत का चित्र क्या है? अनुभूतियों की तुलना कैसे की जाए? मूल्य क्या है?

**रिचर्ड्स का मूल्य संबंधी सिद्धांत इस प्रकार है- एषणा की तुष्टि**- मूल्य क्या है- "कोई भी वस्तु मूल्यवान हो सकती है जो किसी एषणा की संतुष्टि करती है। किन्तु शर्त यह है वह अपने समान अथवा उससे अधिक महत्वपूर्ण किसी एषणा को क्षरित न करे"<sup>3</sup> रिचर्ड्स ने आवेग के दो प्रकार बताये हैं-

1. अनुकूल एषणा (आकांक्षा) और
2. प्रतिकूल एषणा ।

कौन-सी एषणा अधिक महत्वपूर्ण है- बाधित होने वाली या बाधा पहुँचाने वाली? रिचर्ड्स की दृष्टि में जो एषणा अधिक बलवान है वही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या व्यक्ति की एषणाएँ प्रायडीय शब्दों में इदम् (इड) के निकट नहीं पहुँच जाती हैं? महत्वपूर्ण एषणा बराबर समाज- सापेक्ष होगी। इसका स्पष्ट उल्लेख न करते हुए भी रिचर्ड्स इस बात को स्वीकार करते हैं- वह अपराधियों की निन्दा करते हैं। लेकिन वे इसलिए निन्दित नहीं हैं कि उन्हें दण्ड मिलता है। उनकी निन्दा इसलिए भी नहीं करते कि उनसे समाज को हानि होती है। वे इसलिए निन्दनीय हैं क्योंकि उन्हें महत्वपूर्ण मानवीय मूल्यों से वंचित रह जाना पड़ता है। अपराध भी एक एषणा है। उसकी सन्तुष्टि भी मूल्यवान होगी। लेकिन इसे वह महत्वपूर्ण नहीं मानते। निश्चय ही महत्वपूर्ण समाजसापेक्ष होगा। कभी-कभी वैयक्तिक एषणा और सामाजिक एषणा में गहरा द्वंद्व हो जाता है। वस्तुतः यह दो विरोधी नैतिकताओं का द्वंद्व है। प्रत्येक स्थिति में वैयक्तिक नैतिकता सामाजिक नैतिकता से हीन नहीं ठहराई जा सकती। रूढ़िग्रस्त समाज की नैतिकता प्रायः हासोन्मुखी और समयतीत होती है। सम्भवतः इसीलिए रिचर्ड्स सामाजिक नैतिकता को निर्णायक नहीं मानते। समाज सुकरात के प्रति बहुत क्रूर रहा है, गैलिलियो को भी वह क्षमा नहीं कर सका। ईसामसीह को सलीब पर जड़ दिया गया। उसके विचार से देखना यह चाहिए कि विभिन्न मनोव्यवस्थाओं में से किसके द्वारा अधिकतम आवेगों की संतुष्टि होती है।

**साइनेस्थेसिस**- रिचर्ड्स ऐसी मनोव्यवस्था के पक्ष में हैं- जो आवेगों के सामंजस्य और समन्वय का नाम है जिसमें मानवीय सम्भावनाओं की कम से कम क्षति होती है। काव्य का अनुशीलन पाठकों में इस प्रकार की मनोव्यवस्था का विकास कर सकता है और करता है जो वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी होता है। इस प्रकार की मनोदशा को वह

साइनेस्थेसिस (सह-संवेदनवाद) की संज्ञा देते हैं। इसी के माध्यम से वह मूल्य और सौंदर्य की व्याख्या करते हैं। रिचर्ड्स का मत है कि आवेगों का संघटन विचित्र ढंग से होता है। यह संघटना ही सह संवेदना है। इसमें उभरने वाले विभिन्न विरोधी आवेगों का दमन नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें पूरी छूट दी जाती है। वे उचित प्रभावों से स्वयं ही संघटित होते हैं। इस तरह की संघटना, सामंजस्य या व्यवस्था की आंतरिक शक्ति होती है। इसके लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता नहीं होती इस शब्द का प्रयोग 'फाउन्डेशन ऑफ एस्थेटिक्स' 1922 में हुआ है- "सभी आवेग स्वभाव से ही सामंजस्यपूर्ण नहीं होते हैं, संघर्ष का होना सम्भव है और यह सामान्य बात है। एक सम्पूर्ण पद्धति को इस ढंग से निर्मित होने की, रूप लेने की जरूरत है जिसमें प्रत्येक आवेग को स्वतंत्र रखते हुए अकुण्ठ भाव से समन्वय स्थापित किया जा सके। इस प्रकार के किसी संतुलन में, कितना भी क्षणिक वह क्यों न हो, हमें सौंदर्यानुभूति होगी।"<sup>4</sup>

साइनेस्थेसिस में निस्संगता और आसक्तिहीनता की उपस्थिति आवश्यक है। इसके लिए वह मनोवैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत करते हैं। इस सामंजस्य में एक सक्रियता रहती है- समन्वित व्यक्तित्व की सक्रियता। साइनेस्थेसिस ताजा बनाता है और यह कभी परिसमाप्त नहीं होता। यह सक्रियता किसी एक दिशा में क्रिया-संलग्न नहीं करती। वह प्रमाता को बस कार्य के लिए तैयार रखती है। अगर वह व्यक्ति को काम में लगा देती है तो वह साइनेस्थेसिस नहीं रह जाएगी। वह साइनेस्थेसिस का भ्रम मात्र होगी। 'फाउण्डेशन्स' में वह लिखते हैं- "जब कोई कलाकृति इस तरह की क्रिया (एक्शन) पैदा करती है या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जो क्रिया की ओर ले जाती है तो वह या तो अपने प्रयोजन (फंक्शन) को पूर्णतः पूरा नहीं करती या संतुलन की दृष्टि से उसे 'सुन्दर' न कहकर उत्तेजनात्मक कहा जाएगा।"<sup>5</sup>

'प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म' में रिचर्ड्स साइनेस्थेसिस शब्द का प्रयोग नहीं करते। उसके स्थान पर 'अन्तर्वेशी' (इंक्लूजन) और 'सिन्थेसिस' का प्रयोग करते हैं। ये सर्वाधिक मूल्यवान कविता के लक्षण हैं। ब्रिम्साट और ब्रुक्स का कहना है कि 'सिन्थेसिस', 'साइनेस्थेसिस' का परिष्कृत रूपान्तर है। दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं है। वे सन्तायना और रिचर्ड्स के ग्रंथों से दो समानान्तर उदाहरण उद्धृत करते हुए उनका अन्तर स्पष्ट करते हैं। "सौंदर्य व्यक्ति के विभिन्न आवेगों को संश्लेषित करके उन्हें एक बिम्ब में प्रस्तुत करता है। इन क्षणिक समंजसताओं की अनुभूति ही समस्त गुढ़ार्थों और सौंदर्यानुभव की भूमिका है। इस सामंजस्य को प्राप्त करने के लिए दो पद्धतियाँ हैं- एक है सभी तत्वों को समन्वित कर लेना और दूसरी है असमन्वित होने वाले तत्वों को खारिज कर देना। पहले प्रकार का सामंजस्य 'सौंदर्य का बोध' करता है तो दूसरे प्रकार का सामंजस्य औदाल्य का।"<sup>6</sup> - संतायना "आवेगों के संघटन के दो तरीके हैं- अपवर्जन और अन्तर्वेशन (इनक्लूजन) संश्लेषण द्वारा और अलगाव द्वारा (एलीमिनेशन) .... अधिकांश काव्य और कला कुछ प्रमुख और सीमित अनुभवों तक ही अपने को सीमित रखती हैं। इस तरह की कला का मानवीय जीवन में अपना महत्व और स्थान है। अलगाव द्वारा संश्लेषित काव्य को बहुत ऊँचा नहीं कहा जा सकता...।"<sup>7</sup>

संतायना की तरह रिचर्ड्स सुन्दर और उदान्त का भेद नहीं करते। वह अलगाव द्वारा संश्लेषित काव्य को और भी सीमित मानते हैं। उनकी दिलचस्पी संवृद्ध, गम्भीर और जटिल काव्य को सामान्य अपवर्जित काव्य से अलग करने में है। इससे निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं-

1. काव्य की सार्थकता उसके मूल्य बोध में है।

2. इस मूल्य में ही उच्चतर नैतिकता समाहित है।
3. उनका मूल्य बोध सुखवाद (हेडोनिज्म) से भिन्न है।

कई आलोचकों ने रिचर्ड्स के मूल्य-सिद्धांत का अत्यधिक विरोध किया है। टी.एस. इलियट अपनी पुस्तक 'दी यूज ऑफ पोइट्री एण्ड दी यूज ऑफ क्रीटिसिज्म' की भूमिका तथा 'मार्डन माइण्ड' निबन्ध में अपना विरोध व्यक्त करते हैं- "प्रत्येक गंभीर आलोचक की तरह रिचर्ड्स गंभीर नैतिकतावादी है। उनकी नीतिमत्ता या मूल्य- सिद्धांत मुझे स्वीकार्य नहीं है। मैं इस प्रकार के किसी सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता जो शुद्ध वैयक्तिक-मनोविज्ञान की नींव पर खड़ा हो। उसके काव्यात्मक अनुभव का मनोविज्ञान जिस प्रकार खुद उसी के काव्यानुभव पर आधारित है उसी प्रकार उसका मूल्य-सिद्धांत उसके अपने मनोविज्ञान पर।" इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत रिचर्ड्स के मत के विरुद्ध पड़ता है। वैयक्तिक मनोविज्ञान के आधार पर साहित्य की सार्वभौमिकता और वस्तुनिष्ठता को नहीं समझा जा सकता। रिचर्ड्स का मनोविज्ञान सूडो मनोविज्ञान है। अतः उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। डेविड डेचेज ने रिचर्ड्स के इस मत में निहित एक कठिनाई का निर्देश किया है और वह यह है कि- "'काव्य-मूल्य के संबंध में मनोवैज्ञानिक धारणाओं पर अधिकांशतः आधारित रिचर्ड्स की जो सामान्योक्तियाँ हैं, उन्हें कोई भी महत्वपूर्ण समसामयिक मनोविज्ञानी स्वीकार नहीं करता।"<sup>8</sup> मूल्य सिद्धांत के संबंध में 'रैन्सम' का कहना है कि रिचर्ड्स का काव्य संरचना-विषयक लेख न केवल शुद्ध परिकल्पना है, बल्कि इसे स्वीकार कर लेने पर आलोचना ही निर्मूल हो जाएगी। रिचर्ड्स के कथनानुसार यदि हम यह मान लें कि 'संतुलित विश्रान्ति' की स्थिति उद्दीपक वस्तु की संरचना में बिल्कुल नहीं होती' बल्कि हमारी 'अनुक्रिया में होती है, तो 'काव्य-वस्तु के विश्लेषण की आलोचना का श्रम निरर्थक हो जाता है। यही नहीं, कवि द्वारा कविता को विशिष्ट 'आकृति' प्रदान करने का श्रम भी निरर्थक सिद्ध होता है। जेम्स का कथन- "इस सौंदर्य मीमांसा का पूरा संबंध वस्तु के बदले उसके परिणाम से है। क्योंकि आवेगों का संतुलन तथा सामंजस्य, जिनकी उत्पत्ति महान काव्य से मानी जाती है, बेहोशी की किसी निर्दोष दवा से भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बेहोशी की दवा और काव्य, ये दोनों ही मूल्यवान अनुभूतियों के समान उद्दीपक सिद्ध होते हैं।"<sup>9</sup> निष्कर्षतः रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत का गुण तथा दोष कुछ इस प्रकार है-

1. **समन्वयात्मक गुण** : रिचर्ड्स के मूल्य विचार प्रकृतवाद (नैचुरलिज्म) तथा उपयोगितावाद का मिला जुला रूप है। मनुष्य की मूल्यांकन प्रक्रिया को कैमरे के यथार्थ चित्रण प्रक्रिया के समान ही उपस्थित किया गया है। पर पूर्ण प्रकृतवाद नहीं है। इसमें आदर्शवादिता की गंध है। और यह आदर्शवादिता सूक्ष्म और बुद्धिवादी ढंग से निरूपित की हुई है।
2. **मूल्य दृष्टि सापेक्षवादी है-** रिचर्ड्स ने अनेक अच्छी प्रकार की मनोव्यवस्थाएँ मानी हैं। पर प्रोफेसर, गणितज्ञ या नाविक की मनोव्यवस्थाएँ समान नहीं हो सकतीं। किसी विशिष्ट मनोव्यवस्था को सर्वोत्तम बताने की अपेक्षा रिचर्ड्स ने सर्वोत्तम मनोव्यवस्था का लक्षण यह दिया है कि जिसमें मानवीय संभावनाओं की कम से कम निरर्थकता लाजिमी हो। यह एक ऐसी आदर्श स्थिति है जिसके लिए व्यक्ति और समाज को अपने सामने हमेशा नवीन नीतिव्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। और उत्तरोत्तर एक की अपेक्षा दूसरी मनोव्यवस्था श्रेयसी प्रमाणित होगी। इस तरह रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत सापेक्ष हो जाता है।
3. **गतिशील नैतिकता का समर्थक-** रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत गतिशीलता को प्रश्रय देता है। आचारशास्त्र का विरोध इसी कारण रिचर्ड्स ने किया है कि उसमें विहित नियमों को जड़ माना जाता है। वे आचारशास्त्र की अपेक्षा कला को नैतिकता का अधिक विश्वसनीय प्रतिफलन इसलिए मानते हैं कि आचारशास्त्र जहाँ स्थूल और सामान्य नीति नियमों के



रूप में नैतिकता को सूत्रबद्ध करता है वहाँ कला उसके सूक्ष्म विषयों को उद्घाटित करती है। रिचर्ड्स के अनुसार नैतिकता का सही रूप जीवन के इन्हीं सूक्ष्म विशेषों में है। रिचर्ड्स नैतिकता की गतिशीलता का वेग वैसा ही रखने का आग्रह करते हैं जैसा परिस्थितियों के परिवर्तन का हो। उनका कथन है कि हमें किसी शरण देने वाले चट्टान की नहीं, तेजी से ले चलने वाले वायुयान की आवश्यकता है।

4. सुखवाद (हेडोनिज्म) का विरोधी है- रिचर्ड्स मनुष्य की समस्त क्रियाओं का उद्देश्य आनन्द को मानने वाले विचार का उपहास करते हुए कहते हैं कि यह तो घोड़े के आगे गाड़ी रख देना है। आनन्द की प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति कविता पढ़ता है, यह मानना रिचर्ड्स के अनुसार वैसा ही बेतुका है जैसा यह मानना कि कोई गणितज्ञ किसी समस्या के समाधान में आनन्द प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता है।

कविता पढ़ने में या समस्या के समाधान में बहुत आनन्द मिल सकता है पर यह आनन्द वस्तुतः उक्त क्रियाओं का लक्ष्य नहीं है अपितु उनकी प्रक्रिया में उत्पन्न वस्तु है, ठीक उसी तरह जैसे ये मोटर साईकिल चलने की प्रक्रिया में उत्पन्न शोर उसके चलने का कारण नहीं है अपितु उसके चलने की सूचना देने वाला है। इस प्रकार सुखवाद का एक प्रकार से विरोध किया है। आवेगों की संतुष्टि का अर्थ आनन्द नहीं है।

5. व्यक्ति को आधार मानकर नैतिकता का निरूपण करते हैं। वैयक्तिक नैतिकता को ही सामाजिक नैतिकता के रूप में परिणत करके दिखाते हैं। इसके लिए उन्होंने वेन्थम के सूत्रों का हवाला दिया है। वे सामाजिक नैतिकता की अपेक्षा वैयक्तिक नैतिकता को अधिक 'गतिशील' मानते हैं। इस प्रकार रिचर्ड्स का झुकाव व्यक्ति के पक्ष में अधिक हुआ है।

**दोष :** रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत की सबसे बड़ी सीमा यह है कि उन्होंने सामाजिक वास्तविकताओं पर ध्यान न देकर केवल व्यक्तिवादी मनोविज्ञान की दृष्टि से मूल्यांकन के मानदंड स्थिर किये हैं। सम्भवतः विचारों की यह एकांगिकता प्रत्ययवादी (आइडियलिस्ट) दर्शन के परिणाम स्वरूप है। इस पर काडवेल ने ठीक कहा है कि कला की समीक्षा का अर्थ कला से बाहर जाना है जिसके माने हैं समाज के अन्दर प्रवेश करना। अतः कला को जीवन से सम्बद्ध करने के लिए उन्होंने जिस मनोवैज्ञानिक मूल्यवाद का सहारा लिया है वह बेतुका सा लगता है। वह यथोचित सा प्रतीत नहीं होता। अतः रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत पर अनेक आलोचकों द्वारा लगाए गए आक्षेपों के बावजूद उनके सिद्धांत में उनकी स्वयं की मौलिकता की उपस्थिति बखूबी दर्ज हुई है जिसमें दोष के साथ-साथ गुण भी मौजूद है जैसे- समन्वयात्मकता, सापेक्षवादी दृष्टि, गतिशील नैतिकता, सुखवाद का विरोध, व्यक्ति को आधार मानकर नैतिकता का निरूपण आदि। जिससे यह स्पष्ट होता है कि रिचर्ड्स ने आलोचना क्षेत्र को एक नई दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

### संदर्भ सूची-

1. जैन, निर्मला, काव्य-चिंतन की पश्चिमी परंपरा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2006, पृ. 10
2. सिंह, बच्चन, आलोचक और आलोचना बच्चन सिंह, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, प्रथम संस्करण- 2015, पृ. 22
3. शर्मा, देवेन्द्रनाथ, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, मयूर पेपरबैक्स, दिल्ली, संस्करण- 2016, पृ. 50
4. तिवारी, अजय, पश्चिम का काव्य विचार, स्वराज प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण 2003, पृ. 11
5. तिवारी, रामपूजन, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण 1971, पृ. 40



6. गुप्त, गणपति चन्द्र, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. 35
7. देवेन्द्रनाथ शर्मा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, मयूर पेपरबैक्स, दिल्ली, पृ. 65
8. वाजपेयी, नन्ददुलारे, नया साहित्य नए प्रश्न, स्वराज प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण 2004, पृ. 13
9. जैन, निर्मला (संपादक), नयी समीक्षा के प्रतिमान, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1977, पृ. 77



# Spatial Modelling of Quality of Life (QOL) Indices in Geographical Research : A Conceptual Understanding

Dr. Anil Kumar Singh

Head University Department of Geography, Bindo Bihari Mahato Koyalanchal University, Dhanbad,  
Jharkhand

Sunil Kumar

Research Scholar- University Department of Geography, Bindo Bihari Mahato Koyalanchal University,  
Dhanbad, Jharkhand

## Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number: 51-54

## Publication Issue :

September-October-2021

## Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 30 Sep 2021

Quantitative revolution in the field of social sciences brought remarkable change in research and development of Geography. Spatial analysis is one of the significant domains of modern geographical research. The study of spatial structure and function of various social, economic, political, ecological and cultural facts and phenomenon had been studied under the approaches of spatial analysis. Quality of Life (QoL) which evolved as the key theme in contemporary research across various discipline, spatial modelling of Quality of Life (QOL) Indices emerges as a inevitable tool. The present paper is primarily focused on giving a conceptual account on Spatial Modelling of Quality of Life (QOL) Indices in Geographical Research.

**Keywords:** Spatial Modelling, Quality of Life (QOL), Spatial Analysis, Geographical Research.

## Introduction

Geography is an interdisciplinary science dealing with physical and human facts and phenomenon of earth surface. Geographical research since 1970s shifted more towards finding the solution of applied questions. Quality of life analysis is one of them. How the quality of life can be assessed may be subject matter of various disciplines of social sciences but spatial modelling is specialized field of research in geography

**Quality of Life (QOL) Indices-** Quality of life (QOL) is defined by the World Health Organization as "an individual's perception of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns".<sup>1</sup> Standard indicators of the quality of life include wealth, employment, environment, physical and mental health, education, recreation and leisure time, social belonging, religious beliefs, safety, security and freedom.<sup>2</sup>QOL has a wide range of contexts, including the fields of international development, healthcare, politics and employment. Health related QOL (HRQOL) is an evaluation of QOL and its relationship with health.

Quality of life (QoL) can be defined in many ways, making its measurement and incorporation into scientific study difficult. This is a theoretical paper regarding the definition and measuring of quality of life.

The search strategy included a combination of key words 'quality of life', 'definition of QoL' as well as 'measuring QoL' in titles using Medline and Google Scholar databases.<sup>3</sup> Quality of life is a complex, multifaceted construct that requires multiple approaches from different theoretical angles. <sup>4</sup>Scientists from the various disciplines of social science are encouraged to exploit the strengths of other's contributions in a collaborative effort.<sup>5</sup> A thorough understanding of subjective well-being requires knowledge of how objective conditions influence people's evaluations of their lives. Similarly, a complete understanding of objective indicators and how to select them requires that we understand people's values, and have knowledge about how objective indicators influence people's experience of well-being.<sup>6</sup>

Quality of life (QoL) may be defined to be the general well-being of individuals, families and societies, outlining negative and positive features of life. It observes life satisfaction, including everything from physical health, family size, education, employment, wealth, safety, and security to freedom, religious beliefs and environment. Focusing the Quality of life of the people living in and around the mining areas, one can explicitly notice the worst condition of their living environment.

There are various different methods of measuring quality of life in terms of health care, wealth, and materialistic goods. However, it is much more difficult to measure meaningful expression of one's desires. One way to do so is to evaluate the scope of how individuals have fulfilled their own ideals. Quality of life can simply mean happiness, the subjective state of mind. By using that mentality, citizens of a developing country appreciate more since they are content with the basic necessities of health care, education and child protection.<sup>7</sup>

A major development was development of - The Physical Quality of Life Index (PQLI) is a measure developed by sociologist Morris David Morris in the 1970s, based on basic literacy, infant mortality, and life expectancy. Although not as complex as other measures, and now essentially replaced by the Human Development Index, the PQLI is notable for Morris's attempt to show a "less fatalistic pessimistic picture" by focusing on three areas where global quality of life was generally improving at the time, while ignoring gross national product and other possible indicators that were not improving.<sup>8</sup>

Two strategies have been used in the definition of the constituent elements, domains, aspects, components, factors, or content areas of QOL: theoretical and empirical. From a theoretical perspective, several authors have formulated models of QOL; for example, Lawton proposed a four-sector model in which psychological well-being, perceived quality of life, behavioral competence, and objective environment are hypothesized as the four general evaluative sectors: "Each of the four sectors may in turn be differentiated into as many dimensions as the details of one's attention demand".<sup>9</sup> On similar lines, the World Health Organization (1993) has conceptualized QOL in terms of five broad domains: physical health, psychological health, level of independence, social relationship, and environment. Finally, other authors have tried to develop categories of QOL dimensions. For example, Hughes (1990)<sup>10</sup> defined seven categories-

1. Individual characteristics (functional activities, physical and mental health, dependency, etc.).
2. Physical environmental factors (facilities and amenities, comfort, security, etc.).
3. Social environmental factors (levels of social and recreational activity, family and social network, etc.).

4. Socio-economic factors (income, socio-economic status, etc.).
5. Personal autonomy factors (ability to make choices, exercise control, etc.).
6. Subjective satisfaction.
7. Personality factors (psychological well-being, morale, life satisfaction, happiness, etc.).

A second strategy used for defining QOL components is empirical. That is, since QOL refers to individual's lives, individuals must be asked to state the implicit domains of their QOL concept. For example, Flanagan (1978)<sup>11</sup> assessed QOL components through a US survey of three age group samples. Fifteen critical components were grouped into five main categories:

1. Physical and material well-being (material well-being and financial security).
2. Relations with other people (relations with spouse and having and raising children, relations with parents, siblings, or other relatives, relations with friends).
3. Social, community and civic activities (activities related to helping or encouraging other people, activities related to local and national governments).
4. Personal development and fulfillment (intellectual development, personal understanding and planning, occupational role, creativity and personal expression).
5. Recreation (socializing, passive and observational activities, active and participatory recreational activities).

The best way of approaching quality of life measurement is to measure the extent to which people's 'happiness requirements' are met - ie those requirements which are a necessary (although not sufficient) condition of anyone's happiness - those 'without which no member of the human race can be happy.'<sup>12</sup>

#### **Spatial Modelling of Quality of Life (QOL) Indices in Geographical Research**

The term "spatial modelling" refers to a particular form of disaggregation, in which an area is divided into a number (often a large number) of similar units: typically grid squares or polygons. The model may be linked to a GIS for data input and display. The transition from non-spatial to spatial modelling is often considered to be pretty significant, and there are a number of modelling packages that advertise their spatial modelling capabilities: indeed, many are labelled as landscape or landuse modelling tools.<sup>13</sup> For the evaluation of Urban Quality of Life, a complex index is constructed by using multicriteria analysis. For this purpose, Quality of Life controlling factors such as built space, natural, socio-economic and cultural environment, infrastructure and services, and the quality of housing were analyzed within a GIS environment.<sup>14</sup>

Chorley and Haggett mention that one of the approaches to model building can start with the simplification of a system to its essential and then start building an increasingly complex structure, by induction, a priori reasoning, and so on. Hardly there may be a standard procedure for the construction of a system model never before modeled, but the suggestion of ways to address the problem given by the authors can help in a first approach to the problem. The original thought processes are difficult to understand and explain, and the solutions of the problems auto-suggest in strange shapes and times. It is not expected that two researchers working on the same subject address two models in the same way. What is expected is that they start with a topic of interest and then try to model it their own way.<sup>15</sup>

**Conclusion-** Geography is a spatial science concerned with study of space, place and locality with reference to structural and functional organization of physical and human phenomena. Though qualities of life have been

cross disciplinary research theme geographers have significant position in dealing of quality of life in spatial realm. Though ingredients of quality of life are always been matter of great debate geographer have advantage in presenting holistic view. Many spatial model have developed since quantification of geographical research especially after the work of David Harve, Chorley and Hagge. Now day's geographers are much concerned with spatial modelling of quality of lif using GIS tools.

#### References :

1. "WHOQOL: Measuring Quality of Life". World Health Organization. Retrieved 22 May 2020.
2. Gregory, Derek; Johnston, Ron; Pratt, Geraldine; Watts, Michael; et al., eds. (June 2009). "Quality of Life". *Dictionary of Human Geography* (5th ed.). Oxford: Wiley-Blackwell.
3. Theofilou, Paraskevi. (2013). Quality of Life: Definition and Measurement. *Europe's Journal of Psychology*. 9. 150-162. 10.5964/ejop.v9i1.337. [https://www.researchgate.net/publication/269747663\\_Quality\\_of\\_Life\\_Definition\\_and\\_Measurement](https://www.researchgate.net/publication/269747663_Quality_of_Life_Definition_and_Measurement) .
4. Ibid.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Singer, Peter (2011). "The Big Question: Quality of Life: What Does It Mean? How Shoulf We Measure It?". *World Policy Journal*. 28 (2): 3–6
8. Ibid.
9. Adhikary Twisha, Bhattacharji Manjari, Ghosh, Achyuta Krishna(Dec. 2014). Quality Of Life Analysis: Socio-Economic Perspective With Reference To Jharia Coalfield IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 19, Issue 12, Ver. VI, PP 33-45 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. [www.iosrjournals.org](http://www.iosrjournals.org), <https://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol19-issue12/Version-6/F0191263345.pdf>
10. Gerritsen, Debby & Steverink, Nardi & Ooms, M.E. & Ribbe, Miel. (2004). Finding a useful conceptual basis for enhancing the quality of life of nursing home residents. *Quality of life research: an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation*. 13. 611-24. 10.1023/B:QURE.0000021314.17605.40.
11. Asnani, M. R., Lipps, G. E., & Reid, M. E. (2009). Utility of WHOQOL-BREF in measuring quality of life in sickle cell disease. *Health and Quality of Life Outcomes*, 7, 75.
12. Ibid.
13. Faka, A.; Kalogeropoulos, K.; Maloutas, T.; Chalkias, C. Urban Quality of Life: Spatial Modeling and Indexing in Athens Metropolitan Area, Greece. *ISPRS Int. J. Geo-Inf.* 2021, 10, 347. <https://doi.org/10.3390/ijgi10050347>
14. <https://www.simulistics.com/tour/spatialmodels.htm>
15. Chorley RJ, Haggett P, editors. *Models in Geography*. London: Methuen & Company, Limited; 1967. 816 p. (Madingley lectures, 2d)

## वैष्णवरामदासविरचितगोपालदासचरितकाव्ये धार्मिकतत्त्वालोचनम्

पातकोटिसुब्बाराव

शोधच्छात्रः, साहित्यविभागः राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः, तिरुपति:

### Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number: 55-58

### Publication Issue :

September-October-2021

### Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 30 Sep 2021

**सारांशः-** कवेः कर्म काव्यम्', अर्थात् कवेः सारस्वतसृष्टिः काव्यम् भवति। कविः स्वीयनैसर्गिकप्रतिभया यत्किमपि पश्यति तत्सर्वं दृष्ट्वा अनुभवञ्च कृत्वा सामाजिकं सांस्कृतिकं धार्मिकं सत्साहित्यं संरचयितुं सततं प्रयत्नशीलो भवति। पुनश्च धार्मिकभावानां धार्मिकविचाराणां च अभिव्यक्तये साहित्यं समाजस्य दर्पणोऽस्ति इत्युच्यते। तत्साहित्येषु च वैष्णवरामदासेन विरचितं गोपालदासचरितकाव्यमन्यतमं वर्तते। अत्र च समाजहितकारकाणि नैकानि धार्मिकश्लोकानि वर्तन्ते। तदेव मया वैष्णवरामदासविरचितगोपालदासचरितकाव्ये धार्मिकतत्त्वालोचनम् इति शीर्षकमाश्रित्य शोधलेखरूपेण संक्षेपेण प्रस्तूयते।

**मुख्यशब्दः-** कविः, धार्मिकतत्त्वम्, गोपालदासचरितकाव्यम्, काव्यम्, वैष्णवरामदासः, शब्दब्रह्मणः, ।

सर्वं जगदिदं परब्रह्मणो विवर्तरूपमिति महर्षीणां मतम्। शब्दब्रह्मण उपासनेन परं ब्रह्म अधिगन्तुं शक्यते इति महर्षिवचनम्।

द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्दब्रह्म तथापरम्।

शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति।<sup>1</sup>

एवं विधस्य शब्दब्रह्मणः उपासनप्रकारः बहुधा वर्तते। शब्दब्रह्मणः आदिस्वरूपम् ॐकारः। ततो वेदाः महर्षिभिः दृष्टाः किन्तु वेदाध्ययने सर्वेषाम् अधिकारः कालान्तरे लुप्तः। ततः मन्दाधिकारिणां हितार्थाय महर्षिभिः पुराणानि रचितानि। अष्टादशसंख्यायुतानि, चतुर्लक्षश्लोकात्मकानि पुराणानि अधिगन्तुं सर्वे शक्ताः न भवन्ति इति ऋषितुल्याः महाकवयः काव्यानि निर्माते किं बहुना एतद् क्रमम् अनपेक्ष्याऽपि 'श्रीमद्रामायणं' 'लौकिकवाङ्मये आदिकाव्यं वेदानन्तरं मुनिना वाल्मीकिना रचितम्। ततः कालिदासादयः प्रसिद्धाः एव। वाङ्मयस्य प्रयोजनेषु उपदेशः मुख्यतमः। वेदकृतः उपदेशः प्रभोः आज्ञा इव लघयितुम् अशक्या, अकरणे च प्रत्यवायः दृष्टः। पुराणेषु दृष्टः उपदेशः सुहृदुपदेश इव मैत्रीपूर्वकः। तदाचरणे श्रोतुः स्वेच्छा भवति। एवं सत्कार्यानुष्ठाने कामचारित्वं माभूदिति काव्यानि कान्तासम्मितानि कविभिः रचितानि। यथा काचन प्रियतमा अनुनयालापैः प्रियम् अभिमुखीकृत्य रामादिवत् वर्तितव्यं न रावणादिवदिति उपदिशति अतः वेदपुराणेभ्यः अपि काव्यकृतोपदेशः आदरणीयः इति आलङ्कारिकाः स्पष्टम् ऊचुः। तथैव काव्येऽस्मिन्नपि वेदादिविषये धर्मविषये च बहुधा वर्णितम्। तमेवाश्रित्य वैष्णवरामदासविरचितगोपालदासचरितकाव्ये धार्मिकतत्त्वालोचनम् इति शीर्षकैः शोधलेखः लिखितः।

<sup>1</sup>. म. भा., शा. प., अ .232, श्लो . 30

गोपालदासः शास्त्रार्थचर्चायां वैष्णवसम्प्रदायस्य माहात्म्यं प्रति पादयित्वा सर्वान् आनन्दितवान्। तत्रैव योगाश्रमं नाम संस्कृतप्रचाराय महाविद्यालयः अस्ति। येन गंगायाः शोभा अतीव रमणीया वर्तते। ततः समीपे विद्यमान ऋषिकुलं नाम आश्रमं प्राप्य तत्र सर्वान् प्रदेशान् च दृष्ट्वा अध्यापकैः सह वार्ता कृत्वा अग्रे गतवान्। मार्गे नानाविधैः शिल्पकालान् दृष्ट्वा तत्र गुरुकुलं च दृष्ट्वा ततः ऋषिकुलं प्राप्य ततः पूर्वस्थान् अवधुतमण्डलाश्रमे किञ्चित् कालं स्थित्वा यात्रायाः अवसरे बद्दीनाथमन्दिरं प्राप्तवान्। तत्र गंगातीरान्तरे एकं स्वर्गाश्रमम् अस्ति। भक्ताः तं आश्रमं द्रष्टुम् इच्छति परं नौकानोपलभ्यते। स्वामी गोपालदास वचनानुसारं ते सर्वे भगवतः संकीर्तने लग्नाः यतो हि संकीर्तनया सर्वं साध्यतेइति। तदा सहसा आकाशवाणी उक्तवती नेत्रे उन्मील्य स्वेष्टदेवीं पश्यन्तु इति सर्वे आश्चर्यं प्रकटयन् गोपालदासं अपृच्छन् तदा तेन उक्तं भगवतः कृपया समुद्रं एव तर्तुं शक्यते तर्हि नद्याः का गतिः। एवं गोपालदासः बद्दीनाथ(बद्दीधामं) प्राप्य भगवतः दर्शनं, वन्दनं, पूजां च अकरोत्। स्वामी बद्दीनाथस्य दर्शनेन स्वयं महान् पुण्यशाली इति मत्वा ततः गोपालदासः स्व आश्रमं तीर्थयात्रं संपूर्णं कृत्वा प्रत्यागतवान्।

काव्यस्य सप्तमसर्गे सुन्दरस्य बद्दीनाथदाम्नः प्रसङ्गानन्तरं अष्टमसर्गे शास्त्रस्वाध्यायफलनिरूपणं विधीयते। तस्मिन् बद्दीनाथदाम्नि द्वौ पण्डितौ सदाचारशीलयुक्तौ अस्ताताम्। भगवतः शिवस्य अपारकरुणाप्रसादात् तौ द्वौ सकलशास्त्रविशारदौ बभूवतुः। यथा विदुषां वाचं अर्थः अनुधावतीति प्रशस्तिः घटते तथैव तयोः द्वयोः स्थितिः। तयोः द्वयोः नामानि भक्तराम, कुलयशस्वी च अभवताम्।

आगतवस्तु महत्सु जनेषु कश्चित् सन्देहः उपजायमानः आसीत् यत् कश्चमार्गः वैदिकः तथा किं फलं सेव्यम् इति प्रश्ने सति तौ द्वौ तदानीम् अकथयताम्। पूर्वजैः यः मार्गः श्रेयसे समुपदिष्टः स च मार्गः अनुसर्तव्यः। वेदाभ्यासं विना जीवनसुखरहितं तथा शास्त्ररहितजनः पशु तुल्यः भवन्ति। वेदाः तथा तदनुसृत्य प्रोक्ताः ग्रन्थाः सुखार्थिभिः सेव्यः। सच्चिदानन्दप्राप्तये वेदाः एव शरणीयाः। व्यासेनोक्तम् शास्त्रस्य फलं केवलं ब्रह्मप्राप्तिः तथा शास्त्राणाम् अध्ययनं तत्त्वज्ञानं विना वृथा भवति। अतः विद्यया एव अमृतः लभ्यते इति निष्कर्षः उपजायते। श्रुतौ संसारः अनित्यः ब्रह्मसत्यं प्रोच्यते यतो हि तेनैव कारणेन भगवतः श्री रामस्य प्राप्तिः भवति इति शिवः पार्वतीं प्रति प्रोवाच।

**रमन्ते योगिनो यस्मिन् सच्चिदानन्द रूपिणि।**

**रामः स एव विज्ञेयः सकलो निष्कलस्तथा॥<sup>2</sup>**

यस्मिन् योगिजनाः रमन्ते, तादृशः निराकारः सच्चिदानन्दरूपः श्रीरामचन्द्रः यस्य च प्राप्त्यानन्तरं परमशान्तिः लभ्यते। सचराचर संसारस्य कर्ता भर्ता हर्ता च श्री रामचन्द्रः स्वलीलया जगत्सृजति। व्यसदेवः सम्पूर्णजगत् भगवतः लीलास्वरूपमिति अवदत्। असौ रामः जगतः नियमान् दृढीकर्तुं मानुषं वपुः धृतवान्। शास्त्रैः शास्त्रैश्च राक्षसान् दैत्यान् च हतवान्।

अयं च रामः त्यागे रागे च समदर्शित्वं विधाय धर्मस्य पालनं तथा गुरुषु भक्तिं विधाय आदर्श चरित्रानि समबोधयत्। अतः वेद तथा धर्मशास्त्रादीनां स्वाध्यायेन इष्टसिद्धिविधायकं कार्यं सिद्धति एवं प्रकारेण निराकारस्य वेदस्य स्वाध्यायफलं निरूपितं चर्चितं च वर्तते।

2. श्री गोपाल चरितम् काव्यम्, 8.38



वेदानां अध्ययेन परमपदस्य प्राप्तिर्भवतीति श्रुत्वा कश्चित् जनः अनुरागवसतः पप्रच्छ। यत् केवलं वेदेषु कर्मणः वर्णनं लभ्यते। न तु तत् ब्रह्मप्राप्तये समाधानं ततः मुनिभिः चतुर्णां साधनानां निर्देशः कृतः। तत्तु समादि सम्पत्तयः वैराग्यं मुमुक्षुता विवेकत्वेन कथ्यते। संसारिकभोगस्य परित्यागः वैराग्यम्। तथा विषयेभ्योः निवर्तनं कृत्वा इष्टेषु स्थापनं रामः। गच्छतां इन्द्रियाणां निरोधः दमः। प्राप्तेषु अनुकूलप्रतिकूलवस्तुषु हर्षः शोकः च न कुर्यात्। शीतोष्णादि द्वन्द्वं सहिष्णुता तितिक्षा। विषयानां प्रति नैराश्यभावं प्रदर्श्य चित्तस्य स्थिरता समाधानम्। गुरुपदिष्टेषु वाक्येषु चेतसः भृति श्रद्धा। प्राप्तेषु विषयेषु मनसः रुचि उपरतिः सम्पूर्णजगदिदं असत्यमिति मत्वा सदब्रह्मचिन्तनं विवेकः। यथा हंसः मिश्रिते दुग्धपानिये दुग्धं विभजते तद्वद् विवेकवान् जनः सदसतः पृथकीकर्तुं शक्नोति।

मलविक्षेपेण आवरणादि दोषैः जीवस्य मनः आवृतं भवति। एतेषां दोषानां परिहारः कर्तव्यः। कर्मोपासना ज्ञानं च एतेषां त्रयानां दोषानां परिहारोपायाः यथा मलिने दर्पणे प्रतिविम्बो न दृश्यते तद्वद् मलिने चेतसि ज्ञानं नोत्पद्यते। इयमपि लोकोक्तिः प्रसिद्धिति यत्- “बुद्धिः कर्मानुसारिणी” अतः कर्मणा मनुष्यः निर्मलं फलं भुङ्क्ते। शास्त्रेषु विविध प्रकारकाणां कर्मणां फलं प्रतिपादितं वर्तते। यथा ब्रह्मचारिणां कृते वेदपाठ, गृहस्थानां कृते यागयज्ञाः कर्तव्यः इति प्रतिपादितम्। ततः परं सत्त्वगुणस्मरणानां गनां महत्त्वं प्रतिपादितम्। गोपालनस्य सर्वोत्कृष्टता च समुपवर्णिता वर्तते। दुग्धं तक्रादिकं सात्त्विकत्वात् बुद्धौ अपि सात्त्विकता आयाति। सत्त्वगुणः ज्ञानस्य उत्प्रेरकः। अनेन अवश्यं ज्ञानं प्राप्यते। नरपशवोः कर्माणि सर्वत्र समानानि। परन्तु विशेषता ज्ञानस्य वर्तते।

श्रागुरुदत्तनाम्ना कश्चित् महात्मा गो रक्षार्थम् उपदेशं शिष्येभ्यो ददौ। त्यागस्य भावना दानस्य माहात्म्यं च प्रतिबोधितम्। ततः परं ज्ञानिनाम् अज्ञानिनां च भेदः प्रदर्शितः।

शास्त्रेषु मनीषिभिः द्विविधा सृष्टिः प्रतिपादिता वर्तते। मानसी सृष्टिः बन्धनस्य कारणं बहिर्भवा तु तस्मात् भिन्ना।

अस्य काव्यस्य महत् तात्पर्यं भवति मनसः भृतिः, बुद्धिमाध्यमेन प्रवर्तीकरणम्। एतदर्थं आसक्तैः परिहारः सुतरां कर्तव्यः। आसक्तिपरिहारपूर्वकम् सदैव धर्मकार्ये मनो निवेशः कर्तव्यः। कविः सु उदाहरणैः वेदस्य ज्ञानकर्मणोः च वर्णनं प्रतिपादयति। शास्त्रानुगुणं प्रतिबोधितश्च। कर्मणः फलं मनः शुध्यति। विक्षेपः नामकः दोषः उपासनायां गच्छति। सदैव इष्टस्य देवस्य ध्यानेन अयं दोषः गच्छति। तृतीयः दोषः आवरणात्मकः वास्तविकज्ञानेन इति। अतः सदज्ञानस्य प्राप्तिः सदैव काम्यः। एवं प्रकारेण नवमे सर्गे वेदानां ईशप्राप्तिः प्रतिपादिता वर्तते।

प्रागेव वेदानां सर्वव्यापकता प्रतिपादिता वर्तते। ननु मुख्यहेतुत्वरूपेण विषयः उपन्यस्तः। रामस्य सान्निध्यानन्तरं सुखस्य सिद्धेश्च प्राप्तिर्भवति। तापत्रयाणां निवृत्त्यर्थम् मुख्यफलस्य सिध्यर्थं च कर्मबन्धनात् सुतरां विमुक्तिः अपेक्षते। एतदेव फलं रामस्य प्राप्तिहेतुकं भवति। सर्वैः पुरुषैः धर्मार्थकाममोक्षाख्यः चतुर्विध पुरुषार्थः सेव्यः। एतेषु मोक्षः परमपुरुषार्थः यतो हि अन्ये सर्वे विनाशशीलाः, नष्टाश्च भवन्ति। परन्तु मोक्षः संसारात् निवृत्त्यनन्तरं प्राप्यते। सर्वेषां पदार्थानां सुख-दुःखत्व स्वभावा योगवियोगाभ्यां संसारे दुःखस्य प्रतीतिर्भवति। साधुभिः सह संसर्गात् सुखस्य तथा वियोगात् दुःखस्य प्राप्तिः भवति। जन्मादि षड्विकाराणां स्थितिवशात् संसारं दुःखपूर्णं भवति।

पुष्पितां सृष्टिं दृष्ट्वा मनसि आशा उज्जीविता भवति। ततः तत् प्राप्यते प्रयत्नः क्रियते। कष्टेन लब्धेऽपि परेषाम् ईर्ष्याकारणात् सुखं नानुभूयते। अस्मिन् सन्दर्भे दत्तात्रेयस्य उदाहरणं प्रस्तूय कविः विषयस्य त्यागः सुतरां करणीयः इति बुद्धिमान् नरः सर्वान् विषयान् परित्यज्य ब्रह्मणि रमते। कच्छपः यथा इन्द्रियाणि संयमणं करोति तद्वद् बुद्धिमान् विषयान् त्यजति। अस्मिन् विषये बहुनि उदाहरणानि अस्मिन् कान्ये प्रदत्तानि वर्तन्ते। एवं हि श्रूयते कश्चित् महात्मा मोह कारणात्

मानुषं रूपं त्यक्त्वा शृङ्गयुक्तः बभूव। सम्बन्धि जनाः अपि स्वार्थकारणात् आयान्ति। अतः तेऽपि त्याज्याः। रघुकुलस्य राजा अजः वियोग कारणात् महत् दुःख्यम अवाप्नोत्। संसारस्य भोगः विषवत् भवति। वैदिकमार्गाश्रयनेन जीवः यदा पुरुषार्थपरं प्राप्नोति तदानीं समस्त दुःखात् विमुच्यते।

सनत्कुमारः नारदं प्रति सत्संगमाध्यमेन तापत्रयस्य समूलं नष्टं भवतीति उपादिदेश। यदा कामनाः विनष्टाः भवन्ति तदानीं जीवः भगवन्तं प्राप्नोति। इत्थं चूडाल नाम्नि काचित् तत्त्वज्ञा नारी राजानं प्रबोधयामास। मैत्री अपि विषयं विहाय मोक्षपदवीं गता। एकाग्रबुद्ध्या सांसारिकं बन्धनात् विमुक्तौ भूत्वा जीवः संसारं तरति। मिथ्या परिपूर्णं संसारे वैदिकमार्गः श्रेष्ठः तत्र ये प्रवृत्ताः भवन्ति ते एतां मायां तरन्ति।

धारणाद् धारयति इति धर्म उच्यते। एते अस्मान् रक्षन्ति। एनं त्यज्यते चेद् अस्माकं सत्तैव न स्यात्, अतः स्वजीवनधारणाय अस्माभिः सदा धर्मः पालनीयः, तस्य स्वरूपमुपकारकं च अवबोधयितुं कविना गोपालदासजीवनवृत्तान्तेन इदं काव्यं रचितम्। तदेव काव्यं पर्यालोच्य सारल्येन संक्षेपेण च अहं वैष्णवरामदासविरचितगोपालदासचरितकाव्ये धार्मिकतत्त्वलोचनम् इति शीर्षकमाश्रित्य यथामतिः शोधलेखं विलिलेख।

### सहायकग्रन्थसूची

1. अमरकोशः भारतीयविद्याप्रकाशनम्, नई दिल्ली
2. अलङ्कारशास्त्रस्येतिहासः - डॉ. जगदीशचन्द्रमिश्रः, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठानम्, वाराणसी, 1986
3. अलङ्कारशास्त्रेतिहासः डॉ. जगदीशचन्द्रमिश्र. चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 1999
4. आधुनिकसंस्कृतकाव्यशास्त्रम् - डॉ आनन्दकुमार श्रीवास्तवः, ईष्टर्न बुक् लिक्र्स, दिल्ली
5. पाणिनीशिक्षा - पिङ्गलार्यसङ्कलिता, शिक्षाप्रकाश - पञ्जिका सहिता, कलकाता
6. महाभारतम्, वेदव्यास पुने संस्करणम्, 1961
7. मेदोनीकोशः भारतीयविद्याप्रकाशनम्, नई दिल्ली
8. रामायणं वाल्मीकिः, गीताप्रेस गोरखपुर, 1999
9. श्री गोपाल चरितं काव्यं, श्री वैष्णव वेदान्ताचार्य स्वामी रामदास, ऋषिपाणि नभोनेत्र, संख्येऽब्दे वैक्रमे परे।
10. संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासः - प्रो. हरेकृष्णशतपथी, किताबमहल, कटक -1998

## वेदों में कृषि विज्ञान

नजमी गौहर  
शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग,  
नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय,  
प्रयागराज उत्तर प्रदेश

डॉ० देवानारायण पाठक  
संस्कृत विभागाध्यक्ष  
नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय,  
प्रयागराज उत्तर प्रदेश

### Article Info

Volume 4 Issue 5  
Page Number: 59-62

### Publication Issue :

September-October-2021

### Article History

Accepted : 01 Sep 2021  
Published : 30 Sep 2021

**सारांश**— वर्तमान समय में लोगों ने कृषि को व्यापार का एक जरिया (साधन) बना रखा है। कृषि में अत्यधिक मशीनों एवं रसायनिक खाद्यों का प्रयोग किया जाने लगा है जिससे पैदावार अधिक से अधिक किया जा सके भले ही वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही क्यों न हो परन्तु इसके विपरीत वैदिक कालीन कृषि में खाद्य के रूप में गोबर खाद्य एवं घर के गीले कचरे से खाद्य बनाकर खेती होती थी। वैदिक कालीन कृषि आधुनिक कृषि की तुलना में ज्यादा सुरक्षित एवं स्वास्थ्य के लिए हितकर थी।

**मुख्य बिन्दु**— कृषि विज्ञान, वेदों में कृषि विज्ञान, वेदों में सिचाई, पशु पालन, वेदों में बीज बोने की शिक्षा।

वेद, समान्यतः अधिकांश लोग वेद से परिचित हैं वेद शब्द विद् धातु से घञ (अ) प्रत्यय करने पर बनता है, जिसका अर्थ है ज्ञान अतएव वेद शब्द का अर्थ हुआ ज्ञान की राशि या ज्ञान का संग्रह ग्रन्थ। सायण आचार्य ने वेद की व्याख्या करते हुए लिखा है "ईष्ट प्राप्त्यनिष्टपरिहारयोर—लौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः"<sup>1</sup> अर्थात् जो ग्रन्थ ईष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताया है उसे वेद कहते हैं दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो हमें अच्छे और बुरे के बारे में ज्ञान दे वह वेद है। वेद चार हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।

ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद एवं अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। इन चारों वेदों के अतिरिक्त चार उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद, अर्थवेद इसी प्रकार यज्ञों की व्याख्या एवं विवरण प्रस्तुत करने वाले ग्रन्थों को ब्राह्मण ग्रन्थ कहते हैं सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रन्थ है जैसे ऋग्वेद—ऐतरेय ब्राह्मण, शाखायन ब्राह्मण, यजुर्वेद— शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद— पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद— गोपद ब्राह्मण।

ब्राह्मण ग्रन्थों के बाद आरण्यक ग्रन्थ आते हैं। आरण्यक ग्रन्थ जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जंगल अर्थात् जिसका अध्ययन अध्यापन घर से दूर जंगल में किया जाये, उसे आरण्यक ग्रन्थ कहते हैं।

आरण्यकों के बाद उपनिषद् आते हैं उपनिषद् शब्द उप, नि उपसर्ग पूर्वक सद् धातु से क्विप् प्रत्यय करने पर बनता है। उप का अर्थ है समीप, नि का अर्थ है निष्ठापूर्वक तथा सद् धातु का अर्थ बैठना। इस प्रकार उपनिषद् का अर्थ हुआ तत्त्व ज्ञान के लिए गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठना। तत्त्व ज्ञान के प्रतिपादन के कारण ही इन ग्रन्थों को उपनिषद् कहते हैं। 108 से 200 तक उपनिषद् माने जाते हैं लेकिन इनमें केवल ग्यारह ही मुख्य उपनिषद् हैं—

ईश-केन-कठ-प्रश्न-मुण्ड-माण्डूक्य-तैत्तिरीय-ऐतरेय, वृहदारण्यक-छान्दोग्य उपनिषद्।

उपनिषद् के बाद वेदाङ्ग आते हैं वेदाङ्ग का अर्थ है वेदों के अंग अर्थात् वेदों के वास्तविक अर्थ ज्ञान के लिए जिन साधनों का उपयोग करते हैं उन्हें वेदाङ्ग कहते हैं। वेदाङ्ग 6 हैं- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष। इन्हीं की सहायता से वेदों को पढ़ना लिखना सरल हो गया है।

**कृषि विज्ञान** - वह विज्ञान जिसमें खेती बारी, जोताई, बोआई, फसलों को बोना काटना, पशुओं को पालना इत्यादि का अध्ययन किया जाता है वह कृषि विज्ञान है।

### वेदों में कृषि विज्ञान

ऋग्वेद में कृषि विज्ञान का गौरवपूर्ण वर्णन मिलता है-

“अक्षैर्माः दीव्यः कृषिमित् कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्य मानः।<sup>2</sup>

“आर्थात् जुआ मत खेलो कृषि करो और सम्मान के साथ धन पाओ।”

वैदिक काल से ही बीजवपन, कटाई, बोआई, जोताई होती आ रही है। इसके लिए हल, हसिया, छाननी आदि उपकरण का उपयोग वैदिक काल से ही होता आ रहा है।

कृषि, कृषि औजार एवं कृषि की पद्धति इन सब का ज्ञान वेदों में बीज रूप से समन्वित है जैसा कि ऋग्वेद में एक सूक्त है-

“युनक्त सीरा वि युगा तनुध्वं कृते योनौ वपतेह बीजम्।

गिरा च श्रुष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इतसृण्यः पक्वमेयात्।”<sup>3</sup>

अर्थात् हल चलाए जोड़ियों को जातिए। जमीन तैयार होने पर उसमें बीज बोए और धान काटने के हंसिया निश्चय से पके हुए धान के पास ही ले जायें। इसमें प्रशंसायुक्त भरणपोषण के साथ सफलता हम सबको होगी।”

“कृषन्तो हस्मैव पूर्वे, वपन्तो, यन्ति, लूनन्तो, अपरे मृणन्तः”।<sup>4</sup>

अर्थात् हल चलाते हैं बीज बोते हैं, (लूनन्त) धान काटते हैं धान कूट कर साफ करते हैं इस प्रकार हल चलाने के पश्चात् धान घर में लाने तक की प्रक्रियाएं हैं।

“तवेदिन्द्राहमाश साहस्ते दात्रं च नादनदे।। दिनस्य

वा मधवन्त्संभृतस्य वा पूर्धि यवस्य काशिना।।”<sup>5</sup>

हे इन्द्र! तेरे ऊपर विश्वास रख कर ही मैं यह हांसिया हाथ में ले रहा हूँ। अब हे मधवन्! दिनभर इकट्ठा किये हुए जौकी राशि के विभाग से मुझे भरपूर कर।

कृषि कृषस्व।<sup>6</sup>

‘खेती कर’ यह आज्ञा वेद दे रहा है।

“माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः”<sup>7</sup>

भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। यह भाव वेद में स्पष्ट है।

सक्तुमिव तितउना पुनन्तोः।<sup>8</sup>

सक्तुको जैसे (तितउना) छाननी से शुद्ध करते हैं।

कृषिर्धन्या कृषिर्मध्या जन्तूनां जीवनं कृषिः।<sup>9</sup>

कृषि सम्पत्ति और मेधा प्रदान करती है और कृषि ही मानव जीवन का आधार है।

उपर्युक्त सूक्तों में धान की खेती एवं फसल काटने के लिए हंसिया, खल, छाननी का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में धान की खेती होती थी। वैदिक काल में गेहूँ, जौ, धान, माष, तिल आदि बोए जाते थे। इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में जीवन का मुख्य आधार कृषि ही थी।

**वेदों में खेती की जोताई—** ऋग्वेद के समय में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यावसाय बन चुकी थी। कृषि लोगों की जीविका का मुख्य आधार थी। इसके साथ ही लोग कृषि को और अधिक बढ़ाने के लिए लकड़ी एवं धातु से बने हल का उपयोग करते थे और इनको बैलों द्वारा जोता जाता था। हल के उपयोग का उल्लेख अथर्वकाण्ड 3 में एक सूक्त में मिलता है—

“सीरा युजन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक।

धीरा देवेषु सम्नया।”<sup>10</sup>

“अर्थात् बुद्धिमान ज्ञानी दैवी सुख प्राप्त करने के उद्योग में हलों को जोतते हैं और जुओं को अलग करके फैलाते हैं।” वैदिक काल में नक्षत्र एवं काल के निरीक्षण के आधार पर खेतों की जोताई होती थी। वैदिक काल में भी खोदाई के लिए फावड़ा का उपयोग होता था।

**वेदों में सिंचाई—** वैदिक काल में भी सिंचाई की अलग से व्यवस्था रहती थी। वैदिक काल में सिंचाई के लिए नदी, तालाब, नहर व कुँए का उपयोग होता था। ऋग्वेद में सिंचाई के लिए सूक्त है—

“तेन मामुप सिंचतम्” अर्थात् इस भूमि को सींचो।”<sup>11</sup>

“नमःकूप्या”,<sup>12</sup> “कूपाभ्यां स्वाहा”<sup>13</sup>

अतः स्पष्ट है कि सिंचाई के लिए वर्षा जल एवं कुँए का भी उपयोग होता था।

**वेदों में बीज बोने की शिक्षा—** वैदिक काल में बीज बोने का भी उल्लेख मिलता है जैसा कि यजुर्वेद में आया है—

“योनौ वपतेह बीजम्”<sup>14</sup> अर्थात् लकीरे बनाकर यहाँ बीज बोओ।”

कैसा अन्न खाना चाहिए इसका भी उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है—

“नेदीय इतसृणयः पक्वमेयात्”<sup>15</sup> अर्थात् खेतों में उत्पन्न हुए “यव” आदि अन्न जो पदार्थ इनमें (नेदीय)

अत्यन्त समीप पका हुआ ही काम में लाओ।”

वैदिक काल में मुख्य अन्न गेहूँ, धान, माष, तिल आदि बोये जाते थे।

**पशुपालन—** वैदिक काल में पशुपालन भी कृषि का महत्वपूर्ण अंग था। पशु कृषि के कार्यों में उपयोग किये जाते थे। जिनमें बैल मुख्य पशु था जिसका उपयोग हल में जोत कर खेतों में जोताई की जाती थी। जैसा कि यजुर्वेद के निम्न सूक्त से स्पष्ट होता है—

“शुनं वाहाः शुनं नर शुनं कृषतु लागंलम्।

शुनं वस्त्रा बध्यनतां शुनमष्ट्रामुदिङ्गयः।।”<sup>16</sup>

अर्थात् बैल आदि पशु सुख से रहें। किसान तथा अन्य मनुष्य आनन्द से रहे। हल सुख से जोते जाये, हल की रस्सियाँ सुख से बांधी जायें, चाबुक आनन्द से प्रेरित किया जाये।” यहाँ स्पष्ट है कि खेती के लिए, बैल, हलवाहा रस्सी, चाबुक तथा हल की फाल बैल का उपयोग होता था। इसके अतिरिक्त गाय, बकरी दूध के लिए, भेड़— ऊन के लिए पाले जाते थे।

**उपसंहार—** वैदिक काल के कृषि का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि वैदिक कालीन कृषि प्राकृतिक थी। वैदिक काल में खाद्य के रूप में गोबर खाद्य का उपयोग किया जाता था जबकि आधुनिक कृषि में

अधिकतर रसायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है जो पैदावार को बढ़ाते हैं परन्तु स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं।\_अतः स्पष्ट है कि वैदिक काल की कृषि आधुनिक कृषि की तुलना में ज्यादा सुरक्षित एवं स्वास्थ्य के लिए हितकर थी।\_अधिकांश लोग मानते हैं कि वेदों में सिर्फ पूजा पाठ ही है लेकिन ऐसा नहीं है वेद पढ़िये और जानिए भारत के स्वर्णिम अतीत और विज्ञान को।

### संदर्भ—सूचि

1. तैत्तिरीय उपनिषद
2. ऋग्वेद — 10. 34. 13
3. ऋग्वेद — 10. 101. 3
4. शतपथ ब्राह्मण — 1. 6. 1. 3
5. ऋग्वेद — 8. 78. 10
6. ऋग्वेद — 10.34.13
7. अथर्ववेद — 1. 1. 12
8. ऋग्वेद — 10.71. 2
9. कृषि पाराशर — श्लोक नं०—8
10. अथर्वकाण्ड 3 —
11. ऋग्वेद —
12. यजुर्वेद — 16. 38
13. यजुर्वेद — 22. 25
14. यजुर्वेद — 12. 68
15. यजुर्वेद — 12. 68
16. यजुर्वेद — 3. 17. 6.

## बुजुर्ग पीढ़ियों का आख्यान : गिलिगडु



पुष्पा यादव

शोध छात्रा,

पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब, बठिंडा।

### Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number: 63-69

### Publication Issue :

September-October-2021

### Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 30 Sep 2021

**शोध सारांश** - भारत विश्व में संबंधों की आत्मीयता और गरिमा के लिये जाना जाता है, लेकिन अब यहां भी स्थितियां बदल चुकी हैं। चित्रा ने इस उपन्यास के बहाने बुजुर्गों की दुनिया के अनेकों ऐसे मनोभावों को सूक्ष्म स्तर पर अभिव्यक्त करने की कोशिश की जिनसे हमारी युवा पीढ़ी बेखबर है। आधुनिकता बोध, उदारताकरण और सूचना प्रौद्योगिकी की आंधी ने भारतीय जीवन-मूल्यों को बिखेर दिया है। उपभोक्ततावादी संस्कृति ने वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को खोखला सिद्ध कर दिया और संयुक्त परिवार का एकल परिवार में तब्दील होने से एकल परिवार की विसंगतियों को परिवार के बुजुर्गों को सहना पड़ता है। जहां व्यक्ति अपना संपूर्ण यौवन अपने बच्चों के लिये होम कर देता वहीं बच्चे अपने कर्तव्य से विमुख होकर माता-पिता को अकेलेपन में जीवन जीने के लिये छोड़ देते हैं। बाबू कर्नल स्वामी और बाबू जसवंत सिंह जैसे वृद्ध पात्रों की संख्या हमारे समाज में बहुत हैं जो किसी न किसी रूप में अकेलापन जीने के लिये विवश हैं। परिवार समाज की प्रथम इकाई होती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि बुजुर्गों की देखभाल करें। बुजुर्गों के प्रति सम्मानजनक और गरिमामय वातावरण निर्मित करना परिवार, समाज और सरकार संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व है।

**मुख्य शब्द** - बुजुर्ग, पीढ़ियां, आख्यान, गिलिगडु,, भारत, विश्व, आत्मीयता, गरिमा, परिवार, समाज।

भारत के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो प्राचीनकाल में हमारे समाज में वृद्धों की स्थिति बहुत ही सम्माननीय रही है। सामान्यतः प्रत्येक परिवार में वयोवृद्धों का वर्चस्व होता था, वह परिवार के मुखिया होते थे। परिवार के फैसले उनके हाथ में होते थे और उन्हीं की छत्रछाया में परिवार के अन्य सदस्य उनके द्वारा निर्धारित कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करते थे, परन्तु आज के भौतिकवादी युग में वृद्धों को भी उपयोगितावादी नजरिये से देखना शुरू किया गया परिणामतः यह हुआ कि उनकी समस्याएं बढ़ने लगीं। वृद्धावस्था जीवन का अन्तिम और ऐसा पड़ाव होता जब व्यक्ति अशक्त हो जाता है, उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं रह जाती भरण-पोषण के लिये वह दूसरों पर निर्भर करता है और यही निर्भरता वृद्धों की समस्याओं का मूल कारण है, चाहे हम शारीरिक दृष्टि से सोचे या फिर आर्थिक दृष्टि से वृद्धों को हर रूप में विवश देखा जा सकता है। गौरतलब है कि यह समस्या केवल भारत में ही नहीं वरन विश्व के विभिन्न देशों में पायी जाती है और इसका कारण है युवा वर्गों द्वारा वृद्धों को महत्त्व न दिया जाना। काल की गति क्षिप्र है वह इतनी शीघ्रता से चला जाता है कि उस पर किसी की दृष्टि नहीं जाती। एक नवजात शिशु कब अपनी शैशवावस्था छोड़ कर युवावस्था में पहुंचा और कब



वृद्धावस्था में यह पता नहीं चलता। मानव विकास के मनोविज्ञान के अनुसार 65 वर्ष की आयु से वृद्धावस्था की शुरुआत होती है, लेकिन मनुष्य वृद्धावस्था की कल्पना मात्र से डर जाता है, निराश हो जाता है और सब चीजों से कटा हुआ महसूस करता है। कहा जाए तो वह केन्द्र से परिधि की ओर चला जाता है या उपेक्षित हो जाता है, समाज से, परिवार से और यहां तक की अपने आप से।

वस्तुतः वृद्धावस्था जीवन के विकास की चरमावस्था है। पदुमलाल पुत्रालाल बख्शी का कथन है कि “इस अवस्था में लोगों के सभी भाव रस के रूप में परिणत होकर आनन्दमय हो जाते हैं। युवावस्था में प्रायः आडम्बरप्रियता और प्रदर्शनप्रियता को देखा जा सकता है, लेकिन वृद्धावस्था में यह सब नहीं रह जाते। वृद्धावस्था का सच्चा आनन्द आत्म सन्तोष है।”<sup>1</sup> जैसे-जैसे मनुष्य अपने आपको वृद्ध मानने लगता है तो, वह कमजोर महसूस करने लगता है तथा सहानुभूति अर्जित करने की इच्छा रखता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में वृद्धों की स्थिति दयनीय नहीं मानी जाती रही है, यहां बड़ों का मान सम्मान किया जाता है। इसलिये कहा गया है कि

“ अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्॥”<sup>2</sup>

अर्थात् प्रतिदिन बुजुर्गों को प्रणाम करने और उनकी सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, कीर्ति और शक्ति की वृद्धि होगी, लेकिन वर्तमान में यहां भी स्थितियां बदल रहीं हैं और परिवार का विघटन हो रहा है। जैसे-जैसे मनुष्य बुढ़ापे की ओर चलता है वैसे-वैसे अकेलापन, संत्रास, भय और असुरक्षा आदि उसको घेर लेते हैं, दरअसल उन्हें सुरक्षा और स्नेह की आवश्यकता है। वृद्धों के मनोविज्ञान को समझना काफी नहीं है बल्कि आज के परिप्रेक्ष्य में उनके पुनर्वास का प्रश्न प्रबल हो उठा है।

स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कथा साहित्य में चित्रा मुद्गल का विशिष्ट स्थान है। हिन्दी की स्वातंत्र्योत्तर कथाकारों में चित्रा ऐसी कथाकार हैं जिनकी रचनाओं में नारी-अस्मिता एवं मानवीय विकास से जुड़े मामलों को बहुत ही पारदर्शिता के साथ चित्रित किया गया है। इन्होंने अपने उपन्यास ‘आवां’, ‘एक जमीन अपनी’, ‘गिलिगडु’ और ‘पोस्ट बाक्स नं. 203 नाला सोपारा’ में क्रमशः स्त्री विमर्श, उपेक्षित एवं समाज में हाशिये का जीवन बिता रहे बुजुर्गों की समस्या और कित्तर जीवन की समस्या को उजागर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। हिन्दी साहित्य में वृद्धों के जीवन एवं समस्याओं को केन्द्र में रखकर पर्याप्त साहित्य सृजन किया जा रहा है, जिनमें चित्रा का उपन्यास ‘गिलिगडु’ (2002) भी केन्द्र में आया। इस उपन्यास में अवकाश प्राप्त वृद्धों का दुःख, घर, परिवार तथा समाज से उपेक्षित, दुर्व्यवहार के साथ घर से निकाले गये वृद्धों के जीवन की पीड़ा को चित्रित किया गया है। यह उपन्यास आकार में छोटा, किन्तु संवेदनशीलता का अथाह भंडार है। इसमें बुजुर्ग की एकरेखीय कहानी ही नहीं, अपितु उनके जीवन के बहुयामी रंग उभर कर सामने आये हैं। यह उपन्यास तेरह दिन की कहानी के माध्यम से दो बुजुर्ग सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर बाबू जसवंत सिंह एवं सेवानिवृत्त कर्नल स्वामी (विष्णु नारायण स्वामी) के जीवन का पूरा खाका ही नहीं अपितु आज के बदलते जीवन मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में घर, परिवार तथा समाज में बुजुर्गों की वास्तविक स्थिति को बहुत ही बेबाकी से चित्रित किया है। इस उपन्यास में मुख्य रूप से संयुक्त परिवार का एकल परिवार में परिवर्तित होना, परिवार में बुजुर्गों की घटती अहमियत और वर्तमान में वृद्धों की समस्याओं की वास्तविक परिस्थिति को कई प्रसंगों के माध्यम से दर्शाया गया है।

‘गिलिगडु’ मलयालम शब्द ‘किलि कलु’ का हिन्दी रूपान्तरण है जिसका शाब्दिक अर्थ है- चिड़िया । लेकिन प्रस्तुत उपन्यास में ‘गिलिगडु’ शब्द का प्रयोग उपन्यास के बुजुर्ग पात्र कर्नल स्वामी की जुड़वा पोतियों के लिये किया गया है। गिलिगडु उपन्यास की कहानी ऐसे दो बुजुर्गों की है जो घर परिवार और आर्थिक रूप से समर्थ होते हुए भी अकेले हैं।

हमारे समाज में बुजुर्गों की तीन श्रेणियां हैं- एक वे हैं जिनका कोई परिवार नहीं है इसलिए अकेले रहने के लिए अभिशप्त हैं, दूसरे वे जो भरा-पूरा परिवार होते हुए भी अकेले रहने को बाध्य हैं और तीसरे वे हैं जो परिवार में रहकर भी अकेले हैं। इस उपन्यास में तीनों तरह के पात्र मौजूद हैं। उपन्यास के पात्र मिस्टर और मिसेज श्रीवास्तव जिनका जिक्र उपन्यास के अंत में कर्नल स्वामी के विषय में जानकारी देने के लिये पड़ोसी के रूप में हुआ है। वह दोनों दंपति इसलिये अकेले हैं कि उनकी कोई औलाद नहीं है। मिसेज श्रीवास्तव कहती हैं- “ऐसे कसाई औलादों से तो आदमी निपूता भला है हमें इस बात का कोई गम नहीं कि मेरी कोई औलाद नहीं...।”<sup>3</sup> वहीं दूसरे पात्र कर्नल स्वामी जिनके तीन बेटे-बहुएं हैं तथा आर्थिक रूप से समर्थ होते हुए भी पत्नी की मृत्यु के बाद निपट अकेले रहने को अभिशप्त हैं। हालांकि इस बात को कभी किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते, इस बात का खुलासा उनकी मौत के बाद उनके पड़ोसी बाबू जसवंत सिंह से करते हैं, तभी पाठक इस बात से रूबरू हो पाते हैं। इसी तरह उपन्यास के तीसरे पात्र बाबू जसवंत सिंह हैं जो घर, परिवार में रहते हुए भी अकेले हैं क्योंकि वह परिवार के लिये अब अतिरिक्त हो चुके हैं, उनकी कोई उपादेयता अब नहीं है।

भारतीय समाज में वृद्धों को पारंपरिक रूप से उच्च सामाजिक मान-मर्यादा मिलती रही है। शादी -विवाह, शिक्षा, आर्थिक मुद्दे आदि महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय ली जाती रही है, लेकिन समाज के आधुनिकीकरण के कारण यह स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। यही कारण है कि युवाजन का वृद्धों के प्रति लगाव खत्म होता जा रहा है और उन पर अभद्रजनक टिप्पणी करने से बिलकुल नहीं हिचकते हैं। बाबू जसवंत सिंह के बेटे नरेन्द्र और बहू सुनयना का उनके प्रति व्यवहार इतना कठोर है कि वे दोनों उनका अपमान व तिरस्कार करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते और यही कारण था कि बाबू जसवंत सिंह को कभी यह आभास नहीं होता है कि वह उनका अपना घर है। इस उपन्यास में बाबू जसवंत सिंह के माध्यम से वृद्धावस्था में प्रवास की समस्या को भी दिखाया है। वे पत्नी की मृत्यु के बाद कानपुर छोड़कर दिल्ली नहीं जाना चाहते थे, लेकिन परिस्थितिवश मजबूर होकर उन्हें जाना पड़ता है। इस सन्दर्भ में लेखिका लिखती है- “दिल्ली बाबू जसवंत सिंह ने न कभी आना चाहा न आने के बाद कोई दिन गुजरा कि वे चिहुंक-चिहुंककर दिल्ली से उचाट न हुए हों।”<sup>4</sup>

तथाकथित आधुनिक समाज में यह कैसी विडम्बना कि एक पिता को अपने ही घर में बहू- बेटे से इतना भयाकुल हो जाना कि अपने दोस्त कर्नल स्वामी को एक कप कॉफी के लिये नहीं बुला पाते। बाबू जसवंत सिंह को यह भय रहता है कि कहीं बहू सुनयना चाय-कॉफी तो दूर उनका तिरस्कार ना कर दे। “गेट के निकट पहुंचकर बाबू जसवंत सिंह की इच्छा हुई कि अजनबी को घर चलकर एक कप कॉफी पीने का न्यौता दें, लेकिन न्यौता देने का साहस नहीं जुटा। ...कानपुर से दिल्ली आये उन्हें अरसा हो गया। घर की चौखट में दाखिल होते ही वे स्वयं को अपरिचितों की भांति प्रवेश करता हुआ अनुभव करते हैं। कैसे कहें !”<sup>5</sup> इस तरह बात-बात पर उपेक्षित होने पर बाबू जसवंत सिंह को कभी भी ये नहीं लगता है कि ये उनका स्वयं का घर है। वे स्वयं की तुलना घर के कुत्ते से करते हुए कहते हैं- “इस घर में एक नहीं दो कुत्ते हैं-एक टॉमी, दूसरा अवकाश-प्राप्त सिविल इंजीनियर जसवंत सिंह ! टॉमी की स्थिति निस्संदेह उनकी बनिस्बत मजबूत है। उसकी इच्छा-अनिच्छा की परवाह में बिछा रहता है पूरा घर। उनके लिये किसी को बिछे रहना जरूरी नहीं लगता। टॉमी अच्छी नस्ल का कुत्ता है। सोसाइटी में उनके घर का रुतबा बढ़ाता है। उनके चलते उनका रुतबा कलंकित हुआ है। कलंकित होकर अक्षत-चन्दन क्यों चढ़ाएं ?”<sup>6</sup>

कहा जाता है कि जीवन में भरोसा बहुत बड़ी बात होती है। अगर व्यक्ति पर अपनों का भरोसा नहीं रहता है तो वह पूरी तरह टूट कर बिखर जाता है, किन्तु अपनों का साथ हो तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर लेता है। उपन्यास के पात्र बाबू जसवंत सिंह को बवासीर की पुरानी शिकायत थी और पायजामा खोलकर मस्सों में हडिंसा ट्यूब लगा रहे थे तो गलती से खिड़की खुली रह जाती है, जिसके चलते पड़ोस में रहने वाली औरत को गलतफहमी होती है कि

बाबू जसवन्त सिंह उनकी बेटी को देखकर पायजामा खोलते हैं, इस पर वह उनकी शिकायत उनकी बहू सुनयना से करती है। बहू सुनयना उन पर आग के गोले की तरह बरस पड़ती है- “आखिर बाबूजी इस संभ्रांत सोसायटी में उनकी इज्जत खाक में मिलाने पर क्यों उतारू हैं? अपनी उम्र का लिहाज किया होता। अभी भी जवानी का जोश बाकी हो तो दिक्कत कैसी? चले जाया करें रेडलाइट एरिया। कौन पेंशन कम मिलती है उन्हें मौजमस्ती में हाथ बंधे हों? कम से कम अड़ोस-पड़ोस की किशोरियों पर तो नजर न डालें। मुँह दिखाने लायक रखें उन्हें सोसायटी में।”<sup>7</sup> वर्तमान में बुजुर्गों की स्थिति के सन्दर्भ में लेखिका क्षमा शर्मा लिखती है- “अपनों द्वारा ठुकराये जाने का जो मलाल होता है, उसका क्या कोई इलाज है ? उस अकेलेपन और अपमान के अहसास का क्या जो उनके करीबी जन उन्हें कराते हैं? वे बार-बार यह अहसास दिलाते हैं कि उनकी जरूरत अब घर में तो क्या इस धरती पर ही नहीं रही। उन्होंने जिनके लिए अपनी उम्र और अपने सारे संसाधन लगा दिये, वे ही दो जून की रोटी के लिए दुत्कारते हैं।”<sup>8</sup>

सूचना क्रांति के दौर में तथाकथित समझदार युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों को सम्मान ना देते हुए उन्हें अकेला जीवन जीने के लिए छोड़ देती हैं। इस युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व पात्र जसवंत सिंह का बेटा नरेंद्र करता है। इस पीढ़ी को वृद्ध की संपत्ति तो चाहिए होती है, लेकिन सेवा के लिये उनके पास कोई समय और जगह नहीं है। जसवंत सिंह को कानपुर से बेटे और बहू के द्वारा दिल्ली बुला लिया जाता है। यहां पर कदम कदम पर खुद अपमानित महसूस करते हैं बात बात पर उनको टोका जाता है। रहने के लिए भी बालकनी को रूम में तब्दील कर दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं वृद्ध को हाशिये की ओर धकेलने का प्रतीक है। अपने बेटे की अपने प्रति उपेक्षा भाव को देखकर ही जसवंत सिंह विवश होकर नरेंद्र से संवाद करते हैं- “तुम कभी बूढ़े नहीं होंगे नरेंद्र”<sup>9</sup> यह संवाद बहुत ही सामाजिक और सच है।

उपन्यास के दूसरे पात्र कर्नल स्वामी की स्थिति और भी भयावह है, जिसे मुद्रल ने उपन्यास के अंत में बड़ी कुशलता से प्रकट किया है। कर्नल स्वामी एक ऐसा व्यक्तित्व है, जो परिवार द्वारा अकेले रहने के लिए विवश कर दिया गया है, लेकिन वह अकेलेपन में प्रसन्न रहने की कोशिश करते हैं। जसवंत सिंह से मिलने के बाद वह उनके समक्ष स्वयं को बहुत सुखी और आनंदित प्रस्तुत करते हैं, जबकि असल स्थितियां कुछ और थी। बहू सुनयना द्वारा अपमानित होकर जब इसकी शिकायत वे कर्नल स्वामी से करते हैं तो कर्नल स्वामी उन्हें समझाते हुए कहते हैं-“जीवन मुठभेड़ों से ही जिया जाता है मिस्टर सिंह !”<sup>10</sup> कर्नल स्वामी का उक्त वक्तव्य सुनकर उनसे खुद की तुलना करते हुए बाबू जसवन्त सिंह सोचते हैं- “कितनी मुठभेड़ें कोई झेल सकता है ? कर्नल स्वामी ही ऐसा महसूस कर सकते हैं और कह सकते हैं। दरअसल उपेक्षा और लांछनों के चीरते दंशों से वे कोसों दूर हैं। बेटों, बहुओं, पोतों, पोतियों ने उन्हें हाथों हाथ रखा हुआ है। घर की दीवारें चहचहाहट से गुलजार हैं। एक वे हैं - सपनों में सपना बुनते ही रह गये कि कानपुर वाले घर में उनके पोते-पोतियां हुडदंगे मचाएं। दीवारों पर ककहरा लिखें। सीकों से हाथ-पांव वाले आदमी उकेरें। पेड़-पौधे रचें, जिनमें भरा गया रंग बाहर फैल पूरे घर को छींट दे। खाली हाथ घर में घुसते ही रिसाए बच्चों के फूले गाल उन्हें वापस बाजार दौड़ा दें...”<sup>11</sup>

संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति का प्रमुख वैशिष्ट्य रहा है, जहां संबंधों को महत्त्व दिया जाता था, किंतु आज न तो संबंध की जरूरत न ही मूल्यों की। जसवंत सिंह की बेटा और बेटी दोनों ही जमीन जायदाद को लेकर लालायित हैं, जसवंत सिंह की बेटी उनसे कहती है- “लॉकर में अभी है तो बहुत कुछ बाबूजी। अम्मा के कई सेट, पांच तोले के आजी वाली नाथ, चांदी का ढेरों सामान। अम्मा हमेशा कहती रही अपनी पचलड़ और कुंदन का सेट वे अनीता को देंगी और विक्रम की बहू के लिये...”<sup>12</sup> अपनी बेटी से यह बात सुनकर गहरा आघात पहुंचता है और उनके हाथों से फोन रिसीवर छूट जाता है।

प्राचीनकाल से हमारे समाज में प्रचलित रहा है कि दाह संस्कार पर पुत्राधिकार है, लेकिन चित्रा मुद्गल ने इस उपन्यास में उस परम्परा की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। जसवंत सिंह जब कर्नलस्वामी की स्थिति से रूबरू होते हैं तब परिवार के प्रति उनका रहा सहा मोह भी भंग हो जाता है। यही कारण है कि उनका प्रेम बेटा-बहू और बेटी की अपेक्षा कानपुर के घर में रहने वाली नौकरानी सुनगुनियां और उसके बच्चों के प्रति अधिक उमड़ता है। सुनगुनियां को बाबू जसवन्त सिंह न केवल अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं बल्कि बाकी की जिन्दगी भी इज्जत व सम्मान के साथ सुनगुनियां के साथ जीना चाहते हैं, और इतना ही नहीं अपने शव को मुखाग्नि देने की जिम्मेदारी भी उसे ही सौंपते हैं। लेखिका लिखती है- “सुनगुनियां से वे कहकर जाएंगे और उसे अपनी वसीयत में स्पष्ट लिखवा भी देंगे कि सुनगुनियां का पुत्र रामरतन, न अभिषेक आसरे ही उनकी कपालक्रिया करे। उसे ही वह अपने दाह-संस्कार का अधिकार दे रहे हैं।”<sup>13</sup> जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रान्ति है। चित्रा लिखती है- “बाबू जसवन्त सिंह सुनगुनियां से यह भी कहना चाहते हैं कि कानपुर पहुंचते ही वे अपने परिचित एडवोकेट मुन्ना सिंह कुशवाहा से अविलम्ब मुलाकात करेंगे। उनसे अपनी नयी वसीयत बनवाएंगे और उसे रजिस्टर्ड करवाएंगे कि कानपुर वाला घर उनकी पैतृक संपत्ति नहीं है। उनकी अर्जित संपत्ति है। उनके न रहने पर उस घर की एकमात्र अधिकारिणी सुनगुनियां होगी।”<sup>14</sup> वस्तुतः इस उपन्यास में मूल्यों के टूटन से उपजी भयावहता का बेबाक चित्रण किया गया है, जहां न आपसी प्रेम है और न ही लगाव है।

देश में औद्योगीकरण और नगरीकरण के विस्तार के साथ परिवार के मूल स्वरूप में भी व्यापक परिवर्तन हुए हैं। आजकल बच्चें अपना बचपन कम्प्यूटर, टी.वी., मोबाईल और इंटरनेट पर दूढ़ रहे हैं। बच्चों में भावनात्मक रिश्ते नाम की चीज ही नहीं रह गयी है। बच्चों को शुरू से ही इस तरह सीमित रहना सिखाया जाता है कि वे खुद में या दोस्तों में ही सिमट कर रह जाते हैं। बाबू जसवन्त सिंह पोते को जन्मदिन की पार्टी देना चाहते हैं तथा भावनात्मक तौर पर उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन मलय का यह करारा जवाब उनके दिल को गहरी ठेस पहुँचाता है- “उसका यह कार्यक्रम उसके दोस्तों के साथ है। घरवाले इसमें शामिल नहीं होंगे। ...अपनी गाड़ी के लिए पापा उस रोज दफ्तर से ड्राइवर बुलवा लेंगे। न, न दादू ! अपने साथ हम किसी भी बड़े को नहीं ले जाएंगे - पार्टी बोरिंग हो जायेगी।”<sup>15</sup> इस सन्दर्भ में चित्रा मुद्गल लिखती है- “बुद्धिविकास की आड़ में बड़ी खूबसूरती से बच्चों को संवेदना-च्युत किया जा रहा-इतना कि बच्चे कभी परिवार में न लौट सकें, न कभी अपना कोई परिवार गढ़ सकें।”<sup>16</sup>

बदलते सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवारों का विखण्डन बड़ी तेजी से एकल परिवार के रूप में हुआ है। विघटित संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था के एकल स्वरूप ने आधुनिक और परम्परागत दोनों पीढ़ियों को समान रूप से प्रभावित किया है। एक तरफ जहां आज की कथित आधुनिक पीढ़ी परम्परागत पालन-पोषण, बुजुर्ग सदस्यों के प्यार-दुलार तथा सामाजिक मूल्यों-संस्कारों से दूर होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एकल पारिवारिक व्यवस्था ने बुजुर्गों को एकाकी जीवन जीने को विवश किया है। देश में बुजुर्गों का एक बड़ा तबका या तो अपने घरों में तिरस्कृत एवं उपेक्षित जीवन जी रहा है या वृद्धाश्रमों में अपनी शेष जिन्दगी बेबसी के साये में विताने को मजबूर है। उपन्यास का पात्र नरेंद्र भी अमेरिका जाने की सोचता है तो अपने पिता जसवंत सिंह को वृद्धाश्रम में छोड़ना चाहता है। बाबू जसवन्त सिंह ने जब बेटी से उनके साथ हो रहे उपेक्षित व्यवहार की शिकायत की तो वह भी उल्टा उन्हें ही डाटने लगी- “वह यह भी मानते हैं कि उनके स्वभाव में आये परिवर्तन का कारण है अम्मा का अचानक चले जाना। अकेलापन उन्हें खाये जा रहा। मगर भैया के अकेले प्रयत्नों से तो अशान्ति कम नहीं हो सकती। बाबूजी को भी अपनी खोह से बाहर निकलने की जरूरत है।...भैया तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि जहां बाबूजी का मन लगे, वे प्रसन्नचित्त रहें, उन्हें वहीं रखा जाये। उन्होंने पता लगाया है कि नोएडा के सेक्टर पचपन में कोई आनन्द निकेतन वृद्धाश्रम है, क्यों न उनके रहने की व्यवस्था वहीं कर दी जाये।...उन्हें वहां रखने के निर्णय से भैया पर

खर्च का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। भैया उसे सहर्ष उठाने के लिये तैयार है।”<sup>17</sup> बेटी शालू के इस वक्तव्य ने बाबू जसवन्त सिंह के जीने की चाह ही खत्म कर दी और उनको बहुत तेज बुखार ने आ घेरा। डॉ. नीलम सराफ़ लिखती हैं- “पुत्र द्वारा उपेक्षा और पुत्री की विवशता दोनों ही वृद्धों की ओर ध्यान दिए जाने में बाधक बनते हैं।”<sup>18</sup>

प्रायः देखा जाता है कि पुरुष की तुलना में महिलाएं कम अहमन्य होती हैं और वे अपने प्रति जागरूक भी नहीं होती। बाबू जसवन्त सिंह की पत्नी को अपने बहू-बेटे के लिए इस उम्र में भी काम करके खुशी मिलती थी, जबकि बाबू जसवन्त सिंह स्वयं पूरे समय कुछ-न-कुछ कमियाँ खोजते रहते थे। वे वही इज्जत और सम्मान चाहते थे जो उनको प्रौढ़ावस्था में मिलता था। अहम फैसलों में अपनी नजरअंदाजी वे सहन नहीं कर पाते। परिवार में वृद्धों को चौबीसों घंटे जितना अपने मान-सम्मान का ध्यान रहता है, उतना अन्य किसी भी चीज का नहीं रहता है। अपने बहू-बेटे की शिकायत करने पर कर्नल स्वामी उल्टा उन्हें डाटते हुए कहते हैं-“सच तो यह है दोस्त, आपको दुःख ओढ़ने बिछाने की आदत पड़ गयी है। साधारण बात पहार हो उठती है। दरअसल यह और कुछ नहीं है मिस्टर सिंह-बूढ़ों की शासन न कर पाने की कुंठा है।”<sup>19</sup>

निष्कर्षतः भारत विश्व में संबंधों की आत्मीयता और गरिमा के लिये जाना जाता है, लेकिन अब यहां भी स्थितियां बदल चुकी हैं। चित्रा ने इस उपन्यास के बहाने बुजुर्गों की दुनिया के अनेकों ऐसे मनोभावों को सूक्ष्म स्तर पर अभिव्यक्त करने की कोशिश की जिनसे हमारी युवा पीढ़ी बेखबर है। आधुनिकता बोध, उदारिकरण और सूचना प्रौद्योगिकी की आंधी ने भारतीय जीवन-मूल्यों को बिखेर दिया है। उपभोक्ततावादी संस्कृति ने वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को खोखला सिद्ध कर दिया और संयुक्त परिवार का एकल परिवार में तब्दील होने से एकल परिवार की विसंगतियों को परिवार के बुजुर्गों को सहना पड़ता है। जहां व्यक्ति अपना संपूर्ण यौवन अपने बच्चों के लिये होम कर देता है वहीं बच्चे अपने कर्तव्य से विमुख होकर माता-पिता को अकेलेपन में जीवन जीने के लिये छोड़ देते हैं। बाबू कर्नल स्वामी और बाबू जसवन्त सिंह जैसे वृद्ध पात्रों की संख्या हमारे समाज में बहुत हैं जो किसी न किसी रूप में अकेलापन जीने के लिये विवश हैं। परिवार समाज की प्रथम इकाई होती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि बुजुर्गों की देखभाल करें। बुजुर्गों के प्रति सम्मानजनक और गरिमामय वातावरण निर्मित करना परिवार, समाज और सरकार का संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व है। हमारे बुजुर्ग परिवार, समाज और राष्ट्र के लिये किसी धरोहर से कम नहीं हैं। पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने के लिये नयी पीढ़ी को वृद्धों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। बुजुर्गों के लिये परिवार का अर्थ आत्मीयता, घनिष्टता एवं सुरक्षा है, जिसका विकल्प राज्य द्वारा उत्तम प्रयास, सुविधाएं तथा योजनाओं के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है।

#### सन्दर्भ सूची-

1. पदुमलाल पुत्रालाल बख्शी, निबन्ध, वृद्धावस्था
2. मनुस्मृति, 2/121
3. मुद्गल, चित्रा, गिलिगडु, सामयिक प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2002, नयी दिल्ली, पृष्ठ संख्या 138
4. वही.....पृष्ठ संख्या 36
5. वही.....पृष्ठ संख्या 14
6. वही.....पृष्ठ संख्या 96
7. वही.....पृष्ठ संख्या 59

8. सं. संजय गुप्त, दैनिक जागरण (राष्ट्रीय संस्करण), दैनिक हिन्दी समाचार पत्र, रविवारीय अंतराल के अंतर्गत 'अपनोंकी अनदेखी का दर्द' - क्षमा शर्मा, नयी दिल्ली, 11 जून 2017
9. मुद्गल, चित्रा, गिलिगडु, सामयिक प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2002, नयी दिल्ली, पृष्ठ संख्या 61
10. वही.....पृष्ठ संख्या 61
11. वही.....पृष्ठ संख्या 61-62
12. वही.....पृष्ठ संख्या
13. वही.....पृष्ठ संख्या 144
14. वही.....पृष्ठ संख्या 144
15. वही.....पृष्ठ संख्या 33-34
16. वही.....पृष्ठ संख्या 34
17. वही.....पृष्ठ संख्या 96-97
18. सराफ़, डॉ. नीलम, हिन्दी उपन्यास सामाजिक समस्याएँ, हिन्दी बुक सेन्टर, नयी दिल्ली, पृष्ठ संख्या 106
19. मुद्गल, चित्रा, गिलिगडु, सामयिक प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2002, नयी दिल्ली, पृष्ठ संख्या 93



# भारत में महिला शिक्षा

डॉ. मालती वर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर, ए.एन.डी. नगर निगम महिला महाविद्यालय,  
कानपुर, उत्तर प्रदेश।

## Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number: 70-78

## Publication Issue :

September-October-2021

## Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 30 Sep 2021

**शोध सारांश**—शिक्षा लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार, पंचायतों, सार्वजनिक मामलों आदि में भागीदारी के विचार को विकसित करती है, सतत विकास प्राप्त करने के लिए लड़कियों और महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई रणनीतियों और पहलों में महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के विभिन्न उपकरण शामिल होने चाहिए जैसे शिक्षा का अधिकार और पहुंच, स्वास्थ्य देखभाल, पर्याप्त पोषण, संपत्ति का अधिकार और समान अवसरों तक पहुंच, जरूरतमंद महिलाओं की मदद के लिए कानूनी और संस्थागत तंत्र, मीडिया तक पहुंच और अंत में विवाद निवारण तंत्र। महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण में बाधक बनने वाली सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं को जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है।

**मुख्य शब्द**— भारत, महिला, शिक्षा, लैंगिक, सरकार, पंचायत, सशक्तिकरण, पोषण, स्वास्थ्य।

**परिचय**— समाज में महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। शैक्षिक उपलब्धि का स्तर और साक्षरता दर किसी भी समाज के सामान्य विकास के संकेतक हैं। समृद्धि और सतत विकास प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण अनिवार्य है।

आजादी के बाद से, भारत ने राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए कई अलग-अलग रणनीतियों को अपनाया है। महिलाओं की समग्र स्थिति और स्थिति में भी सुधार हुआ है।

“शिक्षा ज्ञान का पूल है, और यह जीवन के सभी क्षेत्रों में मूल्यवान है।”

## भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल साक्षरता दर 74: है और महिलाओं में साक्षरता दर 65.46: है। 2001 में भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत 54.16 प्रतिशत था। देश में साक्षरता दर 1951 में 18.33 प्रतिशत से बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार 74.00 प्रतिशत हो गई है। महिला साक्षरता दर भी 1951 में 8.86 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 65.46 प्रतिशत हो गई है। 1991-2001 की अवधि के दौरान महिला साक्षरता दर में 14.80: की वृद्धि हुई और जबकि पुरुष साक्षरता दर में 11.72: की वृद्धि हुई। महिला साक्षरता दर में वृद्धि पुरुष साक्षरता दर की तुलना में 3.15 प्रतिशत अधिक थी। तालिका 1 में भारत के सभी



राज्यों में साक्षरता की सामान्य दर के साथ-साथ पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता की दर का विवरण दिया गया है। तालिका 2 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यवार साक्षरता दर के आंकड़े देती है।

तालिका 1: भारत की साक्षरता दर (2011 की जनगणना)

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या प्रतिशत	पुरुष प्रतिशत	महिलाएं प्रतिशत
1951	18 <sup>७</sup> 3	27 <sup>७</sup> 2	8 <sup>७</sup> 9
1961	28 <sup>७</sup> 3	40 <sup>७</sup> 4	15 <sup>७</sup> 4
1971	34 <sup>७</sup> 5	46 <sup>७</sup> 0	22 <sup>७</sup> 0
1981	43 <sup>७</sup> 6	56 <sup>७</sup> 4	29 <sup>७</sup> 8
1991	52 <sup>७</sup> 2	64 <sup>७</sup> 1	39 <sup>७</sup> 8
2001	64 <sup>७</sup> 8	75 <sup>७</sup> 3	53 <sup>७</sup> 7
2011	74 <sup>७</sup> 00	80 <sup>७</sup> 9	64 <sup>७</sup> 6

तालिका 2: राज्यवार साक्षरता दर (जनगणना 2011)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रा	कुल साक्षरता दर	प्रतिशत पुरुष साक्षरता दर	प्रतिशत महिला साक्षरता दर
भारत	<b>74.00</b>	<b>82.14</b>	<b>65.46</b>
जम्मू और कश्मीर	68.74	78.26	58.01
हिमाचल प्रदेश	83.78	90.83	76.60
पंजाब	76.68	81.48	71.34
चंडीगढ़	86.43	90.54	81.38
उत्तराखंड	79.63	88.33	70.70
हरयाणा	76.64	85.38	66.77
दिल्ली एनीआर	86.34	91.03	80.93
राजस्थान	67.06	80.51	52.66
उत्तर प्रदेश	69.72	79.24	59.26
बिहार	63.82	73.39	53.33
सिक्किम	82.20	87.29	76.43

अरुणाचल प्रदेश	66.95	73.69	59.57
नगालैंड	80.11	83.29	76.69
मणिपुर	79.85	86.49	73.17
मिजोरम	91.58	93.72	89.40
त्रिपुरा	87.75	92.18	83.15
मेघालय	75.48	77.17	73.78
असम	73.18	78.81	67.27
पश्चिम बंगाल	77.08	82.67	71.16
झारखंड	67.63	78.45	56.21
उड़ीसा	73.45	82.40	64.36
छत्तीसगढ़	71.04	81.45	60.59
मध्य प्रदेश	70.63	80.53	60.02

अखिल भारतीय स्तर पर यह पता लगाया जा सकता है कि साक्षरता में लिंग अंतर कम हो रहा है और महिला साक्षरता दर हर दशक में बढ़ रही है। बहरहाल, दो लिंगों के बीच अंतर मौजूद है। आंकड़े बताते हैं कि साक्षरता दर और शैक्षिक लाभ के मामले में महिलाएं शुरू से ही पिछड़ी हुई हैं।

आंकड़ों के विश्लेषण से भारत में परिवारों द्वारा लिंग-अनुपात और एक पुरुष बच्चे के लिए वरीयता को कम किया गया है, जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयाँ भी हुई हैं। लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर वर्षों और उदासीन चरणों से जारी है। पिछले कुछ वर्षों में ही प्रति 100 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर कम हुआ है।

#### महिला साक्षरता को बाधित करने वाले कारक

गरीब महिला साक्षरता दर के लिए कई तरह के कारक जिम्मेदार पाए गए हैं, जैसे।

1. लिंग आधारित असमानता।
2. सामाजिक भेदभाव और आर्थिक शोषण
3. घरेलू कामों में बालिकाओं का व्यवसाय
4. स्कूलों में लड़कियों का कम नामांकन
5. कम प्रतिधारण दर और उच्च छोड़ने की दर।

#### लड़कियों का नामांकन

पिछले वर्षों में डेटा शिक्षा के लिए नामांकन करने वाली लड़कियों की संख्या में लगातार गिरावट का संकेत देता है क्योंकि वे प्राथमिक से माध्यमिक और फिर उच्च शिक्षा के स्तर पर आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर की ओर बढ़ते हुए संख्या में स्पष्ट गिरावट देखी जा सकती है।

## लड़कियों की ड्रॉप-आउट दर

पिछले वर्ष के आंकड़े एससी और एसटी सहित सभी श्रेणियों के छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा के शुरुआती चरणों में लड़कियों और लड़कों के बीच ड्रॉप आउट की दर को दर्शाते हैं। एनएसएसओ सर्वेक्षण द्वारा रिपोर्ट किए गए प्राथमिक और मध्य विद्यालय स्तर में स्कूल छोड़ने के सामान्य कारणों में से कुछ हैं:

1. पढ़ाई में रुचि नहीं
2. लागत बहुत अधिक
3. घरेलू काम के लिए आवश्यक (जो मुख्य रूप से लड़कियों पर लागू होता है)
4. नकद या वस्तु के भुगतान के लिए बाहरी कार्य के लिए आवश्यक (यह मुख्य रूप से परिवार के युवा लड़कों पर लागू होता है)
5. पारिवारिक खेत/पारिवारिक व्यवसाय में काम करने के कारण
6. कम उम्र में शादी

इन कारणों के अलावा, लड़कियों का एक बड़ा हिस्सा पास में शैक्षणिक संस्थानों की अनुपलब्धता और यात्रा के नियमित और सुरक्षित साधनों की कमी के कारण छोड़ देता है। उचित शौचालयों/स्वच्छता और स्वच्छता के साधनों का अभाव भी युवा लड़कियों को स्कूलों में नहीं भेजने के महत्वपूर्ण कारणों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है।

## बालिका शिक्षा में सुधार के लिए सरकारी योजनाएं

लड़कियों/महिलाओं के बीच शिक्षा का प्रसार शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लड़कियों के स्कूल और उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए कई पहल की हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

### विद्यालय शिक्षा

**1. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय** – यह योजना जुलाई 2004 में प्राथमिक स्तर पर लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह मुख्य रूप से वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है जहां लड़कियों के लिए साक्षरता का स्तर बहुत कम है। जिन स्कूलों की स्थापना की गई उनमें 100: आरक्षण है: पिछड़े वर्ग के लिए 75: और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) लड़कियों के लिए 25:।

**2. बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ**– यह सरकार की नई घोषित योजना है। भारत में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारत की।

**3. उड़ान** – छात्राओं को पंख देना – यह योजना बालिकाओं की शिक्षा के विकास के लिए समर्पित है, ताकि छात्राओं के प्रवेश को बढ़ावा दिया जा सके। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा और इंजीनियरिंग प्रवेश

परीक्षाओं के बीच शिक्षण अंतर को दूर करना है। यह प्रोत्साहन और शैक्षणिक सहायता के माध्यम से प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षा संस्थानों में छात्राओं के नामांकन को बढ़ाने का प्रयास करता है।

**4. महिला समाख्या—** महिला समाख्या (एमएस) महिला सशक्तिकरण के लिए चल रही एक योजना है जिसे 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक ठोस कार्यक्रम में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों का अनुवाद करने के लिए शुरू किया गया था, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से उन लोगों के लिए सीमांत समूहों।

**5. साक्षर भारत—** राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को 2009 में शुरू किए गए अपने नए संस्करण, साक्षर भारत के साथ पुनर्गठित किया गया था। इसका उद्देश्य वयस्क शिक्षा में तेजी लाना है, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए (15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में) जिनकी औपचारिक शिक्षा तक पहुंच नहीं है, महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में लक्षित महिला साक्षरता।

**6. मध्याह्न भोजन योजना—** स्कूल की भागीदारी में लैंगिक अंतर कम हो जाता है, क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना उन बाधाओं को दूर करने में मदद करती है जो लड़कियों को स्कूल जाने से रोकती हैं। मध्याह्न भोजन योजना महिलाओं के लिए रोजगार का एक उपयोगी स्रोत भी प्रदान करती है और कामकाजी महिलाओं को दिन में घर पर खाना पकाने के बोझ से मुक्त करने में मदद करती है। इन और अन्य तरीकों से मध्याह्न भोजन योजना में महिलाओं और बालिकाओं की विशेष हिस्सेदारी है।

### उच्च शिक्षा

1. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की उच्च शिक्षा
2. पोस्ट स्कूल डिप्लोमा (पॉलिटेक्निक आदि): मौजूदा पॉलिटेक्निक में महिला छात्रावास के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन और पदोन्नति को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
4. विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में डे केयर सेंटर
5. पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड
6. उच्च और तकनीकी शिक्षा, महाविद्यालयों के लिए महिला छात्रावासों का निर्माण
7. विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिला अध्ययन का विकास
8. उच्च शिक्षा में महिला प्रबंधकों के क्षमता निर्माण की योजना
9. महिलाओं के लिए पोस्ट-डॉक्टरल फ़ैलोशिप

### सशक्तिकरण बढ़ाने में शिक्षा की भूमिका

शिक्षा ज्ञान और समझ हासिल करने की प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए। उनमें ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है।

**न्याय और अधिकार:** शिक्षा के अभाव में महिलाएं अपनी आवाज नहीं उठा पाती हैं, चाहे उनके साथ जो भी अन्याय हो रहा हो। घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, छेड़छाड़ महिलाओं के लिए आम मुद्दे हैं। जो लोग डर के मारे अशिक्षित होते हैं वे चुप रहते हैं और कभी आवाज नहीं उठाते। क्योंकि वे महिलाओं की चिंता के लिए बनाए गए कानूनों और नीतियों के बारे में नहीं जानते या नहीं जानते हैं। लेकिन एक शिक्षित महिला इसके बारे में जानती है और जानती है कि उस स्थिति से कैसे निपटना है। शिक्षा महिलाओं को उनके हक के लिए लड़ने की ताकत देती है।

**आर्थिक रूप से स्वतंत्रता:** सबसे महत्वपूर्ण चीज है पैसा या वित्तीय प्रतिष्ठान। शिक्षित महिलाएं अपने लिए और अपने परिवार के लिए भी कमा सकती हैं और देश की जीडीपी में अपना योगदान भी दे सकती हैं। उन्हें दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय प्रतिष्ठान महिलाओं को अपने और अपने परिवार के लिए निर्णय लेने में मदद करता है।

**स्वास्थ्य और स्वच्छता:** शिक्षा के माध्यम से एक महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जानती है जिससे वह अपने साथ-साथ अपने परिवार के बच्चे की देखभाल कर सकती है। निरक्षर माताओं की तुलना में स्कूली शिक्षा प्राप्त माताओं से जन्म लेने वाले बच्चों में नवजात अवधि में मरने की संभावना 32: कम होती है और प्रसवोत्तर अवधि में 52: कम संभावना होती है।

साक्षर माताओं से पैदा हुए बच्चों का आईएमआर राष्ट्रीय औसत 57: से कम है, जबकि निरक्षर माताओं में यह अधिक (68.5:) है (चौधरी, पी.के.-2015)।

**राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक सशक्तिकरण:** राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी शिक्षित महिलाओं को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और समाज के लिए भी योगदान दिया जाता है। यहां हम डॉ. ममोनीरैसोम गोस्वामी, चंद्रप्रवासिकयानी, कल्पनावाला, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पटेल आदि जैसी शिक्षित महिलाओं के नाम का उल्लेख करते हैं, जो उनकी शिक्षा के कारण समाज में योगदान देने में सक्षम हैं।

तो, यह वह शिक्षा है जो महिलाओं को सशक्त बनाने और एक मानक जीवन जीने और समाज के हर क्षेत्रों में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करती है।

### महिला शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए सुझाव

1. सबसे पहले सरकार, स्कूलों, विभिन्न संगठनों जैसे महिला शिक्षा के प्रति एनजीओ, सरकार द्वारा जागरूकता समस्याओं का आयोजन किया जाना चाहिए। लड़कियों की शिक्षा के लिए योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम और महिला शिक्षा के लाभ।
2. विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्राथमिक से उच्च स्तर तक लड़कियों की शिक्षा के लिए छात्रावृत्ति, मुफ्त किताब, मुफ्त वर्दी, प्रवेश शुल्क कम करके वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
3. पिछड़े क्षेत्रों में ओ.डी. (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) प्रणाली का प्रावधान करना चाहिए ताकि महिलाएं आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकें।

4. व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान कम लागत पर उपलब्ध कराया जाए। जिससे महिलाएं अपनी रुचि के अनुसार अलग-अलग हुनर छसीख सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
5. सबसे महत्वपूर्ण माता-पिता का रवैया बदलना चाहिए। माता-पिता को यह समझने की जरूरत है कि लड़कियों की शिक्षा के लिए पैसा निवेश करना लड़कों के समान ही फायदेमंद है। जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रम, मीडिया इस संबंध में बड़ी भूमिका निभा सकता है।

एक अफ्रीकी कहावत है कि “यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे देश को शिक्षित करते हैं” और यह एकमात्रा सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे इस समय हमारे देश को समझने की आवश्यकता है। 2015 में 3.7 मिलियन योग्य लड़कियां स्कूल से बाहर थीं और ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को औसतन चार साल से कम शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसे देश में जहां 21.9: आबादी अपनी आधिकारिक गरीबी सीमा से नीचे है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गरीबी एक बड़ी बाधा है जो लड़कियों की शिक्षा को सीमित करती है।

लेकिन गरीबी ही एकमात्रा ऐसी चीज नहीं है जो भारतीय लड़कियों के शिक्षा के मौलिक अधिकार को बाधित कर रही है, इसके कई और भी कारक हैं जैसे संबंधित गांवों से स्कूलों की दूरी, स्कूलों में स्वच्छता सुविधाओं की कमी, महिला शिक्षकों की कमी, महिलाओं में लैंगिक पूर्वाग्रह। पाठ्यक्रम, उनके संबंधित परिवारों से समर्थन की अनुपस्थिति और यह सूची कभी समाप्त नहीं होती है। ग्रामीण परिवारों में एक आम धारणा है कि लड़कियों को यौवन तक पहुंचने के बाद स्कूली शिक्षा बंद कर देनी चाहिए क्योंकि अक्सर लड़कों द्वारा उनके घर से स्कूल तक की लंबी सैर के दौरान उन्हें छेड़ा जाता है। भारत में एशिया में बाल वधू की संख्या सबसे अधिक है और अनिवार्य रूप से युवा लड़कियों के आसपास यह हठधर्मिता है कि उन्हें शिक्षित करना समय और धन की बर्बादी है क्योंकि वे केवल शादी करने और घर का प्रबंधन करने के लिए पैदा हुई हैं। ग्रामीण घरों में और विशेष रूप से गरीबों के बीच, बालिका गृहकार्य और खेतों में एक मूल्यवान संसाधन है, एक अतिरिक्त हाथ जिसे शिक्षा के माध्यम से बर्बाद नहीं किया जा सकता है और बहुत अधिक कीमत है कि अधिकांश ग्रामीण और गरीब परिवार भुगतान नहीं कर सकता।

नतीजतन, एक बड़ा लिंग अंतर उभरता है जिसे 2011 की जनगणना में उजागर किया गया था जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14: थी, जबकि महिलाओं के लिए यह 65.46: से पीछे थी। यद्यपि बालिकाओं का प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन कराना सबसे अधिक समस्याग्रस्त प्रतीत होता है, एक बार नामांकित हो जाने पर, बालिकाओं के अपनी प्राथमिक शिक्षा जारी रखने की अधिक संभावना होती है। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर, लड़कियों की प्रवृत्ति लड़कों की तुलना में अधिक होती है, जो फिर से माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को बनाए रखने की चुनौती पेश करती है। हमारे तथाकथित ‘आधुनिक भारत’ में, अनुमान बताते हैं कि ग्रामीण भारत में प्रत्येक 100 लड़कियों के लिए केवल एक ही कक्षा 12 तक पहुँचती है और लगभग 40: लड़कियाँ पाँचवीं कक्षा तक पहुँचने से पहले ही स्कूल छोड़ देती हैं और 15: से अधिक बच्चे स्कूलों में पढ़ सकते हैं।

जब तक पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा के स्तर में अंतर रहता है, हमें यह महसूस करना चाहिए कि स्कूल जाना एक बात है, दूसरी ओर, जो शिक्षा मिलती है वह दूसरी बात है। सरकारी स्कूलों के भीतर—

भीड़भाड़ वाली कक्षाएँ, अनुपस्थित शिक्षक, अस्वच्छ स्थितियाँ आम शिकायतें हैं और माता-पिता को यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि यह उनके बच्चे के स्कूल जाने के लायक नहीं है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा आयोजित 2010 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि आरटीई अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 1.2 मिलियन शिक्षकों की आवश्यकता थी और केवल 5: सरकारी स्कूलों ने अधिनियम द्वारा निर्धारित सभी बुनियादी मानकों और बुनियादी ढांचे का अनुपालन किया। इसके अलावा 40: कक्षाओं में 30 से अधिक छात्रा थे और 60: से अधिक में बिजली नहीं थी और 21: से अधिक शिक्षक पेशेवर रूप से प्रशिक्षित नहीं थे। यद्यपि भारत में शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए बहुत काम किया गया है, फिर भी हम अन्य विकासशील देशों के समान मानकों को प्राप्त करने से बहुत दूर हैं।

शिक्षा के लिए सभी विकास सूचकांक में 128 देशों में भारत 105वें स्थान पर है। भारत में शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया जाना है, महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा में अधिकांश महिलाओं की भागीदारी के लिए सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। भले ही सरकार और विभिन्न स्वयंसेवी संगठन स्थानीय आबादी को महिला शिक्षा की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाने के कई प्रयासों में लगे हुए हैं, जब तक कि बालिकाओं के माता-पिता बालिकाओं को स्कूल भेजने में मूल्य और योग्यता नहीं देखते हैं, वे ऐसा करने का विरोध करेंगे और इसके बजाय घर के कामों या कृषि गतिविधियों में उसकी मदद का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। यह नितांत आवश्यक है कि हम महिलाओं के बीच इस विश्वास को शामिल करें कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और इसे प्राप्त करने का एकमात्र संभव तरीका शिक्षा और इसका उचित उपयोग है। परिवारों को और अधिक रुचिकर बनाने का एक तरीका यह है कि उनकी लड़कियों को घर से दूर स्कूल भेजने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्कूलों को बनाकर उन्हें स्कूल भेजा जाए।

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें महिला उद्यमियों और उभरती हुई नेताओं जैसे कि हमारी अपनी अंजलि को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जिनका अविश्वसनीय साहस एक प्रेरणा है। अंजलि 16 साल की है लेकिन उसने स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि स्कूल जाने और वापस जाने के दौरान उसे लगभग हर दिन यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। वह डरी हुई थी लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं खोई और अब वह हमारे संजय शिविर में हमारे सबसे मेहनती सदस्यों में से एक है और अपने जैसे अन्य लोगों की मदद करने के लिए सामुदायिक बैठकें आयोजित करने के लिए अथक प्रयास करती है। वह अब स्कूल में वापस आ गई है और सभी के लिए एक अनुकरणीय रोल मॉडल है।

**निष्कर्ष—** एक राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने और उसे विकास की दिशा में ले जाने में महिलाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे राष्ट्रीय सुधार के लिए आवश्यक जीवंत मानवता की आवश्यक संपत्ति हैं, इसलिए यदि हमें अपने देश में महिलाओं का उज्ज्वल भविष्य देखना है, तो उन्हें शिक्षा देना एक पूर्व-व्यवसाय होना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा समाज की स्थिति को बदलने का सबसे शक्तिशाली साधन है। शिक्षा परिवार के भीतर उनकी स्थिति में सुधार के साधन के रूप में असमानताओं और कार्यों में कमी लाती है। सभी स्तरों पर महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने में लिंग पूर्वाग्रह को कम करने के लिए राज्य में विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए।



शिक्षा लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार, पंचायतों, सार्वजनिक मामलों आदि में भागीदारी के विचार को विकसित करती है, सतत विकास प्राप्त करने के लिए लड़कियों और महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई रणनीतियों और पहलों में महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के विभिन्न उपकरण शामिल होने चाहिए जैसे शिक्षा का अधिकार और पहुंच, स्वास्थ्य देखभाल, पर्याप्त पोषण, संपत्ति का अधिकार और समान अवसरों तक पहुंच, जरूरतमंद महिलाओं की मदद के लिए कानूनी और संस्थागत तंत्र, मीडिया तक पहुंच और अंत में विवाद निवारण तंत्र। महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण में बाधक बनने वाली सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं को जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है।

### संदर्भ

1. हरपलानी डॉ0 बी0डी0 प्रसार एवं संचार।
2. डॉ0 प्रो0 वीरेन्द्र कुमार दुबे—गृह विज्ञान प्रसार एवं सम्प्रेषण।
3. डॉ0 जी0के0 अग्रवाल— भारत में सामाजिक परिवर्तन (समाज शास्त्र)।
4. डॉ0 सुनीता मिश्रा – प्रसार विज्ञान।
5. <https://hinjwikipedia.org/wiki>
6. <https://taiyarihelp.com/bharat-ratn>.

## अलंकारशास्त्रीयध्वनिविमर्शः

राजश्री चट्टोपाध्याय

सहकारी अध्यापिका, संस्कृतविभागः, गुरुदासकलेजः, पश्चिमवङ्गः।

### Article Info

Volume 4 Issue 5  
Page Number: 79-87

### Publication Issue :

September-October-2021

### Article History

Accepted : 01 Sep 2021  
Published : 30 Sep 2021

**सारांशः-** प्राचीनकाले प्रसिद्धा आसन्निति सर्वेषामप्यालङ्कारशास्त्रविदुषां सम्मुखे प्रधानविवेच्यविषय आसीत् - काव्यस्य आत्मतत्त्वस्थानीयं किं भवति वस्तु ? इति । विषय एष एव सर्वदा सर्वथा च विवेच्य आसीत् तेषाम् काव्ये सत्सु अन्येष्वपि वस्तुषु कीदृशं वस्तु काव्ये वास्तविकं चैतन्यमुद्भावयति? किमस्ति तादृशं वस्तु यस्य उपस्थित्या अन्येषां काव्यशोभाकराणां वस्तुनामावश्यकता न भवति? अस्य प्रश्नस्योत्तरप्रदाने एव अलङ्कारशास्त्रस्य नाना सम्प्रदायानामुत्पत्तिर्जाता । केचन “अलङ्काराः एव काव्यस्य प्राणभूता” इति प्रत्यपादयन् । अन्ये केचन गुणान्काव्यात्मभूतान् मन्वते अपरे केचिद्रीतिरेव काव्यात्मा इति अकथयन् । परन्तु आचार्येणानन्दवर्धनेन सहृदयानाम् सिद्धान्तमाधारीकृत्य यत् ध्वनिरेव काव्यस्यात्मेति इति अङ्गीकृतम् । आनन्दवर्धनेन आनीतस्य सिद्धान्तितस्य च आस्वादनं कृत्वा पश्चात्काले अन्ये आलङ्कारिकाः ध्वनिसिद्धान्तममुं अङ्गीकृतवन्तः । तच्च बहुभिस्समादृतस्सन् लोकप्रियत्वम् आगतम् । अतः मया लेखेऽस्मिन् अस्याः ध्वनेः स्वरूपं, तल्लक्षणं, भेदादयः विचार्यन्ते ।

**विशेषशब्दाः-**प्रतीयमानार्थः, ध्वनिशब्दः, ध्वनिस्वरूपम्, ध्वन्यभाववादिनः, भाक्तवादिनः, अविश्वितवाच्यध्वनिः, विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिः, असंलक्ष्यव्यंग्यम्, संलक्ष्यक्रमव्यंग्यं चेतीत्यादयः ।

**भूमिका-** प्राचीनभारतीयवाङ्मये अलंकारशास्त्रस्य पृथगेव वैशिष्ट्यं वरीवर्ति इति अलङ्कारशास्त्रीयैः नैके ग्रन्थाः विलिखिताः तैस्तैराचार्यैः । आधुनिकेषु सर्वप्रथमोऽलङ्कारशास्त्रग्रन्थो भामहप्रणीतः काव्यालङ्कार एव इति अतः शास्त्रस्य नाम अलङ्कारशास्त्रमिति जातम् । पुरा काव्यजीवनतया अलङ्कारा एव मन्यन्ते स्म । समेषामलङ्कारग्रन्थानामनुशीलनेन ज्ञायते यत् अलङ्कारशास्त्रस्य नैके सम्प्रदायाः वर्तन्ते । सत्यपि शास्त्रेऽस्मिन् काव्यस्वरूप-दोष-गुण-रीत्यलङ्काराणामपि निरूपणीयत्वे अस्य अलङ्कारशास्त्रनामैव व्यापदेशस्य वीजं तत्त्वतः प्रच्छन्नमस्ति तथापि अलङ्क्रियतेऽनेनति करणव्युत्पत्त्या यमकोपमादिबोधको नायमलङ्कारशब्दः, किन्तु अलङ्कृतिरलङ्कारः इति भावव्युत्पत्त्या दोषापगमगुणालङ्कारसंवलनकृतसौन्दर्यपरः, तत्प्रतिपादकत्वात् शास्त्रमिदमलङ्कारशास्त्रनाम्ना व्यपदिश्यते । तत्र मानन्तु वामनाचार्यादीनां काव्यं ग्राह्यमलङ्कारात्, सौन्दर्यमलङ्कारः इति सूत्रे इति ।

साहित्यशास्त्रे विद्यमानेषु सम्प्रदायेषु सर्वाधिकविशिष्टः सर्वमान्यश्च सम्प्रदायः ध्वनिसम्प्रदाय एव । यद्यपि ध्वनिसम्प्रदायस्य आगमनात् पूर्वमपि सम्प्रदायाः सिद्धान्ताश्च काव्यतत्त्वाण्वेषणपरा आसन्, परन्तु ते सर्वेऽपि ध्वनिसम्प्रदायस्योत्पत्त्यनन्तरं जीमूतान्तर्गताः दिनकरप्रकाशतुल्याः जाताः । आनन्दवर्धनस्य ध्वनिसिद्धान्तः काव्यशास्त्रस्य मध्यस्थे काले समुत्पन्नः भूत्वा

मध्ये स्थित्वा पूर्ववर्तिनां परवर्तीनां च मध्ये सेतुबन्धनं स्थापितवान्। सर्वान् अपि सम्प्रदायान् आनन्दवर्धनाचार्यः पोषयामास। ध्वनिरेव ध्वस्तध्वान्तस्सन् प्रभाकरवत् साहित्याकाशे सततोज्ज्वलो जातः। अन्ये खलु रीतिरसालङ्कारवक्रोक्तयः ध्वनावेवान्तर्भूता। ध्वनिसम्प्रदायप्रतिष्ठापनानन्तरं ये आचार्यास्समागतास्ते समेऽपि ध्वनिसम्प्रदायस्य अनुगन्तारः, तत्प्रशंसकाश्चाभूवन्। यथा आचार्य मम्मटः। विमर्शकानां मतानुसारं ध्वनिकारः भवति सूत्रकारः, लोचनकारः अभिनवगुप्तः वार्तिककारः, मम्मटः भाष्यकारः इति समीकरणं स्थापितवन्तः। मम्मटचार्यस्य कारणेन ध्वनिसिद्धान्तस्य वैश्विकव्यापकता जगति व्यपृतम्। एते ध्वनेः आधारेणैव काव्यं त्रिविधमिति प्रत्यपादयन्।

साहित्यशास्त्रे शब्दः त्रिविधः भवतीति, अर्थोऽपि त्रिविध एवेति तैर्निरूपितम्। अर्थाः त्रिविधाः यथा- वाच्य-लक्ष्य-व्यङ्ग्यभेदेन। वाच्यस्यार्थस्य अङ्गीकारं कुर्वन् लक्ष्यार्थञ्च प्रतिपाद्य बहवः आलङ्कारिकाः अनेकान् सिद्धान्तान् उपपादयमासुः। ध्वनिः अलंकारः च प्राचीनैराचार्यैः अलंकाराणामेव वैशिष्ट्यमवगतम् वामनाचार्यैः उक्तं सौन्दर्यमलंकारः इति। परन्तु ध्वनिवादिभिराचार्यैः अलङ्कारसिद्धान्तस्य सूक्ष्मविवेचनेन अलंकारास्तु शरीरस्थानीयाः, ध्वनिरेवात्मस्थानीय इति निरूपितम्। इत्थं साहित्यशास्त्रे शरीरवादस्य प्रतिकूलरूपेण आत्मवादः प्रतिष्ठापितः इति प्रतिभाति। आत्मवादचिन्तनं रीतिरात्माकाव्यस्य इति सिद्धान्तस्य कर्तुः वामनस्य अनुयायिनः सन्तः आत्मतत्त्वं स्वीकृत्य रीतेः स्थाने ध्वनितत्त्वस्य सिद्धान्तं स्वीकृत्य सदुद्देश्येन ध्वन्यालोकस्य रचना जाता। अस्य रहस्यस्योद्घाटनं ध्वन्यालोकस्य व्याख्याने अभिनवगुप्तपादाचार्यैः कृतम्। तैरुक्तं यत्-वाच्यसंवलनाविमोहितहृदयैस्तु तत्पृथग्भावे विप्रतिपद्यते, यथा चार्वाकैः शरीरमेवात्मेति प्रतिपादितम् अपि च शरीरापेक्षया नान्यदस्तीति च तैः निर्दिष्टं तथैवकैश्चिदालंकारिकैः वाच्यार्थसौन्दर्यविमोहितमानसै, वाच्यमेव सर्वं वाच्यापेक्षया नान्यत् किमपि भवति इत्युच्युः। ते खलु वाच्यव्यतिरेकिणो ह्यर्थस्य पृथगस्तित्वस्वीकारे सन्देहं प्राकटयन्।<sup>1</sup>

ध्वन्यालोकग्रन्थः काव्यस्य आत्मतत्त्ववेषणाय विरचितः, तस्यैव तत्त्वस्य महतीं प्रतिष्ठां प्रदातुमस्य ग्रन्थस्य प्रयत्नः। यदेतत् आत्मस्थानीयं परमोत्कृष्टं रमणीयं च तत्त्वं विद्यते तद्वस्तुतः शब्दस्य चतुर्थकक्ष्यानिविष्टः अर्थः स एव "व्यंग्य" इत्युच्यते। कविवाणी तदैव सफला भवति, यदा हि सा तस्य विशिष्टस्यार्थस्य वाहिका भविष्यति। विषयोऽयं आनन्दवर्धनाचार्यपूर्ववर्तिभिः कैश्चित्प्रसिद्धैरालंकारिकैः स्पष्टतया नावगतः इति प्रतिभाति। तैः व्यंग्यार्थः पर्यायोक्तादि-अनेक-अलंकारेषु यद्यपि अनुभूता तथापि ते वाच्यार्थापेक्षया व्यंग्यार्थस्य चारुत्वेन विश्वसन्ति स्म। अनेन कारणेन व्यंग्यस्यात्र स्थितिः सर्वदा वाच्यानुगतैवासीत्। वाच्यार्थस्पर्शलेशशून्ये रसभावादितत्त्वेऽपि ते रसवदलंकारतैवोपपादितायदि प्राणस्थानीयेऽस्मिन् तत्त्वे तेषां बुद्धिः प्रसारिता अभविष्यत् तर्हि ते एकस्य सारभूतस्य विषयस्य आविष्करमकरिष्यन्।

#### ● ध्वनिचिन्तनस्रोतः

साहित्यशास्त्रे सम्प्रदायाणां मध्यवर्तीस्थाने समागतः ध्वनिसम्प्रदायः आनन्दवर्णचार्येण आनीतः। साहित्यसिद्धान्तेष्वेव ध्वन्याख्यः कश्चन नवीनः शब्दः तैः प्रयुक्तः। व्याकरणशास्त्रस्य मूलत्वात् वैयाकरणानां सर्वत्र मान्यत्वात् ध्वनिशब्दः नवीनत्वेन साहित्यशास्त्रस्य कृते प्रयुक्तः। ध्वनिस्तु प्रतीयमानार्थ एव। एवंस्थिते सोऽयं प्रतीयमानार्थः प्राचीनानाम् आक्षेप-अप्रस्तुतप्रसंशा-समसोक्ति-व्याजस्तुत्याद्यलंकारेषु विद्यते एवेति तैः संकेतितः। रसगङ्गाधरकारेण तु पर्यायोक्तप्रकारेण विषयोऽयमङ्गीकृतः, तद्यथा "ध्वनिकारात् प्राचीनैर्भामहोद्भटप्रभृतिभिः स्वग्रन्थेषु कुत्रापि ध्वनिगुणीभूतव्यंग्यादिशब्दाः न

<sup>1</sup>. ध्व.लो.(लोचनम्) प्रथमोद्योतः, पृ.सं.-45

प्रयुक्ताः। इत्येतावतैव तैः ध्वन्यादयो न स्वीक्रियन्ते इत्याधुनिकानां वाचोयुक्तिरयुक्तैव अतः समासोक्ति-  
व्याजस्तुत्यप्रस्तुतप्रशंसा ह्यलंकारनिरूपणे कियन्तोऽपि गुणीभूतव्यंग्यप्रभेदास्तैरपि निरूपिताः। अपरं च सर्वोऽपि व्यंग्यप्रपंचः  
पर्यायोक्तकुक्षौ निक्षिप्तः। न ह्यनुभवसिद्धोऽर्थो बालेनाप्यपहोतुं शक्यते। ध्वन्यादिशब्दैः परं व्यवहारो न कृतः। न ह्येतावता  
अनङ्गीकारो भवति। प्राधान्यादलंकार्यो हि ध्वनिरलंकारस्य पर्यायोक्तस्य कुक्षौ कथंकारं निविशितामिति तु विचारान्तरम्"।

आनन्दवर्धनाचार्यैरपि विषयोऽयं संसूचित एवासीत्, "यद्यपि ध्वनिशब्दसंकीर्तनेन काव्यलक्षणविधायिभिर्गुणवृत्तिरन्यो वा न  
कश्चित्प्रकार प्रकाशितः। तथापि अमुख्यवृत्त्याकाव्येषु व्यवहारं दर्शयता ध्वनिमार्गो मनाक् स्पृष्टोऽपि विषयेऽस्मिन्  
लोचनव्याख्यानमपि पठनीयं भवति<sup>2</sup>न लक्षितः"।

### ● प्रतीयमानार्थः

तत्रादौ प्रतिपादितं यत्काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति काव्यतत्त्वविद्भिराचार्यैः प्रागेवप्रतिपादितम्। तथापि केचन ध्वनिर्नामापूर्वं तत्त्वं  
किमपि नास्तीति ऊचुः। तदर्थमेव आचार्येण ध्वनेः स्वरूपं प्रतिपादितम्- यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो इति।  
अनेन सौन्दर्यपूर्णेण प्रतिपादनेन सहृदयानां मनः प्रीतिर्भवेदित्याचार्याणामभिप्रायः। ध्वनिर्नाम कः इति विचार्यमाणे वाच्यादर्थान्  
भिन्नः चमत्कारपूर्णः कश्चन नवीनः अर्थविशेषः एव ध्वनिरिति ज्ञातव्यम्। एतादृशेन सहृदयाह्लादकारिणा अर्थेन पूर्णं काव्यमेव  
ध्वनिकाव्यम्। आचार्यैः प्रतिपादितं यत् सहृदयश्लाघ्यस्य अर्थविशेषस्य भेदद्वयं भवति । तथा चोक्तं-

योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः।

वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ॥<sup>3</sup>

अयमेवार्थः काव्यात्मरूपेण राजते। अर्थस्यास्य भेदद्वयं भवति, एकः वाच्यः, अन्यश्च प्रतीयमानः। एवं स्थिते वाच्यः अर्थः  
कीदृशः ? तस्य के प्रकाराः भवन्ति ? कथं च अयमर्थः काव्यस्य जीवातुरूपेण प्रकाशते इत्यादि विषयाः अन्यैः पूर्ववर्तिभिः ?  
अलङ्कारवादिभिराचार्यैः विशदीकृताः। यतोहि तेषामाचार्याणां मते वाच्य एवं प्रधानतमः। अथ पुनरिमे विषया यदि  
प्रतिपाद्यन्ते, केवलं तत् चर्वितचर्वणं भविष्यति अथवा पिष्टपेषणं भविष्यति। प्रतीयमानस्य पुनः अर्थस्य विषये अन्यैः  
पूर्ववर्तिभिः आचार्यैः नोक्तं किञ्चिद् अथवा कथं वक्तुं शक्यते ? इत्यपि चिन्तयितुं शक्यते। प्रतीयमानः कश्चन अर्थः  
अस्तीति, स च काव्यस्य प्राणभूत इति वाच्यर्थसक्तमनसः कथं वा ज्ञातुं समर्थाः भवेयुः ? अतः आचार्यैः प्रतीयमानस्यार्थस्य  
विषये सुष्ठु विचारः कृतः, उक्तञ्च-

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां ।

यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु॥<sup>4</sup>

अर्थात् महाकवीनां वाणीषु प्रतीयमानाख्यं अन्यदेव वस्त्वस्ति निखिलावयवातिरिक्तं लावण्यं येन प्रकारेण विभाति तेनैव  
प्रकारेण अलङ्कारादिविधावयवव्यतिरिक्तं प्रतीयमानाख्यं वस्तु अपि काव्येषु विभाति। काव्यमपि कन्यया सदृशं भवति  
अत एव काव्यकन्या इत्युच्यते काव्यम्। इत्थम् आचार्यैः या तुलना कृता तथा च तुलनया यस्य विशिष्टस्यार्थस्य प्रतिपादनं  
कृतं, तदपूर्वमेव प्रतिभाति। समग्रेऽपि ध्वन्यालोके इयमेव रीतिः प्रचलिता। ध्वनिरिति अपूर्वोऽयं विषयः।

<sup>2</sup> ध्वन्यालोकः- प्रथमोद्योतः- पुटम्-

<sup>3</sup> ध्वन्यालोकः, 1.2

<sup>4</sup> ध्वन्यालोकः, 1.4

ध्वनिशब्दश्रवणसमन्तरमेव जिज्ञासा उदेति कोऽयं ध्वनिरिति। वस्तुतः प्रतीयमानार्थ एव ध्वनिः। परन्तु आचार्यैः ध्वनेस्तावल्लक्षणं सुष्ठु प्रतिपादितम्-

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी कृतस्वार्थी।

व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥<sup>5</sup>

ध्वनिरिति विशिष्टं किञ्चिद्वाक्यम्। काव्येऽस्मिन् वाचकः शब्दः स्वीयमर्थं वाच्यं च आत्मानं गौणं कृत्वा तस्य प्रतीयमानस्यार्थस्य प्रतीतिं कुरुतः। प्रतीयमानार्थोऽयं ललनालावण्यप्रख्यः सारभूतः सहृदयश्लाघ्यः, चमत्कारकारी अर्थः।

**ध्वनिशब्दः-** परन्तु ध्वन्यालोकस्य परिशीलनेन ध्वनिशब्दः न केवलं ध्वनिकाव्यार्थे, अपि अन्येष्वपि अर्थेषु कृत इति ज्ञायते। तेषु अन्येष्वर्थेषु व्यङ्ग्यार्थः प्रधानः। व्यङ्ग्यार्थे ध्वनिशब्दः बहुधा प्रयुक्तः आनन्दवर्धनाचार्यैः। काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति" इत्यमिन् श्लोके 'आत्मा' काव्यस्यार्थ एवेति आनन्दवर्धनाचार्यस्य मतम्। तेषां मते यदि काव्यस्य जीवातुभूतः कश्चिदर्थो भवति, तर्हि सः प्रतीयमान एवेति। अनेन प्रकारेण काव्यात्मरूपेण गृहीतः ध्वनिपदार्थः कश्चनकाव्यप्रकारः न भवति, परन्तु काव्यस्यैव एकः विशिष्ट अंशः भवतीति व्यवस्थितम्। विषयेऽस्मिन् आनन्दवर्धनाचार्याणां सम्मतिरासीदिति अन्यैः तत्रस्थैः वाक्यैरेवज्ञायते।"मुख्यतया प्रकाशमानो व्यङ्ग्यार्थो ध्वनेरात्मा" इत्येकं वाक्यम्। वस्तुतः ध्वन्यालोकस्य प्रथम श्लोक एव काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति उक्तम्। काव्यस्यात्मा च रसादिरूप एवार्थः इति। अनेन ज्ञायते यत् ध्वनिकृता स्वयमेव ध्वनिरर्थरूपेण स्वीकृतः। ध्वनिः व्यङ्ग्यार्थस्य पर्यायरूपेण स्वीकृतः। अतएव ध्वनिः काव्यरूपोद्धानस्य कल्पतरुर्विद्यते। तद्यथा

काव्याख्येऽखिलसौख्यधानि विबुधोद्धाने ध्वनिदर्शितः।

सोऽयं कल्पतरूपमानमहिमा भोग्योऽस्तु भव्यात्मनाम्॥<sup>6</sup>

ध्वन्यालोके ध्वनिशब्दः व्यञ्जकरूपेणापि प्रयुक्तः। तद्यथा -पदानामपि व्यञ्जकत्वमुखेन व्यवस्थितो ध्वनिव्यवहारः। अपरञ्च - " यस्य तु विवक्षितत्वेन व्यङ्ग्यस्य स्थितिः तद्व्यञ्जकत्वं ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकम् ।" उक्त्यन्तरेण यच्चारुत्वप्रकाशनमशक्यं तत्प्रकाशयन् शब्दः व्यञ्जकतां प्राप्यध्वनिरित्यस्य वाचकस्य वाच्यो भवति।

उक्त्यन्तरेणाशक्यं यच्चारुत्वं प्रकाशयन्।

शब्दो व्यञ्जकतां बभ्रद् ध्वन्युक्तेविषयी भवेत्॥<sup>7</sup>

अस्यैव विषयस्य व्यतिरेकरूपेण अन्यस्मिन् श्लोके किञ्चिदुक्तं, तद्यथा

रूढा ये विषयेऽन्यत्र शब्दाः स्वविषयादपि ।

लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः॥

अव्युत्पत्तेश्च शक्तेर्वा निबन्धो यः स्वलगतेः।

शब्दस्य स च न ज्ञेयः सूरिभिर्विषयो ध्वनेः॥<sup>8</sup>

<sup>5</sup> ध्वन्यालोकः, 1.13

<sup>6</sup> ध्वन्यालोकः, चतुर्थोद्योतः, पृ.सं.- 601

<sup>7</sup> ध्वन्यालोकः, 1.15

ध्वनिशब्दप्रयोगः अनेन प्रकारेण स्पष्टमेव यत् ध्वनिकारेण ध्वनिशब्दप्रयोगः विभिन्नेषु अर्थेषु कृतः ।

परन्तु तथापि विभिन्नाः प्रयोगा इमे परस्परविरुद्धाः इति तु वक्तुं न शक्यते। एतेषां सर्वेषां तु ह्यर्थानां समन्वयं ध्वनिकार एव कृतवान् स्वीयेन पाण्डित्येन, प्रज्ञया च तत्कथमिति सम्प्रति पश्यामः। काव्यं ध्वनिरिति, व्यञ्जकपदानि च ध्वनिरिति च कथने नास्ति कश्चन विरोधः। अस्योत्तरं प्रदत्तमेव। पदं काव्यस्यैवाङ्गभूतमिति कृत्वा अन्वयव्यतिरेकाभ्यां एकांशभूतेष्वपि पदेषु ध्वनिव्यवहारः प्रतिष्ठितः भवति। परन्तु ध्वनिः काव्यस्यात्मेति स्वीकृतः इति कारणेन ध्वनेरर्थो भवति यत् ध्वन्यमानः अर्थः एव अर्थात् व्यङ्ग्यार्थ एव। यस्मिन्काव्ये ईदृशो ध्वनिः अर्थात् व्यङ्ग्यार्थ एव प्रधानरूपेण व्यञ्जितो भवति, तत् सम्पूर्णं काव्यमेव ध्वनिकाव्यमिति व्यपदिश्यते "प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति" इति न्यायात्। उक्तमेव- "यत्र व्यङ्ग्यपरत्वेनैव वाच्यस्य व्यवस्थानं तत्र व्यङ्ग्यमुखेनैव व्यपदेशो युक्तः"।

तथा च "व्यञ्जकत्वसाम्याद् ध्वनिः" इत्यनया दृष्ट्या न काव्यं तत् ध्वनिकाव्यमिति व्यपदिश्यते। एतादृश्यां स्थितौ सम्पूर्णमपि काव्यं रसादिरूपमर्थं व्यञ्जयत् व्यञ्जकत्वं बिभर्ति। यदि व्यङ्ग्यमर्थं ध्वनिरूपेण स्वीकुर्मः, तर्हि तस्यार्थस्य प्राप्त्यर्थं साधुरूपेण यो व्यञ्जनाव्यापारः स्वीकृतः, तमपि व्यापारमुपचारतः ध्वनिरिति वक्तुं शक्नुमः।

#### ❖ ध्वनिलक्षणम्

काव्ये प्रधानव्यङ्ग्यार्थरूपः ध्वनिः। इत्थं ध्वनिः काव्यस्यात्मा। ध्वनेः लक्षणं ध्वन्यालोकस्य प्रथमोद्योते आनन्दवर्धनाचार्येण प्रदत्तम्-

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थी।

व्यङ्कतः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥<sup>9</sup>

अर्थात् यत्र अर्थः आत्मानं तथा शब्दः स्वस्यार्थं गौणं कृत्वा तमर्थं (प्रतीयमानार्थं) प्रकाशयति, तं काव्यविशेषं विद्वांसः ध्वनिरिति कथयन्ति। ध्वनिकारः स्वयं तस्य व्याख्यां करोति यत्- यत्रार्थोवाच्यविशेषः, वाचकविशेषः शब्दो वा तमर्थं व्यङ्कतः, सः काव्यविशेषः ध्वनिरिति। इदं लक्षणं व्यङ्ग्यार्थस्य तथा व्यङ्ग्यार्थप्रधानकाव्यस्य कृते सम्भवति। लक्षणेन अनेन वाच्यवाचक- चारुत्वहेतुभ्यः उपामादिभ्यः अनुप्रासादिभ्यः च ध्वनेः विषयः भिन्नः इति प्रदर्शितम्। 'सः अर्थः इत्युक्ते प्रतीयमानार्थः। सः प्रतीयमानार्थः स्वादुः 'महाकवीनां वाणीषु वाच्याश्रितालङ्कारदिभ्यः भिन्नः। काव्यविशेषस्य तात्पर्यं वर्तते अर्थो वा शब्दो वा व्यापारो वा ध्वनिसंज्ञा न केवलं काव्यस्य कृते अपितु शब्दस्य, अर्थस्य, शब्दार्थयोः व्यापारस्य कृते च। व्युत्पत्तिद्वारा अपि ध्वनिशब्दस्य पञ्चभेदाः भवन्ति यथा-

1. ध्वनति ध्वनयति वा यः स व्यञ्जकः शब्दः ध्वनिः।
2. ध्वनति ध्वनयति वा यः स व्यञ्जकोऽर्थः ध्वनिः।
3. ध्वन्यते इति ध्वनिः।
4. ध्वन्यते अनेन इति ध्वनिः।
5. ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनिः।

<sup>8</sup>. ध्वन्यालोकः, 2.32

<sup>9</sup>. ध्वन्यालोक 1. उद्योतः

एवं ध्वनेः प्रयोगः विविधपञ्चसु अर्थेषु भवति। ते पञ्च अर्थाः-

1. व्यञ्जकशब्दः।
2. व्यञ्जकार्थः।
3. व्यङ्ग्यार्थः।
4. व्यञ्जनाव्यापारः।
5. व्यङ्ग्यप्रधानकाव्यम्। इति।

संक्षेपेण ध्वनेः अर्थो भवति व्यङ्ग्यः, किन्तु पारिभाषिकरूपेण सः व्यङ्ग्यः वाच्यातिशायी भवेत्। उक्तं च साहित्यदर्पणे 'वाच्यातिशायिनि व्यङ्ग्ये ध्वनिः<sup>10</sup>' इति। अस्य आतिशय्यस्य अथवा प्राधान्यस्य आधारे वर्तते चारुत्वं वा रमणीयतायाः उत्कर्षः। 'वाच्यातिशायी' इति शब्दस्य अर्थो भवति वाच्यात् अधिकरमणीयः। एवं ध्वनेः संक्षिप्तं लक्षणं सञ्जायते 'वाच्याधिकरमणीयः व्यङ्ग्यः ध्वनिः' इति।

### ● ध्वनिविरोधिनां मतम् एवं ध्वनेः स्थापना

ध्वनिस्वरूपविवेचनस्यावश्यकतां दर्शयन् आनन्दवर्धनः 'कथं ध्वनिविषये विदुषां विप्रतिपत्तिरासीत् 'इति प्रदर्शयति ध्वन्यालोकस्य प्रथमकारिकायाम्

काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यस्समाम्नातपूर्वः  
तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये।  
केचिद् वाचां स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयम्  
तेनब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्सवरूपम्॥<sup>11</sup>

ध्वनिसिद्धान्तः अनन्तरं सर्वसामान्यः सञ्जातः, किन्तु आरम्भे तस्य विरोधः आसीत्। ध्वनिविरोधिनः त्रिविधाः ध्वन्यभाववादिनः भाक्तवादिनः, अनिर्वचनवादिनश्च त्रयाणां मतानां पूर्वपक्षरूपेण उल्लेखं कृत्वा आनन्दवर्धनः सिद्धान्तपक्षे (उत्तरपक्षे) तस्योत्तरं प्रददाति।

### ● पूर्वपक्षः (ध्वनिविरोधिनः)

#### ● ध्वन्यभाववादिनः

ध्वनेः सर्वथा अभावः वर्तते इति अभाववादीनां मतम्।

#### ● भाक्तवादिनः-

भाक्तवादीनां मतानुसारं ध्वनेः अन्तर्भावः भक्तौ (लक्षणायां भवति) अनिर्वचनवादिनः-ध्वनिः अवर्णनीयः इति अनिर्वचनवादिनः एवं मतत्रयस्यास्यां कारिकायामुल्लेखः कृतः। अत्र कस्यापि नामोल्लेखनमकृत्वा ध्वनिविरोधस्य केवलं

<sup>10</sup>. साहित्यदर्पणः 2. परिच्छेदः

<sup>11</sup>. ध्वन्यालोकः 1. उद्योतः



कल्पना कृता वर्तते। अभाववादीनां निर्देशेऽत्र 'जगदुः'इति तथा अनिर्वचनीयवादीनां निर्देशे 'ऊचुः'इति परोक्षभूतकालस्य प्रयोगं करोति आनन्दवर्धनः अतः इदं पक्षद्वयमपि सम्भावितं कल्पनायुक्तं प्रतिभाति। किन्तु भाक्तवादीनां निर्देशः 'आहुः' इति वर्तमानकालस्य क्रियापदेन कृतः। तेन ज्ञायते यत् आनन्दवर्धनस्य समये भाक्तवादिनः आसन् इति।

● ध्वनिः निर्विषया इति केचन स्वीकुर्वन्ति।

ध्वनिशब्दाय आलङ्कारिकाः वैयाकरणानाम् ऋग्निनः सन्ति। वैयाकरणैर्हि स्फोटरूपमुख्याचार्यैः व्यक्तिविधायकशब्दाय ध्वनेः प्रयोगः कृतः। आलङ्कारिकैस्तु अस्मिन्नेव साम्ये ध्वनिशब्दं गृहीत्वा एतस्य विस्तृतो व्यापकञ्चार्थो विहितः।

यः संयोगवियोगाभ्यां करणैरूपजन्यते।

सः स्फोटः शब्दजः शब्दो ध्वनिरित्युच्यते बुधैः॥<sup>12</sup>

अलङ्कारस्य इतिहासे "ध्वनिः" कल्पना अतिसूक्ष्मबुद्धिपरिचायिका अस्ति। अत एव अयं संप्रदायः सर्वप्रसिद्धः स्वीकृतः सम्प्रदायः वर्तते।

● ध्वनिभेदाः

ध्वनेः बहवः भेदाः निरूपिताः। तत्र प्रथमं तावत् ध्वनेः भेदद्वयं प्रतिपादितम् - '। अविश्वक्षितवाच्यध्वनिः '। विश्वक्षितान्यपरवाच्यध्वनिः च इति। उक्तमेव ध्वन्यालोके - अस्ति ध्वनिः स च अविश्वक्षितवाच्यो विश्वक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्विविधः सामान्येन। ( ध्वन्यालोकः )

● अविश्वक्षितवाच्यध्वनिः

अविश्वक्षितवाच्यस्य मूले लक्षणा भवति। अतः लक्षणाधारेणैव अस्यापि भेदाः संभवन्ति। तर्हि प्रथमं तावत् लक्षणायां कति भेदाः भवन्तीति पश्यामः। लक्षणायां मूलतः भेदद्वयं भवति - '। उपादानलक्षणा'। लक्षणलक्षणा चेति। यत्रार्थः शब्दो वेति' कारिकायां 'गुणीकृतस्वार्थो' इत्युक्तम्। तत्र 'गुणीकृताभिधेयः शब्दः' अर्थो गुणीकृतात्मा' इत्यभिप्रायः अर्थस्य गुणीकृतात्मत्वं लक्षणामूलध्वनावप्यस्ति। तथा हि तत्र लक्षणामूलध्वनेः द्वौ भेदौ, यदुक्तम् -

अर्थान्तरे सङ्क्रमितम् अत्यन्तं वा तिरस्कृतम्।

अविश्वक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं द्विधा मतम्॥<sup>13</sup>

तत्र प्रथमोभेदोऽस्ति अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यः, द्वितीयस्तु अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य इति। तत्र प्रथमे भेदे योऽर्थ उपपद्यमानोऽपि तावतैवानुपयोगात् धर्मान्तरसंवलनया अन्यतामिव गतोऽपि लक्ष्यमाणोऽनुगतधर्मी सूत्रन्यायेनास्ते स रूपांतरपरिणतः अर्थान्तरसङ्क्रमित उच्यते। द्वितीय भेदे, वस्तु अर्थः अनुपपद्यमानः उपायतामात्रेणार्थान्तरप्रतिपत्तिं कृत्वा पलायत इक सः तिरस्कृत इति अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो भवति।

● विश्वक्षितान्यपरवाच्यध्वनिः

"यस्मिन् ध्वनौ वाच्यं वाच्योऽर्थः विश्वक्षितं वाच्यतावच्छेदरूपेण अन्वयबोधविषयः अन्यपरं व्यङ्ग्योपसर्जनीभूतं च सः विश्वक्षितान्यपरवाच्यः" ( बालबोधिनी )।

विश्वक्षितान्यपरवाच्यध्वनिः ध्वनिप्रकारस्यास्य भेदद्वयं भवति।

<sup>12</sup>. वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डः

<sup>13</sup>. ध्वन्यालोकः, 2.1

1. असंलक्ष्यव्यंग्यम्


2. संलक्ष्यक्रमव्यंग्यं चेति ।

तदेव प्राह -

असंलक्ष्यक्रमोद्योतः क्रमेण द्योतितः परः ।

विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनेरात्मा द्विधा मतः ॥<sup>14</sup>

असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यस्य विषयास्तावत्- रस-रसभाव-भावभावादयः। संलक्ष्यक्रमव्यंग्यस्य तु भेदद्वयं भवति- शब्दशक्तिमूलः, अर्थशक्तिमूलश्चेति। अर्थशक्तिमूलध्वनेः भेदाः अधः आलोच्यन्ते-



उपसंहारः

प्रबन्धेऽस्मिन् सर्वेषु शास्त्रेषु प्रतिपादिताः ध्वनिसम्बन्धिविषयः अत्र संक्षेपेन सारल्येन च मया प्रस्तुतः। अस्मिन्प्रबन्धे ध्वनिचिन्तनस्रोतः, ध्वनिशब्दः, ध्वनिलक्षणम्, ध्वनिस्वरूपम्, ध्वनिविरोधिनां मतम् एवं ध्वनेः स्थापना, ध्वनिभेदाः, इति विषयान् स्वीकृत्य मम प्रबन्धकार्यं समपद्यत।

परिशीलितग्रन्थसूची

1. ध्वन्यालोकः, श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यः, आचार्य जगन्नाथ पाठक, चौखाम्बा विद्याभवन, वाराणसी-221001
2. ध्वन्यालोकः, श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यः, गङ्गासागररायः, चौखाम्बा संस्कृत भवन, वाराणसी-221001
3. मम्मटः, काव्यप्रकाशः, "आज" भवन् सन्त कबीर मार्ग, वाराणसी 221001)यू(पी., जुलाई, 2016
4. वाक्यपदीयब्रह्मकाण्डः, पण्डित वेदानन्द झा, मन्दाकिनी संस्कृतविद्वत्परिषद्, दिल्ली
5. वामनः, काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः, प्रोफेदारनाथ शर्मा, कृष्णदास अकादेमी, वाराणसी - 1979
6. विश्वनाथः, साहित्यदर्पणः, आचार्यः कृष्णमोहनशास्त्री, चौखाम्बा संस्कृत संस्थान वाराणसी, पुनर्मुद्रण - 2013

<sup>14</sup>. ध्वन्यालोकः, 2.2

7. संस्कृत शास्त्र का इतिहास, बलदेव उपाध्याय, शारदा मंदिर, वाराणसी, 1969
8. संस्कृतवाङ्मय का बृहत् इतिहास, (संबलदेव उपाध्याय), उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ, 2001
9. संस्कृतव्याकरणशास्त्र का इतिहास पं युधिष्ठिरमीमांसक, रामलालकपूर ट्रस्ट
10. संस्कृतसाहित्य का इतिहास, वाचस्पति गैरोला, चौखम्बासंस्करणम्, काशी
11. संस्कृतसाहित्येतिहासः, आचार्य रामचन्द्रमिश्र, चौखम्बावाराणसी -, 1970
12. साहित्यदर्पणः, विद्यावाचस्पतीसाहित्याचार्यशालिग्रामशास्त्रिविरचितयविमलाव्याख्या, मोतीलाल बनारसीदास, 2009

## भारतीयसमाजं प्रति विवेकानन्दः

तरुणमण्डलः

सहकारी अध्यापकः, संस्कृतविभागः, गुरुदासकलेजः, पश्चिमवङ्गः।

### Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number : 88-91

### Publication Issue :

September-October-2021

### Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 30 Sep 2021

**सारांशः-** महापुरुषाणां कृतिभिराचार्यत्वेन संस्कृतेरभिनवा दिशा जायते। बहवः अत्रासन् महर्षयः आचार्याश्च तीर्थङ्कररूपेणावताररूपेण वा, येषामभावे भारतीयसंस्कृतेः सुषमा स्वरूपं च न प्रादुर्भवेत्। आधुनिके युगे स्वामिविवेकानन्देन दारिद्र्यतानियुक्तवर्णवैषम्यजनित सामाजिकसांस्कृतिकजनिताः बहवः समस्याः दृष्टाः। ताश्च दूरीकरणाय तैः महापुरुषैः युवकानां प्रेरयितुं काश्चन पन्थानः उल्लेखिता स्वग्रन्थे । ताश्च मया सारल्येन संक्षेपेण शोधलेखेऽस्मिन् प्रस्तुताः।

**विशेषशब्दाः-** विवेकानन्दः, समाजः, व्यवहारः, भारतीयः, भारतीयसंस्कृतिः।

मनुष्य एक समाजबद्धजीवः भवति। समाजं विना सः जीवितुं न शक्नोति। समाजः नाम् समानधर्मस्थानं समुदायः इति। तस्मात् छात्रसमाजः शिक्षकसमाजः कृषकसमाज इत्यादि व्यवहारः प्रवर्तते। समाजस्य चित्रं साहित्ये प्रतिफलितं भवति। साहित्यं च समाजस्य दर्पणः भवति इति कथ्यते। यथा स्वच्छे, निर्मले, दर्पणे, कश्चित् स्वकीयां प्रतिकृतिं द्रष्टुं शक्नोति, तथैव सशस्ते साहित्ये तदानीन्तनसमाजस्य समुचितं चित्रं द्रष्टुं शक्यते। समजन्ति यस्मिन् मानवाः इति समाजः। मनुष्यसमुदायः यत्र ज्ञानगमनप्रापणादिकं कुर्वन्ति स समाजः। सम् सम्यक् वीयते प्राप्यते धर्मव्यवस्थितस्वरूपमस्मिन्नसौ समाजः।

सम् पूर्वकात् अज गतिक्लेषणयोः इत्येतस्मात् धातोः "अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्" इति सूत्रेण घञि सति अजिब्रज्योश्च इत्यनेन कुत्वनिषेधे सति समाजशब्दो निष्पद्यते। समुदोरजः पशुषु<sup>2</sup> सूत्रेण समजशब्दो निष्पद्यते यः पशूनां कृते प्रसिद्धः। यथा समजः पशूनाम्, समाजः ब्राह्मणानामिति।

महापुरुषाणामप्रतिमप्रभावो भारतीयसंस्कृतौ वर्तते। पृथिव्यां वैदिकदेवेषु कतिपये इन्द्ररुद्रविष्णुवरुणादयः वर्णिताः। आधुनिकसमाजविज्ञानानुसारं भारतीयसमाजे आर्य-नेग्रिहीप्रोटो-आस्ट्रलायड-गंगोलभूमध्यसागरीयद्राविडाणां सम्मिश्रणं वर्तते। स्वकीययुगानां महापुरुषाः एवासन्। कालान्तरे तेषां व्यक्तित्वं तादृशमेव दिव्यगुणैः अनुपमं जातम्। यथा रामकृष्णस्वामीविवेकानन्दबुद्धादीनां महापुरुषाणामवतारत्वं सञ्जातं शिवविष्णुगौतमादीनां चरितगाथाभिर्भारतीयसंस्कृतिः काव्यकलाधर्मदर्शनादिषु प्रभाविता। सामाजिकेभ्यो अभिरामजीवनदर्शनप्रदानेन महापुरुषाणामतिमात्रं प्रभावं विद्यते।

<sup>1</sup>. अष्टा. 3.3.19

<sup>2</sup>. अष्टा. 3.3.69

❖ **शक्तेः सन्देशवाहकः**— भारतीयसंस्कृतिः कर्मप्रधाना भवति। भगवान् श्रीकृष्णः गीतायामुक्तवान्— “**कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन**” इति। यः यथा कर्म करोति तस्य तथा गतिर्जायते। सत्कर्मणा पुण्यकर्मणा वा मनुष्यः इहलौकिक – पारलौकिकसुखं चावाप्नोति इति भारतीयानां विश्वासः वर्तते। मनुष्येण सदाऽनासक्तभावनया कर्म करणीयमिति अत्रोच्यते। गीतायामुच्यते पुनः “नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः इति। बृहदारण्यकोपनिषद्युच्यते “ पुण्यो वै पण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति” इति।

अतः यत किमपि कार्यं भवतु नाम मङ्गलकारणं भवति शरीरम्। जानन्ति सर्वे कविकुलगुरुकालिदासेन एका सूक्ति लिखिता। तद्भवति— ‘**शरीरमायं खलु धर्मसाधनाम्** इति। पुनश्च एकमानवस्य उपरि बहवः ऋणाः वर्तन्ते। तत्सर्वं साधनार्थम् अवश्यं शरीरम् आवश्यकं भवति। अतः स्वामी विवेकानन्देन सुप्तं भारतं जागरयितुम् अग्रे आगतम्। केवलं तावान् नास्ति इतोऽपि तेन स्व मातृभूमिं कथं प्रेमं करणीयं भवति। तदपि दर्शितम् उदाहरणमाध्यमेन। तद्यथा एकम् अग्रेज मित्रं विवेकानन्दं प्रति एवं पृष्टं यत बहूनि वर्षाणि पाश्चात्यदेशे स्थित्वा यदा स्वमातृभूमिप्रति गमिष्यति, तर्हि कथं भवान् अगवति इति ? तदुत्तरे विवेकानन्देन एवम् उक्तं यत्— भारतवर्षं गग तीर्थभूमिरिति। तथा प्रेग कुर्वन् आसीत् विवेकानन्दः। पुनश्च तेन एवम् उक्तं यत्। गवान् सर्वदा दरिद्रानाम् अन्ते स्थित्वा रोवाम् इच्छति। अतः रोवा कर्तव्या ‘शठे शव्यं रामाचरे इत्यपि वाक्यं ते अङ्गीकुर्वन्ति। निर्भरता एवं शक्तेः प्रचारकरूपेण तेषां ख्यातिं सर्वे जानन्ति एचरमा पुनश्च एतेषां विषये मद्रासविश्वविद्यालयस्य विभागाध्यक्षेण एवमुक्तं यत् राः विवेकानन्दः यः महात्मागाधेः नियुक्तराजनीति मार्गं दत्तवान्। यतः भास्तवर्षं स्वाधीनं जातम्। स्वामिना देशवासिनाम् ‘अन्धविश्वासादि’ नैव करणीयम् इति बोधितम्। स्वामिना भारतीय यूनः दृष्ट्वा एवमुक्तं यत् – ‘उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत’ इति उक्तिः प्रसिद्धो जातः।

❖ **शिक्षायां योगदानम्** - समाजे शिक्षा भवति प्रधानभूतः स्तम्भः। नारीणां शैक्षणिककृत्यमपि वेदेषु बहुधा निरूप्यते वेदे नारी सरस्वती इति शब्देन सम्बोध्यते। सरस्वती देवी या ज्ञानाधिष्ठात्री वर्तते। एकत्र नारी विदुषी इति पदेन सम्बोध्यते तथा प्रार्थयते यत् भवती यज्ञं प्रापयतु अस्माभिरिति यथा— **उषासोनक्ता विदुषीव विश्वमा हा वहतो मर्त्याय यज्ञम्।** स्वामिदयानन्देन यजुर्वेदभाष्ये स्पष्टमुल्लिखितम्— “स्त्रीणां मध्ये या विदुषी स्त्री स्यात् सा सर्वाः स्त्रियः सदा सुशिक्षेत्, यतः स्त्रीणां मध्ये विद्यावृद्धिः स्यादिति”।

शिक्षा मानवान् अन्येभ्यः प्राचीनेभ्यः शिक्षा भिन्नतां जनयति। शिक्षाविषये दार्शनिकदृष्ट्या चिन्तां कुर्मश्चेत् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते आदिमशिक्षालय भवति अस्माकं गृहम्। तत्र आचारव्यवहारशिक्षा पितृभ्यां परिवारकुटुम्बैः प्राप्यते। ततः यौवनकाले शिक्षा विद्यालयात् महाविद्यालयाच्च आचार्यैः वैदिकशिक्षा प्राप्यते। युवकः भवन्ति समाजस्य उन्नतौ वाहकाः। यौवनसमये समीचीनशिक्षां प्राप्नुवन्ति चेत् एव समाजकल्याणं स्यात् नान्यथा।

शिक्षाविषये विवेकानन्देन एवमुक्तं यत् – शिक्षा नाग मानवस्य अन्तर्निहितपूर्णतायाः अभिव्यक्तिरेव शिक्षा इति। स्वागिना उदासीन एवं निराशव्यक्तीनां कृते साहसम् अददत्। पुनः एवं सन्देशः दत्तं यत् – भीतिः कदापि न करणीयम्। किमर्थम् इत्युक्ते भीतिरेव मरणस्य कारणम्। भीतिः पापोऽपि भवति। भीतिः अधोलोकः, अधार्मिकता। अतः कदापि स्वजीवने भीतिः मास्तु इति।

❖ युनां प्रत्युपदेशः - प्रायः सर्वे श्रुतमेव स्युः एक वाक्यं - 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत' इति। अनेनयता एवं सन्दिशति यत् हे ! मम भारतीयाः उत्तिष्ठन्तु, आलस्यं मा भवत् किमर्थं इत्युक्ते उच्यते- 'आलस्यं हि मनुष्याणां शरीररथो महान् रिपुः' इति। अतः उत्तिष्ठ जाग्रत, ये ये महात्मनः समीचीनं कार्यं कृत्वा राष्ट्रे प्रसिद्धः तान् एव अनुसर।

पुनः एवम उपादिषत भारतीययुवावर्गान् यद् तेषां आत्मनिर्भरता एवं व्यक्तित्वविषये, त्याग एवं सेवाविषये सकारात्मक विचारविषये एवम् अन्ते शुभसंकल्पविषये उक्तम्। शनि पुनः एवम् अबोचत् यत् यूनां देशैव भारतवर्षः यत्र 70% जनाः 30 वर्षात् न्यनः। देशम् अग्रे नेतुं यूनां भूमिका महत्वपूर्णा भवति। अतः सर्वदा स्वकर्मेव निमग्नाः भवेयुः। सर्वदा भावना संस्थापयामा अहिंसा परमो धर्मः' इति विज्ञाय स्वजीवने आनेयुः। पुनः भारत विश्वगरूपदवी प्रदातुं भारतीययुववर्गाः सर्वदा पवित्रसंकल्पः, योगः, शारीरिकव्यायामः, समयरय सदुपयोगः, पौष्टिकभोजनं, सच्चिन्तनादि अवश्यं स्वमनसि आनेयुः।

❖ संस्कृतभाषां प्रति विवेकानन्दः- इयं पृथिवी एका सुविशाला पुष्करिणी। मानवसभ्यतारूपं कमलपुष्पं संस्कृतिरूपेण सौरभेण सह तत्र विकसितं सत् सम्पूर्णं जगदाह्लादयति। कस्यापि राष्ट्रस्य ख्यातिः तदीयसंस्कृतिमाध्यमेनैव सम्भवति। संस्कृतिः मानवजीवनस्य प्राणदायिनी शक्तिरित्युच्यते। धराजगत्यामस्यां विद्यमानानां राष्ट्राणां संस्कृतिः विविधरूपेण विकसिता सती एकमेव लक्ष्यस्थलं प्राप्नोति। एषा संस्कृतिः मानवानां सुख-शान्ति-समृद्धि-ख्याति-गतिप्रगतिषु सर्वदा विम्बरूपेण प्रतिविम्बिता अवलोक्यते। संस्कृतेरस्याः संस्कारेण, संस्कृतेन च सह नित्यं चिरस्थायी सम्बन्धो विद्यते। इयं भारतीयचिन्तनधारायां प्राच्यसंस्कृतिः, पाश्चात्यसंस्कृतिरिति द्विधा विभज्यते। प्राच्यदेशेषु प्रचलिता संस्कृतिः प्राच्यसंस्कृतिरित्युच्यते। पाश्चात्यदेशेषु अमेरिकादिषु प्रचलिता संस्कृतिः पाश्चात्यसंस्कृतिरिति कथ्यते। पाश्चात्यदेशेषु यूरोप-अमेरिका-अष्ट्रेलियादिदेशाः अन्तर्भवन्ति। एतेषु देशेषु प्रचलिता वंशपरम्परा, नैतिकमूल्यानि, पारम्परिकवस्त्राभूषणानि, विश्वसनीयसामाजिकव्यवस्था, शिल्पकला, प्रौद्योगिकविज्ञानञ्च तत्तद्देशानां सांस्कृतिकोपादानानि भवन्ति, यैः तेषामाचारः व्यवहारश्च प्रभावितौ भवतः। तथैव प्राच्यदेशेषु भारतस्य संस्कृतेः मूल्यं सर्वोच्चस्थानमलङ्करोति। वैदिककालादारभ्य परिवर्तिता परिवृंहिता चास्माकं संस्कृतिः सर्वेषां देशानां कृते प्रेरणास्रोतोभूता भवति। तत्संस्कृतिश्च अस्माभिः संस्कृतवाङ्मयाद् अधिगन्तुं शक्यते। प्राचीनभारतीयार्यभाषा संस्कृत-पदेन व्यवहियते, इदं संस्कृतं लौकिकवैदिकभेदाभ्यां द्वैविध्यमापन्नमस्ति। वैदिकभाषा छान्दसपदेनापि निगद्यते। सप्तसिंधुप्रदेशस्येयं भाषा उदीच्यभाषारूपेण व्यातिमापत्। इयमेव परिनिष्ठिता तथा साहित्येनोपेता संस्कृतभाषाऽऽसीत्। अस्याः भाषायाः विषये सर्वैः प्रायः अवगताः, अतः न आलोच्यन्ते।

स्वामिना संस्कृतस्य महत्त्वं विषये एवमुक्तं यत् - 'भारत' अस्माकं देशस्य नाम। तत्र संस्कृतज्ञानं विना कदापि 'भा' इति शब्दस्य अर्थं व्युत्पत्तिश्च नैव सम्भवति। तदर्थं वेदः, उपनिषद्, ब्रह्मसूत्रादिविवेकानन्दः अपठत्। स्वामिनः धेयं वाक्यं भवति - 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत' इति। यस्याः समस्यायाः समाधानम् अन्यत्र कुत्रापि नास्ति, तत्तु अवश्यं संस्कृतैव वर्तते। तत्र एकम् अथर्ववेदस्य मन्त्रं वर्तते -

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

देवाभागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते।।

अतः तेषां मते संस्कृते पाण्डित्यं भवति चेत् सर्वेऽपि सम्मानं कुर्वन्ति। विरोधे किमपि वक्तुं न पारयति। एषैव महान् रहस्य संस्कृतभाषायाः।

❖ नारीणां विषये उपदेशः- समाजे नारीनां स्थानं देवीतुल्या आसीत्। यतो हि नारीनां गौरवचर्चा रामायणादौ सर्वत्र कृता अस्ति। वैदिकवाङ्मयानुशीलनेन ज्ञायते यत् पुराकालादेव नारीणां स्थानमभ्यर्हितमतीव गौरवास्पदमासीत्। ऋषिका, गृहिणी, गृहस्वामिनी, माता, भगिनी, पुत्री इत्यादिभिः विशेषणपदैः समलंकियते स्म। सा सर्वक्षेत्रेषु कुशला भवति स्म।

न अरी इति नारी अर्थात् सर्वेऽपि जानन्ति यत् नारी इत्यस्य काय। जरा शत नारा अर्थात् यस्या शारा न सन्ति। परन्तु अद्यतनसमाजं यदि अवलोकयामः, ताह तासां सर्वेऽपि। पठनविषये उत स्वतन्त्रविषये तासाम अधिकारमेव नास्ति यथा पुरुषाणाम्। याद पुराणम् अवलोकयामत तय एवमस्ति यत् -

यत्र नार्थस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाक्रियाः।।

परन्तु सर्वेऽपि तान सर्वां विस्मृत्य ते सर्वे एवं चिन्तयन्ति 'विश्वासनैव करणीय स्वी च'। अतः विवेकानन्दमतेन तथा न आसीत् तैः सर्वदा नारीणाम् उन्नति चिन्तितम्। अतः वयं सर्वेऽपि विवेकानन्दः सदृश स्त्री सम्मानप्रदेयम्।

सिद्धान्ताः - अतः अद्यतनसमाजे यदि विवेकानन्दसदृशः भावना मनसि आगच्छति सर्वेषां तर्हि अस्माकं भारतवर्षे पुनः रामराज्यभवितुमर्हति।

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. स्वास्थ्य शिक्षा ओर् पर्यावरण अध्यायनम्, विवेक कुमार सिंह-, के एस के पाब्लिकेशन,
2. मनुस्मृतिः, मोतीलाल बनारसीदास-दिल्ली, 1983
3. वर्तमान भारत, स्वामी विवेकानन्दः, श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपूर, मध्यप्रदेशः
4. नीतिशतकम्, भर्तृहरिः, चौखाम्बा संस्करणम् काशी,
5. स्वामी विवेकानन्दः एक अनन्त जीवन जीवनी, सञ्जीव चट्टोपाध्याय, जनरल् बुक् सामान्य किताव, कोलकाता
6. अथर्ववेदः, विश्वेश्वरानन्द, वैदिकशोधसंस्थानम्, होसियारपूर



## संस्कार एवं आश्रम व्यवस्था की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समीक्षा

प्रभा चतुर्वेदी

शोध छात्रा, संस्कृत विभाग, राजकीय महाविद्यालय, कोटा, राजस्थान।

### Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number : 92-101

### Publication Issue :

September-October-2021

### Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 15 Sep 2021

**सारांश-** संस्कारों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि यद्यपि वर्तमान समय में सुरक्षात्मक दृष्टि से विभिन्न नियम-कानून बनाए गये हैं फिर भी बदलते परिवेश, पाश्चात्य दृष्टिकोण व संकुचित मानसिकता आदि के कारण संस्कारों का वास्तविक स्वरूप एवं उद्देश्य विकृत हो गया है। जिसके कारण आज समाज में पारस्परिक विद्वेष, नैतिक एवं चारित्रिक पतन जैसी विषम प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं। यदि इन संस्कारों का समुचित रीति से नियमपूर्वक पालन किया जाए तो प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व का निर्माण तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति सम्भव हो सकती है।

**मुख्य शब्द-** संस्कार, व्यवस्था, सदस्य, कर्तव्य, अधिकार, वर्णव्यवस्था, समाज, स्मृति, साहित्य, धर्म।

स्मृति साहित्य व अन्य धर्मशास्त्रकारों ने मानव जीवन के लिए जिन संस्कारों का विधान किया है वे मनुष्य के चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व के विकास में सहायक होने के साथ ही उसमें उच्च नैतिक गुणों के स्थापक हैं। तत्कालीन समाज में इनका अनुष्ठान निर्धारित समय पर पूर्ण आस्था एवं विश्वास के साथ विधिवत् किया जाता था, लेकिन कालक्रम के प्रभाव से नई सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं और विचारधाराओं का उदय हुआ, जिससे तत्कालीन मान्यताओं व संस्थाओं का स्वरूप बदलता गया। इसके साथ ही भाषागत कठिनता, वेद मन्त्रों की अग्राह्यता, धार्मिक विधि-विधानों की अस्पष्टता तथा उनमें मात्र पुरोहित जनों की बोधगम्यता, जनसाधारण की उनके प्रति उदासीनता एवं अरुचि, विभिन्न जातियों व धर्मों के विकास और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव आदि के कारण शनैः शनैः संस्कारों का हास होता रहा।<sup>1</sup> आज समाज में संस्कारों का महत्त्व नाममात्र का रह गया है तथापि कुछ संस्कार आज भी समाज में अपना स्थान बनाए हुए हैं, यद्यपि उनके स्वरूप, अनुष्ठान पद्धति तथा संख्यादि में अन्तर आ गया है।

स्मृतिसाहित्य में जिन संस्कारों की गणना की गयी है उनमें सबसे पहला संस्कार 'निषेककर्म' अर्थात् गर्भाधान है जिसे उस समय की संस्कृति नवीन आत्मा के आह्वान का एक पवित्र यज्ञ मानती थी, जो उचित तिथि व दिन के नियमानुसार किया जाता था। आज इस संस्कार में उतनी धार्मिकता या पवित्रता तो नहीं रही है, किन्तु अब सन्तानोत्पत्ति आकस्मिक या अविवेचना की परिणति न होकर सोच-विचारकर उचित समय पर की जाती है। यह समय की विडम्बना है कि कहीं-कहीं अब यह संस्कार त्यागा भी जा चुका है।<sup>2</sup> वर्तमान समय में पुंसवन एवं सीमन्तोन्नयन संस्कार समाप्त हो गये हैं।' लेकिन कुछ

लोगों की 'पुंस' उत्पत्ति विषयक मानसिकता अभी भी नहीं बदली है। वे आज भी पुत्र उत्पत्ति को अधिक महत्त्व देते हैं। इसके लिये लोग गुप्त रूप से अल्ट्रासाउण्ड तथा सोनोग्राफी के माध्यम से भ्रूण के लिंग को जानने का प्रयास करते हैं कि वह नर है या मादा। अब सरकार ने "गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 (1971 का 34)" के तहत लिङ्ग जाँच व भ्रूण हत्या पर रोक लगा दी है<sup>3</sup> और ऐसा करने वालों के लिए सजा व जुर्माने का प्रावधान किया है।<sup>4</sup> भारतीय दण्ड विधि संशोधन विधेयक, 2006 के द्वारा गर्भ-पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण (Pre-natal sex determination test) को घोर अपराध माना गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए उम्र कैद तथा एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दण्डित . किये जाने का प्रावधान किया गया है। निश्चय ही ऐसे प्रावधान से लिङ्ग जाँच व भ्रूण हत्या में कमी आयी है।

अब सीमन्तोन्नयन संस्कार तो नहीं किया जाता, किन्तु इसकी मनोवैज्ञानिक महत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता। आज भी चिकित्सक तथा अन्य अनुभवी वृद्धजन गर्भिणी स्त्री को प्रसन्न रहने की सलाह देते हैं और परिवारजन उसे प्रसन्न रखने का हर सम्भव प्रयास करते हैं। आज सभी देशों में गर्भस्थ शिशु व उसकी माता के संरक्षण व निरोगता के लिए अनेक क्रियायें 'Pre-natal care' के नाम से प्रारम्भ हो जाती हैं।<sup>5</sup> जिस प्रकार स्वास्थ्य की दृष्टि से इस संस्कार को महत्त्व दिया जाता था उसी प्रकार जन्म से पूर्व इन्जेक्शन, दवाईयाँ अथवा औषधि को आवश्यक माना गया है। वस्तुतः दोनों का उद्देश्य समान ही है-शिशु व माता की सुरक्षा। चाहे वह संस्कार के माध्यम से की जाए या औषधि आदि के रूप में। फिर भी यह संस्कार जो मानसिक शांति प्रदान करता था, वह आज की दवाईयाँ नहीं। कुछ संस्कारों में धार्मिक विधियों का अभाव है, यथा-जातकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन आदि। जातकर्म संस्कार में जिन शहद चटाने इत्यादि क्रियाओं का मन्त्रोच्चारण-रणपूर्वक उल्लेख मिलता है, वे सब नवजात शिशु के साथ सुविधाजनक नहीं रही होगी, तभी तो इस प्रकार की बातें केवल ग्रन्थों में मिलती हैं, व्यवहारिक जीवन में नहीं। आधुनिक समय में अधिकांशतया घर के स्थान पर अस्पतालों में प्रसूति होने के कारण भी यह संस्कार लुप्त हो गया है। काणे के अनुसार बंगाल में तो जातकर्म तथा अन्न-प्राशन एक ही दिन सम्पादित किये जाते हैं।<sup>6</sup> निष्क्रमण संस्कार का प्रारम्भिक स्वरूप तो नहीं रहा है, किन्तु कुछ लोग बालक को घर से बाहर ले जाते समय उत्सव मनाते हैं<sup>7</sup>, तो कुछ नदी-पूजन या देव-पूजन करते हैं।<sup>8</sup> अब नामकरण के साथ भी इस संस्कार को सम्पन्न कर दिया जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है।<sup>9</sup> अन्नप्राशन का सीमित रूप दिखाई देता है जो बिना किसी मन्त्रोच्चारण तथा पुरोहित को बुलाये सम्पन्न कर दिया जाता है। आज चिकित्सक भी महर्षि शंख की भांति अन्नप्राशन विषयक छठे माह को ही उचित बताते हैं। कुछ संस्कारों का परम्परापूर्ति हेतु मात्र अनुष्ठान कर दिया जाता है, यथा नामकरण एवं मुण्डन संस्कार । आधुनिक समय में बालक का नामकरण जन्म के बारहवें दिन बिना किसी वैदिक मन्त्रोच्चारण के कर दिया जाता है। कहीं-कहीं अब भी यह संस्कार पूर्ण वैदिक रीति से किया जाता है।<sup>10</sup> किन्तु पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में सार्थक नामों की परम्परा लुप्त होती जा रही है। लोग अपनी इच्छानुसार नाम रखते हैं, चाहे उसका कोई अर्थ हो या न हो। इसी प्रकार बालक के जन्म के केश भी एक बार कटवा दिये जाते हैं, क्योंकि गर्भ वाले केश अपवित्र माने जाते हैं। केश कर्तन का सम्पूर्ण कार्य नाई ही सम्पन्न करता है। 'चूडाकर्म' यह शब्द प्रायः इस संस्कार के लिए रूढ़ हो गया है और अब इसे 'मुण्डन' कहा जाता है। इस संस्कार में शिखा रखने की परम्परा भी अब न के बराबर है, क्योंकि अधिकांशतः हिन्दू लोग शिखा रखने में लज्जा का अनुभव करते हैं, किन्तु परम्परावादी संस्कारवान् परिवारों में आज भी लोग शिखा रखते हैं। देवल ऋषि ने शिखा एवं यज्ञोपवीत के महत्त्व को

प्रदर्शित करते हुए कहा है कि बिना शिखा एवं यज्ञोपवीत के कोई भी धार्मिक-कृत्य नहीं करना चाहिए। इन दोनों के बिना किया हुआ धार्मिक-कृत्य न किया हुआ समझना चाहिए। अतएव धार्मिक-कृत्य सम्पन्न कराने वाले ब्राह्मणों के लिए यह आज भी प्रासङ्गिक है। उपनयन के दिन भी इस संस्कार को करने का विधान मिलता है।'

आज सामान्य रूप से उपनयन एवं समावर्तन संस्कार का प्रचलन दिखाई नहीं देता, क्योंकि शिक्षा, शिक्षा के माध्यमादि सभी परिवर्तित हो चुके हैं, किन्तु आज जहाँ परम्परागत ढंग से गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से शिक्षा दी जाती है वहाँ उपनयन एवं समावर्तन शास्त्रोक्त विधि से किये जाते हैं। कुछ आधुनिक गुरुकुलों के नाम इस प्रकार हैं—श्रीमद्दयानन्द वेद विद्यालय गौतमनगर, नई दिल्ली-49, गुरुकुल यमुनातट मझावली, जिला-फरीदाबाद (हरियाणा), श्रीमद्दयानन्द आर्ष ज्योतिर्मठ, गुरुकुल दूनवाटिका-2, पौधा, जिला-देहरादून (उत्तराखण्ड), गुरुकुल नरसिंहनाथ पाईकमाल, जिला-बरगड़ (उड़ीसा), आर्ष कन्या गुरुकुल, देवनगर (घूचापाली), जिला-बरगड़ (उड़ीसा), गुरुकुल योगाश्रम, पतरकोनी, पेण्ड्रा रोड़, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़), श्रीकृष्ण आर्ष गुरुकुल, देवालय गोमत, वाया खैर, जिला-अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश), श्रीमद्दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय शादीपुर, यमुना नगर हरियाणा इत्यादि।

वर्तमान समय में उपनयन संस्कार के हमें दो रूप दिखायी देते हैं—प्रथम शिक्षा सम्बन्धी उपनयन संस्कार। द्वितीय विवाह सम्बन्धी उपनयन संस्कार। प्रथमतः आज भी गुरुकुलों में उपनयन संस्कार की सम्पूर्ण क्रिया यत्किञ्चित् परिवर्तित विधि-विधान के साथ सम्पन्न की जाती है, किन्तु वर्णानुसार जहाँ बालक को विभिन्न प्रकार के मेखला, वस्त्र, दण्ड एवं यज्ञोपवीत धारण करने होते थे वहीं आज इस अवसर पर प्रत्येक छात्र को समान रूप से साधारण स्वच्छ वस्त्र, दण्ड, मेखला एवं यज्ञोपवीत धारण करवाये जाते हैं और भिक्षाचरण की क्रिया भी सम्पन्न करवायी जाती है। यहाँ दण्ड धारण एवं भिक्षाचरण उसके दैनिक क्रिया के अभिन्न अंग न होकर मात्र नियम के पालन हेतु करवाये जाते हैं, क्योंकि परिस्थितिवश अब इनकी अनिवार्यता समाप्त हो चुकी है। आज अधिकांशतः गुरुकुलों में भोजनादि समस्त वस्तुओं की व्यवस्था उपलब्ध है। प्रशासन एवं विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की ओर से निर्धन तथा मेधावी छात्र-छात्राओं को शिक्षा पूर्ण करने हेतु छात्रवक्तियाँ दी जाती हैं। आज भी ब्राह्मण जातियों में इस संस्कार का निर्वाह पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जा रहा है।<sup>11</sup> लेकिन आधुनिक शिक्षण संस्थानों-विद्यालयों, महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों तथा इन्स्टीच्यूट आदि में इस प्रकार के उपनयन का सर्वथा अभाव है, जिसके कारण आज बालक विद्यास्नातक तो हो जाता है लेकिन विद्याव्रतस्नातक नहीं। यही कारण है कि आज शिक्षा के उच्च शिखर पर पहुँच जाने पर भी छात्रों में गुरु सेवा, तपश्चर्या, विनम्रता, धैर्यता आदि का अभाव मिलता है।

द्वितीयतः उपनयन शब्द का प्रयोग शिक्षा के अर्थ में न होकर एक विशिष्ट संस्कार के अर्थ में किया जाता है जो द्विजाति कहे जाने वाले व्यक्ति के विवाह से पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है। इस अर्थ में इसे 'जनेऊ' कहा जाता है, जिसका अभिप्राय उस संस्कार से है जिसमें बालक को यज्ञोपवीत पहनाया जाता है।<sup>12</sup> अतएव वर्तमान में उपनयन का प्राचीन स्वरूप गुरुकुलों को छोड़कर प्रायः समाप्त हो चुका है। अब उपनयन का अर्थ केवल 'जनेऊ' धारण करना रह गया है।

यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि जहाँ स्मृतियों में स्त्रियों के उपनयन संस्कार का निषेध किया गया है वहीं आज अनेक गुरुकुल स्त्री-शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित हैं। जहाँ उपनयन संस्कार से लेकर सम्पूर्ण अध्ययन-अध्यापन का कार्य स्त्रियाँ कर रही हैं। उपनयन संस्कार की सम्पूर्ण क्रिया मन्त्रोच्चारणपूर्वक वैदिक रीति से ही सम्पन्न की जाती है। कुछ वर्तमान कन्या गुरुकुलों के

नाम इस प्रकार हैं-श्रीमद्दयानन्द कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, चोटीपुरा (मुरादाबाद), कन्या गुरुकुल सासनी (हाथरस), गुरुकुल आर्ष कन्या विद्यापीठ नजीबाबाद, जिला बिजनौर, कन्या महाविद्यालय जालन्धर, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून, आर्य कन्या महाविद्यालय बड़ौदा, आर्य कन्या गुरुकुल लोवाकलां (रोहतक), आर्ष कन्या गुरुकुल नरेला (दिल्ली), आर्य कन्या गुरुकुल, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली, कन्या गुरुकुल बचगाँवा गामड़ी (कुरुक्षेत्र)।

वर्तमान समय में वेदारम्भ संस्कार को एक पृथक् संस्कार न मानकर उपनयन संस्कार का ही अंग माना गया है, क्योंकि अब उपनयन के अवसर पर ही मुख्य वेदी या अलग से वेदी बनाकर उस पर वेदारम्भ सम्बन्धी आहुतियाँ देने की परम्परा विकसित हो गई है।<sup>13</sup> इसके अतिरिक्त आजकल जो पद्धति अपनायी जा रही है उसमें इस संस्कार से पूर्व नौ ग्रहों<sup>14</sup> की पूजा को आवश्यक माना गया है। इसके साथ ही इस संस्कार में ब्रह्मा का वरण करके उसके तिलक कर, मौली बाँधने का विधान किया गया है। गुरु वेद पढ़ाने से पूर्व वस्त्र पर चावलों से अष्टदल बनाकर उस पर सरस्वती तथा वेदों की पूजा भी करवाता है। राजस्थान की प्रथा के अनुसार संस्कार के अन्त में गुरु खड़ा होकर ब्रह्मचारी के दाहिने हाथ से स्पर्श कराते हुए पुष्प-फल युक्त घृत भरे हुए सुवे (प्रोक्षणी) से पूर्णाहुति देता है फिर बैठकर सुवा से भस्म उठाकर दाहिने हाथ की अनामिका से लेकर गुरु अपने माथे, गले और दाहिने कन्धे एवं छाती पर लगाता है। फिर इसी क्रम में वह शिष्य के शरीर पर भस्म धारण करवाता है।<sup>15</sup>

समावर्तन संस्कार का निर्वहन अधिकांश गुरुकुलों तथा संस्कृत संस्थानों में किया जा रहा है। आधुनिक शिक्षण संस्थानों में भी इस संस्कार की छाप दिखाई देती है। विद्यार्थियों के द्वारा स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त जो विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों से उपाधि-पत्र दिया जाता है वही आधुनिक संस्थानों का बालक के लिए समावर्तन है। इससे पूर्व आधुनिक विश्वविद्यालयों में 'दीक्षान्त समारोह' का आयोजन किया जाता था। स्नातकों को उपाधि प्राप्ति हेतु विशिष्ट वेशभूषा दी जाती थी। दीक्षान्त समारोह के दिन विश्वविद्यालय के कुलपति स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उपाधि-पत्र देते थे और तैत्तिरीयोपनिषद् का अनुशासन प्रस्तुत करके विद्यार्थियों को सदाचरण के लिए प्रेरित करते थे<sup>16</sup>, किन्तु अब यह स्वरूप भी बदल कर मात्र उपाधि-पत्र तक ही सीमित रह गया है। स्नातक के लिए किसी दीक्षान्त समारोह को आयोजित नहीं किया जाता। आज गुरुकुलों तथा अन्य संस्थाओं से समावर्तन के पश्चात् भी छात्र उच्च शिक्षा को प्राप्त कर तथा आजीविका ग्रहण कर विवाह करता है। वस्तुतः बालक की शिक्षा अब स्नातक तक सीमित नहीं रह गई है। इसके अनन्तर भी वह अनेक उपाधियों को प्राप्त कर जीवन को सुखमय बनाने का यथासम्भव प्रयास करता है।

विवाह आज भी धार्मिक संस्कार के रूप में प्रचलित है। इस संस्कार का विधिरूप तो लगभग यथावत् है, किन्तु अन्य अनेक विस्तार तथा सूक्ष्मताएँ लुप्त हो गई हैं। तत्कालीन समय में जहाँ सवर्ण, गोत्र, प्रवर, कुल, सपिण्ड तथा कन्या एवं वर के गुणादि का विचार कर विवाह संबंध तय किया जाता था वहीं आज कन्या एवं वर के गुण-अवगुण तथा कुलादि को तो महत्त्व दिया जाता है लेकिन अन्य को नहीं। आज सवर्ण अथवा सजातीय विवाह की अनिवार्यता क्षीण होने से गोत्र एवं प्रवर संबंधी मान्यतायें व्यर्थ होती जा रही हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें यह ज्ञात ही नहीं है कि प्रवर एवं गोत्र होता क्या है? यदि सपिण्डता की बात करे तो लोगों को माता की पाँच पीढ़ी और पिता की सात पीढ़ी का नाम स्मरण ही नहीं होगा। जबकि सभी धर्मशास्त्रों में सगोत्र एवं सप्रवर विवाह का निषेध किया गया है।

आरम्भ में हिन्दू कानून के द्वारा भी इस प्रकार के विवाह अवैध माने गये थे, किन्तु बाद में परिस्थितियों के अनुरूप सगोत्र, सप्रवर तथा सपिण्डता सम्बन्धित नियमों का प्रावधान कर दिया गया। आज "हिन्दू विवाह अयोग्यतायें निवारण अधिनियम 1946"<sup>17</sup> तथा "हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 292 के अनुसार सप्रवर तथा सगोत्र विवाह वैध है। इसी प्रकार सपिण्डता कहाँ तक मानी जाए? इसके लिए रीति-रिवाज एवं कानून को आधार माना गया है। "हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3 'एफ' तथा 'जी' के अनुसार माता की ओर से तीन पीढ़ियों तक तथा पिता की ओर से पाँच पीढ़ियों तक सपिण्ड माने जाएंगे। लेकिन अधिकांशतः हिन्दू परिवारों में आज भी सवर्ण कन्या से विवाह को ही मान्यता दी जाती है और अपने गोत्र में एवं सपिण्ड से विवाह न करने की परम्परा विद्यमान है। सपिण्ड के साथ, यथा-फुफेरी, मौसेरी, ममेरी बहन से विवाह नहीं किया जाता। किन्तु दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों, यथा-कर्नाटक एवं मैसूर के लोग, जिनमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं, जो अपनी बहन की लड़की से विवाह कर सकते हैं। तमिल एवं तेलुगु जिलों के ब्राह्मणों एवं शूद्रों में अपनी पत्नी की बहन की लड़की से विवाह वैध माना गया है।<sup>18</sup> यहाँ तक कि दक्षिण भारत में मामा की लड़की से भी विवाह प्रचलित है। आधुनिक युग में इस प्रथा को उचित नहीं माना जाता। "हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5, उपधारा पअ" के अनुसार ये विवाह नहीं हो सकते, यदि इस प्रकार की कोई प्रथा उनके समाज में नहीं है।<sup>19</sup>

शंखस्मृति विहित आठ प्रकार के विवाहों में से अधिकांश विवाह-दैव, आर्ष, आसुर, राक्षस और पैशाच लुप्त हो चुके हैं, जिनका विधान तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप वर्णानुसार किया गया था। आज न तो वर्णव्यवस्था रही है और न ही उक्त विवाह। वर्तमान में विवाह का जो आदर्श स्वरूप (कन्यादान तथा आशीर्वादात्मक) दिखाई देता है। हाँ, उसे हम ब्राह्मण या धर्म विवाह तथा प्राजापत्य की कोटि में रख सकते हैं, जो किसी जाति विशेष के लिए न होकर सम्पूर्ण हिन्दू समाज के लिए है। सामान्यतः आज इसी को जन सामान्य में श्रेष्ठ माना जाता है।

समाज में आसुर विवाह की प्रथा यद्यपि वैदिककाल<sup>20</sup> से ही प्रचलित रही है, किन्तु इसे प्रशंसनीय नहीं माना जाता था। सभी धर्मशास्त्रकारों ने आरम्भ से ही इसकी भर्त्सना की है। फिर भी आधुनिक युग में यह प्रथा कतिपय निम्न जातियों में देखने को मिलती है। राजस्थान के कन्जर, झाँसी, मीना इत्यादि जातियों में इस प्रथा का प्रचलन है। कहीं-कहीं उच्च जातियों में भी बेमेल विवाहों का आधार अप्रत्यक्ष रूप से कन्यामूल्य है।<sup>21</sup>

आज लड़के-लड़कियों में शिक्षा के प्रसार तथा सह-शिक्षा के कारण 'प्रेम विवाह' भी प्रचलन में आ रहा है, जिसे आजकल प्राचीनकालीन गान्धर्व विवाह का ही रूप माना जाता है, किन्तु इन दोनों का गहनतापूर्वक अध्ययन करें तो आज दोनों को समान मानना युक्तिसंगत न होगा। गान्धर्व विवाह में मात्र कामनावश संयुक्त होने को ही गान्धर्व नाम दिया गया था। जबकि प्रेम-विवाह के कई रूप दृष्टिगोचर होते हैं, यथा- परिवार वालों की बिना अनुमति से विवाह करना, परिवार वालों की सहमति से विवाह करना, कानूनी विवाह (Court Marriage), मंदिरों में जाकर कुछ सम्बन्धियों की उपस्थिति में विवाह करना। इनमें विधि-विधान को भी महत्त्व दिया जाता है, लेकिन विवाह से पूर्व संयुक्त होने को आज विवाह की श्रेणी में नहीं रखा जाता। यद्यपि इस प्रकार के कतिपय मुकद्दमें न्यायालय में आ जाते हैं पर इसे विवाह मानना आज के युग में सर्वथा अनुचित होगा। उदाहरण के लिए महाकवि कालिदास के सर्वोत्कृष्ट नाटक "अभिज्ञानशाकुन्तलम्" को देखें तो वहाँ दुष्यन्त व शकुन्तला के कामवश संयुक्त होने को 'गान्धर्व' नाम दिया गया, जिसे प्रणय का प्रतीक मानकर विवाह के रूप में मान्य

ठहराया। यहाँ यह दृष्टव्य है कि उनका विवाह बिना किसी की उपस्थिति में तथा बिना वैदिक रीति से हुआ था। आज यदि ऐसा किया जाता है तो उसे विवाह नहीं माना जाता और कामातुरता प्रधान होने के कारण समाज में इसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन कुछ परिवारों में प्रेम के पश्चात् यदि दोनों के परिवार जनों से स्वीकृति मिल जाती है तो उसमें कुछ स्थायित्व आ जाता है और उसे समाज में स्वीकार कर लिया जाता है। युवा पीढ़ी आज इस विवाह को श्रेष्ठ मानती है। प्रशासन भी ऐसे विवाहों को प्रोत्साहित कर रहा है, किन्तु बिना परिवार जनों की सहमति के विवाह करना आज भी समाज में निन्दनीय माना जाता है। भले ही सरकार ऐसे विवाहों को प्रोत्साहित क्यों न करे? क्योंकि इस प्रकार के विवाहों में आज ग्राम से बाहर निकालना, जातिच्युत करना, दम्पती से किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखना, सहयोग न करना, यहाँ तक कि हत्या इत्यादि के मामले भी देखे जाते हैं। सामाजिक दृष्टि से परिवारों में कलह, विवाह-विच्छेद आदि का कारण भी अधिकांशतः प्रेम-विवाह है, क्योंकि ऐसे विवाहों में लड़का-लड़की दोनों अपने को समान समझते हैं, अतः वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है। आज प्रेम का सच्चा स्वरूप नहीं रह गया है। इसलिये अधिकतर विवाह सफल नहीं होते। यद्यपि तत्कालीन समाज में गान्धर्व-विवाह मान्य था। बाद में 1881 ई. में इलाहाबाद कोर्ट ने गान्धर्व-विवाह को अमान्य घोषित कर दिया था, किन्तु हिन्दू कानून के अनेक आधुनिक वक्ताओं ने इसे मान्य ठहराया। बनर्जी ने अपनी पुस्तक "हिन्दू लॉ" तथा मेन ने अपनी पुस्तक "मेन ट्रिटिज़ एन हिन्दू लॉ एण्ड यूजेज" में इस विवाह को मान्यता दी। आज तो यह प्रेम-विवाह के रूप में मान्य है ही। 1872 ई. में 'प्रेम-विवाह' को हिन्दू रीति-रिवाजों के विरुद्ध कानूनी रूप से सम्पन्न करने की सुविधा "विशेष विवाह अधिनियम" के द्वारा प्रदान की गई है।<sup>22</sup> प्रेम-विवाह के अतिरिक्त पूँजीपतियों में स्वयंवर प्रथा भी दिखाई देती है, यथा-राहुल महाजन और डिम्पी का स्वयंवर।

तत्कालीन समय में स्त्री व उसकी सन्तान को समाज में सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिल सके, इसलिये राक्षस और पैशाच कृत्य को विवाह के रूप में मान्यता मिली होगी, किन्तु आज राक्षस तो प्रायः लुप्त हो गया है। यदि आज विवाह धोखे से या जोर-जबरदस्ती से कर दिया गया हो तो उसे आधुनिक कानून के अनुसार अन्यथा सिद्ध किया जा सकता है, भले ही विवाह में सभी धार्मिक-कृत्य क्यों न सम्पादित कर दिये गये हों।<sup>23</sup> पैशाच-कृत्य, विवाह के रूप में नहीं अपितु दुष्कर्म या बलात्कार के रूप में बढ़ता जा रहा है। कन्याएँ प्रतिदिन इस शोषण का शिकार हो रही हैं। छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक इस दुष्कर्म को अन्जाम दिया जा रहा है। यहाँ तक कि ऐसा दुष्कर्म करने के उपरान्त लड़कियों को मार दिया जाता है जिसे प्राचीनकालीन पैशाच की संज्ञा नहीं दी जा सकती। विवाह का अर्थ होता है- 'विशिष्ट ढंग से कन्या को ले जाना। यह विवाह भी तभी सार्थक है जब धार्मिक विधि-विधान के साथ सम्पन्न किया जाए अन्यथा बलपूर्वक या दुष्कर्म कर कन्या को प्राप्त करने को विवाह का नाम नहीं दिया जा सकता, ऐसा करना मात्र दुष्कर्म है, मानवता का हनन है। तत्कालीन समय में भी इसे अत्यन्त घृणास्पद, जघन्य कर्म माना जाता था और आज भी। हाल ही में हुए दो वर्ष की बच्ची 'फलक' तथा 'दामिनि' केश ने भारतवर्ष को शर्मसार कर दिया है। ऐसे हजारों केश कन्या शोषण से सम्बन्धित हैं। यद्यपि ऐसे दुष्कर्म के लिए "भारतीय दण्ड संहिता (फौजदारी कानून) की धारा 376" के अनुसार बलात्कारी के लिए 7 वर्ष से 10 वर्ष या उम्र कैद का विधान किया गया है।<sup>24</sup> फिर भी इस दुष्कृत्य में वृद्धि होती जा रही है। ऐसे दुष्कर्म को रोकने के लिए और अधिक कठोर से कठोर



कानून बनाये जाने चाहिये। ऐसे मामलों में शीघ्रतिशीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिये, तभी देश का उज्ज्वल भविष्य सम्भव है, अन्यथा देश अंधकाररूपी पतन के गर्त में चला जाएगा।

तत्कालीन समाज में पुरुष का विवाह वयस्क होने पर तथा स्त्री का विवाह बाल आयु में होता था। आधुनिक समय में बाल-विवाह की यह कुरीति समाप्त हो गई है। प्रारम्भ में भारत सरकार ने "बाल-विवाह नियंत्रक अधिनियम 1929 या शारदा विवाह अधिनियम" के द्वारा लड़के की विवाह आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 15 वर्ष निर्धारित कर बाल-विवाह को रोकने का प्रयास किया। इसी प्रकार "हिन्दू विवाह अधिनियम 1955" पारित किया गया, जिसमें वर की आयु 18 वर्ष तथा वधू की आयु 15 वर्ष निश्चित की गई। जिसका उल्लंघन करने पर धारा 18, उपधारा (अ) के अनुसार 15 दिन के साधारण कारावास या एक हजार रुपये जुर्माने का विधान किया गया।<sup>25</sup> लेकिन बाद में इस अधिनियम को संशोधित कर लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित की गई।<sup>26</sup> वर्तमान में विवाह की यह आयु वैध मानी गई है जो शारीरिक व मानसिक दृष्टि से उचित है। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं-कहीं लड़कियों का अल्पायु में विवाह देखने को मिलता है, जिसका कारण वहाँ की प्रथाएँ, रीति-रिवाज, अशिक्षा, रूढ़िवादिता इत्यादि हैं। शहरी क्षेत्रों में अब लड़कियों के पढ़ने-लिखने के पश्चात् ही विवाह किया जाता है। अतएव लड़कियों में शिक्षा का प्रसार बढ़ जाने से भी उनकी विवाह की आयु स्वतः बढ़ रही है।

शंखस्मृति में कहीं भी ऐसा संकेत नहीं मिलता है जिससे यह लक्षित होता हो कि कन्याओं का विवाह करने में कन्या पक्ष वालों को बहुत अधिक आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था। यदि धन दिया भी जाता रहा होगा तो बहुत कम या धर्म के पालन हेतु या इस प्रकार की प्रथा धनी या उच्च वर्ग में होगी साधारण जन में नहीं, क्योंकि शंख ने कहीं भी कन्या को अलंकृत कर दान करने की बात नहीं कही है। वस्तुतः विवाह बिना किसी दहेज के अत्यन्त साधारण ढंग से होता था, किन्तु आज विवाह में 'दहेज' एक विकट समस्या बन गई है। जिसके कारण आज पारिवारिक संघर्ष, निम्न जीवनस्तर, नवजात कन्याओं की हत्या, आत्महत्या, लड़कियों का अविवाहिता रह जाना, बेमेल विवाह, विवाह-विच्छेद, बाल-विवाह, अनैतिकता व अपराध का बढ़ना, मानसिक व्याधियाँ, स्त्री शिक्षा में बाधा इत्यादि समस्यायें दिन- प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसलिये दहेज के विरुद्ध कानून बना दिये गये हैं। दहेज की रकम भी तय की गई है। उदाहरण के लिए "राजस्थान दहेज प्रतिबन्ध विधेयक 1958" के अनुसार यह 501 रुपये से अधिक नहीं हो सकती और भारतीय लोकसभा में प्रस्तावित "दहेज निषेध विधेयक" के अनुसार दो हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।<sup>27</sup> लेकिन आज दहेज मांगने वाले रूपये हजारों में नहीं वरन् लाखों में दहेज की मांग करते हैं। इसलिये अब "दहेज निषेध अधिनियम 1961 (1961 का 28वां)" की धारा 3 और 4 के अनुसार दहेज देना या लेना और दहेज मांगना कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया है तथा ऐसे लोगों को दण्डरूप में 6 मास का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।<sup>28</sup>

समाज में बहुपत्नी विवाह की प्रथा थी, लेकिन एक पत्नी विवाह को ही आदर्श रूप में माना जाता था। आज बहुपत्नी विवाह न तो सैद्धान्तिक रूप से मान्य है, न ही व्यवहारिक रूप में। अब एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना गैरकानूनी है। भारत सरकार के "हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 (1955 का 25वां)" के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक पत्नी या पति के रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता। यदि पति-पत्नी का कानूनन विवाह-विच्छेद (तलाक) नहीं हुआ है तो भी दूसरा विवाह



करना अवैध है। हाँ, यदि विवाह के समय पति या पत्नी जीवित न हो या कानूनन विवाह-विच्छेद हुआ हो तो दोनों विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार वर्तमान में विवाह सम्बन्धी स्वच्छन्द प्रवृत्तियों के स्थान पर मानवोचित व्यवहार को मर्यादित कर दिया गया है।

बहुपत्नीत्व के साथ-साथ समाज में अनुलोम विवाह का प्रचलन था अर्थात् उच्च वर्ण का पुरुष अपने से निम्न वर्ण वाली स्त्री से विवाह कर सकता था<sup>29</sup>, किन्तु सवर्णा अर्थात् अपनी ही जाति वाली स्त्री से विवाह को उत्कृष्ट माना जाता था। आधुनिक समय में इसे अन्तर्विवाह (Inter Caste) कहा जाता है। आज अधिकांशतः हिन्दू परिवारों में इस नियम का दृढ़ता से निर्वाह किया जा रहा है। विशेषकर ग्रामों में इस नियम के विरुद्ध जाकर विवाह करना सरल नहीं है। ऐसा करने पर लोग उसे जाति से बहिष्कृत कर देते हैं, किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखते तथा कोई सहयोग नहीं करते, किन्तु अब शिक्षा के प्रचार-प्रसार, सह शिक्षा, विचारों व सामाजिक सुधारकों का प्रभाव, वयस्क विवाह, आवागमन एवं सन्देशवाहन के साधनों में वृद्धि, सह-कार्य, औद्योगीकरण एवं नगरीकरण, विज्ञान का प्रभाव, कानूनी बाधाओं की समाप्ति आदि के कारण अन्तर्जातीय विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है, जिनमें सर्वाधिक प्रेम-विवाह है। डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार ने अन्तर्विवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह के भेद को स्पष्ट करते हुए कहा है कि "अपनी जाति में ही विवाह करना अन्तर्विवाह (Inter Caste) है, यथा-सारस्वत ब्राह्मण का सारस्वतों में, गौड़ का गौड़ों में और कान्यकुब्ज का कान्यकुब्जों में विवाह करना।" यदि अपनी जाति से बाहर विवाह किया जाए तो वह अन्तर्जातीय विवाह है, यथा-ब्राह्मण यदि सारस्वत है और वह गौड़ या कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में विवाह करता है तो वह अन्तर्जातीय विवाह (Inter Sub-Caste Marriage) है।<sup>30</sup> वस्तुतः अन्तर्जातीय विवाह जाति-विवाह ही है फिर भी अन्तर्जातीय विवाह नहीं किये जाते हैं। प्रारम्भ में कानून ने भी इसे अवैध माना था, किन्तु बाद में इसे वैध माना गया। वर्तमान में "हिन्दू विवाह मान्यता अधिनियम 1949" के अनुसार विवाह के लिए एक ही जाति या धर्म का होना आवश्यक नहीं है। किसी भी धर्म, जाति या उपजाति के लोग आपस में विवाह कर सकते हैं।<sup>31</sup> इसी प्रकार "विशेष विवाह अधिनियम 1954 (1954 का 43वां)" के अधीन विभिन्न धर्मावलम्बियों को बिना अपना धर्म बदले आपस में विवाह करना मान्य है।<sup>32</sup>

इस प्रकार संस्कारों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि यद्यपि वर्तमान समय में सुरक्षात्मक दृष्टि से विभिन्न नियम-कानून बनाए गये हैं फिर भी बदलते परिवेश, पाश्चात्य दृष्टिकोण व संकुचित मानसिकता आदि के कारण संस्कारों का वास्तविक स्वरूप एवं उद्देश्य विकृत हो गया है। जिसके कारण आज समाज में पारस्परिक विद्वेष, नैतिक एवं चारित्रिक पतन जैसी विषम प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं। यदि इन संस्कारों का समुचित रीति से नियमपूर्वक पालन किया जाए तो प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व का निर्माण तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति सम्भव हो सकती है।

सन्दर्भग्रन्थाः

1. पाण्डेय, डॉ. राजबली, हिन्दू-संस्कार, पृ.351-352
2. काणे, पी.वी., धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृ.180
3. (क) आशा रानी व्होरा, औरत कल, आज और कल, पृ.136

- (ख) प्रो. सरिता वाशिष्ठ, महिला और कानून, पृ.132-133
4. परांजपे, डॉ. ना.वि., भारतीय दण्ड संहिता, संस्करण 2008, पृ.545
  5. शर्मा, हरद्वारी लाल, संस्कृति-विज्ञान की रूप-रेखा, पृ.199
  6. काणे, पी.वी., धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृ.180
  7. प्रीति प्रभा गोयल, भारतीय संस्कृति, पृ.74
  8. द्विवेदी, श्री ब्रजवल्लभ, भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्व, पृ.4
  9. डॉ. किरण टण्डन, भारतीय संस्कृति, पृ.60
  10. काणे, पी.वी., धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रथम भागए पृ.196 तथा 180
  11. पुरोहित, डॉ. सोहन कृष्ण, उपनयन संस्कार मीमांसा, पृ.136
  12. पाण्डेय, डॉ. राजबली, हिन्दू संस्कार, पृ.149-150
  13. पुरोहित, डॉ. सोहन कृष्ण, उपनयन संस्कार मीमांसा, पृ.110
  14. सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु । दीक्षित, स्व. श्री शंकर बालकृष्ण, अनु.-झारखण्डी, शिवनाथ, भारतीय ज्योतिष, पृ.733-734
  15. शास्त्री, धरणीधर : सुगम उपनयन पद्धति, पृ.45-54
  16. डॉ., किरण टण्डन, भारतीय संस्कृति, पृ.134
  17. तोमर, प्रो. राम बिहारी सिंह, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, पृ.35
  18. काणे, पी.वी., धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृ.281
  19. तोमर, प्रो. राम बिहारी सिंह, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, पृ.41
  20. (क) अश्रवं हि भूरिदावत्तरा वां विजामातुरुत वा द्या स्यालात् ॥ ऋ., 1/109/2  
(ख) दयति दोषा मर्यतो वधूयोः परिप्रीता पन्यसा वार्येण । वही, 10/27/12
  21. तोमर, प्रो. राम बिहारी सिंह, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, पृ.60 र वही, पृ
  22. तोमर, प्रो. राम बिहारी सिंह, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, पृ.46
  23. काणे, पी.वी., धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृ.306
  24. प्रो. सरिता वाशिष्ठ, महिला और कानून, पृ.136-137
  25. (क) तोमर, प्रो. राम बिहारी सिंह, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, पृ.69-73  
(ख) कापड़िया, के.एम., भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार, पृ.160-162, 172  
(ग) आशा रानी व्होरा, औरत कल, आज और कल, पृ.134
  26. (क) आशा रानी व्होरा, औरत कल, आज और कल, पृ.135  
(ख) प्रो. सरिता वाशिष्ठ, महिला और कानून, पृ.111, 133-134
  27. तोमर, प्रो. राम बिहारी सिंह, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, पृ.51

28. (क) आशा रानी व्होरा, औरत कल, आज और वफल, पृ.136  
(ख) प्रो. सरिता वाशिष्ठ, महिला और कानून, पृ.135-136
29. (क) कापड़िया, के.एम., भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार, पृ.120  
(ख) तोमर, प्रो. राम बिहारी सिंह, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, पृ.31-32  
(ग) प्रो. सरिता वाशिष्ठ, महिला और कानून, पृ.133-134
30. जोशी, डॉ. प्रदीप कुमार, प्राचीन भारतीय शास्त्रों में वर्णित गार्हस्थ्य आश्रम, पृ.152-153
31. (क) कापड़िया, के.एम., भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार, पृ.123-124  
(ख) तोमर, प्रो. राम बिहारी सिंह, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, पृ.35-36
32. आशा रानी व्होरा, औरत कल, आज और कल, पृ.134-135

## कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण के लिए उद्यमशीलता का समर्थन डॉ० गिरीश कुमार वत्स

प्राचार्य, ए० टी० एम० एस० कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन, अछेजा, हापुड़, उत्तर प्रदेश।

### Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number : 102-108

### Publication Issue :

September-October-2021

### Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 15 Sep 2021

सारांश— शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग निश्चय ही पाठशालाएँ भी हैं और उनके वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन भी आवश्यक है। शिक्षा में परिवर्तन की बात कही तो सर्वत्र जाती है, लेकिन स्कूली शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन की कोई स्पष्ट स्थिति विनिर्मित नहीं हो सकी है। आज प्रशिक्षण व कौशल के अभाव में सारी विपन्नताएं उठ खड़ी हुई हैं। स्वतन्त्रता देशवासियों की एक अत्यन्त शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आवश्यकता थी और इसके लिए वे सब कुछ बलिदान करने को तैयार थे। आज उसी बलिदान स्तर की आवश्यकता है तथा 'मेक इन इंडिया' को आधार बनाकर कौशल का विकास, शैक्षणिक पाठ्यचर्या में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना है और उसके लिए शिक्षा विभाग तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को देश के निर्माण के कार्य लिए आगे आना है। प्रशिक्षण की आवश्यकता और महत्ता पर आज के विचारक एवं बुद्धिजीवी एक मत है। यही वह सॉचा है, जिसके द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व ढाला और वातावरण बदला जा सकता है। अनेकों मतभदों के बावजूद अधिकांश चिन्तक दो घटकों—कुशल प्रशिक्षक एवं अनुकूल वातावरण की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में प्रधानता मानते हैं।  
मुख्य शब्द – कौशल ,शैक्षिक मोर्चाबन्दी, रोजगार ।

प्रस्तावना— इन दिनों शिक्षा प्रणाली की उस समग्रता में बहुत कुछ कमी रह जाती हैं, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करके किसी प्रकार पास होना ही एक मात्र लक्ष्य रहता है। जिसका वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में भी अत्यधिक महत्व दृष्टिगोचर होता है। समय के बदलते हुए क्रम को देखते हुए शिक्षा के उद्देश्य और स्वरूप में असाधारण परिवर्तन की आवश्यकता है। सरकारी और गैर-सरकारी नौकरियों का क्षेत्र सीमित मानकर शिक्षा से जुड़ने वाले हर छात्र और अभिभावक को यह सोचना होगा कि नौकरी के लिए शिक्षा वाले दृष्टिकोण में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से जिसे जितना अधिक पढ़ने का अवसर मिल सके उत्तम है ,परन्तु उसे आजीविका के साथ जोड़ना हो तो यह समझकर चलना चाहिए कि हर शिक्षित को इन दिनों नौकरी मिलना असम्भव है। सामान्य शिक्षा के उपरान्त जब अर्थोपार्जन

पर भी ध्यान देना पड़े तो पूर्व से ही सोच लेना चाहिए कि नौकरी न मिलने की दशा में क्या करना होगा?।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लोगों के लिए जो अतिरिक्त मार्ग खुला रह जाता है। वह कुटीर उद्योगों व क्षेत्रीय व्यवसायों का ही है। कुटीर उद्योगों का क्षेत्र अभी भी बचा हुआ है, कुटीर उद्योगों को बढ़ती हुई जनसंख्या की दृष्टि से अभी बहुत विस्तार दिया जा सकता है। जापान जैसे देशों ने अपनी आर्थिक स्थिति कुटीर उद्योगों के स्टोर से ही विकसित हुई है। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं में से अधिकांश ऐसी है, जो समीपवर्ती क्षेत्र में बनने पर किसी फ़ैक्टरी के चमकदार माल की तुलना में सस्ती भी हो सकती है तथा टिकाऊ भी। यदि कच्चा माल अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध हो और क्षेत्रीय निर्माण को प्राथमिकता देने की लोक रूचि हो तो निश्चित ही अभी भी कुटीर उद्योग बड़े-बड़े मिलों के निर्माण की प्रतिस्पर्धा में टिकी रह सकती है। गांधी जी ने खादी को प्राथमिकता देते हुए सर्वसाधारण का ध्यान कुटीर उद्योगों की ओर आकर्षित किया था तथा स्वदेशी भावना को ग्राम विकास की रीढ़ बनाया था। कुटीर उद्योगों को यदि सुनियोजित ढंग से अपनाया, शिक्षा तन्त्र के साथ उसका समन्वय किया जाये तो शिक्षितों की बेरोजगारी वाली समस्या का समाधान पूर्णरूप से निकल सकता है।

किसी भी संतुलित शैक्षिक व्यवस्था में इस प्रकार के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सोच, अनुभव, संवेदनाएं प्रत्यक्षीकरण को समान रूप से विकसित किया जा सके। वस्तुतः तीव्र आर्थिक विकास और सामाजिक रूपान्तरण के कारण आज संयुक्त परिवारों में विघटन हो रहा है तथा असन्तोष बढ़ रहा है। आज हम भौतिक और आर्थिक क्षेत्र की उत्तरोत्तर प्रगति करते जा रहे हैं और उसमें सफलता की आशा भी दिख रही है, लेकिन परिवारिक व सामाजिक विघटन तथा आर्थिक-सामाजिक असमसन्नता को रोकने के लिए शिक्षण क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। इस सुधार के बिना राष्ट्र की विशेष प्रगति में सन्देह ही रहेगा। प्रस्तुत शोधकार्य उसी समस्या समाधान का एक पयास है।

#### **अध्ययन के उद्देश्य: (Objective of the study):**

1. भारत में कौशल विकास के मौजूद स्तर का अध्ययन करना।
2. कौशल विकास की आवश्यकता का विश्लेषण करना।
3. कौशल विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयुक्त तरीकों का पता लगाना।

#### **शोध विधि: (Research methodology):**

इस शोध के लिए अनुसंधान डिजाइन में वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन को चयनित किया गया है। सही क्रम में डेटा एकत्र करने के लिए डेटा संग्रह की द्वितीय डेटा संग्रह विधि का प्रयोग किया गया है। डेटा, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित लेख, शोध-पत्र व वेबसाइटों से एकत्रित किये गये हैं।

#### **भारत में कौशल शिक्षा का वर्तमान स्तर : (Present status of skills in India):**




Chart 1 (Source: Planning Commission India - 11th five

year plan)

भारतीय को कौशल का केवल 10% ही उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा को प्रशिक्षण के रूप में औपचारिक प्रशिक्षण दिया है।




Chart 2 (Source: Planning Commission India - 11th five year

plan)

भारत में वर्तमान में 4.3 करोड़ की वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता है, जो 22 लाख कुशल श्रमिकों को एक साल के लिए उपयोग की आवश्यकता के 20% से कम है।

भारतीय सरकार के द्वारा कौशल विकास के लिए की गई पहल

- 1- डी.जी.ई.टी. के माध्यम से 1,500 नये आईटीआई की स्थापना।
  - 2- डी.जी.ई.टी. के माध्यम से 50,000 कौशल विकास केन्द्र की स्थापना।
  - 3- डी.जी.ई.टी. के माध्यम से 50,000 कौशल विकास केन्द्र की स्थापना।
  - 4- कौशल विकास पर प्रधानमंत्री परिषद की स्थापना।
  - 5- राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड की स्थापना।
- इनके अलावा भारत सरकार के कई मंत्रालय भी कौशल विकास में लगे हैं

- 1- कपडा मंत्रालय।
- 2- ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- 3- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना।
- 4- शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की स्थापना।
- 5- एम.एस.एम.ई. मंत्रालय की स्थापना।
- 6- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना।

#### अन्य देशों में कौशल विकास लागू करने की रूपरेखा

जर्मनी:- जर्मनी ने शिक्षा की दोहरी प्रणाली को अपनाया जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर तथा स्कूल के आधार पर पूर्णकालिक रोजगार के लिए प्रशिक्षुओं को तैयार किया जाता है। ये प्रशिक्षण दो से साढ़े तीन साल का होता है जोकि एक ही रोजगार से सम्बन्धी होता है। प्रशिक्षुक एक सप्ताह में एक या दो दिन व्यावसायिक स्कूल में तथा तीन या चार दिन अपनी कम्पनी में बिताता है। अन्त में प्रशिक्षुक की परीक्षा होती है।

दक्षिण कोरिया :-दक्षिण कोरिया भी आज एक विकासशील अर्थव्यवस्था का स्वच्छ उदाहरण प्रस्तुत करता है। दक्षिण कोरिया ने कौशल विकास के लिए विशेष कार्यक्रम के तहत रोजगार बीमा प्रणाली के रूप में एक ढांचा तैयार करके बेरोजगारों से छुटकारा पाने में सफलता पाई।

सिंगापुर:-सिंगापुर ने एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया जिसके अर्न्तगत राष्ट्रीय कौशल पहचान प्रणाली (NSRS) को अपनाया। मानकों की स्थापना, नौकरी दक्षताओं की पहचान और कौशल को प्रमाणित करके उत्पादकता व नवाचार बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। प्रशिक्षित श्रमिकों का आकलन करने के लिए मूल्यांकन केन्द्र स्थापित है।

#### भारत में कौशल शिक्षा की आवश्यकता: (Need of skil Education in India):

सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया। गाँधी जी ने शिक्षा का विश्लेषण करते हुए कहा था "कि जो शिक्षा चरित्रवान न बना सके, मन इन्द्रियों को वश में न रख सके, आत्मविश्वास न बना सके, स्वावलम्बी न बना सके, उस शिक्षा में चाहे जितनी जानकरी का भण्डार, तार्किक विशेषता अथवा पाण्डित्य हो वह अपूर्ण है।"

हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान में सार्वभौमिक, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया। शिक्षा मानव जीवन की पहली सीढ़ी है जिसे सफलता पूर्वक पार करके ही कोई भी मानव अपने राष्ट्र को अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचाता है। भारत के करोड़ों देशवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें शीघ्रतीशीघ्र अपने आर्थिक उत्पादन बढ़ाने हैं। किन्तु उत्पादन बढ़ाने की शर्तों में यह भी शामिल है कि भारत के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो तथा वे आधुनिक, आर्थिक एवं औद्योगिक संगठन और प्रक्रियाओं से परिचित हो। इन तीनों बातों के लिए ही हमें लाखों परिश्रमियों की आवश्यकता है। इन सब परिश्रमियों को ये समझना होगा कि इनके कौशल के आधार पर ही करोड़ों देशवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का यह कार्य सम्भव होगा। यही कारण है कि आज कौशल शिक्षा प्रसार का महत्व पहले की अपेक्षा अधिक अनुभव किया जाने लगा है।



सामान्य अर्थ में स्वावलम्बन को रूपये कमाने में प्रयुक्त किया जाता है परन्तु स्वावलम्बन केवल कमाने तक ही सीमित नहीं है। इस का अर्थ अपने उपार्जन और व्यय का समन्वय स्थापित करना भी है। घर के कामों व पिता के व्यवसाय में सहयोग देता हुआ शिक्षार्थी शिक्षा पाएगा तो ये भी समन्वय स्थापित का प्रशिक्षण हैं। वह प्रत्यक्ष में कोई रूपये-पैसे नहीं कमाते हुए भी स्वावलम्बन को कुछ अर्थों में पूरा करता है, तथा शिक्षार्थी को धन व आवश्यकता के बारे में ज्ञान होता है। नौकरी के लिए ही पढ़ाई एक मात्र लक्ष्य रखना ये बात जितनी जल्दी दिमाग से निकलवाने की कोशिश की जाये समाज व राष्ट्र के लिए उतना ही अच्छा होगा। वर्तमान शिक्षा एकांगी है। वास्तविक शिक्षा वह है, जिससे मनुष्य अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों पथ का पथिक बन सके, जिससे मनुष्य का तन सबल, मन स्वच्छ हो, मनुष्य छल-प्रपंचरहित, परोपकारी, बुद्धिमान तथा एक सुयोग्य नागरिक बने वही सच्ची शिक्षा कही जा सकती है। मानव जीवन के उत्थान में वही शिक्षा सर्थाक है, जो उसके विवके, पुरुषार्थ, सेवा कृतज्ञातादि भावनाओं को विकसित करे।

आज की स्थिति:

भारत में कुटीर उद्योगों पर आधारित जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति भी भारत में हैं जो एक प्रकार से व्यावहारिक जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। भारत में 70 प्रतिशत जनता 35 वर्ष से कम आयु-वर्ग की है, इसके परिणाम स्वरूप आज विश्व में सुख एवं शांति स्थापित करने के लिए अनेक देश भारत की ओर निहार रहे हैं और संभवतः भारत से उनकी यह अपेक्षा भविष्य में पूरी हो। परन्तु आज सामान्यतया भारत में बेरोजगारों की बड़ी संख्या देखने को मिलती है, यह देखकर भारतीयों तथा अन्य देशों के निवासियों को निराशा हो रही है। मनुष्य में जब तक राष्ट्रीय, धार्मिक जातीय, सामाजिक और पारवारिक मान्यताओं अथवा परम्पराओं के प्रति समान बुद्धि नहीं होगी, तब तक व्यक्तिगत अथवा सामूहिक उन्नति की आशा दुराशामात्र है। विश्व के सभी मूर्धन्य विचारकों एवं शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षा के तीन प्रमुख लक्ष्य बताए हैं—1. स्वावलम्बन 2. व्यक्तित्व का निर्माण 3. सामाजिक सद्भावना का विकास। शिक्षा की पूर्णता एवं समग्रता इन तीनों के समन्वय से बनती है। इनमें से एक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आज भारत में इन तीनों को ही उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है।

सुझाव: (suggestions):

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अनेक त्रुटियाँ हैं परन्तु इन सबका एक साथ परिवर्तन होना कठिन है। अतः उनमें से जो सुधार सरल व अधिक आवश्यक हो उसी की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ ऐसे सुधार निम्नलिखित हैं—

1. पाठशाला में प्रवेश करते समय बालक की आयु छः वर्ष से कम न हो, क्योंकि छोटी आयु में शिक्षा का दबाव पड़ने से बालक के स्वास्थ्य मन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता।
2. पाठ्यक्रम में व्यावहारिक जीवन सम्बन्धी जानकारियों को स्थान आवश्यक दिया जाये, जिसमें विद्यार्थियों को स्वास्थ्य, यात्रा, शिष्टाचार, रेल, डाक, व्यापार तथा राजकीय नियमों की आवश्यक जानकारी हो जाये।
3. सब प्रान्तों में एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम हो, जिससे एक प्रान्त के विद्यार्थियों को दूसरे प्रान्त में जाने पर दाखिला सम्बन्धी कोई अड़चन न हो।

4. छात्रों और अध्ययपकों की आदतें, वेषभूषा तथा अनुशासनप्रियता पर कड़ाई से ध्यान दिया जाये। उच्छृंखलता को शिक्षा के क्षेत्र से बहिष्कृत किया जाये। सफाई, सादगी, सदाचार, शिष्टाचार और सेवा भाव को पुरस्कृत एवं प्रशिक्षित किया जाये।
5. सरकारी धन उच्च शिक्षा पर अधिक व्यय होने की अपेक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर अधिक व्यय होना चाहिए।
6. स्कूलों में औद्योगिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, जो कम-से-कम प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य हो।
7. लड़कियों की शिक्षा में उनके भावी जीवन से सम्बन्ध रखने वाली जानकारियों का आवश्यक समावेश रहे।
8. सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कौशलों के विकास पर ध्यान दिया जाये।
9. बच्चे माँ-बाप साथ कार्य करके दक्षता प्राप्त कर लेते हैं तथा कुशल कारीगर बन जाते हैं। अतः परम्परागत कुटीर उद्योगों को पहचान करके उन्हें पोषित करना चाहिए।
10. कर्मन्द्रियों का प्रशिक्षण भी आवश्यक है, जिससे छात्र प्रतिभा सम्पन्न होता है।
11. शैक्षिक व प्रशिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए योग्य व प्रशिक्षित अध्यापकों का चयन किया जाना चाहिए।

आज शिक्षा में छोटे स्तर से ही कृषि बागवानी, कताई-बुनाई, लकड़ी का काम, आदि कौशलों को सिखाना चाहिए ताकि वह अपने पाँवों पर खड़ा हो सकें। शिक्षित व्यक्ति अपने हाथ से काम करना में उसे अपना अपमान लगता है। अपना काम स्वयं करने में जहाँ गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, उसके स्थान पर लज्जा आती है ये सब दोष पाठ्यक्रम व शिक्षा पद्धति का ही है। अतः प्राथमिक एवं माध्यमिक से ही सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कौशलों के विकास पर ध्यान केंद्रीत किया जाये।

#### अध्ययन का निष्कर्ष(Conclusions of study):

मानसिक श्रम करने तथा सिनेमा तथा फैशन परस्ती के शिकार ये शिक्षित युवक शारीरिक श्रम करना पसन्द नहीं करते और न समय बन्धन का मूल्य ही समझ पाते हैं। इन सब का एक ही कारण है कि शिक्षा के साथ स्वावलम्बन को जोड़कर नहीं रखा गया। गाँधी के सर्वोदय कार्यक्रम इसी आधार पर बनाये और चलाये थे। ऐलोपैथी के विरोध में उन्होंने उरुली कांचन का प्राकृतिक चिकित्सा आश्रम बनाया था और दूसरी ओर फैक्टरियों व मिलों से झगड़ने की अपेक्षा चरखा आन्दोलनों को गति दी। जो एक सफल क्रान्ति का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती है।

नारी का कौशल विकास एक स्वतन्त्र विषय है। महिलाओं को आमतौर से गृहव्यवस्था, शिशुपोषण, परिवारिक सहयोग, अतिथि सत्कार आदि अनेकों दायित्व सँभालने पड़ते हैं। अन्नापूर्णा सच्चे अर्थों में वही है, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती है कि गरीबी में भी पोषणयुक्त आहार देकर किस प्रकार घर में सभी सदस्यों को निरोग रखा जा सकता है। नारी को सच्चे अर्थों में गृहलक्ष्मी बनाने की शिक्षा न तो स्कूलों में ही मिलती है और न अभिभावक ही अपनी अयोग्यता के कारण ऐसे अभ्यास करा पाते हैं। नारी उचित कौशल विकास की शिक्षा प्राप्त करके भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है अच्छा हो कि महिला-संस्कारशाला, बाल-संस्कारशाला में कौशल का विकास निजी व सरकारी क्षेत्रों द्वारा चलाया जाये। सरकार इन

सब बिन्दुओं का समन्वय अपने प्रशिक्षण तन्त्र को समग्र बनाने के लिए कर सकती है, जिससे उज्ज्वल भविष्य का शानदार सुयोग बन सकता है।

भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में लघु उद्योगों व कुटीर उद्योगों का विकास बहुत आवश्यक है। अधिक खर्चीली शिक्षा जैसे डॉक्टरी, इन्जीनियरिंग आदि के साथ-साथ उसी धन में से लघु उद्योग व कुटीर उद्योग में लगाकर उसे अपने बच्चे के हाथों में दे देने से बेरोजगार रहने की आशंका न रहगी।

संदर्भ ग्रंथ (REFERENCES):

1. [www.makeinindia.com](http://www.makeinindia.com)
2. [Planningcommission.gov.in](http://Planningcommission.gov.in)
3. [www.ndtv.com](http://www.ndtv.com)
4. [www.forbesindia.com](http://www.forbesindia.com)
5. Economic Times ( e-paper)
6. Business Standard (e-paper)
7. Times of India (e-paper)
8. Live Mint (e-paper)
9. The Hindu Business Line (e-paper)
10. Financial Express (e-paper)
11. Vidhya awam shiksh-Pt.shri Ram Sharma.
12. Development of Edu.system in India-G.S.Varma



# Russia Foreign Policy and India's Relation After 1991

Dr. Madan Kumar Verma

Assistant Proff. Political Science, Upadhi Mahavidyalya, Pilibhit (U.P.)

## Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number : 109-120

## Publication Issue :

September-October-2021

## Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 15 Sep 2021

**Abstract :-** Shri Hardeep Singh Puri, India's Minister for Petroleum, Natural Gas, Housing, and Urban Affairs, travelled to Russia to attend the Eastern Economic Forum in Vladivostok from September 1–5, 2021. President Putin was present when the PM spoke to the EEF Plenary virtually. During his stay, he met with Mr. Nikolay Shulginov, Russia's Minister of Energy, and Mr. Alexei Chekunkov, Far Eastern and Arctic Development Minister for Russia. Alongside the EEF, he also co-chaired the India-Russia Business Dialogue with the Russian Minister of Energy. Along with Rosneft, GazpromNeft, and Sibur, he spoke with other influential Russian energy companies.

**Keywords:-** Russia, Foreign, Policy, India, Relation.

The Soviet Union was established on November 7, 1917. In 1921, Lenin announced the New Economic Policy and in 1922 Stalin was made the “General Secretary” of “Communist Party”. After that in 1956 Khrushchev and in 1964 Brezhnev became the “General Secretary” of party.

These days position of “General Secretary” of party was like that of a dictator. In 1985, Gorbachev became “General Secretary” of party. He applied the principles of glasnost (openness) and perestroika (reconstruction). The result was that the Soviet Union ceased to exist in December 1991. On 26 December 1991, the Supreme Soviet of the Soviet Union, in its last session, passed a resolution to abolish the Soviet Union and also announced its dissolution. With this the 70 year old Soviet Union came to an end.

Certain events of 1991 are very notable from the point of view of leading the Soviet Union towards disintegration. On August 19, 1991, Gorbachev was removed from the presidency and Vice President Gennady Yanayev was given the presidency. On 22 August 1991, when Gorbachev returned after the failure of the rebellion, the Baltic Republic of Estonia declared independence. On August 25, 1991, when Gorbachev stepped down as the head of the Communist Party, Ukraine declared independence. On 29 August 1991, the Supreme Soviet banned the Communist Party.

Azerbaijan declared independence on 31 August 1991, Uzbekistan and Kyrgyzstan on 1 September 1991. On 7 September 1991, the Soviet Union recognized the three Baltic republics - Lithuania, Estonia and Latvia. On 13 December 1991, Yeltsin and Gorbachev agreed to end the Soviet Union.

Following the fall of the Soviet Union, the biggest republic, "Russia," emerged as a significant player in world politics. While the overall population of Soviet Union reached 28.77 million, Russia's population

stayed at 14.77 million (with the Russian Republic housing 52% of the Soviet Union's population), and it continues to be the world's largest nation in terms of land area. Russia possesses 75% of the area that once belonged to the Soviet Union, and it is estimated that it produced 70% of the industrial and agricultural output of the Soviet Union.

The Soviet Union produced 90 percent oil, 50 percent wheat, 50 percent textiles, 50 percent minerals in the Russian Republic. Russia's gold industry comes second in the world. Russia was also the largest republic of the Soviet Union in terms of area.

This republic has made a special contribution in strengthening the economy of the Soviet Union, as it is the most resource rich republic. Following the fall of the Soviet Union, Russia were given the old Soviet Union's seat on the UN Security Council and given the promise that it would uphold all of the former Soviet Union's international responsibilities. Following the collapse of the former Soviet Union, Russia emerged as superpower, as thousands of missiles were stationed far and wide, and President Gorbachev handed over the so-called 'nuclear button' or 'briefcase' to Russian President Boris Yeltsin. Were given Russia's role in the world began to be determined by the personality of its hero, Boris Yeltsin. Yeltsin's coming to power ended the Russian people's dilemma as to whether they were an Asian power or a European.

Dmitry Fyodorov, Professor of History at Moscow University, says the same thing - "We are sure that we will no longer waste our resources and energy fighting the American camp or running the Third World." We should introspect and work hard and join the European Community where we belong." On December 19, 1991, the Russian Federation of Boris Yeltsin took the traditional seat of the Soviet government of the Kremlin and the Ministry of Foreign Affairs under its control.

On March 11, 1985, Mikhail Gorbachev, a member of the Politburo of "Communist Party" of Soviet Union, was unanimously elected general secretary of the party. As soon as he came to power, he announced revolutionary programs—perestroika and glasnost—for the reform of the Soviet Union's economy on June 11, 1985.

These policies of economic reconstruction and opening up began to free the Soviet Union from the tight grip of radical communism. Soon the Soviet people, like the American people, started becoming democratic lovers. With this, demands for some form of autonomy began by the fifteen republics of the Union and these demands became more vocal than the Baltic republics. Not only had this, as a result of the openness, fierce communal conflicts also started in many republics. Moreover, the sudden transition of the Soviet Union from closed economy to open market economy also cost it dearly. There was a shortage of things of everyday use in the country.

Other countries started sending aid in the form of food items on humanitarian basis, keeping in mind the indifference of food in the Soviet Union. That is, in 5-6 years, till yesterday, the world's superpower country reached the brink of collapse and helplessness. On August 18, 1991, Communist Party, Army, K.G.B. and the radical faction of the bureaucracy colluded and attacked the Soviet Union. He declared his occupation

and placed Mikhail Gorbachev under house arrest, who was vacationing in Crimea. The whole world was shocked at this coup.

The Indian communists even welcomed the ouster of Gorbachev. Countries like America, Japan, Britain, Germany, France etc. openly condemned the coup and announced to stop the financial aid to the Soviet Union. The president of the largest republic of the Soviet Union, Russia, Boris Yeltsin, waged a struggle against this coup. As a result, people in Moscow came out on the streets shouting slogans for the return of Gorbachev. The leaders of the Soviet parliament demanded the return of Gorbachev, and on 21 August Gorbachev regained control of the country.

While the whole world breathed a sigh of relief on the return of Mikhail Gorbachev, the name of Boris Yeltsin rose on everyone's tongue. All major politicians—US President “George Bush” or British Prime Minister “John Major”, French President Francois “Mittra” or Germany's Chancellor “Helmut Kohl”—have all credited Boris Yeltsin for Gorbachev's return. The situation was such that until yesterday, Boris Yeltsin, who was in the news as an opponent of Gorbachev, dominated the world scene. He was considered synonymous with democracy, individual liberty and liberalism.

Boris Yeltsin became “first President” of “Russian Republic” who was elected on 10 July 1991 by direct election by democratic method. This happened for first time in Russian history of last 1000 years. After taking the oath of office, Yeltsin's personality emerged as a strong President at the international level. Yeltsin, the president of the largest republic of the Soviet Union, grew in stature to such an extent that he himself dwarfed the stature of Mikhail Gorbachev, the leader of perestroika and glasnost.

**Russian President Vladimir Putin:** In Russia's elections held on March 26, 2000, Acting President Vladimir Putin was victorious. On May 5, 2000, he took the oath of office and formed the new government. Putin is one of those who feel pain about the disintegration of the Soviet Union. As soon as he became prime minister, he took drastic measures against separatist Chechnya and ended his military campaign only by forcing the Chechen rebels to surrender. Putin has declared his priority - “making Russia a powerful nation”.

Since Putin does not have a sense of respect and attraction for ‘foreign investment’, perhaps in his view ‘powerful Russia’ can also mean an economically ‘self-supporting Russia’. His attitude towards India seemed quite favourable. In his fiction, Putin wrote that if he had a lot of money, he would definitely visit India. On May 7, 2008, Dmitry Medvedev was sworn in as the President of Russia. 42-year-old Medvedev is Russia's youngest leader in the history of the past century. Medvedev may have formal power, but the real power lies with Putin, who was sworn in on May 8. Medvedev was the deputy prime minister in President Putin's cabinet. Russia's per capita income grew nearly eight times and gross domestic product six times during Putin's eight-year term in office. Following the collapse of soviet Union, Russia, which bowed before Western countries, has now started showing eyes to America.

**Formulation of “Russian Foreign Policy”:** Following the collapse of Soviet Union on December 26, 1991, Russia has emerged as an independent-sovereign state, so it is very difficult to analyze its foreign policy on the basis of its existence of only ten years. We have two perspectives about Russia's foreign policy.

The first view is that Russia is the successor state of the old Soviet Union, so in international politics, it will adopt the same foreign policy as that of the old Soviet Union. The second point of view is that today Russia is in a very different position from the old Soviet Union, where neither the Communist Party is in power nor the republics of Central Asia are part of its territory. Russia is now a country of European land, so its thinking and attitude in the field of foreign policy will be like that of a European continent. A radical change in his foreign policy is inevitable. The second point of view seems more logical in this regard. There is a wide difference between the international scenario during the 75-year existence of the old Soviet Union and the international scenario after the formation of Russia.

Where the western countries are engaged in disintegrating “communist system” of “Soviet Union” they are following policy of providing financial assistance to strengthen democracy and free market system in Russia. The old Soviet Union spent the post-1945 period in the atmosphere of Cold War, where today the Cold War has ended even before the existence of Russia. Therefore, in the changed international scenario, it is natural for a radical change in the foreign policy of Russia. The following features of Russian foreign policy have emerged in the last 18–19 years: cooperation with the United Nations, general cooperative relations with “United States” close economic relation with European nations, especially Germany, sharing for peace with NATO, cooperation between China and Japan policy to resolve disputes with trying to build closer relations with India.

The manner in which Russia has started relations with various countries in the last years is clear from the direction of its foreign policy. Therefore, here a brief discussion of Russia’s relations with other countries is indispensable.

**Russia and the Commonwealth:** The Presidents of 11 of the 12 republics that separated from the Soviet Union in Almata, the capital of the Republic of Kazakhstan, signed an agreement on December 21, 1991, giving their approval for the establishment of “Commonwealth” of “Independent States” (CIS). All 11 republics, except Georgia, signed three agreements. Georgia only participated as an observer.

The salient features of the agreements that were signed are:

- i. The 11 republics recommended the place of the Soviet Union in “United Nations Security Council” for Russian Republic.
- ii. All the 11 republics shall be deemed to be co-founding members of “Commonwealth” of Nations & shall have equal rights. The 11 republics will be independent sovereign republics and their current borders will be recognized.
- iii. There will be a joint military command till December 31, after which a permanent command will be formed. Nuclear weapons will be controlled by heads of state of member states.

At Commonwealth Conference held in Minsk on 30 December 1991, it was agreed that the current system of control of nuclear weapons should be continued. In this system, there is a provision that the nuclear button will remain with Russian President Boris Yeltsin but it will be used with the consent of Russia, Kazakhstan, Belarus and Ukraine. These are the four republics that have nuclear weapons on their soil. But



differences remained on many important questions, such as economic policy, the control of the traditional combined armed forces and the acceptance of the Royal Charter. Russia, the largest republic, demanded complete control of the Black Sea fleet, which has traditionally been associated with it.

Because of Yeltsin's authoritarian personality, Ukraine fears that Russia will dominate Ukraine. Therefore, Ukraine says that it is aware of its power that it is a prosperous territory of former "Soviet Union" Ukraine has a large part of the Soviet Union's nuclear weapons, so any decision about it should be taken only with its consent. In February 1992, the senior leaders of Rael of the newly independent countries met in Milk. A serious issue before Rael was how to develop a uniform policy in the control and management of nuclear weapons located in different republics so as to prevent the proliferation of nuclear weapons of former "Soviet Union".

Commonwealth of newly "independent countries" has been going through crises since its inception. At its first summit in Kyiv (Ukraine), serious differences emerged between Ukraine and Russia; these differences were mainly related to the creation of peacekeeping forces. Differences also arose over the sharing of the assets of the Kalasagar Fleet and the former Soviet Union. Ukrainian President Kravchuk accused Russian President Yeltsin of "dominant" and said that "Unless Russia pays attention to the consensus; Rael's future will be in the dark."

**Russia and India:** India had close relations with the Soviet Union, so it was natural for India to be worried about the collapse of "Soviet Union". Like former "Soviet Union" Russia is keen to have close relations with India. On January 31, 1991, President Yeltsin met the Prime Minister of India in New York. In January 1992, a high level team of officials led by the Foreign Secretary visited Russia and Ukraine. A new friendly and cooperation treaty was finalized with Russia. India provided the Russian Federation with \$15 billion worth of humanitarian aid. The goal of this offer is to help a segment of the Union's population that is struggling and has been significantly impacted by the collapse of economic activity as a result of recent political developments in the soviet Union. The purchase of necessities like child meals, rice, and common medicines will be paid for using this money. Russian Foreign Affairs minister Gennady Babulis stated that his nation would uphold the Indo-Soviet deal on cryogenic engines during his visit to India in April 1992. The strengthening of ties between India . as a result of mutual advantage with respect for the economic and political systems of a two nations is something that Russia, according to its foreign minister, firmly supports. The first trade protocol between India and Russia was completed and was effective for 1992.

**Visit of Russian President Yeltsin to India:** Russian President Yeltsin visited India in January 1993. The Russian President was along with a high ranking delegation. At this time India & Russia had a number of outstanding issues, including the rupee-ruble exchange rate and the rescheduling of the Russian debt, the supply of cryogenic engines for India's space programme. Where the issue of rupee-ruble parity was resolved by this visit, the Russian President assured the supply of cryogenic engines and other spare parts. The previous Indo-Soviet relationship will be replaced by the new friendship and cooperation pact that the two nations have inked.

This fourteen-point treaty is largely similar to the former Indo-Soviet treaty, the only difference is that it does not have security related provisions. Apart from this, nine other agreements were also signed, the main among them were Defence Supplies Science and Technology and Agreement on combating terrorism and prevention of drug trafficking. One of the highlights of Mr. Yeltsin's visit to India was that he announced at a press conference that he "received Kashmir as an integral part of India and made a commitment to support India at the United Nations or elsewhere."

Mr. Yeltsin assured India that he would vote in its favor if a proposal to make him a permanent member of the "UN Security Council" came up. Thus Yeltsin's visit to India, as he himself said, not only removed unnecessary impediments to India-Russia relations, but also ushered in a new era of bilateral harmony, cooperation and friendship. The Treaty on Friendship and Cooperation between India and Russia was ratified on 11 October 1993 in Moscow. The Rupee-Ruble Agreement was also ratified between the two Governments in April 1993 by exchange of comments. The visit of Indian Prime Minister "PV Narasimha Rao" to Russia in July 1994 removed many obstacles to the defence strategic and trade relations. Two important announcements and nine agreements were signed in various fields including mutual military interests, defence trade and technology.

The agreement on the establishment of 'Indo-Russian Aviation Private Limited' is very important from India's point of view. It will not only develop and expand the program of MiG aircraft in India, but will also meet the needs of other countries. On March 30, 1996, three agreements on mutual cooperation between India and Russia were signed by Foreign Indian Minister Pranab Mukherjee & Russian Foreign Minister Primakov in New Delhi. One of these agreements is related to the establishment of a hot line between the office of the P. M. of India & President of Russia. On November 30, 1996, India and Russia signed a contract for the procurement of advanced Sukhoi-30 MK-1 aeroplanes.

In March 1997, the Prime Minister of India, H.D. Deve Gowda visited Russia. After the Yeltsin-Deve Gowda summit, India and Russia signed six agreements to enhance bilateral cooperation. Russia, ignoring US opposition, announced that it would not back down from plans to build two nuclear reactors in India. Russian Prime Minister Primakov paid a state visit to India from 20-22 December 1998. During his visit, seven bilateral documents were signed in the presence of the two Prime Ministers. During the Kargil crisis, Russia advised to withdraw the infiltrators from Pakistan and respect the Line of Control.

**President "Putin's" visit India in October, 2000:** Vladimir Putin, the president of Russia, spent four days in India in October 2000. During this visit, four significant agreements that will improve India and Russia's military cooperation were signed. The creation of a Cross Commission for Military-Technical Collaboration between the two nations is the most significant of these accords. In addition, three other agreements were signed by Russia. To give 'Admiral Gorshkov Air Craft Carrier' to India, S.U. 30 MKI Fighter aircraft and T-90 tanks. India's defence loopholes can be expected to be bridged with the Rs 3 billion defence deal with Russia, which is the biggest deal since independence.

Addressing a joint meeting of the Indian Parliament, Putin said that foreign interference in Jammu and Kashmir should stop. He supported India's proposal to create a united front to fight terrorism. He also

supported India's demand that the UN Security Council should be expanded. It was agreed to set up an India-Russia Joint Working Group to counter the terrorist threat emanating from Pakistan and Afghanistan.

**Moscow Declaration on International Terrorism (November 2001):** In November 2001, the Prime Minister of India, Vajpayee visited Russia. He had a summit with Russian President Putin on 6 November. After the summit, the two leaders signed the Moscow Declaration on International Terrorism. This manifesto is actually a document focused on the concerns of India and Russia in the matters of Kashmir and Chechnya respectively.

**President Putin's endorsement of India's candidature for "Security Council":** President "Putin" visited India from 3-5 December 2002. During the visit, Russia reaffirmed Russia's support for India's strong and just claim to the expanded UN Security Council. The signed documents endorsed India's stand on terrorism especially along the border and the dismantling of terrorism infrastructure in Pakistan.

**Visit of President Putin to India (December 3-5, 2004):** Russian President "Putin" visited India in December 2004. He had detailed talks with the Indian Prime Minister "Dr. Manmohan Singh". After this talks, in addition to a Joint Declaration of strategic importance to deal with terrorism in a more cohesive manner and to enhance economic-trade cooperation, nine other agreements / letters of intent were signed. These included agreements on use of Russia's Global Navigation "Satellite System" by India for peaceful purposes and agreements on cooperation in space, energy communication and economic fields. These included agreements on visa-free travel of diplomats and granting twin city status to Mumbai and St. Petersburg. India and Russia agreed to remove barriers to intellectual property rights in the supply of defence equipment.

**Visit of Dr. Manmohan Singh to Russia (December 5-7, 2005):** Prime Minister Dr. Manmohan Singh visited Russia on December 5-7, 2005. On behalf of Russia, India was assured that it would fully cooperate in meeting all the energy requirements of India including civil nuclear energy.

**Uranium Supply from Russia:** In March 2006, Russia agreed to supply 60 metric tonnes of uranium to two units of India's Tarapur plant. By deciding to take uranium from Russia, India has sent a message that despite the civil nuclear deal with America, its options are open for strategic needs and it is not completely dependent on America.

**Russian Prime Minister Putin's visit to India:** Dr. Manmohan Singh visited Russia on 6-8 December 2009 for the India-Russia Annual Summit and three months before that in September 2009, President Pratibha Patil visited Russia. On March 11, 2010, Russian Prime Minister Putin visited India and on March 12, several agreements and MOUS were signed between two countries, including the much-awaited agreement on the final price of the Russian aircraft carrier Gorshkov. After three years of protracted negotiations, the value was fixed at \$2.35 billion.

**Visit of Russian President Medvedev to India:** Russian President Medvedev visited India on 20-22 December 2010 on a three-day visit to attend the 11th India-Russia Annual Summit. He signed 30 agreements with Dr. Manmohan Singh, which pertain to several important areas including civil nuclear cooperation and defence. Among these agreements is the agreement to develop the fifth generation fighter aircraft to increase the

military strength of the two countries, which is expected to join the Russian Army in 2015 and the Indian Air Force in 2017 and 25- There will be an investment of 30 billion dollars.

**Visit of Dr. Manmohan Singh to Russia (December, 2011):** In December 2011, Dr. Manmohan visited Russia. He assured Russia that the Russian-built Kudankulam nuclear plant in Tamil Nadu would be commissioned soon. India's bid for permanent membership in the UN Security Council and its desire to join the Association Of southeast asian nations Organization were both supported by Russia. Russia agreed to give India the Nerpa nuclear submarine soon. This submarine is capable of staying underwater for months. India and Russia also signed five bilateral agreements. One of these agreements is related to Sukhoi fighter planes. In 2012, India and Russia celebrated 65 years since their political ties first began. The two nations kept up their efforts to deepen their cooperation in areas like hydrocarbons, civil nuclear energy, science and technology, and counterterrorism as well as in defence. 2012 had a 30% growth in business level, representing an increase of over one hundred. India's foreign policy places a great importance on relations with Russia, and high-level meetings between the two nations continue to be a tradition with unique elements and strategic linkages. During his trip to New India for the 4th Summit Held in March 2012, Prime Minister Dmitry Medvedev met privately with Prime Minister Manmohan Singh.

**Visit of Russian President Vladimir Putin to India (December 2012 and December 2014):** During the brief visit of Russian President Putin, the two countries took steps towards resolving the dispute and also started new relations with several agreements. In this, an important agreement was signed between the Russian Sovereign Wealth Fund (RDFI) and the State Bank of India, under which an investment fund of \$ 200 million will be created to promote investment. This investment fund will be used to increase investment between the two countries. Apart from this, there was an agreement to purchase helicopters and aircraft in the defence sector. Ten agreements worth about \$4 billion were signed in this annual summit. The system of yearly summit meetings between the presidents of India and Russia was established by the Declaration of Strategic Partnership, which was signed in the year 2000. From December 10–11, 2014, Russian President Vladimir Putin was in India for the 15th Annual Summit. On July 16, 2014, in Fortaleza, Brazil, during the BRICS Summit, Prime Minister Narendra Modi had a meeting with Russian President Vladimir Putin. On November 15–16, 2014, in Brisbane, Australia, at the G-20 Summit.

15<sup>th</sup> Annual Summit was a huge success. Both countries emphasize the special and privileged nature of their strategic partnership. The summit produced excellent results in the strategic and economic fields and at least 20 bilateral documents and commercial documents were signed. These include agreements on nuclear, defence, energy, science and technology and investment sectors. Released a joint document named 'Drusva-Dosti' in which bilateral cooperation was talked about 'Broad-Basing' and it will take these relations to a new qualitative level. Russia reiterated its political support for India's permanent seat on the UN Security Council, and both nations swore an oath to work together to combat terrorism in areas where they had equal jurisdiction.

Strategic nuclear cooperation was given a defined vision that called for the development of at least 12 nuclear reactors over the following two decades, along with increasing knowledge transfer and localization of materials.

**Visit by Indian Prime Minister Narendra Modi to Russia in December 2015:** The Indian prime Minister “Narendra Modi” visited Russia on 23-24 December 2015. Modi went to Russia to attend the 16th India-Russia summit. Several agreements were signed during the Modi-Putin summit after discussions in nuclear energy, hydrocarbons, and defence and trade matters. Emphasis was placed on strengthening economic ties during the visit. The target is to increase trade between the two countries from \$10 billion to \$30 billion in the next 10 years.

**Russia and the United Nations:** The importance of the United Nations declined during the Cold War because there was mutual competition between the US and the Soviet Union and both these superpowers were inhibited. This prohibition had restricted the functioning of the Security Council itself.

The greatest achievement of the special meeting of the Security Council in the Park, held on 31 January 1992, was the declaration that that period of the Cold War was now completely over. Boris Yeltsin, the President of the Russian Republic, successor state of the Soviet Union, participated in this international organization for the first time. Yeltsin said that the western world is not our enemy, but we ourselves are part of the western world. Now Russia will not put obstacles in the way of Security Council by veto. That is why on March 31, 1992, the Security Council passed a resolution imposing sanctions on Libya. In July 1993, the International Monetary Fund accepted a loan of \$1 billion, 500 million to Russia. This aid was seen as vital to Russian President Yeltsin’s reform programs. Expressing concern over the militarization of space, President Putin in his address to the United Nations Millennium Summit held in September 2000 offered to hold an international conference in Russia in 2001 to consider measures to prevent it.

**Russia and G-7 (now G-8):** The 3-day summit of developed countries included in the G-7 was held in Munich on July 8, 1992. Russian President Boris Yeltsin was also present in the banquet held on the last day, but the rich countries could not take any unanimous decision regarding the inclusion of Russia in this group.

Japan and Germany strongly opposed the inclusion of Russia in the G-7 group. Anyway, the general impression was that there was still much to do in terms of industrial development, liberalization and privatization to qualify Russia to be among the ‘Elected Seven’. A dismayed Yeltsin said before leaving for Moscow that although the Cold War was over, economic issues remained unchanged. East and West are still divided. Developed countries assured Russia a loan of one billion dollars and loan assistance of 25 billion dollars and also expected Russia to withdraw one lakh soldiers from the Baltic states soon.

On the question of giving financial aid to Russia, Japan said that it will give financial assistance to Russia only when it returns the Kuril Islands to it. These islands were occupied by Russia in the last days of World War II. Signs of a change in Group-7’s policy towards Russia are traced to the conference held in Tokyo on April 15-16, 1993. In the conference, the countries of Group-7 together decided to give assistance of about \$ 43 billion to Russia. During the conference, the United States assured of \$3 billion, 600 million and

Japan \$1 billion, 800 million dollars in bilateral aid to Russia. Group-7 is providing assistance to Russia's economic reform programs. Most of the assistance will be spent in key economic sectors such as energy and agriculture, small business, privatization and housing construction. All seven industrialized countries of Group-7 also agreed to open their markets to Russian products.

Russia's active participation in the Group-7 conference held in Naples (Italy) on July 10, 1994 was successful in attracting attention and it is now becoming clear that soon the name of this group will be G-8 instead of G-7. Will go Due to the weak economic system of Russia, although it could not be made a full member of the G-7, it was given the status of a half-member. Russia was also included as a full participant for the first time in the G-7 summit held in the mountain city of Denver, USA on 20-22 June 1997. Due to the ongoing dispute with Russia over the Kuril Islands, there was some resistance by Japan to Russia's inclusion in the summit.

**New development between Indian and Russia-** On April 12, 2019, President Putin issued the Executive Order on Granting PM, which designates recipients of the Order of St. Andrew the Apostles The First Called, the country's highest state honour. The PM received the award for his outstanding contribution to the growth of the Special & Privileged Strategic Partnership among India and Russia and the cordial relations between the peoples of the two nations.

The Indian Prime minister and the Presidency of the Russian Federation meet at an annual summit, which is the highest level of structured dialogue in the two countries' strategic alliance. 21 Yearly Summits have already alternately taken place in India & Russia. The last Summit took place in New Delhi on December 6, 2021. The Prime Minister and President of Russia had three phone conversations in 2021. On April 28, 2021, the PM thanked President Putin for Russia's support in the fight against the pandemic and also decided to set up a 2+2 Ministerial Dialogue between both the foreign and military ministers of the two nations. The two parties agreed to open a continuous line of contact on the subject during their phone call on August 24 after exchanging opinions on the state of affairs in Afghanistan. On Dec 20, the two leaders spoke by phone to follow up on a number of topics covered during President Putin's recent trip to India.

In 2021, EAM and FM Lavrov have four encounters: I During FM Lavrov's visit to New Delhi on April 5-6, 2021, where the two sides discussed the Annual Summit's planning as well as other bilateral cooperation-related matters, including collaboration in the Covid-19 pandemic battle. (ii) From July 7 to 9, 2021, EAM travelled to Moscow and held meetings with Leonid Slutsky, the head of the State Duma's committee on international affairs, FM Lavrov, and Deputy Prime Minister Yuri Borisov. Additionally, he spoke on "India-Russia ties in a changing world" at the Primakov Institute of International Economy and Foreign Affairs Institute of World Economy and International Relations (IMEMO). (iii) The Minister Meeting of the Conferences on Interaction and Especially True with regard Measures in Asia (CICA), which was held in Nursultan on October 11 and 12, 2021, was also where EAM and FM Lavrov met. On December 6, FM Lavrov returned to New Delhi together with Defence Minister Sergei Shoigu to take part in the inaugural India-Russia 2+2 Structured Meeting. A separate bilateral meeting between EAM and FM Lavrov was also held off-site.



Before meeting in the 2+2 Format on December 6, 2021, RM and Defence Minister Shoigu co-chaired the India-Russia Inter-Governmental Commission on Military & Military-Technical Cooperation (IRIGC-M&MTC) in New Delhi. Shri Hardeep Singh Puri, India's Minister for Petroleum, Natural Gas, Housing, and Urban Affairs, travelled to Russia to attend the Eastern Economic Forum in Vladivostok from September 1–5, 2021. President Putin was present when the PM spoke to the EEF Plenary virtually. During his stay, he met with Mr. Nikolay Shulginov, Russia's Minister of Energy, and Mr. Alexei Chekunkov,

Far Eastern and Arctic Development Minister for Russia. Alongside the EEF, he also co-chaired the India-Russia Business Dialogue with the Russian Minister of Energy. Along with Rosneft, GazpromNeft, and Sibur, he spoke with other influential Russian energy companies. On the invitation of Mr. Nikolay Shulginov, the Russian Energy Minister, the Minister of Steel led a delegation of Indian steel industries to Moscow on October 14–15, 2021, to take part in the Russian Energy Week. The two parties signed a historic Memorandum of Understanding (MoU) on the supply of coking coal from Russia to India and cooperation in the steel sector on October 14.

### References:

1. Naik, J. A, ed. India and the communist countries : documents, 1976-1978 (1981) online
2. Prasad, Bimal, ed. Indo-Soviet Relations, 1947–1972: A Documentary Study (Bombay: Allied Publishers, 1973)
3. Azizian, Rouben. Russia-India Relations: Stability Amidst Strategic Uncertainty (ASIA-PACIFIC CENTER FOR SECURITY STUDIES, 2004) online.
4. Bakshi, Jyotsna. "Russian Policy towards South Asia." Strategic Analysis 23.8 (1999): 1367–1398.
5. Budhwar, Prem K. "India-Russia relations: Past, Present and the future." India Quarterly 63.3 (2007): 51–83.
6. Chavda, V. K. India, Britain, Russia; a study in British opinion, 1838-1878 (1967) online
7. Choudhury, G.W. India, Pakistan, Bangladesh, and the Major Powers: Politics of a Divided Subcontinent (1975), relations with US, USSR and China.
8. Chufirin, Gennady, ed. Russia and Asia: The Emerging Security Agenda (Sweden: SIPRI, 1999),
9. Clark, Ian. "Soviet policy towards India and Pakistan, 1965-71." (PhD dissertation. Australian National U. 2013), with long bibliography p 290–303; online.
10. Clarkson, Stephen. "Non-Impact of Soviet Writing on Indian Thinking and Policy." Economic and Political Weekly 8#15 1973, pp. 715–724. online; says Indian intellectuals ignored Russian propaganda
11. Dash, P. L. and Andrei Nazarkin, eds. Indo-Russian Diplomatic Relations: Sixty Years of Enduring Legacy (New Delhi: Academic Excellence Publishers, 2008), essays by experts.
12. Donaldson, Robert H. "The Soviet Union in South Asia: A Friend to Rely On?" Journal of International Affairs (1981) 34#2 pp 235–58.
13. Donaldson, Robert H. Soviet Policy Toward India: Ideology and Strategy (Harvard UP, 1974) online
14. Hilger, Andreas. "The Soviet Union and India: the Khrushchev era and its aftermath until 1966." (2009) online.



15. Hilali, A. Z. "Cold war politics of superpowers in South Asia." *The Dialogue* 1.2 (2006): 68–108. online
16. Joshi, Nirmala, and Raj Kumar Sharma. "India–Russia relations in a changing Eurasian perspective." *India Quarterly* 73.1 (2017): 36–52.
17. Mastny, Vojtech. "The Soviet Union's Partnership with India." *Journal of Cold War Studies* (2010) 12#3 pp 50–90.
18. Menon, Rajan. "India and Russia." in David M. Malone, et al. eds. *The Oxford handbook of Indian foreign policy* (2015) excerpt pp 509–523.
19. Nadkarni, Vidya. "India and Russia: The End of a Special Relationship?." *Naval War College Review* 48.4 (1995): 19–33. online
20. Naik, J. A. *Russia's policy towards India: from Stalin to Yeltsin* (1995).
21. Pant, Harsh V. "India-Russia Ties and India's Strategic Culture: Dominance of a Realist Worldview." *India Review* 12.1 (2013): 1–19. <https://doi.org/10.1080/14736489.2013.759464>
22. Rekha, Chandra. *India-Russia Post Cold War Relations: A New Epoch of Cooperation* (London: Taylor & Francis, 2017).
23. Rothermund, Dietmar. "India and the Soviet Union." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 386.1 (1969): 78–88.
24. Samra, Chattar Singh. *India and Anglo-Soviet Relations (1917-1947)* (Asia Publishing House, 1959).
25. Singh, Anita Inder. "India's relations with Russia and Central Asia." *International Affairs* 71.1 (1995): 69–81.
26. Stein, Arthur. *India and the Soviet Union: The Nehru Era* (U of Chicago Press, 1969). online
27. Stein, Arthur. "India and the USSR: The post-Nehru period." *Asian Survey* (1967): 165–175. online
28. Tsan, Katherine Foshko. "Re-Energizing the Indian-Russian Relationship: Opportunities and Challenges for the 21st Century." *Jindal Journal of International Affairs* 2.1 (2012): 141–184. online.



# Digital Finance and Digital Financial Inclusion in India

Dr. Umesh Kumar

Assistant Professor, Department of Commerce, K.A. P.G. College, Kasganj, Uttar Pradesh, India

## Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number : 121-133

## Publication Issue :

September-October-2021

## Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 15 Sep 2021

**Abstract** - This study helps to understand the access, use and quality dimension of digital finance that contributes to digital financial inclusion. The present study found that access, use and quality of digital finance are important predictors of digital financial inclusion. Of these three parameters, the quality of digital finance contributes the most to digital financial inclusion, followed by the access and access dimension of digital finance. It was also found that public perception of digital finance positively affects digital financial inclusion, while perceived exposure to digital finance negatively affects digital financial inclusion.

**Keywords** : Digital Finance, Financial Inclusion, Financial Exclusion, DFI

**Introduction** - The 17 2030 Agenda For sustainable development (SDGs) of 2030 include financial inclusion as one of its main pillars. SDG1, SDG2, SDG3, SDG5, SDG8, SDG9, SDG10, and SDG17 are the eight SDGs. The corresponding SDGs are: eradicating poverty and hunger; promoting sustainable agriculture and achieving food security; ensuring gender equality and women's economic empowerment; and boosting economic growth, jobs, ancillary industries, technology, and infrastructure. reducing inequality and promoting greater financial inclusion by directing more funds toward consumption and investment that can boost economic development.

A Commission on Financial Inclusion was established by the Indian government, with Dr. C. Rangarajan as its chairman. A "system to enable access to finance and adequate and timely credit for vulnerable groups, such as vulnerable groups, described as. at affordable price to sections & low-income groups," according to the Committee. Financial inclusion, in the opinion of Vithaldas Lilladher, is the provision of banking services at a reasonable cost to significant portions of the disadvantaged and low-income groups. An open and effective society must have unrestricted access to public goods. Since banking services are considered to be a public good, the primary goal of public policy should be to ensure that all citizens, without exception, have access to banking and payment services. There is no single, widely-accepted concept of financial inclusion, however a few examples are included in Table 1.1.

Table 1.1 : Certain aspects of “financial inclusion”/”exclusion”

Institution/Author	Concepts	Indicators
“ADB” (2000)	Giving poor & small households and their micro businesses access to a comprehensive range of financial services, including savings, credit, payment services, money transfers, and insurance.	Loans, Insurance, Payment Services, & Money Transfer.
“Stephen P. Sinclair” (2001)	The ability to reasonably receive necessary financial services is referred to as financial exclusion. Exclusion may be the consequence of issues with conditions, prices, marketing, or access. It may also be the means of self in response to unpleasant events or impressions.	Basic banking operations for the transfer of funds, credit, insurance, help for loans and credit, long-term savings, and financial literacy.
“Chant Link” Australia (2004)	Financial exclusion is inability of some consumers to obtain relatively affordable, suitable, and secure financial products from well-known vendors. When it affects low-income consumers or people who are having financial difficulties, financial exclusion raises concerns in the community.	Accounts for deposits, direct investments, mortgages, bank cards, personal loans, and insurance for buildings and homes.
“Treasury Committee”, UK (2004)	Individuals' capacity to obtain suitable financial services.	All people have access to credit, savings, and financial guidance.

“Scottish Government” (2005)	Access to financial services and products that are appropriate for individuals. To use those goods and services to their fullest potential, one must have the aptitude, expertise, knowledge, and comprehension to do so. Financial exclusion, on the other hand, is the opposite.	Access to, and/or the capacity, expertise, knowledge, and comprehension of, goods and services
“United Nations” (2006 b)	A financial system that offers credit to all "bankable" individuals and businesses, insurance to all "insurable" individuals and businesses, and "access" to savings & payment options to everyone. Everyone that is eligible for each service ought to be allowed for using them if they choose to, but inclusive financing does not mandate that they do so.	Access to services for payments, savings, insurance, and credit.
“C.Rangarajan” (2008)	Assuring access to finance and determining when and where vulnerable groups—such as weaker portions of society and low-income groups—need timely, adequate credit at a reasonable price.	Financial services availability and timely and sufficient credit.
“World Bank” (2008)	Because there are so many different aspects of access, it is challenging to describe and quantify. Broad access to finance refers to the lack of cost & non-price obstacles to the usage of financial services.	Availability of financial services like payments, insurance, credit, and deposits.

\*Source: RBI (2009). Obtained from “<https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/86734.pdf>”

Financial inclusion is important as it is linked to various socio-economic factors. For instance, financial inclusion through cooperative banks has a direct and considerable influence on reducing poverty (Lal, 2018). Financial inclusion also benefits the wealthy in addition to lowering poverty and poor by reducing income inequality in the economy. (Park & Mercado, 2015), it also helps in inclusive growth of the economy besides tackling poverty (Chibba, 2009). It is also believed, “financial growth” is influenced by “economic growth” & that economic growth also affects financial development, financial inclusion as a characteristic of financial development has created a relationship with the productivity of workers in terms of factors of production, capital. A significant relationship has been found, thereby delineating a relationship with economic growth because factors of production and capital per worker are indicators of economic growth (Babajide, Edgboy, & Omankhanlen, 2015). A higher degree of financial inclusion promotes the economy's inclusive and sustainable growth, this can be achieved by reducing regional imbalances (Kodan and Chhikara, 2013). Financial inclusion also helps women uplift their status by facilitating them increase their income & purchasing power, raise their

living standards & status in the family, leading to women empowerment (Siddiq, 2017) and (Hendricks, 2019) gets promoted.

### **Status of Financial Inclusion in India**

The RBI established a committee to investigate the success of the Lead Bank Scheme, All Statewide Banking Council (SLBC) & Convenor Banks/Lead Banks individually received Guideline on Modernization of LBS on April 6, 2018. With some recommendations for improving the efficiency of Leading District Managers to everyone Lead Banks (LDMs). A bank is given the role of a district leader under LBS, coordinating the work of the other banks in the area, particularly in regards to diversification and credit planning. In 717 districts around the nation as of June 2019, lead banks were assigned to 18 “public sector banks” & one “private sector bank”. RBI has introduced the concept of FIP (Financial Inclusion Scheme), under this scheme, all banks are advised to prepare their own FIPs, these FIPs are approved by the board and based on various parameters of financial inclusion is prepared. These parameters include; Number of transactions in branches & business correspondents, “Basic Savings Bank Deposit Accounts” (BSBDA), “overdraft facilities”, “Kisan Credit Card” & “General Credit Card” accounts & “ICT-BC” accounts.

**bservation-** The Financial Inclusion Advisory Committee, the Govt of India, other financial sector regulatory agencies, and the “Securities Exchange Board of India” (SEBI), “Insurance Regulatory and Development Authority of India” (IRDAI), and Pension Fund Regulatory and Development Authority provided inputs and suggestions for the National Strategy for Financial Inclusion, which was created by the Reserve Bank of India. The strategy intends to promote financial education and consumer protection, widen & enhance financial inclusion, and provide inexpensive access to financial services. The six approaches highlighted by the strategy are: universal access to finance services, offering a basic range of financial services, granting access to livelihood & developing skills, monetary literacy and education, consumer protection and grievance redress, and efficient coordination. The research identified eight factors that contribute to the financial exclusion of people: a lack of surplus income, a lack of faith in the system, a lack of required documentation, a lack of product knowledge, a product that is unsuitable for the needs of the customer, high transaction costs, the service provider's lack of foresight, and poor service quality.



**Figure 1.1 :** Inclusion, Literacy and Grievance Redressal

\*Source: <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/NSFIREPORT100119.pdf>

### Strategies to achieve higher Financial Inclusion

- i. **Leadership:** Achieving high financial inclusion is a time-consuming process and thus, requires a charismatic leader with a long term vision & well coordinated approach.
- ii. **Goal based approach:** Financial inclusion policies are generally targeted towards specific sectors, thus an action plan should be prepared for each specific sector and each target should also be monitored and the progress of these targets should also be reviewed needed.
- iii. **Regulatory framework:** There is a need for a strong regulatory and legal framework, as there are certain risks in the financial sector and exploitation of customers is also possible, thus it is necessary to protect the interests of customers and on the other hand, the framework will give flexibility. For the financial services provider, otherwise the innovation of financial products will be hindered.
- iv. **Market development:** This strategy is important because in the absence of a market, it would be difficult for financial service providers to provide their financial services. While in India, various banks are providing financial services to a vast section of the society, the induction of new entrants will add new dimensions, as new entrants like FinTech can reach the last mile at lower transaction cost. The market can be expanded by creating opportunities in rural areas and remote areas, such areas can provide high volume of financial transactions with small size stamps.

- v. **Strengthening infrastructure:** It is difficult to deliver financial services in the absence of infrastructure, a strong and efficient infrastructure is a pre-requisite. Strategies to strengthen the infrastructure include: building an open and inclusive payment system, providing national level identity and establishing a credit registry database. A strong infrastructure can promote competitiveness and growth thus providing convenience and wider choice to the customers.
- vi. **Last-mile delivery:** To address this challenge, Business Correspondents (BCs) were used by banks to provide financial services to people living in remote and rural areas. This helped the banks to reduce the transaction cost and also helped the last mile people to connect with the formal banking system, but it suffers from certain limitations like customers cannot keep track of the activities of BCs, their interests Security Clients are at risk and stability of the Agent/BC network. These are some of the areas which need improvement through proper policies.
- vii. **Innovation and Technology:** Fintech can provide financial services to customers with wide choice and easy access, but these companies need internet and a device with the customer, in the absence of internet and such tools, fintechs can provide their services. Such people will not be able to. Thus, connecting with the last mile requires a balance between these fintechs and agents.
- viii. **Financial Literacy and Awareness:** Financial Literacy helps the clients to get redressal, make better financial decisions, choose the right financial product and create awareness about the financial products available. Thus, now the emphasis is on increasing financial literacy and awareness among the weaker sections of the society like women, elderly, small entrepreneurs etc. Financial literacy has gained more importance with the rise of digital mode of financial services.
- ix. **Consumer Protection:** With the increasing competition and entry of new financial players, importance is now given to protect the interests of customers. Growing market creation of robust enforcement mechanisms for monitoring, redressal of customer complaints, and better coordination among “financial sector supervisors” especially pertaining to cross-market and cross-product problems, undertaken to protect customers There are some important measures.
- x. **Monitoring and Evaluation:** Monitoring and evaluation help to identify the weak areas and thus help in taking corrective measures.

### Challenges facing Financial Inclusion

According to RBI report on National Strategy for “Financial Inclusion” in India there some gaps, in use of financial inclusion, need to be addressed by policy makers. These are the intervals:

- i. **Inadequate infrastructure:** Some of the areas in India where customers are facing problems in accessing financial services include: rural areas, Himalayan and North East regions. The problem of accessing financial services arises because of the lack of infrastructure. While providing financial services in such areas, problems of transportation, physical infrastructure and inadequately trained personnel etc create problems in providing financial services in such areas.
- ii. **Poor connectivity:** Addressing the problems of access “financial services”, “technology” acts as a catalyst in bridging the gap between financial service providers and customers located in remote areas.



The technology used to bridge the digital divide may be provided by fintechs, but fintechs will require a working internet connection to connect customers located in remote areas with a financial service provider. In the absence of internet, Fintech is of no use in remote areas. Thus, fintech needs connectivity to provide a platform to provide technology-driven solutions in remote areas.


- iii. **Convenience and Relevance:** A customer shall only use financial services if such services provide customer satisfaction. If the financial service follows a complicated process, it will make it difficult to on-board customers. The problem gets deeper if the financial product is not easy to understand and complex.
- iv. **Socio-cultural barriers:** To ensure high “financial inclusion” is necessary provides formal financial services to all disadvantaged groups in society. There are however, certain groups of people who are unwilling use formal financial services because of their values and in faith and in some cultures, women are not given the privilege to access formal financial services.
- v. **Product usage:** Financial inclusion includes financial services like micro insurance and pension along with other services provided by banks. Although there has been an increase in the use of micro insurance and pension, they still need to increase its use.

#### Universal Strategic Elements of the National Financial Inclusion Strategy

- i. **Universal access to banking services:** This pillar addresses the accessibility issue of rural areas' restricted formal financial services. Thus, the goal of this pillar is to make formal financial services accessible to all communities while taking into account the travel challenges in villages that are within an acceptable 5 km radius of the location of formal financial services. Using a digital technique to connect with customers is an alternative to this.
- ii. **Offering a fundamental range of financial services:** Fundamental savings bank accounts, credit, segments and sub and non-life insurance products, pension products, and suitable investment products make up the basic bouquets of financial services. It seeks to offer a fundamental range of banking products to all interested and qualified persons.
- iii. **Access to Livelihoods and Skill Development:** Government livelihood programs help enhance the skills of new entrants and bring them into the financial system. New entrants can go through such programs to increase their income as per their wish.
- iv. **Financial literacy and education:** Awareness of financial product will help in increasing its usage. This can be done through financial literacy and education; Thus it is an important pillar. In order to provide financial literacy and education, audio-videos/booklets will be made available to the specific target audience. It helps the target audience to understand the financial product and its process.
- v. **Customer Protection and Grievance Redressal:** This column deals with informing the customers about the resources available for redressal of their grievances. In order to protect the privacy of the Customer, security measures should be put in place regarding the storage and sharing of Customer's data.

- vi. **Effective coordination:** There is a need for effective coordination among all stakeholders (government, financial service providers, regulators, telecom service regulators & skill training institutions, etc.) ensure that Financial services are available to consumers consistently.

**Figure 1.2 :** Strategic Pillars of the National Strategy for Financial Inclusion




\*Source: <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/NSFIREPORT100119.pdf>

### Digital Finance Status in India

When financial services provides by digital media like Internet, Mobile phone etc called Digital Finance. These services are like NEFT, RTGS, IMPS, Mobile banking etc. According to “World Bank” Group report, there has an increase in transaction volume and access to accounts digitally in India as well as an increase in G2P payments digitally. As of 2017, a total value of over Rs 44.14 billion was transferred digitally by the government to the recipient's account. % of adults with access to accounts increased from 53% (2014) - 80% (2017), and the gender gap decreased from 20% to 6% over the same period. The usage of UPI has also increased significantly, it has seen an increase in the number of transactions from 17.9 million per month (2016) to 1.3 billion per month (2020).

**Figure 1.3: Stages of Development of Digital Financial Services**



\*Source: (Pazarbasioglu, et al., 2020)

The government's linking of subsidies and transfers to segregated accounts has led to an increase in use of “financial services”. This was done with the help of JAM strategy. The word 'J' stands for “Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana” 'A' means “Aadhaar” & 'M' means “mobile number”. Under the JAM strategy, all these three variants were clubbed together so that the government could directly transfer benefits to individual accounts, thereby reducing leakages. E-KYC (Know Your Customer through Aadhaar Card) has also increased the number of accounts by 300 million, as it helps banks reduce the cost of acquiring customers. Aadhaar enabled payment services (AEPS) have led to the rise in P2P digital payments, while UPI—a retail payment provided by NPCI (National Payments Corporation of India)—is also growing steadily (Cangiano, Gelb, & Groen, 2019). Though PMJDY was able for increasing number of account holders in India, it faced the problem of account inactivity. It was later found that about 48% of the people whose accounts were opened through PMJDY neither deposited nor made any withdrawal in the account (Fhi 360, 2019).


It is believed by researchers that the implementation of demonetisation {(Reddy and Jayalakshmi, 2017), (Lele and Jain, 2017), (Sahu and Goswami, 2018), (Shankar, Das, & Leepsa, 2018), (Jain, 2018) }, (Nahta, 2018)} and GST {(Ravikumar, 2019), (Fhi 360, 2019)} have improved the state of “digital financial services” in India.

**“Digital Financial Inclusion”**

CGAP (Advisory Group to help weaker sections) defined “digital financial inclusion” as "digital access and use of formal financial services by excluded and underserved populations". Such services must be provided ethically, adapted to the requirements of the clients, and at a price that is both reasonable for the clients and profitable for the service providers. The digital financial inclusion strategy is made up of three main parts:

- i. **“Digital Transactional Platform”:** It is platform to send or receive money & store value digitally. Process involves the transmission of data from the customer to the bank or non-bank, which is allowed to store the value digitally using the device.
- ii. **Retail Agents:** Data is transmitted from customers to banks or non-banks through digital devices and these devices are controlled by retail agents making it easy to send or receive money digitally. These retail agents may also perform other functions depending on the regulations of the respective country.
- iii. **Equipment:** A tool can be a tool; whether mobile phone or payment card (eg OS terminal); With the help of which data can be transmitted from customer to bank or non-bank or vice versa.

**Figure 1.4 :** Barriers to “Financial Inclusion” & Development of “Digital Financial Services”



Source: paisabazar: 2020

## **“Digital Financial Inclusion” Status in India**

One of the most ambitious digital financial inclusion initiatives was seen in India in 2014 as India made its investments in key promoters. These were the key drivers of technological infrastructure and innovation and the government's prioritization of financial inclusion. Biometric identification, established in India in 2009 in the form of Aadhaar, made it cheap, reliable and easy to verify identity digitally. This led an increase in number of accounts & cost of e-KYC reduced from INR 1500 to INR 20. Furthermore, the "Indian Stack" is a government-led digital infrastructure that was made up of five layers; Biometric identification database, a virtual payment simplified address, digital payment interoperability, a digital locker and an e-consent system were linked, making it easy for users to transact. Lastly, the electronic payment system operating in India is very robust as it offers a wide range of benefits to the account holders; The interoperability, use of QR codes and the unique features of UPI across multiple digital transaction mediums make it different from countries like China as people in China have to scan the QR code separately for each of the service providers. The focus on enhancing digital financial inclusion helps reduce transaction costs and spreading the use of mobile banking is far easier than the proliferation of broadband connections in rural areas because of the low cost of mobile banking. The reason comes in comparison to the cost of a broadband connection. With the prerequisite of infrastructure. And at the same time mobile phones give people ease of control over their financial services (Mas & Kumar, 2008). While on the other hand it should also be noted that increasing digital financial inclusion requires the presence of mobile phones with customers, in the absence of it it would not be possible to increase digital financial inclusion as the poor people, who are deprived of formal banking The system will not be able to take advantage of this (Radcliffe & Voorhees, 2012). Whereas in India, the situation seems favourable, as India had 1.2 billion mobile subscriptions in 2018 (McKinsey, 2019).

## **Conclusion**

This study confirms that access, use and quality of digital finance are important predictors of digital “financial inclusion”. Thus, it can be said that “digital financial inclusion” is influenced by three factors: 'reach', 'usage' and 'quality'. It should also be noted that out of the three factors, 'quality' has a greater impact on digital financial inclusion followed by 'use' and 'reach'. This indicates that more and more people will use digital finance if the bank provides high quality services to its customers. Thus, measures should be taken to improve the quality of digital financial services (DFS), as better quality will further improve the access and use dimension of digital financial inclusion. This will help the economy achieve higher “digital financial inclusion”.

This study shows that public perception and perceived risk of using DFS have significant impact on “digital financial inclusion”. Thus, measures should be taken and policies should be formulated keeping in view such factors. Currently, DFS is associated with higher risk as the average score for all items of perceived risk was around 3, meaning that most people were not able to articulate their stance on perceived risk. Such a dilemma in the minds of people can hinder the growth of the use of digital finance in India. Also, people's perception of DFS directly affects digital financial inclusion, thus a negative perception will negatively impact

digital financial inclusion, while a positive perception will positively impact digital financial inclusion. Thus, before targeting people with different DFSs it becomes necessary to understand their perception, this can be done through one to one interaction at the unit level of banks.

It also found that the rate of voluntary exclusion was high, while the potential for change in the use of DFS was also high, and with it a conducive infrastructure. It indicates that "a right policy, implemented in the right place, can convert non-DFS users with one bank account into DFS users".

## References

- [1]. Babajide, A. A., Adegboye, F. B., & Omankhanlen, A. E. (2015). Financial inclusion and economic growth in Nigeria. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(3), 629-637.
- [2]. Cangiano, M., Gelb, A., & Groen, R. G. (2019). Public financial management and the digitalization of payments. CGD, Policy Paper(144).
- [3]. Chibba, M. (2009). Financial inclusion, poverty reduction and the millennium development goals. *The European Journal of Development Research*, 21(2), 213-230.
- [4]. Fhi 360. (2019, March). India Digital Financial Inclusion.
- [5]. Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2017). Digital Finance and FinTech: current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537-580.
- [6]. Hendriks, S. (2019). The role of financial inclusion in driving women's economic empowerment. *Development in Practice*, 29(8), 1029-1038.
- [7]. Jain, C. (2018). Digital Payments and Demonetisation. *IJRAR- International Journal of Research and Analytical Reviews*, 5(1), 118-122.
- [8]. Kodan, A. S., & Chhikara, K. S. (2013). A theoretical and quantitative analysis of financial inclusion and economic growth. *Management and Labour Studies*, 38(1-2), 103-133.
- [9]. Lal, T. (2018, May). Impact of financial inclusion on poverty alleviation through cooperative banks. *International Journal of Social Economics*.
- [10]. Lauer, K., & Lyman, T. (2015, February). Digital financial inclusion: Implications for customers, regulators, supervisors, and standard-setting bodies. CGAP.
- [11]. Leeladhar, V. (2005, December 5). Taking banking services to the common man - financial inclusion. Retrieved from <https://www.bis.org/review/r051214e.pdf>
- [12]. Lele, S., & Jain, A. (2017). Demonetisation effect: Digital payments gain new momentum. pwc.
- [13]. Manyika, J., Lund, S., Singer, M., White, O., & Berry, C. (2016, September). *Digital Finance for All: Powering Inclusive Growth in Emerging Economies*. USA: McKinsey Global Institute.
- [14]. Mas, I., & Kumar, K. (2008). *Banking on Mobiles: Why, How, for Whom?* Washington, D.C.: CGAP.
- [15]. McKinsey. (2019). *Digital India Technology to transform a connected nation*.
- [16]. Nahata, V. (2018). An Analysis of Demonetisation and Digitalisation. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(3), 85-115.
- [17]. National Payment Corporation of India. (2021, January 22). upi-live-members. Retrieved July 20, 2020, from <https://www.npci.org.in>: <https://www.npci.org.in/upi-live-members>



- [18]. National Payment Corporation of India. (n.d.). product-overview/imps-product-overview. Retrieved July 20, 2020, from <https://www.npci.org.in>: <https://www.npci.org.in/product-overview/imps-product-overview>
- [19]. National Payment Corporation of India. (n.d.). product-overview/upi-product-overview. Retrieved July 20, 2020, from <https://www.npci.org.in>: <https://www.npci.org.in/product-overview/upi-product-overview>
- [20]. NPCI. (n.d.). An introduction to NPCI and its various products. Retrieved December 3, 2020, from <https://www.npci.org.in>: <https://www.npci.org.in/who-we-are/about-us>
- [21]. Ozili, P. K. (2018, December). Impact of Digital Finance on Financial Inclusion and Stability.
- [22]. Park, C.-Y., & Mercado, R. (2015). Financial inclusion, poverty, and income inequality in developing Asia. Asian Development Bank Economics, Working Paper Series(426).
- [23]. Pazarbasioglu, C., Mora, A. G., Uttamchandani, M., Natarajan, H., Feyen, E., & Saal, M. (2020). Digital Financial Services. World Bank Group.
- [24]. Radcliffe, D., & Voorhies, R. (2012). A Digital Pathway to Financial Inclusion.
- [25]. Rangarajan, C. (2008). Report of the committee on financial inclusion. Ministry of Finance, Government of India.
- [26]. Ravikumar, T. (2019, November). Digital Financial Inclusion: A Payoff of Financial Technology and Digital Finance Uprising in India. International Journal of Scientific & Technology Research, 8(11), 3434-3438.
- [27]. Reddy, K. S., & Jayalaxmi, S. (2017). Demonetization – Transformation to Digital India – A Study. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 46-54.
- [28]. Reserve Bank of India. (2009). Financial Inclusion. Retrieved July 20, 2020, from <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/86734.pdf>
- [29]. Reserve Bank of India. (2019). National Strategy for Financial Inclusion.
- [30]. Reserve Bank of India. (2019, October 30). Scripts/FAQView. Retrieved July 20, 2020, from <https://m.rbi.org.in>: <https://m.rbi.org.in/Scripts/FAQView.aspx?Id=65>
- [31]. Reserve Bank of India. (2020, April 28). Scripts/FAQView. Retrieved July 20, 2020, from <https://m.rbi.org.in>: <https://m.rbi.org.in/Scripts/FAQView.aspx?Id=60>
- [32]. Sahu, P., & Goswami, K. C. (2018, December). Demonetization and its impact On Digital Transactiona Study In SBI and HDFC Bank. Review Of ReseaRch, 8(3), 1-16.
- [33]. Sankar, B. P., Dash, P., & Leepsa, N. M. (2018). Is Demonetisation a Bridge for Digital Financial Inclusion? IIMS Journal of Management Science, 9(2), 93-99.
- [34]. Siddik, M. N. (2017). Does financial inclusion promote women empowerment? Evidence from Bangladesh. Applied Economics and Finance, 4(4), 169-177.
- [35]. UNCDF. (n.d.). Financial Inclusion and the SDGs. Retrieved December 9, 2020, from <https://www.uncdf.org>: <https://www.uncdf.org/financial-inclusion-and-the-sdgs>
- [36]. World Bank. (2014, April 10). Digital Finance: Empowering the Poor via New Technologies. Retrieved December 09, 2020, from <https://www.worldbank.org>: <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/04/10/digital-finance-empowering-poor-new-technologies>





# Studying Teachers' Perceptions of Google Drive Use

Sushma Rani

Associate Professor, Department of Teacher Education, N.M.S.N. Dass (P.G) College, Budaun, Uttar Pradesh, India

## Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number : 134-142

## Publication Issue :

September-October-2021

## Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 15 Sep 2021

**Abstract** - A more comprehensive synonym for information technology is information and communication technology, or ICT. The use of technology, including numerous applications and ICT tools, has transformed education in every way. The use of ICT in education has grown as a result of the COVID-19 epidemic and now goes beyond simply providing classrooms with computers and internet access to supervise online instruction through remote learning and enhance traditional learning. We can involve students in shared learning experiences that go beyond the four walls of the classroom by leveraging technology. Additionally, Google, which started out as a search engine and now helps to explore new ways of integrating technology into the classroom, should never be forgotten when using ICT in the education sector. The best thing about Google is the variety of tools they offer, among them Google Drive. One secure location for all of your data is Google Drive, which is useful for cloud-based drives to create, store, and edit documents, spreadsheets, and other collaboration platforms. The goal of this study is to comprehend how educators in India perceive the utilisation of Google Drive and other online teaching and learning technologies. In that time, a study was carried out, with the results showing that online education has effectively provided remote learning and improved networking chances.

**Keywords** – ICT, Cloud Based Technology, Google Drive.

**Introduction** - In many kinds of industries worldwide, cloud computing is the on-demand availability of computer system resources (education sector, IT sector, Cyber Crime, Etc). The potential of cloud computing in the new era of responsiveness, effectiveness, and efficiency in many industries has led users all over the world to adopt it. We are entering a new era of technologies as cloud computing continues to push the envelope. Everyone brings up the use of cutting-edge technical tools in pedagogy while discussing teaching and learning methodologies, fostering creativity, and collaborative learning. They are beneficial for tasks like group work, projects, research, etc. The "ICT Road Map" has led to an upsurge in ICT usage today. The use of ICT in education has grown beyond simply providing classrooms with computers and internet connections because there is no way to switch from offline to online learning in this pandemic condition.

E-learning is a web-based learning ecosystem that connects different stakeholders using cutting-edge technology & procedures. A wide variety of new communication and internet tools, including smart phones,

laptops, tablets, and computers, are beneficial for e-learning practises worldwide. There are numerous e-learning platforms available worldwide, and cloud computing is a popular platform. It is helpful in academic and learning contexts. Google employs a cloud application in educational institutions that offers cloud storage space and allows for the management of learning processes, e-learning courses, and content. The ideal fusion of numerous applications for online learning is Google Cloud Education. They assist educational institutions in a variety of ways, including document generation, editing, data exchange, and survey design (through google form). You only need a minimal amount of storage and a single Google account to get access to all of those applications. The overwhelming use of technology in education has strengthened the art of teaching as a result of education evolution. This will have a direct impact on learning that is qualitative. In essence, Google Drive is a file synchronisation and storage service created by Google that was launched on April 24, 2012. This includes many functions, including the ability to exchange files, sync files across devices, and store files on other servers. Additionally, it integrates Google Docs, Google Sheets, and Google Slides, all of which are included in the Google Docs office suite. Additionally, you can conduct surveys using a Google form for various research projects or registration, but only if you have a Google account and an email address linked to it.

**Literature Review:-** The notion of online learning includes more than just using the internet; it also refers to the distribution of learning resources and content through a variety of technological platforms (Kathawala & Wilgen, 2004). It is a common practise for students to receive their education online rather than in person. The teacher, the student, and the subject are all connected and brought together by online education. The global mindset in higher education has evolved as a result of online learning. Face-to-face instruction has been replaced by distant learning promotion thanks to technology-enabled learning.

Instead of traditional colleges offering face-to-face instruction, online education is growing in popularity (Radovic-Makovic 2010). Studies are now completed in less time since online learning has improved study effectiveness. When providing information in the shortest amount of time, online learning is growing in popularity.

Online approaches are becoming more popular because they are more affordable, accessible around-the-clock, and entail retention in a safe, dependable, and interactive environment, according to Kathawala and Wilgen (2004). The use of online learning technology can make classrooms more student-centered. Students get to participate actively and set their own pace for independent study.

Google offers a variety of collaborative and sharing tools and services through its free applications known as "cloud," and educators working in the field of education can substantially benefit from them (Google, 2009). Adopting Google applications in school has several benefits. The first objective of education, sharing, is attained by Google applications because both the Google website and the document-creation tools support real-time editing and collaboration and offer efficient control tools for simple sharing. This enables students to cooperate and share information they have gathered about a particular topic. Google applications could make chores easier, such as organising appointments for the class and composing articles (Tugrul, 2012). Instead of waiting for everyone to get updates via email, a group of students can work on a task on Google Docs, which helps to save time that can subsequently be spent for teaching or learning (Sherer & Shea, 2011).

Because of its efficient methods for achieving learning outcomes through the use of Web networks and technology applications to provide better communication and knowledge sharing, the cloud computing environments represented by Google Cloud applications, according to Ercan (2010), Lahoti and Ramteke (2014), and Femandez, Peralta, Benitez and Herrera (2014), show the widespread area that achieves the objectives of e-learning and education technology.

For all of these reasons, Google Drive has established itself as a key tool for collaborative learning in college courses, enabling users to connect and collaborate effectively from any location (Marra et al., 2016).

The requirements and traits of the digital society in which we live have been adapted to the demands and features of this educational type of online and collaborative active instruction, which has few restrictions. Simply having access to the essential gadgets and an internet connection, as well as changing their roles in the teaching and learning process, are all that are required (Castellanos-Sánchez and Martnez-De la Muela, 2013).

**Objective:**

- 1) To comprehend and become familiar with the online teaching and learning resources, particularly the use of Google Drive by Indian educators.
- 2) To learn what educators think about using Google Drive for online teaching and learning.

**Research Methodology:-** This study and methodology are exploratory and descriptive in nature. Since a predetermined questionnaire has been distributed to gather opinions and educator perceptions, this article will focus on understanding and educator perceptions of online teaching and learning technologies, particularly the use of Google Drive, throughout India.

**Primary Data:** This information is gathered from the directors, heads, and professors of the many institutions across India. Respondents filled out the required questionnaire through email as part of the study. For collecting data we had selected 21 institute in which we choose 23 Female and 17 Male educators for our research, and total number of samples for research is 40.


**Secondary Data:** Information from websites of different agencies, literature, books, journals, bulletins, and manuals will all be included in the secondary data. Additionally, references from newspaper and magazine articles will be gathered and evaluated.

The results of the quantitative analysis and interpretation of the data acquired using the survey method will be shown in the format of tables, graphs, and quantitative tests.


**Result** - According to the data gathered through the descriptive analysis, in particular among teachers from various Indian states. In support of the key themes that arise on the usage of drive, responses are provided.

The following questions and responses will now be discussed.


**Q1.** We posed this question with a strongly disagree to strongly agree choice to help people understand how uneasy instructors feel about using Google Drive. The overwhelming majority of respondents indicate that using Google Drive is very comfortable.




Q2. To determine how many educators needed training to use Google Drive, 62.5% of respondents said they would like training in the future to use Google Drive more effectively.




Q3. The purpose of this question is to determine whether or not teachers often use Google Drive. The response options range from strongly disagree to strongly agree. The majority of respondents indicate that they favour using Google Drive.




Q4. To determine whether or not teachers find producing papers and distributing those documents through Google Drive to be difficult, this poll reveals that 25% of respondents found it to be neutral and 35% stated it is not tough..




Q5. We posed this question to see whether or not Google Drive's free storage is adequate. We discovered that while 47.5% of respondents believe this to be the case, 30% responded that the 15 GB limit should be increased because there will be a lot of notes to be given to students.




Q6. We conducted research to determine whether Google Cloud Computing is appropriate for blended learning processes. The results showed that 72.5% of respondents agreed that it is.



Q7. When we posed this question to see what the future of Google Cloud Computing was, the results show that 77.5% of respondents said that it will be helpful for future innovative approaches.




Q8. When we asked whether or not Google Drive helps to minimise data loss, we discovered that 67.5% of respondents said there is no need to mention save because it automatically saves your material while generating a document.




Q9. When conducting a poll, we discovered that 70% of participants agreed that it was simple to locate students' comments in Google Drive.






Q10. When we tested if using Google Drive was appropriate and beneficial for the education sector, the results revealed that 67.5% of respondents found it to be extremely effective for improving the industry.



Q11. Last but not least, we asked respondents what they thought about Google Drive. The results show that 52.5% of respondents are very satisfied and think it is very good, while 27.5% of respondents say it is good for instructors.



**Conclusion** - This study shows that Google Drive is a platform for collaborative authoring. As a tool that enables information sharing between teachers and students, it also aids in the teaching and learning process. Because of how pleasant this technology is, educators prefer to utilise it frequently. While being used, this instrument increases effectiveness and saves time and energy. This study also reveals that teachers are eager to learn more about Google Drive in order to enhance their e-learning programmes and methods for managing information and learning processes. 18% of respondents do not utilise Google Drive, but they could do so if they were given the right instruction on using it. Because cloud computing is an important piece of information technology (IT) that has improved people's lives, 77.5% of our respondents believe that in the future, Google Cloud will be useful for new approaches. The author of this study also suggests that all educators make use of Google Drive's features to suit e-future learning's needs.

## References

1. (Kathawala&Wilgen, 2004)
2. Castellanos-Sánchez, A., and Martínez-De la Muela, A. (2013). Trabajo en equipo con Google Drive en la universidad online. *Innov. Educ.* 13, 75–94.
3. Bilgihan, A., Berezina, K., Cobanoglu, C., &Okumus, F. (2014). The information technology (IT) skills of hospitality school graduates as perceived by hospitality professionals. *Journal of Teaching in Travel & Tourism*, 14(4), 321-342.
4. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2020.00152/full>
5. <https://www.researchgate.net/publication/235982254>
6. McHaney, R. (2011). *The new digital shoreline: How web 2.0 and millennial are revolutionizing higher education* (1st Ed.) Stylus Pub.
7. Retrieved May 6, 2013, from <http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/816/1544>
8. Wilson, B., Parrish, P. &Veletsianos, G. (2008). Raising the bar for instructional outcomes: towards transformative learning experiences. *Educational Technology*, 48, 3, 39–44.

## संस्कृत भाषा में स्मरण का महत्त्व

डॉ. सुनील कुमार शर्मा

सहायकाचार्य (शिक्षापीठ)

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), नई दिल्ली।

### Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number : 143-147

### Publication Issue :

September-October-2021

### Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 15 Sep 2021

**शोध सार (Abstract)**—“संस्कृतं नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः” यह उक्ति हमें निश्चितरूप से संस्कृत के गौरवशाली स्थान को स्मरण कराती है। यही नहीं हमें उन ऋषियों महर्षियों एवं महान् विद्वान् विभूतियों की भी याद दिलाती है, जिन्होंने इसे संरक्षित किया एवं परिवर्धित किया है। वस्तुतः संस्कृत शिक्षा वैदिक काल से चलती आ रही है। यह शिक्षा पहले से ही आश्रम पद्धति में अथवा गुरुकुलीय प्रणाली का एक अंग थी। संस्कृत भाषा तो उद्गम स्थल का स्रोत बना हुआ पानी शिलाओं का विदीर्ण करते हुए महानदी का आकार ले लेता है। अतः कहा जा सकता है कि तुलनात्मक नजरिये से संस्कृत भी कभी सीमित दायरे में नहीं थी, क्योंकि संस्कृत भाषा का मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक की सभी क्रियाओं से सम्बन्ध होता है। यह उपासना स्थलों पर हमेशा गूँजती रहती है। वस्तुतः संस्कृत शिक्षा की वर्तमान परिस्थिति को यदि आंका जाय तो आज भी आंग्ल भाषायी बाहुल्य देश में यह हमारे सामने असहाय प्रतीत होती है। क्योंकि आजकल के विद्यार्थी विषय के स्मरण में विश्वास नहीं रखते, उनका मानना है कि विषयवस्तु को समझना जरूरी है, कण्ठस्थ करना नहीं। लेकिन संस्कृत भाषा के अध्ययन में विषय अवगाहन के साथ मुख्य तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए स्मरण रखना भी अत्यावश्यक है। अतः संस्कृत भाषा शिक्षण में ‘स्मरण’ को पूर्णतः निष्कासित नहीं किया जा सकता। इस शोधपत्र में हम संस्कृत भाषा की विभिन्न विधाओं में स्मरण के महत्त्व को जानेंगे।

**मुख्य शब्दः**— संस्कृत, भाषा, स्मरण, अध्ययन, शिक्षण, विधा।

### भूमिका- वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृताधार्यते।

वर्तमान में संस्कृत शिक्षा की स्थिति बहुत ही चिन्तनीय तथा दयनीय बनी हुई है। संस्कृत का नाम सुनते ही लोग मुँह फेर लेते हैं। शायद उन्हें यह जानकारी नहीं है कि जिस भाषा ने हमें संसार में स्थान दिया है, वह संस्कृत भाषा ही है। जिस प्रकार समाज में आज कई लोग अपने बुजुर्ग माता-पिता को अपने से अलग कर वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, ठीक उसी प्रकार अन्य भाषाएँ भी अपनी जननी संस्कृत को छोड़ रहे हैं। जिस संस्कृत ने भारत को विश्वगुरु होने का सम्मान दिया, अवसर दिया, वही आज अपने अस्तित्व को खोज रही है। कारण कोई समझना नहीं चाहता, स्मरण नहीं करना चाहता, सिर्फ तकनीकी प्रयोग दक्षता चाहता है। जबकि वह नहीं जानता कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है, उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। स्मृति एक जटिल शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है जब हम किसी वस्तु को देखते या सुनते हैं, तब हमारे ज्ञान-वाहक

तन्त्र उस अनुभव को हमारे मस्तिष्क के ज्ञान केन्द्र में पहुँचा देते हैं। ज्ञान केन्द्र में उस अनुभव की प्रतिमा बन जाती है। उस अनुभव को अचेतन मन में संचित रखने और चेतन मन में लाने की प्रक्रिया को स्मृति कहते हैं। स्मरण की पूर्व क्रिया के चार अंग पद या खण्ड होते हैं। सीखना, धारणा, पुनः स्मरण और पहचान।

जब हम कोई नवीन बात सीखते हैं या नवीन अनुभव प्राप्त करते हैं तब हमारे मस्तिष्क में उसका चित्र अंकित हो जाता है। दर्शन की भाषा में इसे अवग्रह कह सकते हैं। अर्थावग्रह में चेतना उदीप्त होती है तथा संवेदना की प्रतीति होती है। ईहा में मन में ज्ञेय वस्तु का विवरण जानने की अभिलाषा होती है। अवाय में ज्ञेय वस्तु की पहचान होती है, धारणा के द्वारा हम पदार्थ के गुणों का बोध करते हैं, इसके कारण ही हमें पदार्थ का स्मरण होता है।

इस प्रकार अवग्रह, अर्थावग्रह, ईहा, अवाय और धारणा से प्राप्त ज्ञान को स्मृति की सहायता से अपनी चेतना में फिर लाकर उसका स्मरण कर सकते हैं। स्मृति का प्रमुख कार्य है- पूर्व अनुभवों का अचेतन मन से आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में लाना।

सीखने की प्रक्रिया सतत् है तथा इस प्रक्रिया में पूर्वापर सीखी गयी विषयवस्तु का स्मरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि जो कुछ पूर्व में सीखा गया है वह एक ऐसा आधार प्रदान करता है जिस पर आगे सीखा जाने वाला ज्ञान सुदृढ़ रूप से आधारित हो सके।

शिक्षक विद्यार्थी को स्मरण शक्ति के आधार पर ही विषयवस्तु का ज्ञान प्रदान कर सकता है। विद्यार्थी भी विषय पर स्वामित्व अधिगम तभी कर सकता है जब उसे पूर्व में सीखे गये पाठ का स्मरण हो। नियमों, सिद्धान्तों, वर्णों, समय, काल, गणना आदि पूर्व में सीखी गई बातों को स्मरण में रखना ही होगा। तभी नवीन विषयवस्तु का ज्ञान किया जा सकेगा।

संस्कृत भाषा की आद्य कृतियाँ गुरु द्वारा शिष्य को स्मरण शक्ति के माध्यम से ही हस्तान्तरित की गयी वे पुस्तक में लिपिबद्ध नहीं थीं अपितु आद्योपान्त सस्वर स्मृति पटल पर अंकित थीं। प्राचीन संस्कृत साहित्य में निबद्ध मन्त्र उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों में बँध हुए होते थे। स्वरों के आधार पर ही इनका उच्चारण होता था। अतः प्राचीन ऋषियों ने इन वेद मन्त्रों को लिखित स्वरूप प्रदान करने की अपेक्षा मौखिक रूप से वाचन करवाने और उस विशिष्ट उच्चारण से उनका अर्थ समझाकर धारण करने की विधि को अधिक उपयुक्त समझा, क्योंकि वैदिक मन्त्रों का यदि स्वर परिवर्तन कर वाचन किया जाता तो वह अनर्थ का कारण बन सकता था। कहा भी है-

**दुष्टो मन्त्रः स्वरतो वर्णतो वा, मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह।**

**स वाग्वज्रं यजमानं हिनस्ति, यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्॥**

प्राचीन संस्कृत साहित्य के सन्दर्भ में एक आख्यायिका प्रचलित है कि 'इन्द्रशत्रुर्विवर्द्धस्व' पद में मात्र एक स्वर के गलत उच्चारण से अर्थ का अनर्थ हो गया। क्योंकि एक शब्द को यदि उदात्त स्वर से उच्चरित किया जाता तो वह भिन्न अर्थ देता और स्वरित स्वर को ध्यान में रखकर उच्चारण किया जाए तो वह पृथक् अर्थ को प्रदान करता है। अतः ग्रन्थ रूप में लिखित वेद-मन्त्रों को पढ़कर शिष्य आचार्य के सानिध्य के अभाव में उसका वास्तविक अर्थ निकाल सकने में असमर्थ भी हो सकते थे।

अतः प्राचीन काल में मन्त्रों का सस्वर-पाठ कराते हुए पारायण विधि द्वारा उनका स्मरण कराया जाता था। आचार्य वेद-मन्त्रों का सस्वर पाठ करते थे शिष्य उस पाठ का अनुकरण करते थे। इस प्रकार शुद्ध उच्चारण सहित वेदों के मन्त्र आचार्य द्वारा शिष्यों को कण्ठस्थ करा दिये जाते थे। साथ-साथ आचार्य उन वेद मन्त्रों का अर्थ तथा आशय भी शिष्यों

को सुनाते चलते थे। श्रवण द्वारा इस प्रकार प्राप्त ज्ञान श्रुति कहलाया तथा शिष्यों द्वारा जब उस ज्ञान को स्मरण शक्ति के आधार पर कालान्तर में उद्धृत किया गया तो उनकी व्याख्याएँ 'स्मृतियों' के नाम से लोकप्रिय हुई।

ऋषियों के आश्रम में वैदिक ज्ञान की यह परम्परा बाद में गुरुकुल में भी प्रचलित रही। इस परम्परा के अन्तर्गत न केवल कुशाग्र बुद्धे अपितु प्रखर स्मरण शक्ति को भी आवश्यक माना गया क्योंकि जहाँ बुद्धि ज्ञान प्राप्ति में सहायक है वहीं पर स्मरण शक्ति उसकी धारणा और उस ज्ञान के उपयोग के लिये आवश्यक है। यह आवश्यकता प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अनुभव की जाती रही है यही कारण है कि आज भी संस्कृत शिक्षण में स्मरण का महत्त्व पूर्ववत् है।

**संस्कृत भाषा में स्मरण का महत्त्व**— संस्कृत भाषा संश्लेषणात्मक एवं व्याकरणनिष्ठ भाषा है, इस भाषा का प्रत्येक पद अपने क्रियात्मक विकारों को साथ लेकर चलता है तथा इस भाषा का प्रत्येक पद अपने विशिष्ट नियमों में बँधा हुआ होता है। अतः इन पदों का प्रयोग बिना स्मरण सम्भव नहीं है।

संस्कृत सूत्रों या नियमों में पूर्वापर सम्बन्ध होता है, हमें पूर्व के सूत्रों, नियमों को स्मरण में रखना होता है जिनके आधार पर आगे के सूत्रों की व्याख्या सम्भव होती है जैसे— 'अकः सवर्णे दीर्घः' इस सूत्र की व्याख्या तभी सम्भव है जब हमें पूर्व-पठित माहेश्वर सूत्रों एवं प्रत्याहारों का ज्ञान हो। अक् प्रत्याहार में कौनसे वर्ण आते हैं? यह स्मरण होने पर ही इस सूत्र को समझा जा सकेगा। संस्कृत भाषा की प्रत्येक विद्या का सम्यक् ज्ञान प्राप्त करना स्मरण पर ही आधारित है।

**संस्कृत गद्य में स्मरण का महत्त्व**— संस्कृत गद्य संश्लेषण शैली से युक्त है। यह समास, सन्धि, अलंकार एवं वर्णन चमत्कृति से परिपूर्ण होता है। गद्य बोधगम्य शैली कथोपकथन शैली, वर्णनात्मक शैली, तार्किक-शैली, सूत्र या संक्षिप्त शैली, व्यास-शैली तथा समासयुक्त शैली से युक्त होता है। गद्य का प्रयोग, कथा, नाटक, कथोपकथन, वर्णन, जीवनी, संस्मरण, आलोचना, समाचार आदि अलग-अलग विधाओं के लिए होता है। संस्कृत गद्य पाठ से ही छात्रों को संस्कृत शब्दावली तथा व्याकरण के विभिन्न नियमों के प्रयोग का ज्ञान होता है। संस्कृत गद्य का एक छोटा सा वाक्य बिना स्मरण के नहीं लिखा जा सकता है, जैसे— बालकाः विद्यालयम्-----प्रस्तुत वाक्य में क्रिया का क्या रूप होगा? यह वाक्य तभी पूरा किया जा सकेगा जब यह स्मरण में हो कि बालकाः कर्ता के साथ क्रिया किस पुरुष या वचन की होगी तथा यह भी स्मरण में हो कि 'जाना' क्रिया के लिये संस्कृत की किस धातु का प्रयोग होगा? तभी इस वाक्य को पूरा किया जा सकेगा।

**संस्कृत पद्य में स्मरण का महत्त्व**—संस्कृत पद्य छन्द, अलंकार, शब्दशक्ति, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, लय, गति एवं यति से युक्त होता है। अतः पद्य-पाठ का सम्यक् ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्मरण का विशेष महत्त्व है। शिक्षक पद्य का समुचित ज्ञान तभी करा सकता है जब वह स्वयं श्लोकों का उचित स्वर, लय, ताल, स्वराघात, गति, यति पूर्वक पाठ कर सके तथा श्लोक में निहित छन्द, अलंकारों, शब्दशक्ति, शब्द वैचित्र्य, रस आदि सम्यक् स्मरण हों।

स्मरण के माध्यम से ही छात्र पठित काव्यों का उपयुक्त सन्दर्भों में प्रयोग कर सकते हैं। पठित श्लोकों द्वारा अपनी भाषा को प्रभावी बना सकते हैं। संस्कृत के नीति-परक, उपदेशात्मक, हितकारी, सुबोध, सौन्दर्यात्मक श्लोकों को कण्ठस्थ कर जीवन के उन्नयन हेतु एक विशिष्ट मार्ग का अवलम्बन कर सकते हैं, इन श्लोकों द्वारा अपने रचना-कार्य को प्रभावी बना सकते हैं। तथा अपनी अभिव्यक्ति से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं।

**संस्कृत व्याकरण में स्मरण का महत्त्व**— वह विद्या या शास्त्र जिसमें किसी भाषा के शब्दों के शुद्ध रूपों और वाक्यों के प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है व्याकरण है। स्मरण के बिना संस्कृत व्याकरण का शिक्षण एवं अध्ययन दोनों ही असम्भव है।

संस्कृत व्याकरण सूत्रात्मक है। ये सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सूत्रों की व्याख्या तभी की जा सकती है जब सूत्रों के पूर्वापर सम्बन्धों का सम्यक् ज्ञान हो।

संस्कृत शिक्षक को व्याकरण का अध्यापन कराते समय वर्ण, पद, वाक्य, विभक्ति, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, गण, धातु, उच्चारण स्थान, प्रयत्न, आदेश, लिङ्ग, वचन, पुरुष, लकार, उपसर्ग, सन्धि, समास, प्रत्यय, वाच्य आदि का ज्ञान देना होता है, जो अच्छी स्मृति के अभाव में सम्भव नहीं है। व्याकरण, भाषा में शुद्ध शब्दों का निर्माण, भाषा संरचना का अध्ययन, भाषा विश्लेषण करता है, सर्वमान्य नियमों को निर्धारित करता है, किसी विशेष अवसर पर भाषा का शुद्ध प्रयोग क्या है? इसका निरूपण करता है, भाषा को सुव्यवस्थित ढंग से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है ताकि भाषा में सरलता और बोधगम्यता आ सके।

**संस्कृत रचना में स्मरण का महत्त्व**— रचना एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ-क्षेत्र बहुत विस्तृत है। कथा, उपन्यास, निबन्ध, पत्र, नाटक, वर्णन, जीवन आदि लिखने के अतिरिक्त एक विशिष्ट शब्द-प्रयोग से लेकर महाभाष्य लिखने तक की समस्त प्रक्रिया में रचना में समाहित है।

लिखित रचना के लिए, अभिव्यञ्जना का विकास, सृजनात्मकता का विकास, लिपि का शुद्ध प्रयोग एवं लिपि की सभी जटिलताओं की जानकारी, वर्तनी का प्रयोग, विचारों को शुद्ध संस्कृत में व्यक्त करने की योग्यता, रचना में सुभाषितों एवं उद्धरणों के प्रयोग की क्षमता, वर्णनात्मक, विवरणात्मक एवं विचारात्मक विषयों पर प्रभावशाली रचना करने की योग्यता होनी चाहिए जो स्मरण बिना सम्भव नहीं है क्योंकि स्मरण के बिना न तो संस्कृत भाषा का शुद्ध प्रयोग किया जा सकता है और न ही रचना के वर्ण्य-विषय की प्रभावी प्रस्तुति की जा सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा में प्रभावी रचना का आधार स्मरण है।

**संस्कृत अनुवाद में स्मरण का महत्त्व**— संस्कृत अनुवाद कार्य, भाषा सम्बन्धी नियमों एवं व्याकरण के नियमों पर आधारित है, अतः जब तक अध्ययन एवं अध्यापन करने वालों को ये सभी नियम स्मरण में नहीं होंगे तब तक अनुवाद कार्य नहीं किया जा सकता है। संस्कृत का अनुवाद कार्य मातृभाषा से संस्कृत की ओर हो या संस्कृत से मातृभाषा की ओर हो दोनों प्रकारों से स्मरण का विशेष महत्त्व है।

**संस्कृत नाटक में स्मरण का महत्त्व**—‘काव्येषु नाटकं रम्यम्’ उक्ति के आधार पर काव्यों में नाटक इसीलिए रम्य कहा गया है क्योंकि यह अभिनय के माध्यम से दर्शनीय होता है, और अभिनेता मूल व्यक्ति को स्वयं में आरोपित कर धारा प्रवाह संवादों से दर्शकों का मन मोह लेता है। इस प्रकार स्मरण के आधार पर ही वार्तालाप, संवाद, भाषण, कथोपकथन आदि की प्रभावोत्पादक ढंग से अभिव्यक्ति की जा सकती है और नाटक को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

**मूल्याङ्कन हेतु स्मरण की उपयोगिता**— शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में मूल्याङ्कन के लिये स्मरण आवश्यक है। अध्यापक अध्यापन के पूर्व उद्देश्यों का निर्धारण करता है इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अध्यापक व छात्रों के मध्य अन्तःक्रिया होती है। इन क्रियाओं के द्वारा अध्यापक छात्रों के व्यवहार में वाञ्छित परिवर्तन लाना चाहता है। छात्र के व्यवहार में जब तक अभीष्ट परिवर्तन नहीं होता तब तक अध्यापन कार्य को सफल नहीं समझा जा सकता। मूल्याङ्कन ही वह विधि है जिससे अध्यापक यह जाँच करता है कि छात्रों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है? अथवा उसने कितना सीखा है। अतः छात्रों को मूल्याङ्कन की कसौटी पर खरा उतरने के लिये विषय-वस्तु को स्मरण में रखना होगा।

प्राचीन काल में भी मूल्याङ्कन का आधार स्मरण ही था। शास्त्रार्थ, तर्क-वितर्क, वाद-विवाद आदि स्मृति पर ही आधारित रहे। वर्तमान शिक्षा पद्धति में भी मूल्याङ्कन का आधार स्मरण ही है। परीक्षा चाहे लिखित हो अथवा मौखिक, प्रश्न निबन्धात्मक हों, वैकल्पिक हों, लघु-उत्तरात्मक हों, रिक्तस्थान सम्बन्धी, चयन सम्बन्धी, मिलान-सम्बन्धी हों

परीक्षार्थी के ज्ञान के मूल्याङ्कन का आधार मूलतः यह रहता कि उसे विषय-वस्तु कितनी अवबोधपूर्वक स्मरण में रहती है। कहा भी है- “कण्ठे विद्या अण्ठे धनम्” अर्थात् कण्ठ में जो विद्या होगी समय पर वह ही काम आती है।

**निष्कर्ष-** संस्कृत भाषा के लिये यह कहना कि यह रटन्त विद्या पर बल देती है, तथा अमनोवैज्ञानिक है, उचित नहीं क्योंकि संस्कृत के समान प्रत्येक विषय का स्थायी ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा परीक्षा में अवबोध पूर्वक विषय स्मरण ही सफलता दिलाता है। मूल्याङ्कन में प्रयुक्त सभी प्रकार की विधियों में स्मरण की ही जाँच होती है। कहा भी है-

**पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम्।**

**कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्॥**

अतः अध्ययन और अध्यापन में यह आवश्यक है कि विषयवस्तु का अवबोधपूर्वक ज्ञान ही जीवन की यथार्थ परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-**

1. पाण्डेय, डॉ. अरविन्द कुमार (2004), संस्कृत शिक्षा का विकास, आदित्य बुक सेन्टर, वाराणसी।
2. मित्तल, डॉ. सन्तोष (2010), संस्कृत शिक्षण, आर. लाल. बुक डिपो, मेरठ।
3. शर्मा, डॉ. नन्दराम (2007), संस्कृत शिक्षण, साहित्य चन्द्रिका प्रकाशन, जयपुर।
4. शर्मा, रीटा, जैन, अमिता (2005), संस्कृत शिक्षण, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर।



## भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली

डॉ. आरती शर्मा

सहायकाचार्य (शिक्षापीठ)

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), नई दिल्ली।

### Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number : 148-152

### Publication Issue :

September-October-2021

### Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 15 Sep 2021

**शोध-सार-** यूँ तो विश्व के सभी देशों में शिक्षा को महत्त्व दिया जाता रहा है, किन्तु भारत में जो प्राचीन शिक्षा-पद्धति है, उसने न केवल देश-प्रदेश में, वरन् सम्पूर्ण विश्व में एक अमिट छाप छोड़ी है। अंग्रेज विद्वान् एफ.ई.केई इस बात की पुष्टि में कहते हैं कि “भारत के शिक्षाशास्त्रियों ने ऐसी शिक्षा-पद्धति का विकास किया जो न केवल साम्राज्यों के ध्वंस हो जाने तथा समाज में परिवर्तनों के बाद भी जीवित रही, वरन् हजारों वर्षों तक उच्च ज्ञान की ज्योति को भी जलाए रखा। उनमें ऐसे अधिसंख्य महान् चिन्तक हुए हैं जिन्होंने केवल भारत की ज्ञान-परम्परा पर ही नहीं, वरन् समूचे विश्व के बौद्धिक जीवन पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा है।” इस शोध पत्र में भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली, छात्र-जीवन, गुरु का महत्त्व, गुरु-शिष्य सम्बन्ध, गुरुकुल और वहाँ की शिक्षा प्रणाली के बारे में जानेंगे।

**मुख्य शब्द** – भारत, प्राचीन, शिक्षा, गुरुकुल, चिन्तक, छात्र, अधिसंख्य।

वास्तव में भारतीय प्राचीन शिक्षा जीवन की वह साधना है जो मनुष्य को अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचाने में परम सहायक बनती है। यह मनुष्य को बुद्धि, विवेक तथा कुशलता प्रदान करती हुई उसे सुख, आनन्द, यश एवं समृद्धि प्रदान करती है। प्राचीन शिक्षा का महत्त्व इस बात से प्रकट है कि यह शिक्षा मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, भौतिक व आध्यात्मिक शक्तियों और क्षमताओं का सामंजस्यपूर्ण विकास कर मानव-स्वभाव को रूपान्तरित करती हुई उसे उत्कृष्ट बनाती है।

प्राचीनकाल में शिक्षा पर कम तथा विद्या, विज्ञान, विनय एवं प्रबोध पर विशेष बल दिया जाता था। शिक्षा के स्थान पर विद्या शब्द का अधिक प्रयोग होता था। विद्या की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि “विद्या माता की भाँति रक्षा करती है। पिता की भाँति कल्याण करती है और पत्नी की भाँति सुख देती है।”

प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के मस्तिष्क को उर्वर ही नहीं, उसके हृदय को भी विशाल एवं उदार बनाना था। इस बात का प्रमाण है कि भारत जैसे विशाल और अखण्ड देश में विभिन्न धर्म और संस्कृतियाँ आज भी पल्लवित एवं पोषित हैं। लोग सुगठित होकर परस्पर प्रेम और सौहार्द तथा स्वाभिमान और अध्यात्म के साथ जीवन-यापन करते देखे जाते हैं।

प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य के सन्दर्भ में डॉ. अल्तेकर ‘एज्यूकेशन इन एनसिएण्ट इण्डिया’ में कहते हैं कि “ईश्वर-भक्ति एवं धार्मिकता की भावना, चरित्र-निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति एवं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श थे।”

भारतीय प्राचीन शिक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1. प्राचीन शिक्षा में गुरु की प्रमुखता और प्रेरणा का होना।
2. धनवान और निर्धन, राजा और रंक की शिक्षा में भेदभाव न होना। इस दृष्टि से सभी के लिए समान शिक्षा का होना।

3. शिक्षा की बागडोर न तो शासक के हाथ में और न राजनेताओं अथवा अन्य संसारी प्रभावशाली व्यक्तियों के हाथ में थी अर्थात् शिक्षा का नियन्त्रण निस्पृह ऋषियों, गुरुओं, आचार्यों के हाथ में होना।
4. अध्ययनकाल में शिक्षार्थी के माता-पिता पर शिक्षा का आर्थिक बोझ न पड़ना।
5. शिक्षाकाल में पवित्रता, निष्कलंकता, ब्रह्मचर्य आदि का विशेष ध्यान रखा जाना अर्थात् चरित्र-निर्माण और अनुशासन पर अत्यधिक बल देना।
6. शिक्षा का धर्म, संस्कृति एवं नैतिक - आध्यात्मिक मूल्यों से समन्वित होना।
7. शिक्षा का केवल अक्षर एवं पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न होना अपितु नैतिक मूल्यों से अनुप्राणित आत्म-संयम, इन्द्रिय-निग्रह, प्रलोभनों की उपेक्षा आदि पर विशेष बल देना।
8. प्राचीन शिक्षा में अपनी भाषा को महत्त्व देना।
9. प्राचीन शिक्षा में गुरु-शिष्य का पवित्र और आध्यात्मिक सम्बन्ध होना यानी प्रेम और श्रद्धा पर आधारित होना।
10. प्राचीन शिक्षा व्यवसाय की पूर्ति मात्र न होना अपितु विमुक्ति दिलाने वाली विद्या के रूप में होना।
11. संस्कारों के द्वारा बालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना।
12. मनुष्य में अन्तर्निहित ज्ञान-शक्ति को अभिव्यक्त करना।
13. योग सन्ध्या, प्राणायामादि नियमों से बढ़ती हुई इन्द्रिय शक्तियों का संचय एवं आत्माभिमुखता के रूप में सदुपयोग में परिणत होना, जिससे छात्रों की मेधा विकसित हो सके।
14. छात्रों में सहनशीलता, विनयशीलता, विचारशीलता, राग-द्वेषरहित, छल-प्रपंचरहित, साहस, त्याग, तप, सन्तोष, आत्म-संयम, इन्द्रिय-निग्रह, आत्माभिमुखता, सेवा, परोपकारिता, कर्तव्यनिष्ठता, कृतज्ञता, प्रामाणिकता व आत्म-विश्वास आदि गुणों को प्रकट कराना, जिससे उनका जीवन सफल हो सके और वे एक न एक दिन नर से नारायण बन सकें।
15. छात्रों के गुणों और योग्यताओं के आधार पर उपाधियाँ देना, जिसका परीक्षण गुण, कर्म, स्वभाव और योग्यता के अनुकूल गुरुकुलों में आचार्यों द्वारा होना।
16. दैनिक दिनचर्या पर महत्त्व देना।

**भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली में छात्र-जीवन-** प्राचीनकाल में प्रायः छात्र गुरुधाम पर ही शिक्षार्जन करते थे जिससे उन्हें गुरुओं का अधिकाधिक सान्निध्य और आशीर्वाद प्राप्त हो सके। गुरुधाम गुरुओं के घर हुआ करते थे। कवि वादीभसिंह 'क्षत्र चूड़ामणि' में इस बात का उल्लेख करते हैं कि बालक को प्रारम्भिक शिक्षा या तो घर पर ही दी जाती थी या फिर गुरु के निवास-स्थानों पर। सुयोग्य गुरु रस् प्रारम्भिक शिक्षार्जन करने के उपरान्त ही उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए विद्यार्थी सदा प्रयत्नशील रहता था। उच्च शिक्षा या विद्यार्जन के लिए गुरुकुलों, विद्यागृहों या योग्यतम गुरुओं के निवास-स्थान ही उपयुक्त समझे जाते थे। उपनयन संस्कार के उपरान्त ही बालक को शिक्षा प्रारम्भ करायी जाती थी। बालक जब पाँच वर्ष का हो जाता था, तब उसे विधिवत् अक्षरों का ज्ञान आरम्भ कराया जाता था। उपनयन क्रियाकाल में छात्रों को केश-मुण्डन, मुञ्ज की बनी हुई मेखला, विकाररहित वस्त्रों के पहनने का विधान था। मुण्डित सिर, मन, वचन व काय की पवित्रता के सूचक माने जाते थे। छात्रों को शारीरिक श्रृंगार का त्याग करना पड़ता था। दांतों करना, ताम्बूल (पान-सुपारी) खाना, अञ्जन (काजल) लगाना, उबटन लगाकर स्नान करना आदि क्रियाओं की वर्जना थी। शय्या या पलंग-आसन पर शयन की अपेक्षा भूमि पर शयन करने का विधान था। इन सबके पीछे एक ही उद्देश्य था कि जब तक छात्र या विद्यार्थी श्रमपूर्वक विद्याध्ययन न कर ले, विविध शास्त्रों का, विषयों का ज्ञान प्राप्त न कर ले तब तक उसे संयमित व सदुपयोग से मण्डित जीवन व्यतीत करना होता था। शिक्षा का समय साधना का समय काल माना जाता था।

**शिष्य की पात्रता-अपात्रता-**

स्नेहाद्वा लोभतोवापि योऽनुगृह्णाति दीक्षया।  
तस्मिन् गुरौ च शिष्ये तु देवता शापमापनेत्॥

(प्र.शा.त. 3650)

वैदिक ग्रन्थों में इस बात का भी उल्लेख है कि “यदि स्नेह या लोभ के कारण अयोग्य विद्यार्थी को विद्या दे दी जाए तो विद्यार्थी और गुरु दोनों को ही देवता का अभिशाप लगता है।” इसलिए गुरु अपना शिष्य बनाने से पूर्व उसकी परीक्षा अवश्य करते थे। इसके लिए शिष्य की परीक्षा का समय ‘सार संग्रह’ में सामान्यतः एक वर्ष निर्धारित था। कहीं कहीं पर जैसा कि ‘शारदा तिलक’ में इसका परीक्षण समय वर्ण के अनुसार तय किया गया है। जैसे- ब्राह्मण का एक वर्ष, क्षत्रिय का दो वर्ष, वैश्य का तीन वर्ष और शूद्र का चार वर्ष।

छान्दोग्य उपनिषद् में यह उल्लेख है कि जिन विद्यार्थियों की अभिरुचि अध्ययन-अध्यापन, पठन-पाठन में है तो ऐसे विद्यार्थियों को आचार्य शिक्षा के योग्य मानते थे, किन्तु इसके साथ यह भी उल्लिखित है कि जिन विद्यार्थियों की प्रतिभा ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ होती थी, उन्हें आचार्य विद्या न देकर उनकी रुचि के अनुसार उन्हें फाल, हल या ताने-बाने आदि कामों में लगा देते थे।

वैदिक ग्रन्थों में सत् शिष्यों के निम्न लक्षण जो निर्धारित हैं, उन लक्षणों से युक्त शिष्य ही शिक्षा के योग्य व पात्र माना जाता था। यथा-

1. जो कुलीन हो।
2. जो पुरुषार्थ परायण हो।
3. जिसकी वेदाध्ययन में रुचि हो।
4. जो अपने धर्म में निरत हो।
5. जो भक्तिपूर्ण माता-पिता का हितकारी हो।
6. जो शरीर, मन, वाणी और धन के द्वारा गुरु की सेवा में रत हो।
7. जो जाति, विद्या और धन आदि के अभिमान से शून्य हो।
8. जो गुरु के प्रति भक्ति-परायण, आज्ञाकारी और शुभाकांक्षी हो।
9. जो गुरु, मन्त्र और देवता के प्रति दृढ़ भक्ति-सम्पन्न हो।

वैदिक ग्रन्थों के अनुसार कतिपय लोग शिक्षा के अयोग्य या अपात्र माने जाते थे। यथा-

1. दूसरों के दोषों को देखने वाले।
2. कुटिल स्वभाव वाले।
3. अपने गुरु को, जो उसमें सुखपूर्वक सत्य, सिद्धान्तामृत का सिंचन करता है, अपने माता-पिता के समान न समझने वाले।
4. गुरु का मन, वाणी और कर्म रसे आदर न करने वाले।
5. प्रमत्त व्यक्ति अर्थात् अपने क्रिया-कलापों में सर्वदा सावधान व सचेत न रहने वाले।
6. कामुक, व्यभिचारी प्रकृति वाले।
7. जिनमें जिज्ञासा की भावना न हो।
8. जिनमें विनय का अभाव हो। हठी हों और कृतघ्न व असत्यवादी हों।
9. अनुशासन में विश्वास न रखने वाले।
10. जो लोक-निर्दिष्ट, असमर्थ, शत्रु-प्रिय, प्रज्ञाहीन, मूढ़ हों।
11. जो आश्रम के आचार से शून्य हों।
12. जो धैर्यरहित, क्रोधी व भ्रान्त हों।

**प्राचीन काल में गुरु का महत्त्व**— प्रारम्भ से ही शिक्षा के क्षेत्र में गुरु का महत्त्व सर्वोपरि माना गया है। प्राचीनकाल में लोक में शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय और अध्यापक आदि के लिए ‘गुरु’ शब्द व्यवहृत था। गुरु की गरिमा और महिमा अनन्त थी। इसलिए गुरु का दर्जा भगवान से भी बढ़कर माना गया है। क्योंकि गुरु ही एक मात्र दिशाबोधक होता है जो भगवान बनने का मार्ग बताता है।

न विना ज्ञानविज्ञाने, मोक्षस्याधिगमो भवेत्।

न विना गुरि सम्बन्धं, ज्ञानस्याधिगमः स्मृतः॥

(महाभारत, शान्तिपर्व 326/22-30)

कहा गया है कि जिस प्रकार ज्ञान-विज्ञान के बिना किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता, उसी प्रकार सद्गुरु से सम्बन्ध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस भवसागर से पार उतारने वाले होते हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान होता है। मनुष्य उस ज्ञान को प्राप्त कर भवसागर से पार और कृतकृत्य हो जाता है, फिर उसे नौका और नाविक दोनों की ही अपेक्षा नहीं रहती।

पुस्तकप्रत्याधीतं हि, नाधीतं गुरुसंनिधौ।

भ्राजते न सभा मध्ये, जारगर्भ इव स्त्रियः॥

(कल्याण, शिक्षांक)

सच्चे अर्थों में गुरु न केवल शास्त्रों का और न केवल परा-अपरा विद्या का बोध कराने वाला होता था, अपितु वह एक ध्यान था, पूजा था, मन्त्र था और थ मोक्ष का मूल। यह सही है शिक्षार्जन में पुस्तकों का, शास्त्रों का महत्त्व है, किन्तु ये पुस्तक, शास्त्र आदि बोधगम्य हो सकें इसके लिए विद्यार्थियों को गुरु की शरण या सान्निध्य में जाना ही होता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि “गुरु के सान्निध्य के बिना मात्र पुस्तकों, शास्त्रों द्वारा अध्ययन की हुई विद्या उसी प्रकार सभा में शोभा नहीं पाती जैसे स्त्री का जार-गर्भ।”

**प्राचीन काल में गुरु-शिष्य सम्बन्ध**— गुरु शिष्यों को केवल पढ़ाते ही नहीं थे। वे शिष्यों के आचरण की रक्षा एवं देखभाल तथा वात्सल्य भाव से उनका पोषण भी करते थे। संस्कृत के महाकवि कालिदास ने भी कहा है कि “शिक्षण अवधि में गुरु शिष्यों के लिए अध्यापक भी है और अभिभावक भी।” इसलिए शिष्यों के प्रति गुरु की दृष्टि सर्वांगीण कल्याण की होती थी। इसी दृष्टि को आधार बनाते हुए वे शिष्यों को विद्या प्रदान करते थे। यदि कोई शिष्य विद्या, बुद्धि-कौशल में गुरु से अधिक प्रवीण हो जाये तो गुरु इसे अपना गौरव समझते थे।

इसी प्रकार शिष्य भी गुरु में अखण्ड आदर व निष्ठा रखते थे। वे गुरु के एक वाक्य को अमृत वाक्य समझकर उसके पालन के लिए अपना सौभाग्य मानते थे। गुरु का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो इसके लिए वे गुरुओं की सेवा सुश्रूषा में सतत प्रयत्नशील रहते थे। वे इस बात का सदैव ध्यान रखते थे कि गुरु को किसी प्रकार की असुविधा या कष्ट न हो। उन पर कोई आँच न आने पाये। यही कारण है कि प्राचीनकाल के सभी शिष्य एक से बढ़कर एक चरित्रवान, मेधावी, विद्वान् व तेजस्वी होकर निकलते थे।

**गुरुकुल और उसकी शिक्षा-पद्धति—**

प्राचीन शिक्षा-प्रणाली का प्रमुख आधार गुरुकुल था। गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ है— वह कुल जहाँ गुरु की प्रधानता हो। गुरु का महत्त्व हो। गुरुकुल एक प्रकार से तप, त्याग और श्रम के संस्कार डालने वाले आश्रम हुआ करते थे। गुरुकुलों में गुरु के सान्निध्य में विद्यार्थी सर्व प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुँचने की सतत साधना करता था।

गुरुकुलों में विद्यार्थी के रहन-सहन, खान-पान, परिवेश-परिधान, अध्ययन-अभ्यास, व्रत-विधान आदि से सन्दर्भित बातों की शिक्षा दिए जाने की समुचित व्यवस्था रहती थी। बालक शिक्षार्जन हेतु गुरुकुल में जब प्रवेश करता था तो गुरुकुल का गुरु या आचार्य सर्वप्रथम उसका उपनयन संस्कार करता था और इस हेतु बालक को आचार्य अपने समीप बैठाता था और अपने संरक्षण में लेकर बालक में जन्मगत, परिवारगत और परिवेशगत जो दोष हुआ करते थे, उनका परिहार कर उसकी चित्त-चेतना में विराटता-विशालता के संस्कारों का बीजारोपण करता था।

गुरुकुल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसमें विद्यार्थी को प्रकृति के साथ रहने का पर्याप्त अवसर मिलता था। प्रकृति के साथ रहकर उसमें विराट् तत्त्व को देखने व अनुभव करने की क्षमता पैदा होती थी। गुरुकुल का मूल प्रयोजन विद्यार्थी को

केवल पुस्तकीय ज्ञान कराना नहीं होता था। क्योंकि पुस्तक विद्यार्थी को वह ज्ञान नहीं करा सकती जो प्राकृतिक सम्पदाएँ सहज में ही उसे करा देती हैं।

गुरुकुल भारतीय संस्कृति के संपोषक हुआ करते थे। भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन चार आयामों में विभक्त है, जिसमें पहला आयाम ब्रह्मचर्य है। गुरुकुल के विद्यार्थी पूर्णरूपेण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए विधिवत् विद्याध्ययन करते थे। वहाँ ब्रह्मचर्य में ही मुख्यतः शिक्षा का विधान था और गुरुकुल की यह शिक्षा प्रणाली समाज के सभी अंगों-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पर समान रूप से लागू होती थी। राजा-रंक, अमीर-गरीब पर भी यह नियम लागू होता था।

गुरुकुल एक प्रकार से ब्रह्मचर्य-आश्रम कहलाते थे जहाँ अर्थ और काम से विद्यार्थी सर्वथा अस्पृष्ट होते थे। वहाँ विलासिता नहीं, व्रत, तपःसाधना और संस्कारों पर अत्यधिक बल दिया जाता था। ब्रह्मचर्य की साधना में रत विद्यार्थी मधु, माँस, मद्य, सुगन्धित द्रव्य, रसीले पदार्थ, स्त्री संगति एवं प्राणियों की हिंसा आदि से सर्वथा दूर रहता था। इन सब कारणों से लोगों में ब्रह्मचारी स्नातकों के प्रति अगाध श्रद्धा रहती थी अर्थात् वे सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे। वास्तव में सन्त-महात्माओं की दृष्टि में गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली का ब्रह्मचर्य प्राण है, धार्मिकता शरीर है एवं राष्ट्रीयता सौन्दर्य है।

गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली में नित्य और नियमित मन्त्रों का सस्वर उच्चारण होता था। इसका एक कारण यह था कि मन्त्रोच्चारण से उत्पन्न ध्वनि-तरंगें जब वायुमण्डल में प्रवेश पाती हैं तो एक प्रकार से अलौकिक वातावरण तो बनता ही है साथ ही मन्त्र ऊर्जा से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में अनेक सुप्त विशेषताएँ अनायास ही प्रस्फुटित हो जाती हैं। इसलिए गुरुकुल की विद्या व्यक्तित्व का परिष्कार करने वाली विद्या कहलाती थी। गुरुकुल की शिक्षा-प्रणाली 'सा विद्या या विमुक्तये' के लक्ष्य को सिद्ध करने वाली होती थी।

**निष्कर्ष-** इस प्रकार भारतीय शिक्षा प्रणाली का स्वरूप अत्यन्त विस्तृत एवं अविस्मरणीय है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भी प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक शिक्षा का आधार बनाने की बात की गई है। एवं कहा गया है कि वर्तमान काल में भी शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए जिसमें विश्वबन्धुत्व एवं समत्व की भावना विकसित हो। भारत में वही शिक्षा सार्थक सिद्ध होगी जो छात्रों में नैतिकता, कर्तव्यपरायणता, विवेकशीलता, आत्मविश्वास व संकल्पशक्ति को जागृत कर सके।

#### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. शर्मा, श्री राम (2001), शिक्षा एवं विद्या, अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा।
2. कल्याण, शिक्षांक (1988), भारतीय शिक्षा की समुन्नति के आधार क्या हों, पृ.सं. 396, गीताप्रेस, गोरखपुर।
3. राकेश, डॉ. विष्णुदत्त, कल्याण, शिक्षांक (1988), प्राचीन भारत में गुरुकुल की परम्परा, पृ.सं. 271, गीताप्रेस, गोरखपुर।
4. लोढ़ा, प्रो. कल्याणमल (2002), शिक्षा:मूल अवधारणाएँ, अमर जैन, साहित्य संस्थान, आगरा।
5. शास्त्री, गणेश मुनि (2004), शिक्षा विज्ञान, श्री दिवाकर प्रकाशन, आगरा।
6. शुक्ला, डॉ. रमा, माध्यमिक शिक्षा संस्थान, आत्माराम एण्ड सन्स, लखनऊ।
7. शास्त्री, श्री विजय मुनि, चिन्तन के चार चरण, पृ.सं. 140।
8. वर्मा, श्री परिपूर्णानन्द (1988), भारत में प्राचीन शिक्षा तथा आधुनिक शिक्षा, पृ.सं.227, गीताप्रेस, गोरखपुर।



# A Detailed Study of the LGBT in Global Context

Sonam Narayan

Research Scholar, M.J.P.Rohilkhand University, Bareilly.

## Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number : 153-165

## Publication Issue :

September-October-2021

## Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 15 Sep 2021

**Abstract-** Although the Universal Declaration of Human Rights states in its first article that "All human beings are born free and equal in dignity and rights," the widespread persecution of LGBT people is a sobering reality that occasionally shocks the global moral conscience. All civilizations and nations share a deeply ingrained homophobic mentality; the only difference is one of degree. The fact that LGBTs were not even on the agenda of the United Nations, which is often seen as the leader in protecting human rights, until recently shows how little people care about these sexual and gender minorities. Before the famous *Toonen v. Australia* case in 1994, there wasn't much progress in this area when it came to sexual orientation rights. 282 This contested the Australian same-sex law's prohibition on consensual same-sex relationships, and the Human Rights Council determined that the significance of art. 17 privacy rights in this context were "undisputed," dismissing the morality arguments put out by the Australian government. In fact, it was the first time a court ruled that states did not have sole power over "moral matters," and it was praised as the first time "gay rights were accepted by the law on a global level." When Brazil's "Resolution on Sexual Orientation" presented a joint declaration on violations of human rights based on sexual orientation and gender identity in 2003, the United Nations held its first-ever consultation process regarding LGBT rights. However, the resolution was dropped without a vote because it was unable to reach consensus. This joint statement, which came out almost 60 years after the UN was founded, shows how bad and inconsistent the UN has been when it comes to protecting LGBT people, who are often called the world's most persecuted nonreligious minority because their persecution is often state-sponsored and carried out by state apparatus that is authorised and supported by the legislative, judicial, social, and religious establishments. The first substantive discussion of SOGI's issues was brought up on the UN agenda in 2008, this time during the General Assembly. The Netherlands and France brought the "UN Declaration on Sexual Orientation and Gender Identity" to this meeting. At first, only 66 governments agreed with it, but that number grew to 85 over time. The UN has recently taken a number of steps to make amends for past wrongs, but the resolutions and statements that were issued and discussed ultimately turned out to be pious platitudes because they were unable to stop the global crisis of homophobic purges and crackdowns in countries like Indonesia, Egypt, Tanzania, Russia, and others. Part of this failure is because the member nations "participated to advance a shared commitment to human rights, not to defend their own political interests." This makes it hard to get support for controversial issues like the rights of lesbians, gays, bisexuals, and transgender people. In 2011, the Human Rights Council passed the 2011 Resolution, even though it only had a narrow majority of 23 to 19 and three



abstentions. This was a major turning point for the SOGI rights movement. Unexpectedly, homophobia is not an issue unique to the developing world, which is found only on the continents of Africa, Asia, and Latin America. The fact that in the United States in 2014, according to data compiled by the Federal Bureau of Investigation (F.B.I. ), approximately one-fifth of single bias hate crimes committed were attributable to the victim's sexual orientation, shows that even the most developed countries are not immune from this pervasive hostility towards these sexual minorities. By conducting a comparative analysis of the LGBT rights that are present in various nations and continents, this study examines the global situation of LGBT rights. This essay aims to investigate the rationale behind why various religions, civilizations, governments, courts, and nations treat certain groups of people in different ways. We'll also look at the legal and constitutional protections given to LGBT people in other nations and consider whether the group has benefited from merely passing laws.

**Keywords** -: Homosexuality, LGBT, Human Right, Global, Civilization, Religion

---

Introduction- Unbelievably, thirteen countries, including economic superpowers like the United States and Japan, opposed the historic UN decision that condemned the death penalty for homosexual partnerships in the UN Human Rights Council (UNHRC). Even in nations where homosexuality and gay marriage are legal, violent outbursts and homicidal attacks against LGBT people are justified by hazy, antiquated views of "morality" that are incompatible with contemporary ideas of sexuality and gender identity. For instance, the LGBT community has been targeted for persecution in Uganda since the Anti-Homosexuality Act was passed in 2013, and the whole might of the government is being employed in this persecution.

The phenomenon of "corrective rape" is comparable. Assaulting a lesbian sexually with the express purpose of "correcting" her sexual orientation is how it is typically defined. It has also been said to be a hate crime committed in an effort to rid lesbians of their homosexuality by converting them to heterosexuality. This abhorrent and disgusting practise is allegedly South African in origin and is currently being used by parents to "cure" their daughters of homosexuality in a number of different nations.

For many years, regulations outlawing homosexual relationships in former British and other European colonies were thought to be relics of the Victorian era, but recent events show that countries like Zimbabwe and Uganda are tightening these laws even further. Even heads of state are not immune to this prejudice against the group. Robert Mugabe, the former President of Zimbabwe, once compared LGBT people to dogs and pigs. The community is the target of crude verbal criticism. This entrenched hatred of the community can occasionally take horrifying forms, as demonstrated by the attack on the LGBT club Pulse in Orlando on June 12, 2016, which claimed the lives of more than 50 individuals. So, it's clear that neither developed nor developing countries, neither Africa nor Asia, nor conservative nor liberal societies are safe from this awful hatred of LGBT people.

While it is undeniable that the stigma associated with the LGBT population is diminishing in some societies, there are some nations that categorically criminalise any such relationship. In 68 countries around the world, same-sex relationships are illegal, and in six UN member states, such relationships can even result in the death penalty, according to an annual report released by the International Lesbian, Bisexual, Gay, Trans and Intersex Association (ILGA), an umbrella organisation of organisations working to advance the



rights of LGBT people. Even more troubling is the statement that "LGBT people are not safe from discrimination, stigmatisation, or violence in any country in the world."

There are significant differences between other nations in terms of the rights accorded to LGBT people. There are some countries where being gay is completely illegal, but there are also a few places where LGBT people are slowly catching up to the rest of society.

This claim is supported by the fact that openly homosexual people have attained the highest levels of authority in some nations around the world. Additionally, there have been recent cases where nations have attempted to advance the rights of LGBT people through legislation or referendums. For instance, Germany became the 15th nation in Europe to offer same-sex couples the right to wed by a legislative vote in June 2017. This duality shows that while people are willing to accept same-sex relationships and marriages as valid and to embrace LGBT individuals as one of them, more work still has to be done to change society's attitudes and provide equal rights for them. In a two-month postal survey that ended in November 2017, Australians overwhelmingly supported same-sex marriage, defying the conservative opposition. As a result, the Australian Prime Minister has pledged to make the public's request into law by Christmas 2017. These recent advances are significant because they show that the future for LGBT people is not as grim as previously thought. If all parties involved act diligently and together, the vast gap between the rights provided and sanctioned for gays and heterosexuals can be closed soon.

#### A Comparison Study of LGBT Rights in Distinct Countries

International Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex Rights (ILGA) looked at sexual orientation laws in different countries and found that 31 of Africa's 54 states make it illegal to be gay. Homophobia is so pervasive in African society that the 2014 Ugandan anti-homosexuality Act garnered extensive support from the media, which used their columns to launch a vicious and repulsive attack on gays by falsely accusing them of posing a number of health dangers to the population. Such behaviour can result in a fine, a straightforward sentence, life in prison, or even death by stoning. Other nations where homosexuals are subject to the state's or non-state actors' executions include Somalia; twelve provinces in Northern Nigeria that are predominately Islamic; and Southern Nigeria, which is predominately Christian. Homosexual activity carries a fourteen-year prison sentence in these nations, while it carries a life sentence in others like Uganda, Tanzania, and Sierra Leone. Thus, it is clear that religion has a significant impact on how the state and its people view LGBT people. For dealing with the community, Islamic nations that have made Sharia their primary national law have harsh rules. However, homophobia is a problem not only in Muslim nations like the Islamic Republic of Mauritania, Sudan, and Nigeria, but it is also pervasive in nations with a majority of Christians. For instance, in December 2013, Angola approved an anti-homosexuality law known as the "Kill the Gays Bill" in the west. The President of Uganda later gave his consent to the law, which included a life sentence for "aggregated homosexuality," in February 2014. The Quran is very unequivocal in its rejection of homosexuality, and there aren't many theological exceptions that allow Muslims to theologically accept gay people. In the Qur'an, gay people are called qaum Lut, which means "people of Lot." This is a reference to the prophet Lut, who in the Christian Bible is called Lot and who spoke out against homosexuality in the cities of Sodom and Gomorra before they were destroyed.

The Prophet also stated in his final sermon, "Whoever has sexual relations with a woman and penetrates her rectum, or with a man, or with a boy, will appear on the Day of Judgment smelling worse than a corpse; people will find him intolerable until he enters the fires of hell, and God will annul all his good deeds." So, it's clear that the Quran, the most important book to Muslims, says that homosexuality is wrong in a very clear way, so a typical Muslim would probably hate this "sin."

Since Sharia is a form of Islamic law that emerged from ancient Islamic traditions and is primarily based on the Quran and the Hadith, it is not a mere coincidence that the eleven nations where homosexuality can result in the death penalty are all Sharia-compliant. These nations include Brunei, Iran, Mauritania, Nigeria, Saudi Arabia, and Yemen, among others. Similar nations include Pakistan, Afghanistan, the United Arab Emirates, Qatar, and Somalia, where the death sentence for gay activities is theoretically possible but has not recently been used for private consenting actions. As a result, it can be said that one aspect that unites all of these nations from various continents with varying degrees of societal and economic development and different types of governments is that they all have Islam as their official state religion, with Sharia provisions completing their legal systems. Additionally, three of these eleven nations, Mauritania, Somalia, and Nigeria, are found in Africa. Islamic religious teachings influence people's attitudes and subsequent behaviour toward the LGBT community in Islamic countries, but they are not the only element at play because different Islamic countries have diverse policies toward the group. For instance, Mali, a West African nation where around 95% of the population practises Islam, does not make same-sex sexual conduct illegal. Another illustration of this is Niger, a nation where almost 80% of the people practise Islam. Apart from Islam, Christianity is the other major religion in Africa, and in contrast to Muslim-majority nations, majority Christian nations have a relatively tolerant attitude toward homosexuality and LGBT people. Mozambique, Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Congo, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Guinea, Gabon, Guinea-Bissau, Lesotho, Madagascar, Mali, Niger, Rwanda, So Tomé & Príncipe, South Africa, and Angola are the 21 countries in the region where consensual same-sex sexual acts are legal (Angola became the latest entrant to this select group of countries when it enacted a new law in January 2019 that does not criminalise same-sex sexual acts).

Out of these twenty-one nations, it can be seen that the majority are Christian majority nations. Contrary to Islam, whose holy writings unambiguously condemn homosexuality and related behaviour, there are a variety of viewpoints on homosexuality in Christianity. Therefore, while certain orthodox churches would stop at nothing to denigrate LGBT people in general and homosexual people in particular, there are others who think that homosexual behaviour is morally and ethically appropriate and authentic. Thus, it may be stated that, generally speaking, with a few exceptions, homosexuals are more accepted and recognised in Christian-majority countries than they are in Islamic ones. This claim is supported by the fact that homosexual acts are only capital crimes in Islamic African regimes.

According to a study conducted by the WORLD Policy Analysis Centre (WORLD) as well as the University of California, Los Angeles (UCLA) on the constitutions of 193 nations recognised by the UN, "Britain, Bolivia, Ecuador, Fiji, and Malta are the only countries that grant people constitutional rights regardless of their homosexuality and gender identity," as well as "the constitutions of Mexico, New Zealand," Equal rights are granted based on sexual orientation in Portugal, South Africa, and Sweden, but not based on gender identification. Thus, it can be observed that, out of 54 countries in Africa, not even one guarantees LGBT people constitutional protection and equal rights for all of their residents regardless of their sexual orientation or gender identity. South Africa seems to be the only notable exception. It has worked hard to set itself apart from other African countries by offering this kind of protection based on sexual orientation but not gender identity. South Africa after Apartheid adopted a new constitution in 1996. The event was momentous and groundbreaking in that it put an end to Apartheid and discrimination against homosexuals at the same time.

Since then, steps have been taken by the South African government and constitutional courts to further LGBT rights. It was anticipated for this same reason that South Africa would "be among the first nations, if not the first, to see the establishment of formal equality for lesbians and gay men in family law," given that that country's constitution was the first to forbid discrimination based on "sexual orientation." However, the reality is that constitutional amendments have not been able to affect how society views LGBT people. Duarte J.'s statement, "Not only are there legal injustices to be eliminated, but mindsets and attitudes must also be eliminated," sums up this conflict effectively. It's one thing to have your rights and equality protected by the law. It's another thing to use them often in public places like the street, the workplace, bars, and other places where people gather.

At least two African countries, Burundi and the Democratic Republic of the Congo, have specifically added clauses to their constitutions to outlaw same-sex marriage, making South Africa the only country that grants constitutional protection to gays. According to Burundi's constitution, the freedom to marry and the choice of a spouse are both guaranteed. Without the future spouses' free and unrestricted permission, marriage cannot take place. It is forbidden to marry two people of the same sex.

Similar to this, the Democratic Republic of the Congo's constitution states that everyone has the freedom to marry the person of their choice, who is of the opposite sex, and to start a family. These two examples show that many African countries have very strong feelings against homosexuality and that only a small number of countries have gone so far as to ban same-sex marriage in their constitutions.

#### Australia

When the English colonised and inhabited Australia in the 18th century, they brought with them laws regulating sexual behaviour from England. Anti-homosexual acts of Britain were integrated into each state's penal code when Australia formed a federation in 1901, with considerable variations across the states' legislation. It is a truth that the influence that English laws on homosexuality had on the statutes of the nations of the former British Empire led to the criminalization of homosexual behaviour in modern times. It is also true that the spread of English control across a number of Commonwealth nations resulted in the criminalization of homosexuality, even in nations where it had not previously been done so. Thus, Australia is not an exception. Just as English laws contributed to the criminalization of homosexuality, so did English laws contribute to its decriminalisation. "Homosexual behaviour between consensual adults in private should no longer be a criminal offence. "The law's function is to preserve public order as well as decency, to protect the citizen from what is offensive or harmful, and to offer sufficient safeguards against the exploitation and corruption of others," stated the influential Wolfenden Report, which was published in Britain in 1957. These ground-breaking homosexuality recommendations and the ensuing laws decriminalising gay conduct in Britain with a few restrictions served as a model whose impact quickly spread to other Commonwealth nations, including Australia. The Wolfenden Report and the discussion that followed on homosexuality in Commonwealth nations significantly changed how society views the LGBT community. Because of the cultural attention it generated, it was simple for members of the community to publicly declare their sexual orientation. So, until South Australia, a federal area, made some kinds of homosexual acts legal in 1972, homosexual acts were technically illegal everywhere in Australia.

#### Assessment of Same-Sex Weddings

Australia's laws governing marriage are governed by the Marriage Act of 1961. Unexpectedly, the statute did not include a definition of marriage until 2004. It was added to the statute's definition of marriage in 2004 by an amendment. Marriage is thus defined as "the union of a man and a woman to the exclusion of

all others, willingly entered into for life" in Section 5 of the Act. With the change, a new section, 88EA, was added. It says, "Some unions are not marriages. For example, a union between a man and another man or a woman and another woman that was solemnised in a foreign country must not be recognised as a marriage in Australia."

Thus, it is clear that the modifications to the legislation that were made and passed to defend the conventional idea of marriage—in which two individuals of opposing sexes could only engage in a marriage lock—were retrograde in terms of the equality claim of gays and lesbians.

The Australian Bureau of Statistics' announcement of the results of the 2017 Australian Marriage Law Postal Survey on November 15, 2017, proved to be a watershed moment for Australia's LGBT community. A nationwide poll was conducted to gauge public opinion on same-sex marriage. Simple questions like "Should the marriage legislation be altered to allow same-sex couples to marry?" were posed to the populace. The results of this voluntary and non-obligatory study are a reflection of the continent-wide country's winds of change. Despite the fact that this vote was not legally binding, Malcolm Turnbull, the prime minister of Australia, stated shortly after the results that, after a long and difficult journey paved with homophobia and injustices, the time has finally come for same-sex weddings to be legalised.

The Marriage Modification (Definition & Religious Freedoms) Act 2017 was decisively passed by the Australian Parliament on December 7th, ending years of political squabbling and ferocious political and social discussion. This act legalised same-sex unions in Australia. The fact that only four members of parliament opposed such a revolutionary step speaks volumes about the recent improvements in Australian society. The new rule is an improvement over previous regulations that gave same-sex couples different benefits in the past in areas like government benefits, employment, and taxation. According to the legislation, marriage is now defined as "the union of two persons, to the exclusion of all others, voluntarily engaged in for life," as opposed to "the union of a man and a woman." As a result, the definition of marriage in the new law now refers to "two individuals" rather than "a man and a woman."

The LGBT community has also been protected by anti-discrimination laws passed by Australian states. In New South Wales, for instance, discrimination against homosexuals is prohibited in "the areas of employment, partnerships, trade unions, qualified bodies, employment agencies, education, provision of goods and services, lodging, and registered clubs." Similar laws prohibit discrimination based on sexual orientation in South Australia. According to the definition of "sexuality," it might be heterosexual, homosexual, bisexual, or transgender. It is against the law to treat people differently based on their real or assumed sexual orientation in the areas of work, education, providing goods and services, renting real estate, and housing.

## EUROPE

Austria- Emperor Joseph II of Austria undertook a number of significant reforms in 1787. In the recently approved penal code, which is lumped together with carnal knowledge of an animal, he "reduced the offence of carnal knowledge of a person of the same sex from a felony to a misdemeanour, triable at the political authority instead of the criminal court." Additionally, he reduced the punishment from the corpse's decapitation and subsequent burning to a maximum of just one month in jail. However, his successors did not maintain this tolerant attitude toward homosexuality and instead passed even stricter legislation, which by the middle of the nineteenth century resulted in "severe prison" sentences for homosexual relationships involving both men and women. Austria only chose to end its blanket ban on homosexuality in 1971. However, unlike many other European nations who adopted complete parity in criminal legislation, Austria enacted four new offences specifically for homosexuals.

Denmark- When it passed the Registered Partnership Act in 1989 for homosexual couples, Denmark—a contemporary welfare state built on democratic principles—became recognised as a trailblazer in the area of family law. The act was historic because it equalised same-sex relationships with heterosexual marriages. The act's primary goal was to make it easier for homosexuals to be accepted and integrated into society as a whole. By treating homosexual couples equally under the law as married couples, Denmark attempted to accomplish this. Legislation thus became an instrument used by the government to try and change and influence society's perception of gays in order to make it much more favourable. The Licensed Partnership has significantly changed how society views gays. These two instances provide evidence of the change: First, in February 1999, Torben Lund, a member of the Danish Parliament who had just been elected to the European Parliament, received an invitation to attend the Danish Queen's royal supper with a male friend. The invitation was accepted, and it received primarily favourable and positive media coverage. On the proposal of openly lesbian Member of Parliament Yvonne Herlov Andersen, registered partners have been permitted to adopt each other's children since 1999. But what was more important was that Parliament didn't talk much about this issue of adoption.

#### Portugal

Through a constitutional amendment, Portugal became the fourth nation overall and the first in Europe to outlaw discrimination based on sexual orientation in 2004. In accordance with the equality principle established in the 2004 constitution amendment,

- All citizens are treated equally by the law and with the same social standing.
- No one should be given an unfair advantage or treated badly because of their sexual orientation, ancestry, race, gender, and language, country of origin, religion, political views, educational background, economic situation, or social standing.

#### Sweden

Sweden is another nation with laws prohibiting discrimination against citizens based on their sexual orientation. In Sweden, then:

- Public institutions must prohibit discrimination against people on the basis of their gender, colour, national or ethnic origin, language or religion, functional handicap, sexual orientation, age, or any other factor that may influence an individual.
- A law or other rule may imply that someone would be treated unfairly because of their sexual orientation, ethnic background, skin colour, or any other factor that places them in a minority group.

#### Malta

According to its Constitution, "Whereas every person in Malta is entitled to the fundamental liberties and rights of the individual, that is, the right, regardless of his or her race, place of origin, political opinions, colour, creed, sex, sexual orientation, or gender identity, to each and all of the following: life, liberty, security of the person, the enjoyment of life to the fullest."

The term "discriminatory" in this article refers to giving different treatment to different people based solely or primarily on their respective descriptions by race, place of origin, political opinions, colour, creed, sex, sexual orientation, or gender identity, whereby people who fit into one of these categories are subject to limitations or restrictions while people who fit into another do not, or who are given privileges or advantages. As a result, the nation forbids any discrimination that is entirely or partially based on sexual orientation or gender identity. Thus, it can be observed that while many nations provide their citizens with protection



against discrimination based on sexual orientation, Malta raises the bar by expanding the protection to include people who don't fit the predetermined ideal of binary genders. Malta has been referred to as the "beacon of human rights for LGBTIQ concerns" by the Chief of Non-Discrimination and Equality at the United Nations Human Rights Office because of these broad regulations that are really upheld in practise (OHCHR).

#### United Kingdom

The United Kingdom is another nation in Europe that offers its LGBT population constitutional protection. In the past few years, a number of positive measures have been implemented to eradicate homophobia from educational institutions. The request to the schools to include equality with regard to sexual orientation as one of the "basic British principles" was one such innovative action. As is well known, unlike the majority of other democracies, the UK does not have a single written constitution. Instead, "it consists of numerous institutions, statutes, court rulings, concepts, and practises that are widely regarded as "constitutional." In order to understand how the LGBT community is protected in the UK, we will look at the parts of different laws that deal with LGBT issues.

The Sexual Offences Act of 1967 was the first time in the UK that homosexuality was only partly illegal. As may be seen, under some circumstances, the 1967 Act decriminalised male homosexuality to some extent. A quick glance at the act's terms reveals that complete secrecy was needed for gay intercourse to be exempt from prosecution. Additionally, it expressly forbade homosexual acts involving more than two men. Additionally, the age of consent for sex between two men was set at 21, but it was sixteen for a heterosexual couples. Ironically, the number of males detained by the police in England and Wales for violating these restrictions increased dramatically after the adoption of this Act. In 1966, the year before partial decriminalisation, some 420 males were found guilty of gross indecency, according to Peter Tatchell's study. This increase in convictions for gross indecency following the passage of this Act, which allegedly decriminalised homosexual activity, once again reaffirms our original contention that societal attitudes, biases, and prejudices in vogue for centuries cannot be altered overnight by mere statute passage. By contrast, by 1974, the yearly number of convictions had soared by more than 300% to 1,711 in that year. The Sexual Offences Act of 1967 was unquestionably an improvement over earlier English laws that summarily criminalised any homosexual act, even though its provisions were regressive and frequently used, abused, and misused by law enforcement as well as prosecuting authorities to arrest as well as convict homosexuals. The turning point for the LGBT community in the UK, however, occurred in 2013, when parliament approved a law making same-sex weddings lawful in England and Wales. The Scottish parliament made same-sex marriages legal the very next year, in 2014, just like England and Wales had done before.

#### North and South America

The Americas and Europe have seen the majority of the advancements made in obtaining rights for LGBT people globally. The LGBT movement has found its strongest supporters in North and South America, as well as Europe. Particularly Christian nations in Europe and America have historically supported and valued ideals like democracy, religious toleration, and pluralism, which is why there is a stronger acceptance of LGBT individuals in these nations. The legal texts of several countries on both continents have been looked at, and the results show that the claim that the community in this country has more advanced legal rights than many countries in Western Europe is true. "Ideas like co-maternal or co-paternal rights from birth, or legal recognition of transgender identity without anthropologizing prerequisites and the need for any form of medical treatment or intervention, are becoming the norm." While the two continents have paved the way for the worldwide LGBT movement to win equal

rights, it is also true that the rate of violence against the LGBT population is among the highest in the world and that the offenders frequently get away with it. The National Coalition of Anti-Violence Programs (NCAVP) has released a report on violence against the LGBT population in the United States, stating that "current evidence estimates that 20–25% of lesbian and homosexual people face hate crimes throughout their lifetimes." The same report also states that: "Killings of LGBT people are on the rise; queer people of colour are especially at risk; LGBT people experience both physical and psychological violence; the majority of attacks on LGBT people come from strangers; the police fail to adequately respond to anti-LGBT violence; and anti-LGBT groups comprise a variety of hate groups."

Thus, the LGBT community still has to endure hardships, even in the United States, which is renowned for its liberal ideals and where acceptance of the LGBT community has grown rapidly in recent years. Thus, it is very obvious from the NCAVP data that being LGBT in America is still dangerous. The attack on the Orlando Gay Club, which left about 50 people dead, was not an aberration, as was previously stated in the introduction to this chapter. Rather, it was a manifestation of the pervasive homophobia present in the US, which led to such a horrifying outburst of mindless and wanton violence. Many LGBT organisations viewed Mr. Donald Trump's election as the 45th president of the United States in 2016 as a setback to the campaign to secure equal rights for the community. According to a review by Pink News, a British publication that supports LGBT rights through its columns, Mr. Trump has done the following since taking office as US president:

- Protections for transgender children have been removed.
- Transgender people are not allowed to serve in the US military.
- Permitted discrimination against LGBT people at work
- Financial cuts made to address the AIDS crisis
- Appointing a Supreme Court justice who is a well-known homophobe
- LGBT people were excluded from data collection.

I became the first president to speak to a known homophobic hate group, the Family Research Council's Values Voter Summit.

The US president's words, deeds, and actions are significant since the US has frequently shown leadership in the fight against homophobic attitudes that are pervasive in many nations throughout the world. Additionally, any regressive anti-LGBT action taken by the US president may inspire similar moves in other American nations. On the contrary, the constitutional courts of at least two nations, Columbia & Peru, made rulings that were quite favourable to the LGBT community in the Americas. While Colombia's top constitutional court made same-sex marriages legal in 2016, Peru's Seventh Constitutional Court told the government to register same-sex marriages that happened outside of Peru.

At least three countries in the Americas—Bolivia, Ecuador, and Mexico—two from the South and one from the North—have inserted provisions relating to the defence of the rights of the LGBT population in their respective constitutions.

A minimum of seventeen American nations have added specific clauses in their laws to prevent discrimination based solely on a person's sexual orientation. Honduras, Colombia, Bolivia, Canada, Brazil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua, Saint Lucia, Suriname, Uruguay, and



Venezuela are some of these nations. At this point in our research, it would be helpful to take a quick look at some of the ways that different countries in the Americas try to protect their citizens.

## ASIA

Similar to Africa, Asia is a continent where the rights accorded to LGBT people vary greatly between various nations. While some nations have laws against gay behaviour and same-sex relationships that carry the possibility of the death penalty or life in prison, others have non-discrimination provisions in their constitutions and laws that serve to safeguard the community.

In the majority of Indonesia, Israel, Kazakhstan, Japan, Jordan, Kyrgyzstan, Laos, Nepal, Mongolia, North Korea, the Philippines, Tajikistan, South Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam, and the West Bank in the Occupied Palestinian Territory, same-sex sexual acts are allowed in 21 Asian nations.

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Iran, certain provinces of Indonesia, Malaysia, Kuwait, Lebanon, Maldives, Pakistan, Malaysia, Myanmar, Oman, Palestine (Gaza), Saudi Arabia, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Syria, Turkmenistan, UAE, Uzbekistan, and Yemen are among the 21 Asian nations that forbid same-sex relationships.

As has already been mentioned, religion significantly influences how people feel about and act toward LGBT people. Although homosexual behaviour is condemned by orthodox elements of all religions, it can be demonstrated empirically that gays in orthodox Islamic nations—where Sharia is frequently used to punish homosexual behavior—face the harshest penalties. This claim is backed up by the fact that gay people have only been put to death in conservative, very religious Islamic countries.

However, a quick glance at the aforementioned nations where same-sex behaviours are permitted or prohibited reveals to us that religion is not the only element that affects how much a culture or nation supports or detests LGBT people. Similar acts are prohibited in Sri Lanka, a Buddhist nation, but permitted in Mongolia, another Buddhist nation. They are also prohibited in Syria, a Muslim majority nation, but permitted in Muslim-majority Bahrain. For instance, same-sex sexual acts were illegal in Hindu-majority India until 2018 when they were declared legal by an Indian Supreme Court decision, not by the government. There is no restriction on same-sex relationships.

## Conclusion

Thus we see that before the twentieth century the laws of homosexuality were kept in the category of heinous crimes in all the countries, but now the attitude of all the countries of the world has softened towards homosexuals and gradually most of the countries of the world like Africa, Australia, United Kingdom, Malta, Denmark, Sweden, Portugal, Most countries in Asia and also many countries in North and South America have recognized homosexual relationships, and it is expected that countries that have not yet recognized these relationships may be in the future. Will soon change their laws and recognize homosexual relations.

## References

- 1 Adriaan van Klinken and Ezra Chitando (eds.), *Public Religion and the Politics of Homosexuality in Africa 1* (Routledge, Abingdon-on-Thames, 1st edn., 2016)
- 2 Alex Greenwich and Shirleene Robinson, "It's Great to See People of Faith Also Have Faith in Marriage"

- 3 Andrew West, "Please Leave: Why the Sydney Archbishop's same-sex marriage message has Anglicans rattled", *TheGuardian*, Oct. 19, 2019, available at <[https:// www. the guardian .com / world/2019/oct/20/please-leave-why-the-sydney-archbishops-same-sex-marriage-message-has-anglicans-rattled](https://www.theguardian.com/world/2019/oct/20/please-leave-why-the-sydney-archbishops-same-sex-marriage-message-has-anglicans-rattled)> (last visited on Nov. 10, 2019).
- 4 Australian Bureau of Statistics, "Australian Marriage Law Postal Survey 2017" available at <https://marriagesurvey.abs.gov.au/results/> (last visited on Nov. 12, 2017).
- 5 Ben Westcott and Lucie Morris Marr, "Australia votes 'yes' to same-sex marriage", *CNN*, Nov. 15, 2017, available at <<http://edition.cnn.com/2017/11/14/asia/australia-same-sex-marriage-yes/index.html>> (last visited on Nov. 6,2017)
- 6 Bill Stonehem, *Orlando Nightclub Shooting: The Worst Mass Shootings in United States History 1*(First Rank Publishing, US, 2016).
- 7 Commission on Human Rights, *Human Rights and Sexual Orientation: Draft Resolution*, UN Doc. E/CN.4/2003/L.92, 2003.
- 8 Damien Cave, Jacqueline Williams, "Australia Makes Same-Sex Marriage Legal", *NYT*, Dec 7, 2017, available at <<https://www.nytimes.com/2017/12/07/world/australia/gay-marriage-same-sex.html>> (last visited on Jan.2, 2019).
- 9 Deborah Kintu, *The Ugandan Morality Crusade 22* (McFarland & Company Inc. Publishers, Jefferson, 2018).
- 10 Dr John Capper and Dr Philip Kariatlis, *3 Interface Theology Applied Ethics* (ATF Press, Hindmarsh, 2017).
- 11 Esther O. Ajayi-Lowo, "The Same-Sex Marriage (Prohibition) Act in Nigeria - A Critique of Body Policing" *The Politics of Gender* 71(2018).
- 12 Graeme Reid., "Africa Rulings Move LGBT rights forward", *Human Rights Watch*, Aug 5, 2015, available at <<https://www.hrw.org/news/2015/08/05/africa-rulings-move-lgbt-rights-forward>> (last visited on Nov.29, 2017).
- 13 H.Lau, "Testing the Universality of International Human Rights Law" 71 *The University of Chicago Law Review* 1703 (2004)
- 14 Haeyoun Park and Iaryna Mykhyalshyn, "L.G.B.T. People Are More Likely to Be Targets of Hate Crimes
- 15 HRC, *Toonen v Australia*, Communication No. 488/1992, UN Doc. CCPR/C/50D/488, 25 December 1992.
- 16 Human Rights Council, *Joint Statement from the Permanent Representatives of Argentina, Brazil, Croatia, France, Gabon, Japan, the Netherlands and Norway to the United Nations addressed to the President of the General Assembly*, UN Doc. A/63/635, 18 December 2008.
- 17 Human Rights Council, *Resolution 17/19, Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity*, UN Doc. A/HRC/RES/17/19, 14 July 2011.
- 18 ILGA World, "State-Sponsored Homophobia 2020: Global Legislation Overview Update" (December 2020).

- 19 International Covenant on Civil and Political Rights 1966, art 17. (No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.)
- 20 Lin Taylor, "Only Five Countries give LGBT people equal constitutional rights", REUTERS, June 29, 2016, available at <[https://www.reuters.com/art./us-global-lgbt-rights/only-five-countries-give- lgbt-people-equal-constitutional-rights-research-idUSKCN0ZF1IC](https://www.reuters.com/art./us-global-lgbt-rights/only-five-countries-give-lgbt-people-equal-constitutional-rights-research-idUSKCN0ZF1IC)> (last visited on Nov.7, 2017).
- 21 Markd F Fossoud, "The Evolution of Gay Rights in South Africa" 15 Peace Review 301 (2003).
- 22 Melissa Bull, Susan Pinto, et. al., "Homosexual Law Reforms in Australia" 29Australian Institute of Criminology, Trends & Issues In Crime And Criminal Justice (1991), available at: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.495.432&rep=rep1&type=pdf> (last visited on Apr. 21, 2020).
- 23 Mellissa Eddy, "Same-Sex Couples Wed in Germany as Marriage Law Takes Effect", NYT, Oct. 1, 2017, available at <<https://www.nytimes.com/2017/10/01/world/europe/gay-marriage-germany.html>> (last visited on Nov. 5, 2017).
- 24 Michael Ashworth, "Affective governability: governing through disgust in Uganda" 26(2) S. & L.S. 188 (2017).
- 25 Michael T Buchanan and Adrian Mario Gellel (eds.), Global Perspectives on Catholic Religious Education in Schools Volume ii: Learning and Leading in a Pluralist World 261(Springer, New York, 2019).
- 26 Nicole Kligerman, "Homosexuality in Islam: A Difficult Paradox" 2 Malcheste Islam Journal 53 (2007).
- 27 Pamela Duncan, "Gay relationships are still criminalized in 72 countries, reports finds", TheGuardian, July 27, 2017, available at <<https://www.theguardian.com/world/2017/jul/27/gay-relationships-still-criminalised-countries-report>> (last visited on Nov. 5, 2017)
- 28 Penal Code of Guinea 1998, art 325.
- 29 Robert Wintemute and Mads Andenas (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships: A Study of National European and International Law 279(Hart Publishing, Oxford, 2001).
- 30 Roderick Brown, "Corrective Rape in South Africa: A Continuous Plight Despite an International Human Right Response" 18 Ann. Surv. Int'l & Comp. L., 45 (2012).
- 31 S. Joseph, "Toonen v Australia: Gay Rights under the ICCPR"13 University of Tasmania Law Review, 394 (1994).
- 32 Sexual Minorities Uganda (SMUG) and the National LGBTI Security Committee, "From Torment to Tyranny: Enhanced Persecution in Uganda following the passage of the Anti-Homosexuality Act 2014, 20 December 2013-1 May 2014" SMUG 1(2013).
- 33 The Constitution of Burundi, art. 9.
- 34 The United Nations and the Advancement of LGBT Rights, International experiences in the struggle against homophobia available at: <http://arc-international.net/network-development/conference-presentations/presentation-un-mechanism/> (last visited on Oct 29, 2017).
- 35 The United Nations Charter, art. 12

- 36 The White House (The Office of Press Secretary), "Remarks by the President at LGBT Pride Month Reception", The White House (President Barack Obama), June 24, 2015, available at: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/06/25/remarks-president-lgbt-pride-month-reception> (last visited on Nov. 24, 2019).
- 37 Tom Embury-Dennis, "US votes against UN resolution condemning gay sex death penalty, joining Iraq"
- 38 Zahrah Z Devji, "Forging paths for the African queer: is there an "African" mechanism for realizing LGBTIQ rights?" 60(3) *Journal of African Law* 345 (2016).

## Effect of Sodium and Cadmium on the Amount of Malondialdehyde Content in the Leaves of Brassica Juncea and Plantago Ovate

Vivek Singh<sup>1</sup>, Vijay Pratap Tiwari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Research Scholar, Department of Botany, R.S.K.D.P.G. College, Jaunpur, Uttar Pradesh, India

<sup>2</sup>Guide, Department of Botany, R.S.K.D.P.G. College, Jaunpur, Uttar Pradesh, India

### Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number : 166-177

### Publication Issue :

September-October-2021

### Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 15 Sep 2021

**Abstract** - Heavy metals mixed in the soil spread toxicity in the plants, due to which the growth of the plant decrease or stop, their weight starts decreasing and their leaves decrease, and heavy metals in excess amount can also cause the death of the plant. Some metals like Cu, Mn, Fe, Zn etc. are also essential for plants in limited quantity but they become toxic in excessive quantity, due to which many types of biochemical changes occur in plants. Due to salinity there is water loss in plants and ionic poisoning also occurs in plants. Salinity also causes oxidative stress in plants. When metals such as sodium and cadmium enter plant cells, plants produce a defense mechanism to protect their tissues from these metals. Various types of low molecular weight proteins etc. are involved in this defense mechanism. In this paper we will study how sodium and cadmium affect the amount of malondialdehyde (MDH) in the leaves of Brassica juncea and Plantago ovata.

**Keywords** :- Heavy Metals, Defense Mechanism of plant, Cd and Na Concentration

**Introduction**- While essential for plants and used as micronutrients, certain metals including Cu, Mn, Fe, and Zn may exhibit severe toxicity at larger doses. Zn is a microelement that plays crucial physiological roles in plants, but at excessive quantities it can become toxic, causing biochemical and physiological changes that ultimately reduce yield. In contrast to moist terrain, salinity impacts are more obvious in dry and semi-arid environments. Salinity causes ionic toxicity and osmotic stress in plants, which in turn triggers secondary stresses such as nutritional problems and oxidative events. These stresses cause the plants to undergo a number of biochemical and molecular alterations that manifest as morphological and physiological abnormalities (Srivastava et al., 2015). Lowered water potential, ionic stress, and secondary oxidative damage are all caused by high salinity. By reducing CO<sub>2</sub> assimilation, oil and protein synthesis, it significantly restricts the plant's growth and development. Plants that are subjected to salt stress modify their metabolism to adapt to the new environment. The ability of the plant to perceive the stimuli, transmit information, and trigger biochemical changes that regulate the metabolism depends on its ability to survive in these demanding conditions.

Plants have an effective system of stress enzymes and antioxidant non-enzymatic compounds, known as antioxidant system, to handle this oxidative stress. Super oxide dismutase (SOD), one of these enzymes, is the first line of defence against ROS because it converts O<sup>-2</sup> to oxygen and H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. From cytoplasm

and chloroplast of cells of plant, peroxidase (POX) scavenges  $H_2O_2$ , while catalase (CAT) is another enzyme that converts  $H_2O_2$  to water and oxygen (Gill et al., 2011). Proline is a metabolite that has several uses in plant stress responses. It functions as an osmoprotectant, ROS scavenger, protein-compatible hydrotrope, and regulator of cellular redox status. A number of genes that control the expression of metabolite pools and plant development and growth are regulated by protein through redox signalling (Hayet et al., 2012).

When metal ions of sodium and cadmium passed through biophysical barriers and then enter into plant cells and tissues, then plants launch a number of cellular defence mechanisms to counteract and lessen the harmful effects of heavy metals. The main method for coping with or reducing metal toxicity is biosynthesis of various cellular biomolecules. It contains a variety of low molecular weight protein chelators or metallochaperones, such as organic acids, putrescine, nicotianamine, spermine, glutathione, niacinic acid, phytochelatin and/or metallothionein, Cellular exudates, including phenolic compounds and flavoids, heat shock proteins, protons and contains specific amino acids such as histidine and proline (Sharma et al., 2006). When above system fails to stop poisoning of metal, redox systems of plant cells become out of balance, which increases the production of ROS (Mourato et al., 2012). Plant cells developed a mechanism for defending themselves against free radicals which is known as "antioxidant defence system". This system includes both enzyme-based antioxidants like ascorbate peroxidase (APX), guaiacol peroxidase (GPX), superoxide dismutase (SOD), glutathione reductase (GR), and catalase (CAT) and also nonenzymatic antioxidants like glutathione, ascorbate (AsA) (Rastagoo et al., 2011).

Due to a lack of water, salinity results in oxidative stress. In excess, the latter causes production of ROS, which negatively impact on integrity of biological membranes (Del Rio et al., 2002). As a result, the plant either dies or produces less than before. In various cell compartments such as apoplectic space chloroplasts and mitochondria, salt stress results in accumulation of hydrogen peroxide ( $H_2O_2$ ) and superoxide radicals ( $O_2^-$ ), which in turn lead to an increase in oxidative stress parameters resulting in activities such as protein oxidation and lipid peroxidation reactions (Acosta M. et al., 2017). Ascorbate and glutathione levels are typically significantly more impacted by salt stress in sensitive plants than in tolerant ones. A NaCl-sensitive plantago species saw a 50% drop in the total ascorbate pool in soluble fractions after 15 days of stress (Hernandez et al., 2000).

The very hazardous heavy metal cadmium interferes with physiological processes in plants, causes oxidative stress, and damages plant cells. Radical superoxide ( $O_2^-$ ) can be protonated to form the hydroxyl radical ( $OH^\cdot$ ) and hydrogen peroxide ( $H_2O_2$ ), which can destroy cellular membranes by turning fatty acids into hazardous lipid peroxides (Lu et al., 2010). Superoxide radicals, which are produced and the outcome of which, caused oxidative damage to a number of biological components, including lipid, protein, and nucleic acid (Lu et al., 2010). In plants exposed to various concentrations of Cd, such as *Solanum lycopersicum*, there is an increased generation of  $H_2O_2$ , which affects the permeability of cell membranes and induces lipid peroxidation as a result of the increased accumulation of ROS (Nogueirol et al., 2016). In newly growing plant cells, cadmium poisoning increases lipid peroxidation and fats often by raising malondialdehyde content (MDA). When cells are under Cd stress, more ROS are produced, which can be fatal to cell components and lead to changes in antioxidant systems (Ehsan et al., 2014).

Low molecular mass molecules that are compatible solutes that accumulate in plants serve to replace water in biological reactions rather than obstructing normal biochemical processes (Zhifang et al., 2003). Overproduction of several types of suitable solutes is a considerable plant's physiological response to Cd stress (Ahmad P. et al., 2012). It has been discovered that Cd controls antioxidant metabolism and water interactions to counteract the harmful effects of abiotic stress. The ascorbate-GSH antioxidant system and metabolism of critical elements are affected by cadmium (Dong et. al., 2006). According to Nogueirol et al., (2016) "Oxidative stress is caused by cadmium buildup, as seen by production of ROS like hydrogen peroxide and superoxide anion". However, because Cd is not a redox active metal, oxidative stress may be brought on by both disruptions of GSH metabolism and the removal of redox active metal from proteins. Oxidative stress is the phrase used to describe the stress brought on by excessive ROS production.

The regulation of hormone synthesis in presence of heavy metals demonstrates the critical function that plant hormones play in adapting to abiotic stress, which is engaged in numerous physiological and developmental processes (Shah et al., 2001). *Plantago ovata* and mustard species are capable of storing adequate levels of Cd in their tissues. According to Singh et al., (2008), cadmium interferes with general and membrane physiology, including oxidative processes and nitrogen metabolism, and decreases the activity of several enzymes (Hasan et al., 2009). In *B. juncea* plants, GSH content was found to rise at lower Cd concentrations before decreasing at higher concentrations, according to Seth et al., (2012). This impact was more prominent for longer exposure times. It's possible that a supposed buildup of H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> led to a downregulation of the genes that produce the mRNA for the GR implicated in the synthesis of GSH.

Na and Cd metal contaminants are hyperaccumulated in certain species of *Plantago*. While superoxide dismutase, peroxidase, catalase, glutathione reductase, ascorbate peroxidase, and malondialdehyde exhibit altered biochemical activity at greater soil concentrations, *Plantago ovata* was discovered to be salt tolerant at lower concentrations (Kahrizi et al., 2012). Even at low soil concentrations, Cd is harmful to *P. ovata* and *B. juncea*, however the phytotoxicity of Cd depends on soil Cd content as well as plant species and cultivars. Antioxidant enzymes are changed in *P. ovata* and *B. juncea* by Cd hyperaccumulation. In plant species, cadmium produces ROS that drastically affect the SOD, POX, and CAT enzymes. In plants, GSH is engaged in a wide range of cellular functions like detoxification of xenobiotics, sequestration of heavy metals and defence against ROS (Foyer et al., 2005). Reduced sulphur is commonly transported and stored in the form of GSH. Particularly GSH's thiol group is well suited for performing broad range of metabolic tasks in both plant species due to its chemical reactivity. GSH play an important role for regulating H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> level in cells of plant, in some redox signalling pathways, its ratio reduced (GSH) to oxidised (GSSG) form changes throughout breakdown (Miller et al., 2003).

Aim of current study is to assess changes in antioxidant enzymes of *Plantago ovata* and *Brassica juncea* plants that had been subjected to salt stress and cadmium stress. A second goal was to determine a correlation between variations in antioxidant enzyme activity and various levels of heavy metals (Na and Cd) in the soil. We look how sodium and cadmium affect the amount of malondialdehyde in the leaves of *Brassica juncea* and *P. ovata*.



## Material and Methods

From the National Seeds Disposal Center of the Indian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhi, India, seeds of *P. ovata* (L.) and Indian mustard (*Brassica juncea* L.) are collected. On basis of their quantity and germination quality, seeds were chosen. For consistent germination, seeds surfaces are sterilised with 0.5% sodium hypochlorite and immersed for an entire night in sterile water at 4°C. In the green house under natural day/night circumstances (photo synthetically active radiation  $>950 \text{ mmol m}^{-2}\text{s}^{-1}$ , temperature  $24\pm 2^\circ\text{C}$ , relative humidity  $75\pm 4\%$ ), the seeds were placed to 30cm diameter earthen pots filled with 6.0Kg reconstituted soil (Mobin M et al., 2007). For five experimental biochemical investigations, pots were set up in a completely randomised design with two components and four replicates in each. Seeds of *P. ovata* and *Brassica juncea* sown in pots and supplied Raukuras nutrients solutions.

**TREATMENTS-** Five levels of NaCl were added to the soil to provide the salinity treatments: “T<sub>1</sub>-0 mM (control), T<sub>2</sub>-30 mM, T<sub>3</sub>-60 mM, T<sub>4</sub>-90 mM, T<sub>5</sub>-120 mM, and T<sub>6</sub>-180 mM”. By adding CdCl<sub>2</sub> to the soil, the cadmium concentrations of “control 0 mg /kg dirt, T<sub>1</sub>-25 mg/kg soil, T<sub>3</sub>-50 mg/kg soil, T<sub>4</sub>-100 mg/kg soil, and T<sub>5</sub>-200 mg/kg soil” were measured.

DDW (100-200ml) was used to water the test pots every day to keep the sand damp. Every two days, 200ml of the nutrient solution was given to each pot. The following salts were used to create the nutritional solutions for the Raukuva: [A]. ( $\text{gL}^{-1}$ ) NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>-8.48, Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.4H<sub>2</sub>O-16.78, Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> 6H<sub>2</sub>O-4.94 and KNO<sub>3</sub>-2.28 as a stock solution of micronutrients, [B] Micronutrient supplement are “( $\text{mgL}^{-1}$ ) H<sub>3</sub>BO<sub>4</sub>-128.80, CuCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O-4.84, ZnCl<sub>2</sub>-23.45, (NH<sub>4</sub>)<sub>6</sub> MO<sub>4</sub>O<sub>24</sub> 4H<sub>2</sub>O-0.83, ferric citrate penta-hydrate 809.84. ( $\text{gL}^{-1}$ ) KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>-2.67, K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>-1.64, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-6.62, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-0”. In order to create the diluted solution that was used on the plants, 200ml of each macronutrient stock solution combined with 100ml of the micronutrient supplement, and then mixture was diluted with DDW to 4.5L. In order to keep the pH at 6.0, a solution of KOH or H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> was added.

At 30 and 45 days (DAS) after seed germination, malondialdehyde concentration (in vitro) were measured.

**Enzyme Assays-** Following the steps of the conventional procedures, activity of malondialdehyde was measured. Small portions of leaf samples were chopped up and suspended in a cysteine dihydrochloride solution and this samples then incubated for 20 minutes at 4°C temp. The leaf fragments were placed in test tubes which contain phosphate buffer (pH 6.8), after being wiped with tissue paper. The tubes were then filled with alkaline bicarbonate solution and bromothymol blue indicator, after that test tubes were incubated at 5°C for 20 minutes. 0.05N HCl was used to titrate the reaction mixture after 0.2 ml of methyl red indicator was added. Then leaf tissue (0.5g) was homogenised in 50 mM phosphate buffer (pH 7.0) with 1% polyvinyl pyrrolidone for testing of antioxidant enzymes. The supernatant is the MDA extraction solution employed as the source after the homogenate was centrifuged at 15000 rpm for 10 min at 4°C.

A fifteen Watt fluorescent lamp had used for illuminating reaction vessel which contain 50 mM phosphate buffer (pH 7.8), 13 mM methionine, 75 mM nitro blue tetrazolium, 2 mM riboflavin, 0.1 mM EDTA, and 0.50 ml enzyme extract. Then light had turned on to start the reaction, and it was left on for 10 minutes. Turning off the light halted the reaction. One enzyme unit was defined as 50% light inhibition of a measurement.


### 1. Effect of Salinity on malondialdehyde content in leaves of *Plantago ovata*

A quick and non-destructive way to identify salt stress-related leaf damage is through visual assessments. Under salt stress, MDA level increased, which may be the cause of increased lipid peroxidation and subsequent cell damage. In *Plantago ovata*, MDA buildup increased as NaCl levels rose. Fewer *Plantago* species showed less accumulation than other species, which is consistent with other findings (Bor et al., 2003). Pro buildup has adaptive relevance because it reduces the production of free radicals and, as a result, the degeneration of membranes associated with lipid peroxidation during salt stress.

**Table-1: Effect of NaCl on Malondialdehyde content in leaves of *Plantago ovata***

Experimental Group	NaCl treatments	MDA content ( $\mu\text{mole g}^{-1}$ F.W.)	
		30 days	45 days
T1	Control (0)	16.85±0.51	18.87±0.61
T2	30	26.56±0.63	27.98±0.65
T3	60	33.18±0.69	36.19±0.71
T4	90	42.17±0.77	39.93±0.80
T5	120	43.19±0.83	26.72±0.86
T6	180	44.03±0.86	25.06±0.86

Exposure to Na resulted significant increase ( $p < 0.001$ ) MDA content in root and leaves of *P. ovate* in different concentration 30, 60, 90, 120, 180 mM treatment in 30 to 45 days exposures.




According to biochemical analyses of the MDA material, all traits grew with rising levels of NaCl concentration. T<sub>6</sub> treatment shows maximum MDA content in leave of *P. ovata* (44.03±0.86) in comparison to control T<sub>1</sub>, (16.85±0.5) n mole.g<sup>-1</sup> F.W. MDA content increases 57.63%, 96.91%, 150.27%, 156.32% and 161.49% as NaCl concentration increases 30mM, 60mM, 90mM, 120mM and 180mM respectively in 30 days treatments. After 45 days treatment MDA content in fresh leaves of *P. ovata* increases 48.28%, 91.79%, 111.61%, 41.60% and 32.30% respectively. Experimental data reveal that MDA content in *P. ovata* leaves increases upto the 90mM concentration again decreases upto 180mM conc. of NaCl in 45 days treatments.

## 2. Effect of salinity on malondialdehyde content in leaves of *Brassica juncea*

When non-essential heavy metal sodium (Na) concentrations rise above a certain point, they cause mustard plants to exhibit a variety of harmful reactions. To investigate the impact of Na toxicity in *Brassica juncea* L., an experiment was carried out. For this study, sodium chloride (0mM, 30mM, 60mM, 90mM, 120mM, 180mM per kg soil) was fed to the soil, and the outcomes demonstrated that it diminished the growth characteristic values and leaf water potential, while it enhance the activities of antioxidant enzymes and MDA content at 30 and 45 day stages of growth. Water potential is impacted by high salt concentration in the soil, which also causes ionic stress and secondary oxidative damage. It affects MDA content, which significantly restricts plant development and growth.

**Table-2 Effect of NaCl on Malondialdehyde content in leaves of *B.juncea***

Experimental Group	Concentration of NaCl (mM)	MDA content (µmole g <sup>-1</sup> F.W.)	
		30 days	45 days
T1	Control (0)	24.96±0.64	27.76±0.72
T2	30	38.83±0.76	39.98±0.77
T3	60	49.07±0.81	52.78±0.96
T4	90	60.27±1.02	58.87±1.01
T5	120	61.38±1.01	39.08±0.78
T6	180	61.02±1.17	37.53±0.74



Biochemical study of *B. juncea* leaf revealed that MDA content increase with increasing concentration of salinity in soil in 30 days old mustard plants. MDA content increases 55.57%, 96.60%, 141.47%, 145.91% and 144.47% in T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub>, T<sub>4</sub>, T<sub>5</sub> and T<sub>6</sub> treatment respectively. In 45 days old mustard plant's leaves MDA content increases 44.02%, 90.13%, 112.06%, 40.78% and 35.20% in 30mM, 60mM, 90mM, 120mM and 180mM treated mustard plants respectively. This study conclude that the growth reduction and MDA content due to saline content in soil are minimise in long term life span of mustard plants. As a result of numerous metabolic events, the amount of H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> produced because of the MDA content is constantly rising. On the other hand, it's crucial to remember that none of the treatments found Na in leaves, but despite this, MDA concentration and enzyme activity increased. The ability of H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> to operate as a systemic and local signalling molecule against oxidative stress brought on by exposure to heavy metals may help to explain this (Zayneb et al., 2015). Additionally, ROS can act as signalling molecules, and H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> produced as a result of Na stressors may have a moderating impact (Tuleja and Gill, 2010).

### 3. Effect of Cadmium on malondialdehyde content in leaves of *Plantago ovata*


When compared to control plants, *P. ovata* under Cd stress had a 2.3–6.3 fold rise in malondialdehyde (MDA) concentration, a sign of lipid peroxidation. Plants of *P. ovata* dramatically reduced yield (21-68%).

Phytohormones are crucial for controlling plant growth under stressful circumstances, such as Cd stress ( Hsu et al., 2008). An early effect of Cd stress on plants is an increase in reactive oxygen species formation, which results in cell oxidative damage. For this, plants have developed a number of defence mechanisms against ROS damage, including MDA and other ROS-scavenging enzymes, as well as non-enzymatic components like PPO and TP that are triggered to move Cd stress (Ahmad et al.,2014).

**Table-3: Effect of Cd on Malondialdehyde content in leaes of *Plantago ovata***

Experimental Group	Concentration of Cd in Soil (mg/kg)	MDA content ( $\mu\text{mole g}^{-1}$ D.W.)	
		30 days	45 days
T1	Control (0)	1.4 $\pm$ 0.71	1.68 $\pm$ 0.72
T2	25	2.32 $\pm$ 0.83	2.81 $\pm$ 0.87
T3	50	6.34 $\pm$ 1.15	7.34 $\pm$ 1.22
T4	100	12.41 $\pm$ 1.62	14.89 $\pm$ 1.68
T5	200	9.60 $\pm$ 1.53	11.42 $\pm$ 1.49

When *P. ovata* grow under Cd stress having concentration 25mg, 50mg, 100mg and 200mg  $\text{kg}^{-1}$  of soil MDA content increased in leaves of *P. ovata*. Enhancement of MDA-content was 65.7%, 352.8%, 786.43% and 585.71% in 30 days old plants. It seems that MDA content increased rapidly in 100mg/ $\text{kg}^{-1}$  soil but decreased onwards (Table-3). In 45 days old *P. ovata* plant MDA content was 67.26%, 336.90%, 786.31% and 580.76% respectively. Our result revealed that high concentration of Cd in soil and long term exposure of plant was not significantly enhance MDA content as previous one. No association was found despite the results showing a time-dependent rise in MDA content (Fig.-3). The MDA content increased during all the tested time periods up to 100 mg/kg soil, then began to fall as the Cd concentrations rose.




#### 4. Effect of Cd on malondialdehyde content in leaves of *Brassica juncea*

To investigate the degree of membrane loss by Cd stress and role of Cd in mitigating such detrimental damage, the amount of MDA, a product of lipid peroxidation, was measured in mustard plants treated to various treatments (Fig.4). Due to the Cd stress, the MDA concentration in mustard plants increased by 63.03%, 362.08%, 793.41% and 585.71% after 30 DAT in T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub>, T<sub>4</sub> and T<sub>5</sub> group of plants respectively. MDA content was observed after 45 days was 65.93%, 364.10%, 780.95% and 558.24% in T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub>, T<sub>4</sub>, T<sub>5</sub> group respectively in comparison to control (T<sub>1</sub>). MDA content was increased in group T<sub>2</sub> to T<sub>4</sub> in 30 and 45 days growth of mustard plant and further decreased in T<sub>5</sub> group. Cd-stressed plants received additional Cd, and MDA buildup was considerably reduced (Table-4).

**Table-4: Effect of Cd on Malondialdehyde content in leaves of Brassica juncea**

Experimental Group	Concentration of Cd in Soil (mg/kg)	MDA content ( $\mu\text{mole g}^{-1}$ F.W.)	
		30 days	45 days
T1	Control (0)	1.82±0.76	2.73±0.87
T2	25	3.04±0.85	4.53±1.01
T3	50	8.41±1.19	12.67±1.22
T4	100	16.26±1.68	24.05±1.67
T5	200	12.48±1.54	17.97±1.62



These findings might point to a heating effect of Cd on mustard plant membranes under Cd stress. Control plants that do not receive Cd as a supplement showed no discernible change in MDA concentration. Plants have evolved a sophisticated antioxidant system in order to counteract and prevent the oxidative damage brought on by biotic and abiotic stress. Our findings suggested that, as evidenced by the elevated levels of



MDA and ROS. ROS may be formed in *B. juncea* seedlings under Cd stress and contribute to lipid peroxidation. Under Cd stress in plants, ROS scavenging mechanism must be strictly controlled (Sharma et al., 2012).

**Conclusion-** So It is concluded from the above study that the amount of Malondialdehyde increases gradually due to increase in salinity in the soil in 30 days treatment, but in 45 days treatment as salinity increase and after reaching a maximum concentration, the amount of Malondialdehyde starts decreasing again. Due to high salinity, the yield of plants also decreases. Similarly, when the concentration of Cd was tested, it was found that the amount of Malondialdehyde increases when the amount of Cd is increased up to a certain limit in both treatment (30 and 45 days), but after that it starts decreasing. When the concentration of Cd is 100 mg kg, the amount of Malondialdehyde is maximum and after that the amount of MDA starts decreasing as the concentration of Cd increases.

## References

1. Srivastava, P. and Kumar, R. (2015). Soil salinity: a serious environmental issue and plant growth promoting bacteria as one of the tools for its elevation. Saudi J. Biof. Sci. 22: 123-131.
2. Gill, S.S., N.A. Khan, N. Taukeja (2011). Differential cadmium stress tolerance in five Indian mustard (*Brassica juncea* L) cultivars, an deviation of the role of antioxidant machinery. Plant Signal. Behav. 6: 293-300.
3. Hayat, S., Hayat, Q., M.N. Alyemeni, A.S. Wani, J. Pichtel., A. Ahmad (2012) Role of proline under changing environment: a review. Plant signal Behavi. 7: 1456-1466.
4. Sharma, S.S., and K.J. Dietz (2006). The significance of amino acids and amino acid derivatives molecules in plants responce and adoptation to heavy metal stress. The Journal of Experimental Botany. 57(4): 711-726.
5. Mourato, M., R. Reis and L.L. Martins (2012). Characterization of plants antioxidant system in response to abiotic stresses: a focus on heavy metal toxicity. In Advances in selected plant Physiology Aspects. G. Mantanaro and B. Dichio Eds. Australis, 23-24.
6. Rastgoo L., A Alemzadeh and A. Afsharifar (2011). Isolation of two nobel isoferms encoding zinc and copper transporting PIB- AT Pase from Gouan (*Aeluropus littoralis*) plant osmic Journals 4(7): 377-383.
7. Acosta-Motos, J.R. Hernadezy, J.A. Alvorez, S. Barba E., G. Sanchez Blance M.J. (2017) Long term resistance mechanisms and irrigation critical threshold showed by *Eugenia myrtifolia* plants in response to saline reclaimed water and relief capacity. Plant Physiol. Biochem. 111: 244-256.
8. Hernandez J.A., Jimenez A. Mullineaux P.M., Sevillei F. (2000) Tolerance of Pea (*Pisum sativum*) to long term Balt stress is associated with induction of antioxidant defences plant cell Environ. 23, 853-862.
9. Lu Y, Li X, He M., Zhao X., Liu Y, Cui Y, Pan Y, Tanti (2010). Seedling growth and antioxidative enzymes activities in leaves under heavy metal stress between two desert plants: a perennial (*Peganum harmala* and an annual (*Halogenton glomeratus*) grass. Acta Physiologiae Plantarum 32: 538-590.
10. Nogueirol CR, Monteiro, F.A., Gratao PL, de Alcantara de Silva B.K., Azevedo R.A. (2016). Cadmium application in tomato: nutritioinal imbalance and oxidative stress. Water air and soil Pollution, 227: 210.

11. Ehsan S., Ali S, Noureen S, Mohmood K., Farid M., Ishaque W, Shakoore MB. Rizwan M. (2014). Citric acid assisted phyto remediation to Cd by Brassica napus. Ecotoxicol. Environ. Safe 106: 164-172.
12. Zhifang G., Loescher WH (2003). Expression of a mannose 6 phosphate reductase in Arabidopsis that enhances salt tolerance and induces biosynthesis of both mannitol and glucosyl-mannitol dimer. Plant cell Environ. 26: 275-283.
13. Ahmad P, Ozturk M, Gucel S (2012). Oxidative damage and antioxidant induced by heavy metal stress in two cultivars of mustard (Brassic juncea) plant Fresenius Environ. Bull. 21: 2953-2961.

# श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनकी विद्यालयी वातावरण से सम्बन्ध (माध्यमिक स्तर के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ० मुकुन्द मोहन पाण्डेय  
असिस्टेण्ट प्रोफेसर,  
डिपार्टमेण्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन (एच.आई.)  
जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट (उत्तर प्रदेश)

## Article Info

Volume 4 Issue 5  
Page Number : 178-184

## Publication Issue :

September-October-2021

## Article History

Accepted : 01 Sep 2021  
Published : 15 Sep 2021

**सारांश—** प्रस्तुत अध्ययन “श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण से सम्बन्ध का अध्ययन” है। जनसंख्या से अभिप्राय उन सभी छात्र-छात्राओं के समूह से है, जो प्रयागराज शहर के माध्यमिक विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है। न्यादर्श के रूप में प्रयागराज शहर में स्थित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 30 श्रवण बाधित छात्र-छात्राओं को न्यादर्श के रूप में यादृच्छिक विधि से किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन का प्रथम परीक्षण डॉ० टी०आर० शर्मा द्वारा निर्मित ‘एकेडमिक अचीवमेंट मोटीवेशन टेस्ट’ जिसमें कुल 38 प्रश्न हैं। डा० करुणा शंकर मिश्रा द्वारा निर्मित “स्कूल इन्वायरमेण्ट इन्वेन्ट्री” का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण के पश्चात् निष्कर्ष निम्नवत् है— निष्कर्ष के रूप में सम्पूर्ण श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का विद्यालयी वातावरण के मध्य धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया तथा शहरी छात्र-छात्राओं के विद्यालयी वातावरण का उनके शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा के मध्य धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया जबकि ग्रामीण क्षेत्र के श्रवण बाधित छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का विद्यालयी वातावरण के मध्य कोई सहसम्बन्ध नहीं है।

**की-वर्ड—** श्रवण बाधित, शहरी, ग्रामीण, छात्र-छात्राएँ, शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा, विद्यालय वातावरण, सहसम्बन्ध गुणांक।

**प्रस्तावना—** किसी भी देश का निर्माण अच्छे नागरिकों से होता है। इन नागरिकों से ही प्रजातन्त्र सफल होता है, और अच्छे नागरिकों का निर्माण करती है शिक्षा। मानव को पूर्ण मानव बनाने एवं उसे राष्ट्र का एक सफल नागरिक बनाने में शिक्षा के प्रत्येक स्तर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा की प्रथम सीढ़ी, जिसे प्राथमिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है, मनुष्य के चरित्र का निर्माण करने में, उसमें राष्ट्रीय विचारधारा का उदय करने में ‘महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संविधान की धारा 45 के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य कर देने के कारण इस स्तर पर अधिकांशतः विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, किन्तु

माध्यमिक शिक्षा, जो कि शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसे शिक्षा की रीढ़ कहा गया है, जिसे ग्रहण करने के बाद बालक अपने व्यवहारिक जीवन में प्रविष्ट करता है, इतने महत्वपूर्ण स्तर तक आते-आते 70 प्रतिशत विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते हैं।

शिक्षक की भूमिका सर्वप्रथम एक मनोवैज्ञानिक के रूप में है। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं एवं मनोवृत्तियों की जानकारी रखें। शिक्षक विद्यार्थियों को समझने में जिस सीमा तक सफल होते हैं उसी समय तक उनका अध्यापन प्रभावी होता है तथा विद्यार्थी उनकी शिक्षा से लाभान्वित हो पाते हैं। अतः एक सफल शिक्षक ऐसे विद्यार्थी की सहायता करता है और उसकी समायोजन समस्या के समाधान का प्रयास करता है। इसी तरह पढ़ाई छोड़ना, अनुपस्थित होना आदि के कारणों को जानने तथा इनके निराकरण के लिए सफल शिक्षक प्रयास करता है शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, सहयोग, एकता का भाव आदि विशेषताएँ देखी जाती है। वह विद्यार्थियों को पूरी स्वतंत्रता दे देता है और उनके व्यवहारों में किसी तरह की बाधा अपनी ओर से नहीं डालता है। कक्षा में शिक्षक एक विशेषज्ञ की भूमिका में होता है अतः शिक्षक को अपने अध्यापन विषय की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को अध्यापन के द्वारा अधिक से अधिक लाभ मिल सके। शिक्षक को शिक्षा के उद्देश्य से अवगत होना चाहिए कि शिक्षा वर्तमान में शिक्षार्थी केन्द्रित हो चली है और इसका उद्देश्य है विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास। अतः शिक्षक को इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। ताकि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास अर्थात् मानसिक, शारीरिक, हस्तकौशल तथा हृदय विकास समुचित रूप से हो सकें।

**अलथाफ लिण्डे एण्ड मासन (2007)** ने अध्ययन में पाया कि— जिन कक्षाओं का वातावरण अच्छा एवं अध्यापकों का छात्रों के प्रति दृष्टिकोण अच्छा था उस कक्षा के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा अन्य कक्षाओं के छात्रों की अपेक्षा अधिक थी। **गुप्ता, लीलेश (2016)** ने निष्कर्ष के रूप में पाया— शहरी पॉलीटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा मध्यमान अधिक है साथ ही वहाँ के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि भी अधिक पायी गई। शहरी पॉलीटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है। **मेनारिया, सरिता एवं बाबल, जगदीश (2017)** ने निष्कर्ष रूप में पाया— उच्च माध्यमिक स्तर के सामान्य (अस्थिदोष रहित) एवं अस्थिदोष दिव्यांग विद्यार्थियों के आत्मविश्वास कोई अन्तर नहीं है अर्थात् दोनों के आत्मविश्वास में समानता पायी गयी। उच्च माध्यमिक स्तर के सामान्य (अस्थिदोष रहित) एवं अस्थिदोष दिव्यांग विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरणा कोई अन्तर नहीं है अर्थात् दोनों के उपलब्धि अभिप्रेरणा में समानता पायी गयी। **त्रिपाठी, सुनील मणि एवं सिंह, जय (2017)** ने निष्कर्ष के रूप में पाया कि— माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं पर शालेय संवेगात्मक वातावरण का उनके शैक्षणिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव में कोई अन्तर नहीं है। माध्यमिक स्तर के शहरी विद्यार्थियों पर शालेय संवेगात्मक वातावरण का उनके शैक्षणिक उपलब्धि पर पड़ने पर सार्थक प्रभाव पाया गया। **महावर, ज्योति एवं पारीक, अलका (2018)** ने निष्कर्ष के रूप में पाया — शिक्षकों के नेतृत्वशीलता एवं विद्यार्थियों के अभिप्रेरित व्यवहार में कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है। सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के अभिप्रेरित व्यवहार में सार्थक अन्तर है अर्थात् गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों में अभिप्रेरित व्यवहार सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अपेक्षा उच्च पाया गया।

अतः वर्तमान समय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में एक कुशल शिक्षक द्वारा उनके भाग्य का बदल सकता है एवं उन्हें सामान्य विद्यार्थियों की तरह जीवन में सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

वैसे भी सामान्यतः यह देखा जाता है कि माध्यमिक स्तर पर अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या के अतिरिक्त शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले अनेक कारक उत्तरदायी हैं। जैसे – सामाजिक आर्थिक स्थिति, भौगोलिक दशायें, जनसंचार साधनों से पृथकता, अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, अनुपयुक्त शिक्षण विधियाँ बालकों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति, रुचि, बुद्धि आकांक्षा स्तर तथा उच्च मानसिक योग्यता एवं निम्न मानसिक योग्यता, विद्यालय का सामाजिक- मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, गृह-पर्यावरण, समायोजन एवं माता-पिता का प्रोत्साहन इत्यादि।

उपलब्धि अभिप्रेरणा शैक्षिक परिश्रम का आखिरी उत्पादन है। सभी शैक्षिक कोशिशों का आशय यह है कि यह देखा जाये कि सीखने वाले ने क्या उपलब्धि अभिप्रेरणा प्राप्त की है। इसकी पुष्टि छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान, बोध, कौशल, अनुप्रयोग आदि योग्यताओं की मात्रात्मक अभिवृत्ति से है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा छात्र-छात्राएँ अपनी विभिन्न मानसिक योग्यताओं का विकास करते हैं।

श्रवण बाधित छात्र-छात्राओं की शिक्षा में किस प्रकार के विद्यालयों का विशेष योगदान है, जिससे कि विद्यार्थियों में शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए दूसरे प्रकार के विद्यालयों को उसी स्तर पर लाया जा सके। प्रस्तुत समस्या के अध्ययन का सही महत्व है, प्रस्तुत समस्या का विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास के साथ ही उनकी शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण से सम्बन्ध का अध्ययन की दृष्टि से भी महत्व है आधुनिक युग में व्यक्तिवादी राज्यों का उदय विश्व के रंगमंच पर हुआ है जिनका उद्देश्य नागरिकता के भविष्य का निर्माण में आने वाली समस्याओं का समुचित निवारण ही करना चाहिए। प्रस्तुत अध्ययन का शैक्षिक दृष्टि से अध्ययन कर शिक्षा के स्तर को बढ़ाना भी है।

**समस्या कथन— “श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनकी विद्यालयी वातावरण से सम्बन्ध।”**

**अध्ययन का उद्देश्य—** अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण से सम्बन्ध का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी श्रवण बाधित छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण से सम्बन्ध का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् ग्रामीण श्रवण बाधित छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण से सम्बन्ध का अध्ययन करना।

**परिकल्पनाएँ—** प्रस्तुत अध्ययन में उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है—

1. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण में कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी श्रवण बाधित छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण में कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

3. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण में कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

**अध्ययन की शोध विधि-** वर्तमान अध्ययन वर्णनात्मक शोध के अन्तर्गत सर्वेक्षण शोध की प्रतिदर्श सर्वेक्षण के मूल्यांकन सर्वेक्षण की श्रेणी में आता है, अतः शोध विधि के रूप में सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जायेगा।

**जनसंख्या-** जनसंख्या से अभिप्राय उन सभी छात्र-छात्राओं के समूह से है, जो प्रयागराज जनपद के माध्यमिक विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है।

**न्यादर्श-** न्यादर्श के रूप में प्रयागराज शहर में स्थित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 30 श्रवण बाधित छात्र-छात्राओं को न्यादर्श के रूप में यादृच्छिक विधि से किया गया है।

**प्रयुक्त उपकरण-** अध्ययन का प्रथम परीक्षण डॉ० टी०आर० शर्मा द्वारा निर्मित 'एकेडमिक अचीवमेंट मोटीवेशन टेस्ट' जिसमें कुल 38 प्रश्न हैं तथा डा० करुणा शंकर मिश्रा द्वारा निर्मित "स्कूल इन्वायरमेण्ट इन्वेन्ट्री" का प्रयोग किया गया है।

**प्रयुक्त सांख्यिकी प्रविधियाँ :**

**सहसम्बन्धात्मक गुणांक-**

$$r = \frac{N \sum fd_x dy - \sum fd_x \cdot \sum fd_y}{\sqrt{\left[ N \sum fd_x^2 - (\sum fd_x)^2 \right] \left[ N \sum fd_y^2 - (\sum fd_y)^2 \right]}}$$

**ऑकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या-**

1. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण से सम्बन्ध का अध्ययन करना -

**H<sub>01</sub>** माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

**सारणी संख्या-01**

माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण के मध्य सम्बन्ध को दर्शाते सह-सम्बन्ध गुणांक

शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा एवं विद्यालयी वातावरण	N	सह-सम्बन्ध गुणांक (r)	सार्थकता स्तर
विद्यालयी वातावरण	30	0.4336*	.05

\* .05 स्तर पर सार्थक

सारणी संख्या-01 से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का मान 0.4336 है जो 28 स्वतंत्र्यांश के लिए 0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान 0.361 से अधिक है। यह मान 0.05 स्तर पर सार्थक है अतः शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है माध्यमिक स्तर पर

अध्ययनरत् श्रवण बाधित छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण के मध्य धनात्मक सहसम्बन्ध है। अतः प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित छात्र-छात्राओं के विद्यालयी वातावरण की विमा नियंत्रण की कमी या वृद्धि का उनके शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा में कमी एवं वृद्धि से सम्बन्ध है।

2. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित शहरी छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण से सम्बन्ध का अध्ययन करना –

**H<sub>02</sub>** माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित शहरी छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

**सारणी संख्या-02**

माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित शहरी छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण के मध्य सम्बन्ध को दर्शाते सह-सम्बन्ध गुणांक

शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा एवं विद्यालयी वातावरण	N	सह-सम्बन्ध गुणांक (r)	सार्थकता स्तर
विद्यालयी वातावरण	15	0.5224*	.05

\* .05 स्तर पर सार्थक

सारणी संख्या-02 से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित शहरी छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का मान 0.5224 है जो 13 स्वतंत्र्यांश के लिए 0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान 0.514 से अधिक है। यह मान 0.05 स्तर पर सार्थक है अतः शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित शहरी छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण के मध्य धनात्मक सहसम्बन्ध है। अतः प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित शहरी छात्र-छात्राओं के विद्यालयी वातावरण की विमा नियंत्रण की कमी या वृद्धि का उनके शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा में कमी एवं वृद्धि से सम्बन्ध है।

3. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित ग्रामीण छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण से सम्बन्ध का अध्ययन करना –

**H<sub>03</sub>** माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित ग्रामीण छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

**सारणी संख्या-03**

माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित ग्रामीण छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण के मध्य सम्बन्ध को दर्शाते सह-सम्बन्ध गुणांक

शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा एवं विद्यालयी वातावरण	N	सह-सम्बन्ध गुणांक (r)	सार्थकता स्तर
विद्यालयी वातावरण	15	0.1059	.05



\* .05 स्तर पर सार्थक

सारणी संख्या-03 से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित ग्रामीण छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का मान 0.1059 है जो 13 स्वतंत्र्यांश के लिए 0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान 0.514 से कम है। यह मान 0.05 स्तर पर असार्थक है अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित ग्रामीण छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण के मध्य कोई सहसम्बन्ध नहीं है। अतः प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित ग्रामीण छात्र-छात्राओं के विद्यालयी वातावरण की विमा नियंत्रण की कमी या वृद्धि का उनके शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा में कमी एवं वृद्धि से सम्बन्ध नहीं है।

**निष्कर्ष-** प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये-

- माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण के मध्य धनात्मक सहसम्बन्ध है।
- माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित शहरी छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण के मध्य धनात्मक सहसम्बन्ध है।
- माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित ग्रामीण छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण के मध्य कोई सहसम्बन्ध नहीं है।

प्रस्तुत अध्ययन **“माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके विद्यालयी वातावरण से सम्बन्ध का अध्ययन”** है। निष्कर्ष के रूप में सम्पूर्ण श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का विद्यालयी वातावरण के मध्य धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया तथा शहरी छात्र-छात्राओं के विद्यालयी वातावरण का उनके शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा के मध्य धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया जबकि ग्रामीण क्षेत्र के श्रवण बाधित छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का विद्यालयी वातावरण के मध्य कोई सहसम्बन्ध नहीं है। अतः ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा को उच्च स्तरीय बनाने के लिए विद्यालयी वातावरण में सुधार करने की आवश्यकता है जिससे उनके शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का सम्बन्ध उनके विद्यालयी वातावरण से हो।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. साराह ई० अलथाफ, क्रिस्टेन जे० लिण्डे जॉन मासन, (2007) 'हाईस्कूल स्टूडेंट्स एकेडमिक एचीवमेन्ट स्टूडेंट मोटिवेशन, क्लासरूम कम्प्यूकेशन, डिजरटेशन थीसिस ऑन लाइन सर्मथन।
2. मौला, जे.एम. (2010). ए स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटविन एकेडमिक एचीवमेन्ट मोटिवेशन एण्ड होम इन्वायरमेन्ट एमंग स्टैण्डर्ड ऐट पीपुल्स, एजुकेशनल रिसर्च एण्ड रिव्यूस, वॉल्यूम-5(5), पृ० 213-217
3. भाटिया, अंशु एवं चौधरी, इन्दिरा (2013). उच्च एवं निम्न उपलब्धि वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा तथा आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन, इण्टरनेशनल एजुकेशनल ई-जर्नल, वॉल्यूम-II, इश्यू-I, पृ० 55-62

4. गुप्ता, लीलेश (2016). तकनीकी शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का एक अध्ययन, इण्टरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ मैनेजमेण्ट साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम-7, इश्शू-6, पृ० 84-87
5. उठवाल, राहुल (2017). एक शिक्षक की प्रेरणा, उत्प्रेरक के रूप में चुनौतियाँ एवं समाधान, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ हिन्दी रिसर्च, वॉल्यूम-3, इश्शू-5, पृ० 06-08
6. सिंह, विवेक एवं सिंह, जय (2017). किशोरावस्था के विद्यार्थियों में शैक्षिक तनाव पर अभिभावक अभिप्रेरणा का पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांसड एजुकेशन एण्ड रिसर्च, वॉल्यूम-2, इश्शू-2, पृ० 103-106
7. मेनारिया, सरिता एवं बाबल, जगदीश (2017). उच्च माध्यमिक स्तर के सामान्य (अस्थिदोष रहित) एवं अस्थिदोष दिव्यांग विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा का तुलनात्मक अध्ययन, इनोवेशन द रिसर्च कन्सेप्ट, वॉल्यूम-2, इश्शू-11, पृ० 182-186
8. महावर, ज्योति एवं पारीक, अलका (2018). शिक्षकों की नेतृत्वशीलता का विद्यार्थियों के अभिप्रेरित व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, इन्सपीरा-जर्नल ऑफ मार्डन मैनेजमेण्ट एण्ड इण्टरप्रीन्यूरशिप, वॉल्यूम-08, नं० 04, पृ० 552-554
9. कौल, संगीता (2016). उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता का प्रभाव, इमर्जिंग रिसर्च जर्नल, वॉ० 1, इश्शू-2, पृ० 30-33
10. सिंह, प्रमिला (2017). रीवा विकासखण्ड के हाई स्कूल स्तर पर पाठ्य-सहगामी क्रियाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास का अध्ययन, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिस्प्लनरी रिसर्च एण्ड डेवेलपमेण्ट, वॉ० 4, इश्शू 2, पृ० 278-281
11. जादौन एवं पारीक (2017). जयपुर जिले के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की पाठ्य सहगामी क्रियाओं व व्यक्तित्व विकास में सह सम्बन्ध का अध्ययन, बियानी गर्ल्स बी०एड० कालेज, जयपुर (राजस्थान)
12. पाण्डेय एवं सिन्हा (2017). शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं विभिन्न मूल्य निर्माण में इन क्रियाओं की उपादेयता, नेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिस्प्लनरी रिसर्च एण्ड डेवेलपमेण्ट, वॉ० 2, इश्शू-2, पृ० 128-129
13. कुमार, राजेश (2018). माध्यमिक स्तर पर सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता का तुलनात्मक अध्ययन, इण्टरनेशनल रिसर्च जर्नल, चेतना, वॉ० 1, इयर-3, पृ० 210-217
14. राय, शैलजा (2018). शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं विभिन्न मूल्य निर्माण: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस एजुकेशन रिसर्च, वॉ० 3, इश्शू-2, पृ० 269-270

## महिला कथाकारों के लेखन की पृष्ठभूमि

डॉ. माया गोला

असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, परिसर अल्मोड़ा, उत्तराखंड।

### Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number : 185-190

### Publication Issue :

September-October-2021

### Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 15 Sep 2021

**शोधसारांश—** मानविकी विज्ञान, मीडिया और चिंतन प्रायः सभी क्षेत्रों में इक्कीसवीं सदी में आधुनिकता का विकास हो रहा है। आज हम इक्कीसवीं सदी के प्रथम दशक को समाप्त कर द्वितीय दशक के अंत में पहुंच चुके हैं। इसी के साथ हमारे देश, समाज एवं साहित्य का तीव्र गति से आधुनिकीकरण हो रहा है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। क्योंकि समाज में चारों ओर जो भी घटित हो रहा है, उसी को माध्यम बनाकर साहित्यकार अपनी लेखनी द्वारा उन घटनाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त करता है। इक्कीसवीं सदी में आधुनिकता के साथ ही साथ हमारा साहित्य भी आधुनिकता के शिखर पर पहुंच गया है।

**मुख्य शब्द—** इक्कीसवीं सदी, महिला कथाकार, समाज एवं साहित्य आदि।

इक्कीसवीं सदी के आरंभ में मुक्त स्त्री विमर्श से प्रेरित कहानियों का समय रहा है और उससे एक नई पीढ़ी उभरी जो अभिव्यक्ति में बेझिझक थी। कलमकार फाउंडेशन दिल्ली के एक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में इस बारे में चित्रा मुद्गल जी ने स्वीकार किया है कि “हमने जब लिखना आरंभ किया था तो मुझे भर कथानीकार ही थी, आज तो लेखिकाओं का झुंड का झुंड कहानियां लिख रहा है और बड़ी बेबाकी से देह की चीर फाड़ कर रहा है।” उनके इस वक्तव्य को सुनकर कार्यक्रम की उद्घोषिका गीताश्री ने भावुक होकर कहा था “और ऐसी लेखिकाएँ गालियां भी तो खा रही हैं।”

कहने की जरूरत नहीं है कि इस श्रेणी में रमणिका गुप्ता जी, मैत्रोयी पुष्पा, मनीषा कुलश्रेष्ठ, सोनाली सिंह, जयश्री राँय आदि को लिया जा सकता है। मैत्रोयी पुष्पा जी ने साहित्य के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की अनकही बातों को बहुत सशक्त रूप से अपने केंद्र में लिया है। मनीषा कुलश्रेष्ठ और जयश्री राय कहानी में मनमोहक माहौल बनाने में माहिर हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में रायपुर में रमणिका जी और मैत्रोयी जी का साहित्यिक है, जो सिर्फ स्त्री की कामनाओं को निर्दयता से चित्रित करते हैं? वड़ोदरा के एक गुजराती कवि ने भी मुझे बताया कि गुजराती साहित्य के सेमिनारों में हमें प्रेम कविता पढ़ने की मनाही है। यह चर्चा इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि महिलाओं को अपनी स्त्री भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। जो लोग इस अधिकार को जबरन छीन रहे हैं, उनकी कहानियों में नारी शरीर से जुड़ी सच्चाई को खुले दिमाग से साहित्य में जगह देनी होगी, लेकिन बिना बात अश्लीलता की बात करना भी स्वीकार्य नहीं होगा।

विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों से जुड़े होने के कारण कहानीकार समलैंगिक समस्या जैसे विभिन्न विषयों पर लिख रहा है, उदाहरण के लिए संगीता कांडली की 'कथादेश' में प्रकाशित कहानी 'फीनिक्स' और नीलिमा सिन्हा की 'हंस' में प्रकाशित 'मंगला गौरी'। एमएनसी में मैनेजमेंट का काम कोई मुसलमान तेज करता है तो दूसरे साथियों को जला देता है या कहता है कि हम आपको इस मुसलमान से बचाएंगे, पर्यावरण संरक्षण की बात करें। 'हंस' में प्रकाशित 'सफाई' उन कहानियों का प्रारंभिक काल था, जिनसे कहानियों में पर्यावरण चेतना का संचार हुआ। इस सदी की कहानियों की विविधता में, मैं अपनी दो कहानियों का नाम एक सरोगेट मदर की नश्वर पीड़ा पर आधारित रखना चाहूंगी, 'रस- प्रवाह' और 'गिनी पिग्स', जो एक नैदानिक की पहली हिंदी कहानी भी हो सकती है। यूं कहें कि नौ-दस साल पहले स्त्री-पुरुष के रसीले संबंधों का दौर अधिक था, इसलिए समाज के विभिन्न पहलुओं पर लिखी गई कहानियों के कहानीकार आलोचकों की सूची में नहीं मिल पाते थे।

हिन्दी साहित्य में लेखकों की कहानियों को रेखांकित न करके मैं इस सदी की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को ले रही हूँ, जो इक्कीसवीं सदी की महिलाओं की कहानियों के परिदृश्य को प्रतिबिम्बित करेंगी। महिलाओं की चर्चाओं की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद करके "हाशिए की महिला" उन कटु सत्यों को बता रही है कि एक महिला को हाशिये पर जाने की जरूरत क्यों है। इस श्रंखला के तीन और ग्यारह भाषाओं के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। अब तक जितने भी अंक प्रकाशित हुए हैं, उन्होंने स्त्री अंगों से जुड़े सवालों को बड़ी ही शिद्धत से पेश कर तेलुगू लेखकों को पछाड़ दिया है.. ओल्गा सीधे 'अयोनी' कहानी द्वारा सवाल उठाती हैं- 'उन सांपों को छुरा मारकर मार डालो.' जो किसी खास अंग की वजह से छोटी बच्चियों का अपहरण करते हैं। 'चंद्रलता' अपनी कहानी 'बैलेंस शीट' से वर्षों से पुरुषों और महिलाओं के बीच खोए हुए बैलेंस शीट को खोजने का एक सफल प्रयास करती है - वह भी एक कार्यालय की खोई हुई बैलेंस शीट के माध्यम से। दो वेश्यावृत्ति की नायिकाओं की भीषण हँसी से आपका दिल दहल जाएगा क्योंकि उन्हें एड्स है, वे हँस रहे हैं, "अब वे आजाद हैं, वे रात में भी कहीं भी घूम सकते हैं क्योंकि कोई आदमी उन्हें परेशान नहीं करेगा।"

तेलुगू भाषी महिलाएं स्त्री के इस विशेष अंग पर खुलकर चर्चा कर पाती हैं, इसका कारण उनके समाज की एक विशेष परंपरा को जाता है।" हालांकि, कर्नाटक में जैसे-जैसे शिक्षा बढ़ी है, ऐसे आयोजन बंद हो गए हैं। हैदराबाद में रहने वाली एक लेखिका ओल्गा के अनुसार, "कुछ ही वर्षों में इन आयोजनों को बंद कर दिया गया क्योंकि शिक्षा के कारण लोग समझ गए थे कि बेटी का रिश्ता केवल शोरगुल वाली बात नहीं है, बल्कि जैसे-जैसे पैसा बढ़ता गया है दस-पंद्रह वर्षों से लोग इस पर्व को स्वीकार कर धन का प्रदर्शन करने लगे हैं।

गुजराती से हिंदी अनुवाद में दो प्रतीकात्मक कहानियां हैं: 'ताश की बाजी' में, एक लड़की दरवाजे खोलती है, सभी पुरुष की ओर खुलते हैं, लेकिन आखिरी दरवाजा वह अपने लिए खोलती है, वह सांस लेती है और सुहास ओझा की कहानी में एक छोटी सी नौकरानी होती है। घर में पार्टी के दिन घर के मालिक को यह बात अच्छी नहीं लगती।

अस्मिता, मैंने महिला बहुभाषी मंच के वडोदरा के अरविंद आश्रम के सेमिनारों में इस विद्रोह की धड़कन सुनी और नमिता सिंह के प्रोत्साहन पर मैंने देश भर के शीर्ष लेखकों से रचनाएँ माँगकर पुस्तकों का संपादन किया। "धर्म के आधार पर महिला" और 'वेंकटसानी और नारी' महाश्वेता देवी, की विशिष्ट कहानियाँ हैं, जो पिता और भाइयों की इच्छा से आंध्र प्रदेश में पुजारियों द्वारा धर्म के नाम पर नाबालिग लड़कियों के शोषण की कहानी है।

2008 में शुरू हुए कलम और कागज के इस संगठित विद्रोह ने केवल पृष्ठभूमि बनाई थी और यह भी घोषित किया था कि यह सभी धर्मों की करोड़ों महिलाओं का रोना है। हम सभी ने 7-8 साल बाद देखा कि महिलाएं धर्म की अवधारणाओं की मजबूत दीवार को तोड़ने के लिए उतर आई हैं, चाहे वह शनि शिंगणापुर का मंदिर हो या मुंबई में हाजी अली की दरगाह। लेखक अन्नदा पाटनी ने यह भी बताया कि जैन मुनियों, जो अब तक साध्वियों को नहीं पहचानते थे, उन्हें वही सम्मान देना शुरू कर दिया है और उच्च पदों पर कब्जा करने के बारे में सोचने लगे हैं।

आप चाहें तो इसे इक्कीसवीं सदी की दूसरी प्रमुख साहित्यिक घटना मान सकते हैं, जिसकी प्रेरणा मैंने वडोदरा और अहमदाबाद में स्थापित की – अस्मिता। यानी 15-20 शिक्षित महिलाओं ने अस्मिता के नाम पर इकट्ठा होकर पौराणिक नारी पात्रों और उनकी स्थितियों पर विचार किया और यह देश के निर्माताओं से जुड़कर मील का पत्थर बन गया।

इस सदी में साहित्यिक इतिहास लिखने वाली तीसरी ऐतिहासिक संगठित महिला की रचना हुई, इसी को ध्यान में रखते हुए कमर मेवाड़ी की पत्रिका 'संबोधन' ने स्वाति तिवारी के संपादन के तहत 'लिव-इन रिलेशनशिप' पर एक विशेष अंक प्रकाशित किया। लिव-इन आज के महानगर में रहने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन की जरूरत है। इस सदी में लिखी गई इन कहानियों ने रिश्ते को लेकर काफी चर्चा दी है कि जब दो लोग एक साथ रहते हैं तो उस समय कोई रिश्तेदार एक साथ कैसे नहीं होता या ऐसे रिश्ते में कानून बन जाता है। महिला के जाने के बाद भी वह असुरक्षा महसूस करती है। यह इस मुद्दे की उपलब्धि थी कि कई लेखकों ने इस बात पर जोर दिया कि जब लिव-इन के लिए विवाह कानूनों की खोज की जानी है, तो विवाह ही एक पुरुष और महिला के साथ रहने की एकमात्रा प्रणाली है।

2006 में बने घरेलू हिंसा कानून में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी कानूनी पत्नी को सुरक्षा का अधिकार दिया गया था। 2008 में, सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चों को वही अधिकार दिए जो कानूनी विवाह से पैदा हुए थे। जाहिर है इसमें मीडिया या साहित्यिक योगदान है। इस सदी में एक दो कहानियों में इस कानून को नकारने की बात भी उठाई गई है। आकांक्षा पारे ने इस सदी की नई शैली यानी आईटी प्रोफेशनल शिफ्ट कंट्रोल = डिलीट 'हंस' से पहला पुरस्कार, पर आधारित कहानी लिखी है। यह बताने का प्रयास था कि आईटी क्षेत्र में काम करने वाले लोग बेतरतीब जीवन जीते हैं और वीडियो गेम के दीवाने होने की हद तक दीवाने हैं। गनीमत है कि इस सेक्टर में कुछ ही दीवाने हैं, लेकिन इस नई पीढ़ी की सच्चाई उसमें थी।

चार साल पहले पांच आई.टी. पेशेवरों ने एक साहित्यिक वेब साइट शुरू की जिसकी हिंदी अधिकारी भी एक महिला वीणा वत्सल सिंह हैं। उन्होंने कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें नई पीढ़ी के लेखन और आज के पाठक को बेशकीमती प्रज्ञा रोहिणी की कहानी 'तकसीम' का जिक्र करते हुए समझना होगा। लोग समझते हैं कि आज की पीढ़ी दुनिया से असंबद्ध है, उसे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन इस प्रतियोगिता में कोई प्रेम कहानी या पति, पत्नी और महिलाओं की कहानी नहीं चुनी गई है, पाठक इस कहानी के सनकी आईटी पेशेवर के बारे में चिंता करता है जो फ्रांसी से पहले निंजा वीडियो गेम का अनुरोध करता है। साम्प्रदायिकता के जहर को खत्म करने के लिए इस नेट पर साहित्यिक रुचि के पाठक को पूरे समाज, उसकी शांति की चिंता है। तभी सवाल जीत गया। यह इस सदी की कहानी है, जिसमें महिलाओं के लेखन में सांप्रदायिकता के जहर को खत्म करने का आह्वान किया गया है। इस कहानी ने साहित्य के जानकारों को यह संदेश भी दिया कि ऑनलाइन मैगजीन या वेबसाइट चलाने या लिखने वाले लापरवाह नहीं हैं।

इस सदी में लिखी गई किरण सिंह ने एक दुर्लभ कहानी 'द्रौपदी पीक' हंस, लिखी, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई ऐसी कहानी कैसे लिख सकता है जो इतनी मजबूत, इतनी जटिल, इतनी विषमताओं को समेटे हुए हो। इसमें है रसूलपुर की डांसिंग गर्ल, नागा बनने की समस्या, उनकी अंदरूनी नफरत भरी राजनीति, लोग खाली टिन के डिब्बे और प्लास्टिक के थैले और रैपर पहाड़ों पर फेंक कर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। दूसरी राजनीति है बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की घिनौनी साजिश-उनके विज्ञापन, ताकि लोग द्रौपदी पीक यानि माउंट एवरेस्ट की यात्रा पर जाने के रोमांच का आनंद लेने के लिए उत्सुक हों और अपने पर्वतारोहण के लिए आवश्यक वस्तुओं को बेच दें। यात्रा से पहले, यात्री को यह लिखने के लिए कहा जाता है कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि

वह उसके शव को ढूँढे और उसे उसके परिवार के सदस्यों तक पहुंचाए। मुझे लगता है कि यह एकमात्रा ऐसी कहानी होगी, जिसके प्रकाशन के तुरंत बाद 'हंस' में इस पर 2-3 पेज का लेख था।

नमिता सिंह जी ने कहा था, "महिला के विभिन्न हिस्सों की कहानियों को लेकर आप महिला प्रवचन कैसे बनाएंगे?"। बाद में प्रीतपाल कौर ने 'पैर' की समस्या पर एक कहानी भी लिखी है कि महिलाओं के अलग-अलग कपड़ों में दिखने वाले अर्ध-नग्न 'पैरों' से समाज कैसे परेशान है? वर्ष 2017 में एक कहानी संग्रह आया 'आप ऊपर ही बिराजे', यानि किस तरह मेहनती और ईमानदार महिलाओं को इस व्यवस्था से निकाल दिया जाता है, जैसे पहाड़ों पर धार्मिक देवी-देवता बस जाते हैं। इसमें महिलाओं से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही एक महिला की कहानी है।

नई पीढ़ी की योगिता यादव, आकांक्षा पारे, इंदिरा नाग और सिनीवाली शर्मा, डॉ. नीरज शर्मा, अंजू शर्मा की कहानियों का अपना एक अंदाज और माहौल है। योगिता की कहानी 'क्लीन चिट' में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सरदार परिवारों की विधवाओं का वर्णन है। हत्यारों को कितनी क्लीन चिट दी जाती है। 'इंद्रप्रस्थ भारती' के वार्षिक अंक में प्रकाशित सिनीवाली की कहानी 'क्रताब पूर्वाग्रह' बेहद चौंकाने वाली है क्योंकि इसमें एक भी महिला चरित्रा नहीं है और यह पाठकों के सामने क्षेत्रीय भाषा के शब्दों के साथ गांव के चुनावी माहौल को जीवंत कर देती है। मैत्रोयी जी ने भी इस कथा की प्रशंसा की है। हुस्न तब्बसुम निहान की तरह वह न केवल दुनिया को मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं के बारे में बता रही हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य को कुछ सार्थक कहानियां भी दी हैं। प्रतिभा की ताजा कहानी 'बारिश के देवता' चैरापूंजी की परिस्थितियों के बारे में बताने वाली एक अनोखी कहानी है। अंजू शर्मा ने आज के परिवेश में ग्रहणी और स्वतंत्रा महिला के परिचित संघर्ष को अपनाकर परिवार व्यवस्था की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए 'नेमप्लेट' कहानी लिखी है। वीणा वत्सल सिंह की 'इरावती' में प्रकाशित कहानी में वन विभाग का वर्णन है, जो महिलाओं के लेखन में पहले नहीं पढ़ा गया है। इससे पहले कभी कोई महिला कोयला खदानों पर इतनी प्रामाणिक कहानी नहीं लिख सकती थी। "पके तो की लोरेन" या कहानी 'निकली अदालत' इच्छामृत्यु, मर्सी किलिंग, पर चर्चा करेगी।

**निष्कर्ष—** 21वीं सदी की महिला कहानी कारों की कहानियों में 21वीं सदी में हो रहे घटनाक्रम का वहां मिलता है। जिस तरह से समाज में आजकल महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से अश्लीलता को बढ़ावा दिया गया है, किसी सदी की कहानियों में वह सभी दृश्य प्रतिबिंबित होते हैं। कहानियों में अश्लीलता, धन प्रदर्शन, शोषण, लिव इन रिलेशनशिप, घरेलू हिंसा, परिवार से अलगाववाद आदि बहुलता से दिखाई देता है।

संदर्भ



- 1 [http%//www-rachanakar-org](http://www-rachanakar-org)
- 2 आशारानी व्होरा (संपा.), भारतीय भाषाओं में महिला लेखन (2005), श्री नटराजन प्रकाशन, दिल्ली, पृ.सं-13
3. नीरजा माधव, हिन्दी साहित्य का ओझल नारी इतिहास (1857-1947), (2014), सामयिक बुक्स, दिल्ली, पृ.सं-97-98.
- 4 नीरजा माधव, हिन्दी साहित्य का ओझल नारी इतिहास (1857-1947), (2014), सामयिक बुक्स प्रकाशन, दिल्ली, पृ.सं 108 109.
- 5 चन्द्रकिरण सौनरेक्सा, मेरी प्रिय कहानियाँ, (2008), पुर्वोदय प्रकाशन, दिल्ली, पृ.सं - 64.
- 6 [gadyakosh.org](http://gadyakosh.org)/हिंदी के विचार जगत में एक नया पथ प्रदर्शन, ममता कालिया
- 7 ममता कालिया (संपा.), नयी सदी की पहचान: श्रेष्ठ महिला कथाकार, (2009), लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ.सं 4.
- 8 [him.wikipedia.org/wiki](http://him.wikipedia.org/wiki)
- 9 [webdunia.com](http://webdunia.com), तीन बार विचार कर लिखती हूँ कहानी
- 10 सं-ममता कालिया, 'नयी सदी की पहचान श्रेष्ठ महिला कथाकार' (मामला आगे बढ़ेगा अभी - चित्रा मुदगल), (2009), लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ.सं. 51
- 11 सुधा अरोड़ा, अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी महानगर की चुनिन्दा कहानियाँ, ('दमनचक्र'),(2014),साहित्य भण्डार, इलाहाबाद, पृ.सं-55
12. गूगल सर्च आदि।

# स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनशीलता का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

डॉ० प्रवीन कुमार सिंह  
शोध निर्देशक, असिस्टेंट प्रोफेसर

शिक्षक शिक्षा विभाग (बी०एड०), सलतनत बहादुर  
पी०जी० कॉलेज, बदलापुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

मनीष कुमार पासवान  
शोधकर्ता, एम०ए०, एम०एड०

सलतनत बहादुर पी०जी० कॉलेज, बदलापुर, जौनपुर (उ०प्र०), सम्बद्ध-वीर  
बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

## Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number : 191-199

## Publication Issue :

September-October-2021

## Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 15 Sep 2021

**शोधसारांश-** सारांश-अध्ययनकर्ता द्वारा स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनशीलता का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। उद्देश्य के रूप में सृजनशीलता की विमा प्रवाह, विविधता एवं मौलिकता के आधार पर विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव देखने का प्रयास किया जा रहा है। अध्ययन में विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सृजनशीलता के प्रभाव को देखने के लिए सहसम्बन्धात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है। प्रस्तुत अध्ययन में जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित महाविद्यालयों एवं उसमें अध्ययनरत् स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को जनसंख्या माना गया है। प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श के चयन हेतु स्तरीकृत यादृच्छिकी विधि का प्रयोग किया जा रहा है। जिसमें गोरखपुर जिले के 20 महाविद्यालयों (10 शहरी एवं 10 ग्रामीण) में अध्ययनरत् 400 विद्यार्थियों (200 शहरी एवं 200 ग्रामीण क्षेत्र) का यादृच्छिकी न्यादर्शन विधि द्वारा चयन किया गया। तत्पश्चात् चयनित महाविद्यालयों से बी०ए० एवं बी०एस-सी० के 400 छात्र-छात्राओं को लेकर उन पर परीक्षणों को प्रशासित करके आँकड़ों का संकलन किया जा रहा है। उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रोफेसर बाकर मेंहदी का शाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण एवं शैक्षिक उपलब्धि-(विद्यार्थियों की पिछली परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक को सम्मिलित किया जा रहा है। अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रसरण (एनोवा) मान एवं टी-अनुपात सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि- स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की सम्पूर्ण सृजनशीलता, प्रवाह एवं विविधता का उनके शैक्षिक **की-वर्ड** : स्नातक, विद्यार्थी, सृजनशीलता, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, शैक्षिक उपलब्धि, प्रभाव, एनोवा, टी-मूल्य।

**प्रस्तावना-**शिक्षा, चरित्र एवं मानसिक शक्ति के विकास के लिए व्यवस्थित रूप से दिया जाने वाले अनुदेश है। यहाँ व्यवस्थित अनुदेश से तात्पर्य, विशिष्ट अर्थ एवं संकेत की अभिव्यक्ति है जिसमें शिक्षार्थी शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करता है।

शर्मा (2011), शिक्षा क्षमताओं और क्षमताओं में से एक को अपने अधिकतम स्तर तक प्राप्त करने में क्षमता प्रदान करता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्वयं की दूसरों के और समूहों की भावनाओं को पहचानने, मूल्यांकन करने और नियंत्रित करने की क्षमता है। यह सफल होने और एक पूर्ण जीवन जीने के लिए दूसरों की भावनाओं से ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता है। मेयर (2000) ने कहा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता जीवन की सफलता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अधिक से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लोग अपने जीवन की बैरियर की सीढ़ी पर आगे बढ़ते हैं। स्टीन और बुक (2000) ने कहा, जो हमें जटिल दुनिया में अपना रास्ता बनाने में सक्षम

बनाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी की एकात्मक क्षमता को जानने के लिए, किसी व्यक्ति की सोच प्रक्रिया के सहयोग से भावनाओं का न्याय करने के लिए उसे और दूसरों में खुशी की प्राप्ति के लिए व्यवहार करना है।

बडेबेरी (2003) ने कहा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता है, और इस जागरूकता का उपयोग करके खुद को प्रतिबंधित करने और दूसरे के साथ संबंध बनाने का कौशल है। शैक्षिक उपलब्धि स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि एक छात्र एक साथ संपन्न और उत्साही शिक्षार्थी के रूप में विकसित होता है जो अंततः सक्षम होता है।

जेनसन (1998) ने कहा कि छात्रों की अकादमिक उपलब्धि रचनात्मकता के अंको की उपलब्धि के साथ दृढ़ता से संबंधित है लेकिन एक अन्य अध्ययन में अनुभव किया गया कि रचनात्मकता और शैक्षिक उपलब्धि के बीच का संबंध काफी हद तक मानसिक गति घटक से जुड़ा था। शुरुआत में, रचनात्मकता और शैक्षिक उपलब्धि के बीच विभाजित अंतर लगभग 30 प्रतिशत था। दूसरी ओर, मानसिक गति घटकों को नियंत्रित करने के बाद, रचनात्मकता और शैक्षिक उपलब्धि के बीच साझा अंतर सबसे कम हुआ। यह परिणाम रचनात्मकता और अकादमिक उपलब्धि की वस्तुओं के सही होने के लिए मजबूत कड़ी है। विद्वानों ने बताया कि सभी ग्रेड स्तरों के माध्यम से छात्रों की उपलब्धि उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर सबसे अधिक निर्भर करती है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि अकादमिक उपलब्धि की भविष्यवाणी करने में केवल बौद्धिक कारक को महत्व दिया जाता है। पहले के अध्ययनों ने बुद्धि को अकादमिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक के रूप में इंगित किया है। यह माना जाता था कि मजबूत वैज्ञानिक दिमाग अकादमिक सफलता का प्रमुख माप है। इस विश्वास का पाठ्यक्रम डिजाइन शिक्षण परीक्षण और अनुसंधान प्रयासों के लिए होतकारी था। साहित्य से पता चलता है कि कई वर्षों तक सफलता के भविष्यवक्ता के रूप में बुद्धि का अध्ययन मुख्य रूप से अनुकृति के अनुकूल उपयोग पर केन्द्रित था।

रचनात्मकता और शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में मिश्रा और गर्ग (2015) ने रचनात्मकता और शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में एक अध्ययन किया। इस अध्ययन के लिए प्रतियोगियों को उच्च शिक्षा संस्थानों से चयनित किया गया। परिणामों से पता चलता है कि छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और रचनात्मकता के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं था। इसी तरह के एक अध्ययन में, सिन्हा (2012) ने उधामिकता कक्षा में रचनात्मकता का पता लगाया। परिणामों से पता चला कि उच्च शिक्षा स्तर पर छात्रों की रचनात्मकता के लक्षण और अकादमिक प्रदर्शन गैर महत्वपूर्ण थे। कॉलेज स्तर पर एक अध्ययन में करीमी (2000) ने रचनात्मकता और शैक्षिक उपलब्धि के बीच संबंध का पता लगाया। परिणामों से पता चला कि रचनात्मकता और शैक्षिक उपलब्धि के बीच संबंध पाया जाता है। जबकि नूरी (2002) ने रचनात्मकता और शैक्षिक उपलब्धि के बीच सम्बंध का आवलोकन किया। उन्होंने पाया कि रचनात्मकता और शैक्षिक उपलब्धि के बीच किसी तरह का सम्बंध नहीं पाया जाता है। शोधकर्ताओं ने उल्लेख किया कि सामान्य संज्ञानात्मक के बीच एक मजबूत सम्बंध के लिए अनुकवजन्य साक्ष्य है, शैक्षिक उपलब्धि में अभी भी कहीं भी 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत भिन्नता है जो कि अकेले सामान्य

क्षमता के उपायों के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त सामान्य संज्ञानात्मक क्षमता और शैक्षिक उपलब्धि के बीच संबंध की प्रकृति को समझने से अभ्यास और सिद्धान्त दोनों के लिए व्यापक प्रभाव पड़ता है।

अतः अध्ययनकर्ता द्वारा स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनशीलता का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है।

### अध्ययन का उद्देश्य—

निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन किया गया है—

1. स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनशीलता का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
2. स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनशीलता की विमा प्रवाह का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
3. स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनशीलता की विमा विविधता का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
4. स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनशीलता की विमा मौलिकता का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

### परिकल्पनाएँ—

अध्ययनों के आधार पर निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है—

- H<sub>01</sub> स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनशीलता का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।
- H<sub>02</sub> स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनशीलता की विमा प्रवाह का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।
- H<sub>03</sub> स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनशीलता की विमा विविधता का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।
- H<sub>04</sub> स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनशीलता की विमा मौलिकता का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

### शोध विधि—

अध्ययन में विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सृजनशीलता के प्रभाव को देखने के लिए सहसम्बन्धात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है।

## जनसंख्या

प्रस्तुत अध्ययन में जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित महाविद्यालयों एवं उसमें अध्ययनरत् स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को जनसंख्या माना गया है।

## न्यादर्श-

प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श के चयन हेतु स्तरीकृत यादृच्छिकी विधि का प्रयोग किया जा रहा है। जिसमें गोरखपुर जिले के 20 महाविद्यालयों (10 शहरी एवं 10 ग्रामीण) में अध्ययनरत् 400 विद्यार्थियों (200 शहरी एवं 200 ग्रामीण क्षेत्र) का यादृच्छिकी न्यादर्शन विधि द्वारा चयन किया गया। तत्पश्चात् चयनित महाविद्यालयों से बी०ए० एवं बी०एस-सी० के 400 छात्र-छात्राओं को लेकर उन पर परीक्षणों को प्रशासित करके आँकड़ों का संकलन किया जा रहा है।

## शोध उपकरण-

उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रोफेसर बाकर मेंहदी का शाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण एवं शैक्षिक उपलब्धि-(विद्यार्थियों की पिछली परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक को सम्मिलित किया जा रहा है।

## सांख्यिकी विधियाँ-

अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रसरण (एनोवा) मान एवं टी-अनुपात सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है।

## आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या-

1. स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनशीलता का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन-

### सारणी-1

#### सृजनशीलता एवं उपलब्धि

	High	Moderate	Low
N	46	181	173
%	11.50%	45.25%	43.25%
$\Sigma x =$	18560	70087	64220
$\Sigma x^2 =$	7589818	27508751	24250696
Creativity M=	87.48	66.46	48.53
S.D.	8.56	6.34	6.76
Achievement M=	403.48	387.22	371.21
S.D.	47.44	45.31	48.9

	df	SS	MS	
<b>BG</b>	2	46270.05	23135.03	
<b>WG</b>	397	882195.73	2222.16	
<b>Total</b>	399	928465.78	25357.18	
<b>F</b>	<b>10.411</b>	<b>.05= 3.02</b>	<b>Significant</b>	
<b>Group</b>	<b>N</b>	<b>M</b>	<b>Difference of group</b>	<b>M1-M2</b>
<b>High</b>	46	403.48	1-2	16.26
<b>Moderate</b>	181	387.22	1-3	32.26
<b>Low</b>	173	371.21	2-3	16.01

स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों के सृजनशीलता का उपलब्धि पर प्रभाव ज्ञात हेतु 400 विद्यार्थियों को प्रतिशतता के आधार पर तीन समूह उच्च में केवल 46(11.50%), मध्यम में 181(45.25%) एवं न्यून में 173(43.25%) विद्यार्थी है जिनके सृजनशीलता का मध्यमान क्रमशः 87.48, 66.46 एवं 48.53 है तथा तीनों की उपलब्धि का  $\Sigma x = 18560, 70087$  एवं  $64220$  तथा  $\Sigma x^2 = 7589818, 27508751$  एवं  $24250696$  है जिनके बीच एफ-मान 10.411 है जो .05 विश्वास स्तर पर सार्थक है अर्थात् तीनों समूहों की उपलब्धि 403.48, 387.22 एवं 371.21 है तीनों समूहों के मध्यमान का अन्तर (1-2, 1-3 एवं 2-3) में अन्तर 16.26, 32.26 एवं 16.01 है जो तीनों में सार्थक अन्तर है। उच्च एवं मध्यम सृजनशीलता वाले विद्यार्थियों की उपलब्धि न्यून सृजनशीलता वाले विद्यार्थियों की उपलब्धि से अधिक है। अतः विद्यार्थियों के सृजनशीलता का उनकी उपलब्धि पर प्रभाव है।

2. स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनशीलता की विमा प्रवाह का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन—

सारणी-2  
प्रवाह एवं उपलब्धि

	High	Moderate	Low
<b>N</b>	43	186	171
<b>%</b>	10.75%	46.50%	42.75%
<b><math>\Sigma = \xi</math></b>	17158	71515	64194
<b><math>\Sigma \xi^2 =</math></b>	6936170	27911691	24500804
<b>Fluency M=</b>	52.67	33.38	21.57
<b>S.D.</b>	6.59	5.59	4.15
<b>Achievement M=</b>	399.02	384.49	375.4
<b>S.D.</b>	46.38	47.36	48.64

	df	SS	MS	
<b>BG</b>	2	21043.16	10521.58	
<b>WG</b>	397	906822.61	2284.19	
<b>Total</b>	399	927865.78	12805.77	
<b>F</b>	<b>4.606</b>	<b>.05= 3.02</b>	<b>Significant</b>	
<b>Group</b>	<b>N</b>	<b>M</b>	<b>Difference of group</b>	<b>M1-M2</b>
<b>High</b>	43	399.02	1-2	14.53
<b>Moderate</b>	186	384.49	1-3	23.62*
<b>Low</b>	171	375.40	2-3	9.09

स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों के प्रवाह का उपलब्धि पर प्रभाव ज्ञात हेतु 400 विद्यार्थियों को प्रतिशतता के आधार पर तीन समूह उच्च में केवल 43(10.75%), मध्यम में 186(46.50%) एवं न्यून में 171(42.75%) विद्यार्थी है जिनके प्रवाह का मध्यमान क्रमशः 52.67, 33.38 एवं 21.57 है तथा तीनों की उपलब्धि का  $\Sigma x = 17158, 71515$  एवं  $64194$  तथा  $\Sigma x^2 = 6936170, 27911691$  एवं  $24500804$  है जिनके बीच एफ-मान 4.606 है जो .05 विश्वास स्तर पर सार्थक है अर्थात् तीनों समूहों की उपलब्धि 399.02, 384.49 एवं 375.40 है तीनों समूहों के मध्यमान का अन्तर (1-2, 1-3 एवं 2-3) में अन्तर 14.53, 23.62 एवं 9.09 है जो 1-3 सार्थक अन्तर है। उच्च प्रवाह वाले विद्यार्थियों की उपलब्धि न्यून प्रवाह वाले विद्यार्थियों की उपलब्धि से अधिक है। अतः विद्यार्थियों के प्रवाह का उनकी उपलब्धि पर प्रभाव है।

3. स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनशीलता की विमा विविधता का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन—

**सारणी-3**  
**विविधता एवं उपलब्धि**

	<b>High</b>	<b>Moderate</b>	<b>Low</b>
<b>N</b>	46	172	182
<b>%</b>	11.50%	43.00%	45.50%
<b><math>\Sigma x =</math></b>	18360	66622	67885
<b><math>\Sigma x^2 =</math></b>	7416772	26192918	25739575
<b>Flexibility M=</b>	39.61	27.56	17.3
<b>S.D.</b>	4.1	3.32	3.92
<b>Achievement M=</b>	399.13	387.33	372.99
<b>S.D.</b>	44.41	47.62	48.1



	df	SS	MS	
<b>BG</b>	2	33147.12	16573.56	
<b>WG</b>	397	895318.65	2255.21	
<b>Total</b>	399	928465.78	18828.77	
<b>F</b>	<b>7.349</b>	<b>.05= 3.02</b>	<b>Significant</b>	
Group	N	M	Difference of group	M1-M2
<b>High</b>	46	399.13	1-2	11.79
<b>Moderate</b>	172	387.34	1-3	26.14
<b>Low</b>	182	372.99	2-3	14.34

स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों के विविधता का उपलब्धि पर प्रभाव ज्ञात हेतु 400 विद्यार्थियों को प्रतिशतता के आधार पर तीन समूह उच्च में केवल 46(11.50%), मध्यम में 172(43.00%) एवं न्यून में 182(45.50%) विद्यार्थी है जिनके विविधता का मध्यमान क्रमशः 39.61, 27.56 एवं 17.30 है तथा तीनों की उपलब्धि का  $\Sigma x = 18360, 66622$  एवं  $67885$  तथा  $\Sigma x^2 = 7416772, 26192918$  एवं  $25739575$  है जिनके बीच एफ-मान 7.349 है जो .05 विश्वास स्तर पर सार्थक है अर्थात् तीनों समूहों की उपलब्धि 399.13, 387.33 एवं 372.99 है तीनों समूहों के मध्यमान का अन्तर (1-2, 1-3 एवं 2-3) में अन्तर 11.79, 26.14 एवं 14.34 है जो 1-3 एवं 2-3 में सार्थक अन्तर है। उच्च एवं मध्यम विविधता वाले विद्यार्थियों की उपलब्धि न्यून विविधता वाले विद्यार्थियों की उपलब्धि से अधिक है। अतः विद्यार्थियों के विविधता का उनकी उपलब्धि पर प्रभाव है।

4. स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनशीलता की विमा मौलिकता का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन—

**सारणी-4**  
**मौलिकता एवं उपलब्धि**

	High	Moderate	Low
<b>N</b>	65	133	202
<b>%</b>	16.25%	33.25%	50.50%
<b><math>\Sigma x =</math></b>	25174	50707	76986
<b><math>\Sigma x^2 =</math></b>	9907652	19679601	29762012
<b>Originality M=</b>	10.68	7.91	4.11
<b>S.D.</b>	0.85	0.82	1.5
<b>Achievement M=</b>	387.29	381.26	381.12

<b>S.D.</b>	49.68	51.29	45.78	
	<b>df</b>	<b>SS</b>	<b>MS</b>	
<b>BG</b>	2	2039.87	1019.94	
<b>WG</b>	397	926425.90	2333.57	
<b>Total</b>	399	928465.78	3353.50	
<b>F</b>	<b>0.437</b>	<b>.05= 3.02</b>	<b>Not Significant</b>	
<b>Group</b>	<b>N</b>	<b>M</b>	<b>Difference of group</b>	<b>M1-M2</b>
<b>High</b>	65	387.29	1-2	6.04
<b>Moderate</b>	133	381.26	1-3	6.17
<b>Low</b>	202	381.12	2-3	0.14

स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों के मौलिकता का उपलब्धि पर प्रभाव ज्ञात हेतु 400 विद्यार्थियों को प्रतिशतता के आधार पर तीन समूह उच्च में केवल 65(16.25%), मध्यम में 133(33.25%) एवं न्यून में 202(50.50%) विद्यार्थी है जिनके मौलिकता का मध्यमान क्रमशः 10.68, 7.91 एवं 4.11 है तथा तीनों की उपलब्धि का  $\Sigma x = 25174$ , 50707 एवं 76986 तथा  $\Sigma x^2 = 9907652$ , 19679601 एवं 29762012 है जिनके बीच एफ-मान 0.437 है जो .05 विश्वास स्तर पर असार्थक है अर्थात् तीनों समूहों की उपलब्धि 387.29, 381.26 एवं 381.12 है तीनों समूहों के मध्यमान का अन्तर (1-2, 1-3 एवं 2-3) में अन्तर 6.04, 6.17 एवं 0.14 है जो असार्थक अन्तर है। अतः विद्यार्थियों के मौलिकता का उनकी उपलब्धि पर प्रभाव नहीं है।

### निष्कर्ष

- उच्च सृजनशीलता वाले कम, मध्यम के साथ न्यून सृजनशीलता वाले विद्यार्थी अधिक तथा उच्च सृजनशीलता की उपलब्धि उच्च तथा अन्य की कम है अर्थात् सृजनशीलता का उपलब्धि पर प्रभाव है।
- उच्च प्रवाह वाले कम, मध्यम के साथ न्यून प्रवाह वाले विद्यार्थी अधिक तथा उच्च प्रवाह की उपलब्धि उच्च तथा अन्य की कम है अर्थात् सृजनशीलता की विमा प्रवाह का उपलब्धि पर प्रभाव है।
- उच्च विविधता वाले कम, मध्यम के साथ न्यून विविधता वाले विद्यार्थी अधिक तथा उच्च विविधता की उपलब्धि उच्च तथा अन्य की कम है अर्थात् सृजनशीलता की विमा विविधता का उपलब्धि पर प्रभाव है।
- उच्च मौलिकता वाले कम, मध्यम के साथ न्यून मौलिकता वाले विद्यार्थी अधिक है जबकि सभी के उपलब्धि में अन्तर बहुत कम है अर्थात् सृजनशीलता की विमा मौलिकता का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव नहीं है।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अलफुहैगी, सारी सलेम (2015). स्कूल इन्वायरमेंट एण्ड क्रियेटिविटी डेवलेपमेंट : ए रिव्यू ऑफ लिलेटचर, जर्नल ऑफ एजुकेशनल एण्ड इस्ट्रक्शनल स्टडीज इन द वर्ल्ड, 5(2), पृ० 33-37।
2. एलिसावेट एवं अन्य (2013). प्राइमरी फिजिकल एजुकेशन परसपेक्टिव ऑफ क्रियेटिव : द कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ द क्रियेटिव स्टूडेंट एण्ड देयर क्रियेटिव आउटकम, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ ह्युमनिस्टिस एण्ड सोशल साइंस, 3(3), पृ० 234-247
3. कुमार, श्रवण (2018). इलाहाबाद मण्डल के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में आत्म-सम्प्रत्यय, सृजनात्मकता, अध्ययन आदतों का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन, शोध-प्रबन्ध (शिक्षाशास्त्र), नेहरू ग्राम भारती (मानित वि०वि०), प्रयागराज।
4. झा, जे.एस. एवं रस्तोगी, प्रवीन (2014). क्रियेटिविटी एण्ड स्टाइल ऑफ टीचिंग ऑफ हिन्दी मिडियम एण्ड अंग्रेजी मिडियम स्कूल टीचर्स – ए कम्प्रेटिव स्टडी, एडवाजरी बोर्ड ऑफ इण्डियन एजुकेशनल रिव्यू, एन.सी.ई.आर.टी. 52(1), 20-39।
5. यादव, कृष्ण कुमार (2013). उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की शाब्दिक सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
6. यादव, रीना (2015). ए स्टडी ऑफ क्रियेटिविटी थिंकिंग इन रिलेशन टू इन्टेलिजेन्स एण्ड सेल्फ-कन्सेप्ट ऑफ 10+2 स्टूडेंट्स, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, 5(1), 7-10।
7. सागर, करताल (2015). माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सृजनशीलता तथा अध्ययन आदत से सम्बन्ध, लघु शोध प्रबन्ध, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
8. सुरापूरामथ, ए. कोटेश्वरस्वामी (2014). ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटविन क्रियेटिविटी एण्ड एकेडेमिक एचिवमेन्ट ऑफ सेकेण्डरी स्कूल पीपुल्स, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस, 3, स्पेशल इश्यू, 305-309।
9. सिद्दीकी, सैमा (2011). ए कम्प्रेटिव स्टडी ऑफ क्रियेटिविटी एमंग ब्वायज एण्ड गर्ल्स ऑफ क्लास-VII, इण्डियन एजुकेशन रिव्यू, 49(2), 5-14।

# भारतीय संस्कृति में नारी (कालिदास के परिप्रेक्ष्य में)

डॉ० अंजलि उपाध्याय

पी-एच०डी० (संस्कृत)

## Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number : 200-207

## Publication Issue :

September-October-2021

## Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 15 Sep 2021

**सारांश—** प्राचीन भारतीय समाज में नारी विषयक दृष्टिकोण उदार एवं विशाल था। वैदिक आर्यों की दृष्टि में नारी धर्म एवं अर्थ की प्रदात्री, वैभव और सांख्य की जननी, गृहलक्ष्मी रूपा और सर्वपूज्या समझी जाती थी। मनु भी इसी सिद्धान्त में विश्वास करते हैं कि जहाँ नारियों का आदर एवं सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ उनका अपमान एवं अनादर होता है वहाँ सभी क्रियाएँ निष्फल सिद्ध होती हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि स्त्री पुरुष की आत्म का आधा भाग है। महाभारत में भी नारी के माहात्म्य के विषय में लिखा गया है कि भार्या पुरुष का आधा भाग है। देश के महान समाजसुधारक लाला जाजपतराय ने ठीक ही कहा है कि स्त्रियों का प्रश्न पुरुषों का प्रश्न है, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य, पुरुषों की उन्नति बहुत कुछ स्त्रियों की उन्नति पर निर्भर है। हिन्दू-संस्कृति में नारी के महनीय स्थान को परखने के लिए अपनी संस्कृति के स्वरूप को हमें पहचानना होगा। नारी त्याग और तपस्या की जाज्वल्यमान विभूति है। महाकवि कालिदास आर्य-संस्कृति के प्रतिनिधि कवि थे। उनकी कृतियों में हमें कन्या रूप में नारी का चित्रण उपलब्ध होता है। उन्होंने आर्य कन्या के आदर्श को 'पार्वती' के रूप में अभिव्यक्त किया है। यह सार्वभौमिक सत्य है कि नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। समाज रचना के लिए नर और नारी स्तम्भ स्वरूप है। अतः दोनों को पारस्परिक सामंजस्य एवं सहयोग से कार्य करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति उदार एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए। नारी पर पुरुष की प्रभुता अनाधिकार चेष्टा है। पुरुष द्वारा नारी का अनादर एवं अपमान उसके लिए सुखद न होकर दुःखद ही है। इससे दाम्पत्य एवं गृहस्थ जीवन अशान्ति एवं कलह का आलय बन जाता है जो अन्त में समाज के लिए घातक तत्त्व सिद्ध होता है। नारी का पतन, समाज का पतन है और नारी का उत्कर्ष समाज का उत्कर्ष है। अतः नारी को समाज की प्रगति का मूल मानकर उसका सर्वथा आदर करना चाहिए। यही समाज व उसके कर्णधारों के लिए सन्देश है।

**मुख्य शब्द—** भारतीय संस्कृति, हिन्दू, कालिदास, नारी, महत्त्व।

मानव-सृष्टि में नर और नारी का स्थान एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व सम्भव नहीं है। दोनों की प्रकृति और कृति भिन्न हो सकती है, किन्तु दोनों का लक्ष्य भिन्न नहीं

है। पथ भी एक ही है। उनके जिस परिपार्श्व में पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है वह एकता का साधक है बाधक नहीं। **न तो नर अपने निमित्त है और न नारी।** जिस प्रकार गाड़ी अपने दोनों पहियों से ही गन्तव्य पर पहुँच सकती है, उसी प्रकार मानव सृष्टि की लक्ष्य सिद्धि भी नर और नारी दोनों से ही सम्भव है। सृष्टि की गति दोनों से है एक से नहीं। नर का स्त्री रूप विग्रह “नर नरयोर्वृद्धिश्च” सूत्र से नारी शब्द की सिद्धि होती है। मनुष्य की शक्ति को ही नारी कहा जाता है, उसके बिना मनुष्य असमर्थ होता है।

प्राचीन भारतीय समाज में नारी विषयक दृष्टिकोण उदार एवं विशाल था। वैदिक आर्यों की दृष्टि में नारी धर्म एवं अर्थ की प्रदात्री, वैभव और सांख्य की जननी, गृहलक्ष्मी रूपा और सर्वपूज्या समझी जाती थी। भरत मुनि ने भी अपने ‘नाट्यशास्त्र’ में इसी बात का समर्थन किया है। उनके अनुसार संसार में मानवमात्र का चरम लक्ष्य सुख है और सुख का मूलाधार नारी है।

**सर्व प्रायेण लोकोऽयंसुखमिच्छति सर्वदा।**

**सुखस्य च स्त्रियों मूलं ना नाशीलधराश्च ताः।।**

(नाट्यशास्त्र 20–93)

मनु भी इसी सिद्धान्त में विश्वास करते हैं कि जहाँ नारियों का आदर एवं सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ उनका अपमान एवं अनादर होता है वहाँ सभी क्रियाएँ निष्फल सिद्ध होती हैं।

**“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता**

शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि स्त्री पुरुष की आत्म का आधा भाग है। इसलिए जब तक पुरुष स्त्री को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक प्रजोत्पादन न होने से वह अपूर्ण रहता है।<sup>3</sup>

महाभारत में भी नारी के माहात्म्य के विषय में लिखा गया है कि भार्या पुरुष का आधा भाग है। वह उसका सबसे उत्तम मित्र है। भार्या त्रिविध का मूल है और संसार सागरसे तैरने के इच्छुक पुरुष के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है।<sup>4</sup>

प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता के विवेचक डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल के मतानुसार— “स्त्री वृत्त का व्यास है, और पुरुष उसकी परिधि है। जिस प्रकार वृत्त के व्यास को तिगुना करके परिधि बनती है, उसी प्रकार स्त्री के जीवन से गुणित होकर पुरुष का जीवन बनता है। यही पति पत्नी या गृहस्थ के जीवन का साज-संगीत है।<sup>5</sup> देश के महान समाजसुधारक लाला जाजपतराय ने ठीक ही कहा है कि स्त्रियों का प्रश्न पुरुषों का प्रश्न है, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य, पुरुषों की उन्नति बहुत कुछ स्त्रियों की उन्नति पर निर्भर है।

नारी भारतीय संस्कृति में अतीव उन्नत गौरव की अधिकारिणी सदा से रही है। इसीलिए तो भारतीय समाजशास्त्रियों ने “**न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति**” का शंख निनाद किया। यह कथन स्त्री

समाज की निन्दा या अपमान का सूचक नहीं है। प्रव्युत वस्तुस्थिति का द्योतक है। नारी के तीन रूप हैं—कन्या, पत्नी तथा माता और इन तीनों ही दशाओं में उसकी रक्षा, मान—मर्यादा तथा प्रतिष्ठा के संरक्षण का पवित्र कार्य पुरुष के ऊपर ही निर्भर करता है। पुरुष मात्र का सूचक वेद का महनीय शब्द है— 'वीर' सारांश यह है कि पुरुष वही है, जो वीर हो वीर्य सम्पन्न हो अपने आश्रित की रक्षा करने की क्षमता रखता हो। वैदिक ऋषियों ने इस वीर्य के प्रतीक 'वीर' नानधारी पुरुष के संरक्षण में 'नारी' की व्यवस्था कर उचित ही कार्य किया, परन्तु दुःख का विषय है कि हम अपने सामर्थ्य से ही सर्वथा च्युत हो गये हैं और अपने आपको बचाने की क्षमता से विहीन होकर हमने अपनी अनमोल धाती के रक्षण से ही अपना मुँह मोड़कर जघन्य अपराध कार्य किया है। अतः नारी की इस वर्तमान दुरावस्था का समस्त दोष पुरुष की नपुंसकता को है।

हिन्दू—संस्कृति में नारी के महनीय स्थान को परखने के लिए अपनी संस्कृति के स्वरूप को हमें पहचानना होगा। हमारी सभ्यता के दो वादपीठ हैं— त्याग और तपस्या। हमारी सभ्यता किसी की सम्पत्ति पर बलात् अधिकार कर उसे बरबस छीनने और झपटने का उपदेश नहीं देती है। वह गम्भीर स्वर से पुकारती है।

### **'तेन व्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्वि;नम्' 16**

नारी त्याग और तपस्या की जाज्वल्यमान विभूति है। इन्हीं दोनों तत्त्वों के समन्वय से हमारी आर्य नारी का स्वरूप संगठित हुआ है। नारी—जीवन का मूलमंत्र है—त्याग और इस मन्त्र को सिद्ध करने की क्षमता उसे प्रदान की है तपस्या ने।

हम भलीभाँति यह नहीं कह सकते कि उसके जीवन के किस अंश में इन महनीय तत्त्वों के विलास का दर्शन हमें नहीं मिलता है, परन्तु यदि हम उसके पूर्व जीवन को 'तपस्या' का काल और उत्तर जीवन को 'त्याग' का काल माने, तो कथमपि अनुचित नहीं होगा। हमें नारी के तीन रूप दिखाई देते हैं— कन्या, भार्या तथा मृतरूप। कौमार्यकाल नारी जीवन की साधनावस्था है तथा उत्तरकाल इस जीवन की सिद्धावस्था है। हमारी संस्कृति के उपासक संस्कृति मनीषियों ने नारी के इन तीन रूपों का विवरण बड़ी ही उत्कृष्टता के साथ किया है—

**नारी कन्या रूप में—** महाकवि कालिदास आर्य—संस्कृति के प्रतिनिधि कवि थे। उनकी कृतियों में हमें कन्या रूप में नारी का चित्रण उपलब्ध होता है। उन्होंने आर्य कन्या के आदर्श को 'पार्वती' के रूप में अभिव्यक्त किया है। आर्यकन्या को अदम्य, अजेय तथा जितेन्द्रिय बनाने का मुख्य साधन तपस्या ही है। कालिदास ने अपने 'कुमार सम्भव' में उसके महत्त्व को बड़े ही भव्य शब्दों में प्रकट किया है। शिवजी के द्वारा मदन—दहन के अनन्तर भग्न मनोरथा पार्वती जगत की समग्र आशाएँ छोड़कर तपस्या की साधना में जुट गयी। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि कठिन शरीर से उपार्जित मुनियों की तपस्या उसके सामने नितान्त प्रभाहीन तथा प्रभावहीन

प्रतीत होता है। प्रकृति के नाना प्रकार के कष्टों को झेलकर अन्ततः वह अपनी कामनासिद्धि में सफल होती है। उनका मनोरथ तरु-फल सम्पन्न होता है। अभीष्ट फल प्राप्त होता है। कालिदास ने पार्वती के तप का रहस्य विशेष रूप से प्रकट किया है—

**“इयेष सा कर्तुमवन्ध्य रूपतां समाधिमास्थायतपोभिरात्मनः।**

**अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथा विधं प्रेमपतिश्चतादृशः” ॥<sup>7</sup>**

पार्वती की तपस्या का फल था— ‘तथाविधंप्रेम’ उच्च कोटि का अलौकिक प्रेम, और ‘तादृशःपतिः’ उसी प्रकार का मृत्यु को जीतने वाला पति। जगत के समस्त पति मृत्यु के क्रीत-दास हैं। एक ही व्यक्ति मृत्यु को जीतने वाला है और वह है मृत्युञ्जय महादेव। मृत्यु को जीतने की क्षमता एक में ही है और वह व्यक्ति है देवों में महान देव अर्थात् महादेव। आज तक कोई भी कन्या मृत्युञ्जय को प्रति वरण करने में समर्थ नहीं हुई, और इस युगल-जोड़ी का प्रेम भी कितना अनुपम उत्कट, एवं अलौकिक है। कालिदास ने ‘तथाविधं’ शब्द के भीतर गम्भीर अर्थ की अभिव्यंजना की है। शंकर ने पार्वती को अपने मस्तक पर स्थान दिया। आदर की भी एक सीमा होती है। पत्नी को इतना उच्च स्थान प्रदान करना सत्कार का महान् प्रकर्ष है, आदर की पराकाष्ठा है। अन्य देवताओं में से किसी ने कभी अपनी पत्नी को इतनी गौरव प्रदान नहीं किया गौरी की यह साधना भारतीय कन्याओं के लिए अनुकरणीय वस्तु है। हमारी कन्याओं के सामने एक ही आदर्श है और वह है पार्वती।

**नारी पत्नी रूप में—**संस्कृत कवियों ने पत्नी रूप में नारी का सुचारु रूप में चित्रण किया है वाल्मीकि, व्यास, कालिदास और भवभूति इन महामान्य कवियों ने भारतीय पत्नी की रूपछटा का वर्णन बड़े ही उत्कृष्ट शब्दों में किया है। भगवती जनक नन्दिनी के शील-सौन्दर्य की ज्योत्स्ना किस व्यक्ति के हृदय में उपशम तथा शान्ति नहीं प्रदान करती? जानकी का चरित्र भारतीय पत्नियों के सम्मुख महान आदर्श का द्योतक है। वाल्मीकीय रामायण के अनेक प्रसंग में इस कथन के प्रमाणभूत है। रावण के द्वारा बारम्बार प्रेम का प्रस्ताव रखने पर सीता के जो अवहेलना सूचक वचन हैं वे भारतीय नारी के गौरव को सदा उद्घोषित करते रहेंगे। वह कहती है कि इस निशाचार रावण से प्रेम करने की बात तो दूर रही मैं तो इस अपने पैर से भी नहीं छू सकती—

**“चरणेनापि सत्येन न स्पृशेयं निशाचरम्।**

**रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितम् ॥<sup>8</sup>**

मेरे चरित्र पर लांछन लगाना कथमपि उचित नहीं है, मेरे निर्बल अंश को पकड़कर आपने आगे किया है परन्तु मेरे चरित्र के सबल अंश को पीछे ढकेल दिया है। नारी का दुर्बल अंश है— उसका नारीत्व स्त्रीत्व और सबल अंश है— पत्नीत्व और पातिव्रत। नरशार्दूल! आप मनुष्यों में श्रेष्ठ है, परन्तु क्रोधावेश में आकर आपका यह कथन साधारण पामरजन के समान है। मैं आपकी



हृदय से भक्ति करती हूँ। मेरा स्वभाव निश्छल और पवित्र है। आश्चर्य है कि आप जैसे नर शार्दूल ने मेरे स्वभाव को मेरी भक्ति को तथा पाणिग्रहण को पीछे ढकेल दिया है। मेरा उपहास करने के लिए मेरे स्त्रीत्व को आगे रखा है—

“त्वया तु नर शार्दूल क्रोध मेवानुवर्तता ।  
लघुनेव मनुष्येण स्त्रीत्वमेव पुरस्कृतम् ॥  
न प्रमाणीकृतः पाणिर्बाल्ये बालेन पीडितः ।  
मम भक्तिश्च शीलं च सर्व ते पृष्ठतःकृतम् ॥

कितनी ओजस्विता भरी है इन सीधे-सादे निष्कपट शब्दों में। अनादृता भारतीय ललना का यह उद्गार कितना हृदय-बेधक है? सुनते ही सहृदय व्यक्ति की आँखों में सहानुभूति के आँसू छलक पड़ते हैं। समाज में पति का सम्मान एवं स्नेह-प्राप्ति ही प्रतिव्रता नारी का चरम ध्येय था। भर्तृस्नेह की अधिकारिणी नारी मर जाने पर भी अजर-अमर मानी जाती है—

“धन्या सा स्त्रीयां तथा वेत्ति भर्ता ।  
भर्तृस्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा ॥<sup>9</sup>

इसीलिए विवाह आदि के अवसर पर नारी को सौभाग्यवती होने के साथ-साथ ‘भर्तृबर्हुमताभव’ भर्तृबर्हुमान सूचक महादेवी शब्द लभस्व’ भर्तृरभिमताभव आदि आशीर्वाद भी परिवार जन की ओर से दिये जाते थे।

**वस्ते! भर्तृबर्हुमता भव ॥<sup>10</sup>**

पति द्वारा निराहत नारी का जीवन निष्फल सा होता था। कुलवधू अपने चरित्र एवं आचरण पर कोई आक्षेप सहन नहीं कर सकती थी। वह अपनी चरित्र्य शुद्धि के प्रत्ययार्थ कठोर से कठोर परीक्षाएँ देने को तत्पर रहती थी। ‘अभिषेक नाटक’ में सीता राम के विश्वास के लिए अग्नि में प्रविष्ट हो जाती है।

भार्या पति के सुख-दुःख की सहचरी थी। जीवन की सभी अवस्थाओं में वह पति की अनुगामिनी थी। वह वस्तुतः अपनी ‘अर्द्धांगिनी’ अमिधा को सार्थक करती थी। संकट-काल में तो वह अपने स्वामी की सच्ची सहचरी थी। विपत्ति में वह तन, मन, धन सब कुछ पति पर न्योछावर कर देती थी।

पति के कल्याण तथा मंगल के निमित्त आत्मनिषेध या आत्मसमर्पण ही नारीत्व है। पुरुष की पूर्ति नारी के संगम में है। नारी के बिना पुरुष की पूर्ति नारी के संगम में है। नारी के बिना पुरुष का जीवन अधूरा है। बिना नारी के सहयोग के वह अपने पुरुषार्थ में कृत कार्य नहीं हो सकता। नारी पशु-प्रवृत्ति की प्रतीक नहीं है, वह तो दिव्य गुणों की प्रतिमा है अलौकिक गुणों की मूर्ति है।

## नारी मातृ रूप में—

परिवार में नारी का स्थान उसके मातृत्व पर आधारित था। परिवार में माता का विशिष्ट एवं सम्माननीय स्थान था। पुत्रवती नारी वंश परम्परा की अविच्छिन्न विधात्री होने के कारण कल की प्रतिष्ठा होती थी।

**‘सरोपितेऽयात्मनि धर्म पत्नी व्यक्ता मया नाम कुलप्रतिष्ठा।’<sup>11</sup>**

वह पुत्र रूप में अपने पतिकुल के वंश सूत्र को धारण करती थी। ‘अभिज्ञान शाकुन्तल’ में विरह—पीड़ित दुष्यन्त के शोक के कारण उसका शकुन्तला के प्रति अखण्ड प्रेम तो है ही साथ ही उसके खेद का हेतु यह भी है कि उसने गर्भवती शकुन्तला का परित्याग कर अपने वंश को ही समाप्त कर दिया। सन्तानवती स्त्री वंशप्रवर्तिका होने के कारण पति के हृदय की भी अधिष्ठात्री होती थी, उसे पति का आदर एवं सम्मान प्राप्त होता था। ‘विक्रमोर्वशीयम्’ में राजा पुरुरवा अपने पुत्र आयु को देखकर उसकी माता उर्वशी को “पुत्रवती का स्वागत है” ऐसा कहकर सम्मानपूर्वक अर्द्धासन पर अधिष्ठित करता है।

**स्वागतं पुत्रवत्यै। इत आस्यताम्।<sup>12</sup>**

मातृत्व नारी की चरम परिणति थी। ‘माता’ की सुधा वर्षिणी अमिधा को प्राप्त कर नारी अपने जीवन को सार्थक समझती थी। वीर—पुत्र की माता बनने में वह गौरव का अनुभव करती थी। ‘मालविकाग्निमित्र’ में वसु मित्र की विजय पर परिव्राजिका द्वारा बधाई देने पर धारिणी यही कहती है कि मुझे यही सुख है कि मेरा पुत्र भी पिता के समान पराक्रमशाली बने। यही कारण था कि नारी को सदा चक्रवर्ती और वीरपुत्र की माता बनपने का आशीर्वाद दिया जाता था।

**“वत्से! वीरप्रसविनी भव”।<sup>13</sup>**

नारी के मातृरूप का समाज में यथेष्ट सम्मान था। माता मनुष्यों के लिए देवताओं की भी देवता मानी जाती थी। उसकी आज्ञा सर्वावस्थाओं में शिरोधार्य होती थी। पुत्र माता के आदेश से अकार्य तक करने को बाध्य हो जाता था। “मध्यमव्यायोग” में घटोत्कच अपनी माता के व्रतपारणार्थ उसके आदेश से ब्रह्महत्या तक के लिए उद्यत हो जाता है।

**माता किल मनुष्याणां दैवता नां च दैवतम्।।<sup>14</sup>**

माता एवं पत्नी के अतिरिक्त नारी का प्रेयसी रूप भी दृष्टिगोचर होता है। प्रेयसियाँ दो प्रकार की थी एक तो वे जो विवाह के पश्चात पति को आराध्य समझकर उसी से एकनिष्ठ प्रेम करती थी और दूसरी वे जो विवाह से पूर्व ही किसी पुरुष को अपना तन—मन समर्पित कर देती थी। रानी औशीनरी, महारानी धारिणी, सीता, धूता आदि प्रथम प्रकार की और उर्वशी, मालविका, शकुन्तला, कुरंगी, वासवदत्ता आदि दूसरे प्रकार की प्रेयसियाँ थीं।

इस प्रकार संस्कृत साहित्य में नारी का प्रभाव विशेष रूप से अभिव्यक्त माना गया है। वह शक्ति की मूर्ति, प्रेम का अवतार, अनुराग की वाटिका, रस का उत्स, हृदय-कली को विकसित करने वाले प्रभात-वायु का हिलोरा तथा मानस में आनन्द-लहरी उठाने वाला मन्द-मन्द प्रवाहित पवन है। संस्कृत-साहित्य में नारी की शक्ति को पहचानकर उसे उचित रूप में अभिव्यक्त किया गया है।

यह सिर्फ कहने की आवश्यकता नहीं है कि कोमल, संवेदनशील नारी समाज और सामाजिक क्रिया-कलाप का अटूट अंश है। सभ्यता और संस्कृति के विकास में उसने सदैव सक्रिय योगदान दिया है, दे रही है और देती रहेगी। एक ओर नारी के लोरी गाने वाले मधुर कण्ठ में राष्ट्र नायकों को कर्तव्य की प्रेरणा देने की क्षमता विद्यमान है तो दूसरी ओर उसके पालना झुलाने वाले करों में विश्व पर शासन करने की शक्ति भी निहित है। सुशीलता, तितिक्षा, समर्पण, उत्सर्ग, व्यवस्था, लज्जा और प्रेम की साक्षात्, प्रतिमा नारी, कन्या, गृहिणी सहचरी और माता के कर्मठ रूपों में परिवार, समाज और राष्ट्र की मंगलविधात्री है।

यह सार्वभौमिक सत्य है कि नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। समाज रचना के लिए नर और नारी स्तम्भ स्वरूप है। अतः दोनों को पारस्परिक सामंजस्य एवं सहयोग से कार्य करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति उदार एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए। नारी पर पुरुष की प्रभुता अनाधिकार चेष्टा है। पुरुष द्वारा नारी का अनादर एवं अपमान उसके लिए सुखद न होकर दुःखद ही है। इससे दाम्पत्य एवं गृहस्थ जीवन अशान्ति एवं कलह का आलय बन जाता है जो अन्त में समाज के लिए घातक तत्त्व सिद्ध होता है। नारी का पतन, समाज का पतन है और नारी का उत्कर्ष समाज का उत्कर्ष है। अतः नारी को समाज की प्रगति का मूल मानकर उसका सर्वथा आदर करना चाहिए। यही समाज व उसके कर्णधारों के लिए सन्देश है।

नारी के इसी कल्याणमय रूप को लक्ष्य कर कविवर जयशंकर प्रसाद ने उसके प्रति श्रद्धा सुमन इन शब्दों में अर्पित किये—

नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत-नभ पग तल में,  
पीयूष-स्रोत-सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।।

### सन्दर्भ ग्रन्थसूची

1. नाट्यशास्त्र, 20-29
2. मनुस्मृति, 3.56

3. शतपथ ब्राह्मण—5.2, 1—10
4. महाभारत,आदि पर्व, 74—41
5. हिन्दू परिवार—मीमांसा की भूमिका, पृ० 25
6. ईशा वास्पपनिषद्,
7. कुमार सम्भव,
8. वा०रा०सु० 5 / 26 / 10
9. स्वप्नवासव दत्तम, 1.13
10. अभिज्ञान शाकुन्तलम्—अंक—4
11. अभिज्ञान शाकुन्तलम्—6.24
12. विक्रमोर्वशीयम्—अंक—5
13. मध्यम व्यायोग ।

## आवन्तिक-मारुतिचरितयोः खण्डकाव्ययोः सामान्यपरिचयः

अमितोषमिश्रः

शोधच्छात्रः, साहित्यविभागः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, उत्तरप्रदेशः

### Article Info

Volume 4 Issue 5

Page Number : 208-210

Publication Issue :

September-October-2021

### Article History

Accepted : 01 Sep 2021

Published : 15 Sep 2021

**शोधसारांशः-** आवन्तिकम् आचार्यरमाशङ्करमिश्र'मधुप'वर्यस्य खण्डकाव्यमस्ति। आवन्तिके भागद्वयमस्ति- वन्दितं नन्दितञ्च। वन्दितभागे पञ्चसप्ततिः पद्यानि सन्ति नन्दितभागे च एकपञ्चाशत् पद्यानि। वन्दितभागे मुक्तकपद्यानि सन्ति नन्दितभागे वेदप्रियब्राह्मणः शिवभक्तिः वर्णिता अस्ति, पुनः चन्द्रसेनराज्ञः कथावर्णिता अस्ति।

**मुख्यशब्दाः-** आवन्तिकम्, आचार्यरमाशङ्करमिश्र, खण्डकाव्यम्, शिवभक्तिः।

वन्दितभागे प्रथमं चतुर्षु पद्येषु मङ्गलाचरणं कृतमस्ति। अत्र मङ्गलाचरणे प्रथमं पद्यद्वये शिववन्दना कृता अस्ति, पुनः विष्णुवन्दना विद्यते। ततः चण्डिकावन्दना कृता अस्ति। पुनः कविना स्वानहंकारः प्रदर्शितः। कविः अत्र कथयति यत् अवन्तिनगर्या भगवतः महाकालस्य प्रतापरुपिमहासागरः विद्यते, मम बुद्धि तत्र वायुप्रकम्पिता नौका इव अस्ति, अतः अहमवन्तिनगर्याः माहात्म्यमपारमस्ति अतः सः एतस्मिन् अमितमाहात्म्यवर्णने सर्वथा अक्षमोऽस्मि।

पुनः कविः कथयति यत् मम काव्यम् अनन्तदोषयुक्तमस्ति पुनरपि विद्वान्सः सदैव तुच्छजनसमुद्धरणे तत्पराः भवन्ति अतः मां समुद्धरिष्यन्ति। भारतवर्षे काशी-अयोध्या-हरिद्वार-मथुरा-द्वारका-अवन्ति-काञ्चीनगर्यः प्रसिद्धाः सन्ति। अवन्तिकायां कालिदासादिपालकः श्रीमहाकालः नृत्यपरायणां पार्वतीमनुरञ्चयन् सदैव वसति। कविः कथयति यत् अवन्तिकानगरी शिप्रानद्याः पवित्रजलैः पूता अस्ति सा भक्तजनानां पापसमूहं विनाशयति।

पुनरपि अवन्तिकायाः माहात्म्यवशात् मम मनः तस्य वर्णनाय उत्कण्ठितमस्ति अतः विदुषां मार्गमनुशरन् कवियशःकामनाप्रेरितः सन् मन्दधीरपि वर्णयामि।

तथाप्यवन्ती -महिमोच्छलन्मना

मनाग् बुध-क्षुण्ण-पथं समुल्लिहन्।

कवीन्द्र-कीर्त्यै स्पृहयन् पदे पदे।

स्खलत्-पदोऽहं कवयामि मन्द-धीः।<sup>1</sup>

अवन्तिकायाः अपरनाम् उज्जयिनी अस्ति अत्र महाकालः पार्वत्या सह सदा वसति। अवन्तिकायां दूषणदैत्यस्य विनाशः अभूत्। सा नगरी चन्द्रसेनादीनां राज्ञां विपत्तिहारिणी अस्ति।

अवन्तिनगर्यां भगवान् शिवः वसति अतः कवीनां मनः स्वयमेव तस्याः वर्णने प्रवृत्तं भवति। मम काव्ये काचित् पदच्छटा अलङ्काराणां घटा रीतिगुम्फने काचित् निपुणता न विद्यते। काव्यमिदं न तु रसनिष्पत्तिस्थलमपि अस्ति। अत्र भक्तिरूपिमञ्जरी स्वसौरभं तनोति।<sup>2</sup>

मम काव्यम् ईर्ष्याकषायितचित्तानां कृते आह्लादकं न भविष्यति। कविः कामयते यत् काव्यमिदं सहृदयानां कृते आह्लादकं भवतु।

कविः कथयति यत् कस्य मनः भगवतः शिवस्य चरणकमलयोः वर्णने उज्जयिनीवर्णने प्रवृत्तो न भवति अतः मतिः अपि आवन्तिकवर्णने प्रेरिता भवति।

पञ्चदशसु पद्येषु उपक्रमः समाप्तः भवति।

अवन्तिनगरी मुनीनां सिद्धानां च भूमिरस्ति। इयं रमणीनां रमणभूमिरप्यस्ति। अत्र कवयः काव्यद्वारा स्वयशः विस्तारयन्ति। अत्र गुप्तवंशीयाः राज्ञः शासनं चक्रतुः। इयं नगरी भगवतः शिवस्य पूजायां प्रयुक्तभस्मभिः सितवर्णा दृश्यते। अत्र महाकालमन्दिरे भगवान् शिवः राजते, तस्याङ्के विद्यमानायाः पार्वत्याः प्रतिदिनमभिषेकः भवति। अत्र सर्पराजकृतायां शय्यायां कार्तिकेय-गणपति-गौरीपरिवृतः शिवः राजते। तस्य प्रत्यङ्गं भुजङ्गाः भूषणरूपेण राजन्ते। शिरसि च चन्द्रः राजते। मन्दहासराजितः शिवः अत्र पूज्यते। पुनः कविः कामयते यत् तस्य हृदये महाकालभक्तिः जायताम्-["कदा स्वहृदयमवेक्ष्यै शिवमयम्"-आवन्तिकम् 2]

अवन्तिनगर्यां भगवान् महाकालः सपरिवारं वसति। कविः कामयते यत् सः स्वहृदये निरतं विद्यमानं मङ्गलस्वरूपं भगवन्तं महाकालं पश्येत्-["स्थितं श्रेयो वीक्ष्यै निजहृदि महाकालमनिशम्"-आवन्तिकम् 22"]

पुनः अग्रे वर्णिताः विषयाः सन्ति-उज्जयिनीमहाकुम्भः, उज्जयिनी, महाकालमन्दिरम्, महाकालः, महाकालनगरी, उज्जयिनी-वैभवम्, कालिदासः, उज्जयिनी-परमोत्कर्षः, शिवजटायां गङ्गा, उज्जयिनी-सौभाग्यम्, भर्तृहरिः, भक्त-सौभाग्यम्, भोजराजः, गुप्त-वंशजा नृपाः, कालिदासः, कवि-सौभाग्यम्, महाकालः, क्षिप्रा नदी, त्रिगुणात्मकः शिवः, पुराणपुरुषोत्तमः शिवः, उज्जयिनी, प्रपन्न-क्रन्दनम्, गौरी, अवन्तिका, समुद्रगुप्त-भोजादि-दाक्षिण्यम्, भर्तृहरिः, साम्य-वैषम्य-लीला, शरण्या उज्जयिनी इत्यादयः। नन्दितभागे प्राचीनकाले शिवभक्तः वेदप्रियोऽभिधानः ब्राह्मणः उज्जयिन्यां सपत्नीकं निवसति स्म। कश्चित्कालानन्तरं तयोः चत्वारः पुत्राः जाताः- तेषां नामानि आसन्- देवप्रियः, प्रियमेधा, सुकृतः सुव्रतश्च। चत्वारः पुत्राः वेदपारङ्गताः शिवभक्त्यामनुरक्ताः आसन्। पुनः दूषणाख्यः दानवः रत्नमालपर्वते घोरतपः प्रतेपे तस्य तपसः सन्तुष्टः ब्रह्मा तस्मैः भूरिबलं दुर्धर्षामुच्चां च लक्ष्मीं दत्तवान्। सः राक्षसः यद्यपि सर्वविभवैः युक्तोऽभवत् पुनरपि अतृप्त इव सर्वान् अपीडयत्। तेन सर्वे राजानः विजिताः, मनुजाः निर्जिताः, विद्वद्गणः वशीकृतः, सर्पगणः भयसात्कृतः, स्वर्गे च इन्द्रादिदेवा पदच्युतः कृतः। सः दानवः त्रैलोक्यं तृणमिव गणयन् उज्जयिनीं प्रति प्रयाणं कृतवान्। भ्रमणं कुर्वन् तेन शिप्रानद्याः तटे व्रतपरायणाः चत्वारः ब्राह्मणबालकाः दृष्टाः। तान् समाधिविरतान् कर्तुं सः न शशाक। क्रोधपूर्वकं तेन चत्वारः राक्षसाः प्रेषिताः तान् ब्राह्मणान् च स्वाधीनं स्वीकर्तुमादिदेश। समाधिरताः विप्राः दानवदूषणस्य कठोरवचनं श्रुत्वा भगवतः शिवस्य चरणयोः ईषदपि विरताः न

2 पदच्छटाऽलङ्कृति-सद्वटा न वा, \\

न वा नवा रीति-पटी-पटीयसी। \\

न सद्-रस-स्यन्द-मही महीयसी \\

महीयते किन्विह भक्ति -मञ्जरी।।-आवन्तिकम् 12।

अभवन्। तदा क्रोधाविष्टः दानवराजः दूषणः दूतेभ्यः सपरिवारं तान् विनष्टमादिदेश। दानवराजः दूषणस्य दूताः यदा तान् विप्रान् प्राप्तवान् तदा पार्थिवलिङ्गात् भगवान् शङ्करः आविर्बभूव। भगवान् शङ्करः पावकात्मकेन स्वतृतीयनेत्रेण तान् दूतान् भस्मसात् कृतवान्। चन्द्रात्मकनेत्रेण भक्तजनान् चुम्बितवान्, सूर्यात्मकनेत्रेण देवजनान् दृष्टवान्। इन्द्र-विष्णु-सूर्य-वरुण-ब्रह्मादयः सर्वे देवाः वेदमन्त्रैः भगवन्तं शिवं स्तुतवन्तः अनन्तरं भक्तजनाः शिवं नमश्चक्रतुः। भक्ताः शिवं प्रार्थयामासतुः हे भगवन्! भवान् सर्वदा उज्जयिन्यां निवासं करोतु! शिवः ओमित्युक्त्वा तेषां प्रार्थनां स्वीचकार। पुनः शिवः अन्तर्हितोऽभवत् ज्योतिर्लिङ्गश्च उल्लसितः बभूव। तदनन्तरं भगवान् विश्वकर्मा रमणीयमन्दिरं पूर्णं कृतवान्। नन्दितभागे अवन्तिकानरेशस्य चन्द्रसेनस्य आमात्यः मणिभद्रः शिवार्चनेन शिवगणस्य आधिपत्यं प्राप्तवान्। शिवकृपातः तेन 'चिन्तामणिः' प्राप्ता। भूपतिगणः तं चिन्तामणिं याचितवन्तः परञ्च तेन तेभ्यः राजभ्यः मणिः न दत्ता अपितु न्यायप्रियाय राज्ञे चन्द्रसेनाय मणिः दत्ता। चिन्तामणिं प्राप्त्यर्थं समस्तनरेन्द्राः लालायिताः आसन्। ते वारम्-वारं तां मणिं चन्द्रसेनं याचितवन्तः परञ्च चन्द्रसेनः तेभ्यः मणिं न दत्तवान्। सर्वे राजानः मणिकारणात् चन्द्रसेनोपरि क्रुद्धाः जाताः, ते अवन्तिकापुरीं चतुर्दिग्भ्यः आवृत्यं चन्द्रसेनं बाधितवन्तः। भयात् राजा चन्द्रसेनः समस्तराज्ञां समक्षम् आत्मानमत्यन्तदुर्बलमवगणितवान्। निराशो भूत्वा राजा चन्द्रसेनः भगवतः महाकालस्य शरणं गतवान्। राजा चन्द्रसेनः शिवस्य प्रसीदये सहस्रकमलपुष्पाणां मालां तस्योपरि अर्पितवान्। खसादिसुगन्धितद्रव्यैः राजा चन्द्रसेनः भगवन्तं महाकालं प्रसीदयितुं यत्नं कृतवान्। तस्मिन्नन्तरे तत्र पञ्चवर्षीयेण बालकेन सह काचित् गोपाङ्गना आगता राज्ञः चन्द्रसेनस्य पूजापद्धतिं च ददर्श। सः गोपीपुत्रोऽपि राज्ञः पूजां विलोक्य अतिप्रेरितो भूत्वा एकान्ते पूजायां संलग्नो जातः। तेन बालकेन निराहारपूर्वकं शिवं पूजयामास। मनसा वाचा कर्मणा सः बालकः पार्थिवं शिवलिङ्गं पूजयामास। सः गोपपुत्रः भस्मं लेपयित्वा, रुद्राक्षं धारयित्वा निद्रां च विजित्य अधिकं तेजस्वी जातः। शिवपूजायां तन्मयत्वात् सः बालकः मित्रैः सह परिहासं बालोचितचेष्टां भोजनादिषु रसास्वादं हिंसा च सर्वान् परित्यक्तवान्। अनेन प्रकारेण शिवानुरागे सः गोपबालकः वन्दनीयो जातः। बालकस्य एतादृशीमवस्थां विलोक्य तस्य माता क्रुद्धा जाता सा बालकं शिवपूजातः अपवारितवती पूजासामग्रीं च जलराशौ क्षिप्तवती। सः बालकः भ्रष्टबुद्धिं स्वमातरं विलोक्य शिवस्य ध्याने मग्नः बभूव। सः बालकः शिवपार्वत्योः पुत्रद्वयसहितं दर्शनं लब्धवान्। दर्शनात् सः बालकः हृदयगतेभ्यः दुःखेभ्यः शून्यः भेदभावरहितो भूत्वा अतिप्रसन्नो भूत्वा शिवमाराधयामास। तदा सः बालकः देवाङ्गनासदृशीं स्वमातरं दृष्टवान्। स्वामात्रा सह संयुक्तः भूत्वा सः बालकः पुनः महाकालमर्चयामास। हार्दिकसन्तापेभ्यः मुक्तो भूत्वा राजा चन्द्रसेनोऽपि शिवमन्दिरं गतवान् शिवं प्रणम्य तं बालकं पर्याप्तवैभवेन सम्मानितवान्। चिन्तामणिप्राप्तेः चिन्तायां निमग्नाः राजानः अपि शिवभक्तबालकस्य चर्चां श्रुत्वा राजा चन्द्रसेनेन सह मैत्रीं कृतवान्। केचित् राजानः तस्मै बालकाय उपहारान् दन्तवन्तः अनेन प्रकारेण सर्वे राजानः तं बालकं गोपगणनायकं कृतवन्तः। तदा शिवभक्त्या ओतप्रोतः हनुमान् प्रकटो भूत्वा तस्मै बालकाय कथितवान् हे मित्र! त्वं श्रीकरनाम्ना प्रसिद्धो भव। अस्य श्रीकरस्य कुले नन्दगोपः भविष्यति तस्य पत्नी भविष्यति 'यशोदा'। तयोः एव बालकः श्रीकृष्णः भविष्यति। अनेन प्रकारेण तत्रोपस्थितानां समक्षं शिवस्य पूजापद्धतिं वर्णयित्वा हनुमान् अन्तर्धानोऽभूत्। पुनः कविः कथयति यत् इयं कथा पुराणेभ्यः गृहीता अस्ति। केचित् भक्ताः महाकालं स्तुवन्ति, केचित् भक्तिपूर्वकं प्रणमन्ति, केचित् ध्यानं कुर्वन्ति, केचित् तद्विषयकं काव्यं कुर्वन्ति। केचित् शिप्रायां पार्श्वे शेरते, केचित् अवन्ति महाकालेश्वरं वा गच्छन्ति। सांसारिकाज्ञानेन मात्सर्यभावेन च रहिताः ये सज्जनाः इदमावन्तिककाव्यं पठन्ति ते आत्मानं सर्वविधमुन्नतिं कुर्वन्ति। पुनः कविवंश-वर्णना, आवन्तिककाव्य-मङ्गल-समीहा, आवन्तिककर्ता आदिवस्तुजातमुपवर्णितमस्ति। अनेन प्रकारेण काव्यमिदं पूर्णं भवति।

**सन्दर्भः-**

1. आवन्तिकम्, वर्षम् 1976, प्रकाशनम्-शैलजाप्रकाशनं अज्झारा लालगंज, प्रतापगढ़जनपदम्।



# ज्ञानशौर्यम्



## Publisher

Technoscience Academy

(The International open Access Publisher)

Website : [www.technoscienceacademy.com](http://www.technoscienceacademy.com)